Tuesday, 01 August, 1972

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

Preservation Unit
Fumigated
01/5.2.84
Parliament Library

[खंड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 1 अगस्त 1972/10 श्रावण, 1894 (शक)

No 2, Tuesday August 1, 1972/Sravana 10, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
प्रश्नो के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
21 मतदान की आयु कम करना	Lowering of Voting Age	1—3
22 जून, 1972 में श्री नगर में हुए राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन किये गये निर्णय	Decisions taken at the Conference of States I & P Ministers at Srinagar (June, 1972)	3—5
23 प्रशासनिक विधि, कम्पनी विधि और श्रम विधि की डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षाओं को मान्यता देना	Recognition to Diploma Course Examinations in Administrative Law, Company Law and Labour Law	5—6
25 विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्णयाधीन पड़े मामलों के निपटाने हेतु कार्यवाही	Steps taken to dispose of Cases Pending in various High Courts	6—8
26 गांधीनगर, गुजरात में तापीय बिजली घर की स्थापना	Setting up of Thermal Power Station in Gandhinagar, Gujarat	8—10
27 रेलगाड़ियों के भोजन-यानों में यात्रियों को घटिया किस्म का भोजन दिया जाना	Serving of Inferior Type of Food to Passengers in Railway Dining Cars	10—13
28 भारतीय संविधान के हिन्दी संस्करण की प्रतियों का उपलब्ध न होना	Non-availability of Copies of Hindi version of the Constitution of India	13—15
30 भारत यूगोस्लाविया व्यापार करार	Indo Yugoslavia Trade Agreement	15—16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता० प्र० संख्या S. Q.No.		
31 दामोदर घाटी निगिम में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधि	Representative from West Eengal in Damodar Valley Corporation	16
32 वर्ष 1972-73 में किये गये व्यापार समझौते	Trade Agreements during 1972-73	16—17
33 कटक-पारादीप रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Cuttack-Paradip Rail Link	17—18
34 बिजली खराब होने के कारण दामोदर घाटी निगम को हुई हानि	Loss suffered by DVC due to Power failure	18—20
अता० प्र० संख्या प्रश्नों के लिखित उत्तर S. Q. Nos.	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
24 कपड़े के निर्यात का पुनर्विलोकन करने के लिये कृतिक दल (टास्क फोर्स)	Task Force to Review Textile Exports	20—21
29 सीमेंट कोयला तथा लोहा और इस्पात ले जाने के लिये गैर सरकारी एजेंसियों और त्रिपुरा सरकार को रेल माल डिब्बे उपलब्ध कराना	Wagons provided to Private Agencies and the Government of Tripura for Cement, Coal and Iron and Steel	21
35 अपर कृष्णा प्रोजेक्ट	Upper Krishna Project	21—22
36 गंगा बेसिन में बाढ़ नियन्त्रण के लिये योजना	Plan for Flood Control in Ganga Basin	22
37 पोजनान में अन्तर्राष्ट्रीय मेला	International fair at Poznan	22—23
38 वैगनों की कमी के कारण दिल्ली में कोयले और सीमेंट की अत्यधिक कमी	Scarcity of Coal and Cement in Delhi due to Wagon Shortage	23
39 प्राइवेट एजेंसियों द्वारा बिजली का वितरण	Distribution of Power by Private Agencies	23—24
40 विदेशों में भारतीय संयुक्त उपक्रमों के कार्य-कारण की जांच करने हेतु एक सैल की स्थापना	Cell to watch Performance of Indian Joint Ventures abroad	24
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
201 खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें	Corruption complaints of Staff Members and Officers of MMTC	24

अ० तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
202	दिल्ली की जल प्रदाय समस्याओं के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Delhi's Water Supply Problems	24—25
203	बाढ़ों के परिणामस्वरूप रेलवे को क्षति	Loss to Railways due to Floods	25
204	रेलवे में आई० ओ० डब्ल्यू टनल और टनल इन्स्पेक्टरों के पद पर पदोन्नति का क्रम	Channel of Promotion to Posts of I.O.W.'s Tunnel and Tunnel Inspectors on Railways	25
205	चाय उद्योग सहायता संगठन	Consortium for Tea Industry	25—26
206	दक्षिण में चाय के उत्पादन में कमी	Set back in Tea Production in South	26
207	आसाम और पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के भविष्य में विस्तार के लिये फालतू और सुरक्षित भूमि का रखा जाना	Retainment of Surplus and Reserve Land for further extension of Tea Estates in Assam & West Bengal	26—27
208	चाय उद्योग का उत्पादन लागत अध्ययन	Production Costs Studies in Tea Industry	27
209	मेरठ जाने वाली सवारी गाड़ियों में गुण्डा-गर्दी	Menace of Goondas in Meerut-Bound Passenger Trains	27
210	पश्चिम बंगाल में बिजली उत्पादन की परियोजनायें	Projects for Generation of Electricity in West Bengal	27—28
211	गुजरात में बिजली की कमी	Power Shortage in Gujarat	28—29
212	मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Madhya Pradesh	29
213	सौराष्ट्र में कपास निगम द्वारा रूई की विभेदपूर्ण खरीद	Discriminate purchase of Cotton by Cotion Corporation in Saurashtra	30
214	त्रिपुरा में एपेक्स मार्केटिंग एजेंसी के माध्यम से पटसन की खरीद	Purchase of Jute in Tripura through Apex Marketing Agency	30
215	रूई खरीदने के लिये सरकार द्वारा मनोनीत एजेन्सियों का कार्यकरण	Functioning of Government Nominated Agencies for Purchasing Cotton	31
216	एशियायी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने वाले देश	Countries Participating in Asian International Trade Fair	31

अता०प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2,7	राष्ट्रीय जल ग्रिड के लिये स्वीकृत सहायता राशि	Amount of Assistance Sanctioned for National Water Grid	31—32
218	उठाऊ सिंचाई की दरोंको कम करना और ग्राम पंचायतों को गलियों में लगी बिजली के लिये भुगतान न करने की छूट देना	Lowering of Lift Irrigation Rates and Exempting Village Panchayats from Payment of Power Rates for Street Lights	32
219	महानगरों में भूमिगत रेलवे की व्यवस्था	Underground Railway in Metropolitan Cities	32—33
220	दिल्ली में बार-बार बिजली खराब हो जाना	Frequesnt Power Breakdowns in Delhi	34
221	हिन्दू परिवार की परिभाषा के पुनरीक्षण का प्रस्ताव	Proposal to Revise the Definition of a "Hindu Family"	34
222	विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले	Cases Pending in various High Courts	34—35
223	राज्य व्यापार निगम की निधियों का पूँजी निवेश	Investment of STC Funds	35
224	हथकरघा कपड़ों का निर्यात	Export of Handloom	35—36
225	रेलवे स्टेशनों के लाइसेंस शुदा कुलियों द्वारा यात्रियों से नियत पैसों से अधिक पैसों का लिया जाना	Excessive Charges from Passengers by Licensed Porters of Railways Station	36
227	माल वाहन के लिये रेल के डिब्बे	Wagons for the Transportation of Goods	36—37
228	देश में विद्युत की कमी	Power Shortage in the country	37—38
229	धर्मनगर रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर आरक्षण करने की व्यवस्था	Reservation arrangements at Dharamnagar Railway Station (Northeast Frontier Railway)	38—39
230	पटसन निगम	Jute Corporation	39
231	जौहरियों के प्रतिनिधि मंडल का पश्चिम योरोपीय देशों का दौरा	Visit by Jewellers' Delegation to West European Countries	39
232	यूनाइटेड डेवेलपमेंट इनकापोरेशन,, लंदन के साथ वस्तु विनिमय करार	Barter deal with United Development Incorporation, London	39—40

अता० प्र० स्ख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
U. S. Q. Nos.			
233	कच्चे माल को तैयार माल में बदलने के लिये रूस से बातचीत	Negotiations with USSR for Conversion of Raw Material into Fin's-hed Goods	40
234	दामोदर घाटी निगम में कुप्रशासन	Maladministration in Damodar Valley Corporation	40—41
235	औद्योगिक विकास के लिये दामोदर घाटी निगम से विद्युत की सप्लाई	Supply of Electricity for Industrial Development from DVC	41
236	गंगा नदी पर टिहरी बांध का निर्माण	Construction of Tehri Dam over Ganga River	41—42
237	भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग	Indo-Bangladesh Joint River Commission	42
238	विदेशों में भारतीय रेशम की मांग में वृद्धि	Increase in Demand of Indian Silk in Foreign Countries	42—43
239	कोनाकपुरा (मैसूर) स्थित अरकावती परियोजना के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता	Additional financial help to Arkavati Project, Komakpura (Mysore)	43
240	बिजली की गैर-सरकारी फर्मों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Private Electricity firms	43—44
241	शरावती जल परियोजना (मैसूर) के संबंध में जांच	Probe into Sharavathi Hydel Project (Mysore)	44
242	ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हो जाने के फलस्वरूप उसको होने वाले भारतीय निर्यात की रक्षा के उपाय	Safeguarding India's Exports to U.K. consequent on her joining EEC	44—45
243	अफ्रीकी-एशियाई देशों के लिये भारतीय परामर्श-दात्री समिति	Indian Consultancy Service for Afro-Asian Countries	45
244	बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Bihar	45—46
245	संसद भवन में रेलवे बुकिंग के कोटे में वृद्धि	Increase in quota of Railway Booking in Parliament House	46
246	समुद्री कटाव सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिये केरल को भेजा गया अध्ययन दल	Sutdy team sent to Kerala for Studying sea erosion problems	46—47
247	पोटास पूरक उर्वरकों का आयात	Import of Potassic Fertilizer	47

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
248 राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा प्रेस सम्मेलनों का आयोजन	Convening of Press Conferences by STC and MMTC	47
249 कुतुब रोड, नई दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के क्वार्टरों में रहने वाले लोगों के लिये वैकल्पिक आवास	Alternative Accommodation to occupants of Northern Railway Quarters at Qutab Road, New Delhi	47—48
250 सफदरजंग हवाई अड्डे के समीप रेलवे उपरि पुल का निर्माण	Construction of Railway over bridge near Safdarjang Aerodrome	48
251 सफदरजंग रेलवे उपरि पुल (नई दिल्ली) का डिजाइन	Design of Safdarjang Railway over-bridge (New Delhi)	48
252 ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनरों को पारितोषिक देने के लिये प्रोत्साहन योजना	Incentive Scheme to reward travelling Ticket Examiners	48—49
253 रेलों में चोरी की समस्या को निपटाने के लिये विद्यमान कानून में संशोधन	Amendment to the Existing Law to deal with the Problem of thefts and Pilferages on Railways	49—50
254 पोलैण्ड में भारतीय इंजीनियरिंग तथा उपभोक्ता वस्तुओं की नई मंडी	New market for Indian Engineering and consumers goods in Poland	50
255 यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ वाणिज्यिक करार	Commercial agreement with EEC	50—51
256 गोआ में विद्युत संकट	Power crisis in Goa	51
257 सैनिक उपकरण (सोफ्ट वेयर) के लिये निर्यात आदेश	Export orders for Military Software	51
258 जूट के उत्पादन में कमी	Shortfall in Jute Production	51—52
259 पतरातु, बरौनी तापीय विद्युत संयंत्रों में की गई अनियमितताओं की जांच करने के लिये जांच आयोग की नियुक्ति	Appointment of an enquiry Commission to go into the irregularities committed in Patratu and Barauni Thermal Plants	52
260 भारतीय रेलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Indian Railways	52—53
261 उत्तर प्रदेश के जुलाहों की कठिनाइयाँ	Difficulties of Weavers of Uttar Pradesh	53—54

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
262	दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की बेंच खोलना	Bench of Supreme Court in South	54
263	दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल को विद्युत की सप्लाई बंद करने का प्रस्ताव	Proposal to discontinue Power Supply to West Bengal by DVC	54
264	रतलाम डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के अजमेर—रतलाम सैक्शन पर गाड़ियों में कंडक्टर तैनात करना	Posting of Conductors in trains on Ajmer-Ratlam Section of Ratlam Diviston (Western Railway)	54
265	रतलाम और कोटा डिवीजनों (पश्चिम रेलवे) में कन्डक्टर	Conductors in Ratlam and Kota Divisions (Western Railway)	54–55
266	नर्मदा जल विवाद	Narmada Water Dispute	55
267	भारतीय रूई निगम द्वारा रूई की खरीद और आयातित रूई का उपयोग	Purchase of Cotton by CCI and Utilisation of Imported Cotton	55–56
268	यूनियन कार्बाइड द्वारा समुद्री उत्पादों का कथित निर्यात	Reported Export of Marine Products by Union Carbide	56
269	यूगोस्लाविया के साथ विशेष व्यापार करार	Special Trade Agreement with Yugoslavia	56—57
270	इस्पात कारखानों में रेल वैगनों को अधिक समय तक रोके रखना	Abnormal Detention of Rail Wagons in Steel Plants	57
271	भारत-पेरू व्यापार समझौता	Indo-Peru Trade Pact	57
272	समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिये प्राधिकरण	Authority for Development of Marine products Industry	57—58
273	केरल से सिंचाई परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त आवंटन करने का अनुरोध	Request for Additional Allotment for Irrigation Project for Kerala	58
274	सड़क यातायात अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत रेलवे और राज्यों के बीच अंशदान	Share contribution between the States and the Railway under Road Transportation Act, 1950	58—59
275	देश में नई ग्राम विद्युतीकरण परियोजनायें	New Rural electrification Projects in the country	59–60
276	कच्चे पटसन के लिये साँविधिक समर्थन मूल्य	Statutory Support price for Raw Jute	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
277	कलकत्ता ट्यूब रेल परियोजना पर वार्षिक व्यय	Annual Expenses ou Calcutta Tube Rail Proj:ct	60—61
278	लन्दन में व्यापार केन्द्र	Trade Centre in London	61
279	कश्मीर घाटी में रेल लाइन बिछाया जाना	Laying of Railway line in Kashmir Valley	61
280	पश्चिम कोसी नहर परियोजना के सम्बन्ध में हुई प्रगति	Progress made in Western Kosi Canal Project	6?
281	झंझरपुर से लोकाहा, सकरी से रोसेरा तक नई रेलवे लाइनें बिछाना तथा समस्तीपुर से र सौल बरास्ता दरभंगा के लिये बड़ी लाइन का विस्तार	Ne.v Railway Lines from Jhanjhapur to L^ukaha, Saki to Rosera and Extension of Broad Gauge Line from Samastipur to Raxaul via Darbhanga	62—63
282	बिहार में कटिहार में तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal for location of Thermal Powor P'ant at Kashmir in Bihar	63
283	करकारिया यार्ड, अहमदाबाद के सहायक यार्ड मास्टर द्वारा पकड़े गये छुट-पुट चोरी करने वाले व्यक्ति	Pilferers caught hold of by Assistant yard Master of Karkaria Yard Ahmedabad	63- 64
284	सिंचाई आयोग का प्रतिवेदन	Irrigation Commission Report	64
285	राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में लगे लाउडस्पीकरों से घटिया और अश्लील गानों का प्रसारण	Cheap and Vulgar Songs Broadcast through Internal Loudspeakers of Rajdhani Expre ses	64
286	राज्यों द्वारा बिजली घरों की स्थापना	Setting up of Power Plants by States	64—65
287	चम्बल घाटी के लिये सिंचाई योजनाएं	Irrigation schemes for Chambal Valley	65
288	मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनाएं	Irrigation schemes in Madhya Pradesh	65—66
289	मध्य प्रदेश की मध्यम एवं बृहत सिंचाई योजनाएं	Major and medium Irrigation schemes in M. P.	66—67
290	झांसी स्टेशन पर यात्री गाड़ियों का आऊटर सिगनलों पर रोक दिया जाना	Halting of Passenger Trains at Outer Signals at Jhansi Station	67
291	झांसी-मानिकपुर लाइन पर एक्सप्रेस गाड़ी चलाना	Introduction of an express train on Jhansi-Manikpur Line	67—68

U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
292	खेलों के सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिये योजना	Scheme for promotion of export of sports goods	68
293	मेवा के व्यापार को सरकारी अधिकार में लेना	Take over of Dry fruit trade	68
294	कानपुर में उपरि पुलों का निर्माण	Construction of over-bridges in Kanpur	68–69
295	उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी	Power shortage in U. P.	69
296	बिड़ला बंधुओं के एल्यूमीनियम निगम तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य करार को समाप्त करने की अनुमति	Permission to terminate agreement between the Aluminium Corporation of Birla and the U. P. Government	69–70
297	बोनस अधिनियम में संशोधन	Amendment of Bonus Act	70
298	लोह अयस्क के लिये विदेशों में नई मंडियों की खोज	Exploration of new markets abroad for Iron Ore	70
299	फरक्का बांध परियोजना पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Farakka Barrage Project	70—71
300	कच्चे पटसन के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य का पुनरीक्षण	Revision of Minimum support Price for Raw Jute	71
301	पोंग बांध के निष्कासितों से शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने का नोटिस	Notice of peaceful Agitation form pong Dam Outstees	71—72
302	हिमाचल प्रदेश में रेलवे की आउट एजेंसी का कार्यकरण	Working of Railway Out Agencies in Himachal Pradesh	72
303	पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें	New Railway Lines in Hilly and Backward Areas	72
304	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का संशोधन	Amendment to Hindu Succession Act, 1956	72–73
305	रेणुकूट (उत्तर प्रदेश) स्थित बिड़ला के एल्यूमीनियम संयंत्रों को रियायती दरों पर बिजली की सप्लाई	Supply of Power at Concessional Rates to Birla's Aluminium Plants in Renukoot (U. P.)	73
306	चाय का निर्यात	Export of Tea	73—74

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
307	201 अप अहमदाबाद मेल में लगे पुराने डिब्बों का बदला जाना	Replacement of the Old Compartment attached to 201 UP Ahmedabad Mail	74
308	दक्षिण गुजरात में रेलवे में सुधार	Improvement in Railway in South Gujarat	74
309	गुजरात में नई बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने सम्बन्धी योजना	Scheme to set up New Power Plants in Gujarat	74--75
310	अंकटाड III में नीदरलेण्ड द्वारा प्रस्तावित तृतीय विश्व केन्द्र की स्थापना	Creation of Third World Centre proposed by Netherlands at UNCTAD-III	75
311	दिल्ली से ओखा जाने वाली अहमदाबाद मेल (पश्चिम रेलवे) में और डिब्बों का जोड़ा जाना	Addition of Compartments to Ahmedabad Mail from Delhi to Okha (Western Railway)	76
312	पश्चिम रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध अभियान	Campaign against Ticketless Travelling by Western Railway	76—77
313	अहमदाबाद मेल में संसद सदस्यों के लिये कोटा	Quot a for Members of Parliament in Ahmedabad Mail	77
314	रेलवे माल डिब्बों और उपकरणों का निर्यात	Export of Railway Wagons and Equipment	77—78
315	अदरा शहर (दक्षिण पूर्व रेलवे) की 'ग' श्रेणी का दर्जा	'C' Class Status for Adra City (South Eastern Railway)	78
316	पुलिस रेलवे सुरक्षा दल की ज्यादतियों के कारण रेल कर्मचारियों द्वारा काम बन्द कर देना	Stoppage of work by Railwaymen due to Excesses by Police/RPF	78—79
317	सियालदह डिवीजन (पूर्वी रेलवे) में रेल सेवाओं का रोका जाना	Stoppage of Train Services in Sealdah Division (Eastern Railway)	79
318	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों के दूरवर्ती स्थानों पर स्थानान्तरण	Transfers of Staff of Chittaranjan Locomotive Works to Distant Places	79—80
319	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स तथा इन्टेग्रल कोच फैक्टरी में मजदूर संघों को मान्यता देने सम्बन्धी नियम	Rules for Recognition of Unions in Chittaranjan Locomotives works DLW and Integral Coach Factory	80—81

U. S. Q. Nos.

320	पश्चिम बंगाल में बन्द कपड़ा मिलों को अधिकार में लिया जाना	Take over of closed Textile Mills in West Bengal	82
321	उत्तर प्रदेश में सिंचित भूमि का क्षेत्रफल	Acreage of Land Irrigated in U. P.	82—83
322	वर्ष 1972 में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से अर्जित आय	Revenue earned from Ticketless passengers during 1972	83
323	अखरोटों के निर्यात में कमी	Decline in Export of Walnuts	83
324	सिले सिलाये वस्त्रों की मंडी में भारतीय निर्यातकर्ताओं की पाकिस्तानी निर्यात कर्त्ताओं से कड़ी प्रतियोगिता	Indian Exporters facing Stiff competition from Pakistan in ready made Garment	83
325	फिजी में भारत विषयक प्रदर्शनी	Exhibition of India in Fiji	84
326	कावेरी जल विवाद	Cauvery Water Dispute	84—85
327	विभागीय खान पान व्यवस्था को न बढ़ाने सम्बन्धी निर्णय	Decision not to Extend Departmental catering	85
328	गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड का गठन और उसके कार्य	Composition and functions of Ganga Flood Control Board	85—86
329	टिकटों की चोरबाजारी में आरोप में नई दिल्ली में गिरफ्तारी	Arrest on charges of Black Marketing in Tickets in New Delhi	86
330	भारत के संविधान के हिन्दी संस्करण का प्रमाणीकरण	Authenticiation of Hindi Version of Constitution of India	87
331	गुजरात को कोयले का लदान	Loading of coal to Gujarat	87
332	गुजरात में बाढ़ की चेतावनी देने सम्बन्धी उपाय	Steps to provide Flood Warnings in Gujarat	87—88
333	गुजरात में तापीय विद्युत केन्द्र स्थापित करने की मांग	Demand for Setting up Thermal Power Stations in Gujarat	88
334	मेवों का आयात	Import of Dry Fruits	88
335	नारियल जटा का निर्यात	Export of Coir	89

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अता: प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
336 शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे लाइन को पुनः चालू करना	Re-Opening of Shahdara-Saharanpur Light Railway Line	89
337 बिहार में बिजली का संकट	Power Crisis in Bihar	89—90
338 भूमध्य सागर को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर देने से भारत पर प्रभाव	Effect on India due to Declaration of Mediterranean Sea as Free Trade Zone	90
339 धार्मिक स्थानों की सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिये विधान	Legislation for the Management of the Properties of Religious Places	90
340 बहु विवाद प्रथा पर कानून बनाना	Legislation on Polygamy	90—91
341 रेलवे प्रशासन में तानाशाही रवैये का आरोप लगाने वाला समाचार	News item alleging Dictatorial attitude of Railway Administration	91
342 लोको तथा सी एण्ड डब्लू डिपार्टमेंट्स, झांसी (मध्य रेलवे) के कर्मचारियों को रात्रि कार्य भता न दिमा जाना	Non-payment of Night Duty Allowance to Staff of Loco and C & W Departments Jhansi (Central Railway)	91
343 झांसी यार्ड (मध्य रेलवे) के कर्मचारियों के लिये ड्यूटी रोस्टर	Duty Rosters of Yard Staff, Jhansi (Central Railway)	92
344 स्थानान्तरित कर्मचारियों को कार्यभार से मुक्त करने के लिये अपनाई जा रही कसौटी	Criteria Applied for Relieving the Transferred Staff	92
345 केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, चन्दौसी (उत्तर रेलवे) के प्रशिक्षणार्थियों को सुविधायें	Facilities to Trainees of Central Training Centre, Chandausi (Northern Railway)	92—93
346 दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली जी० टी० एक्सप्रेस में शयन यानों की संख्या में वृद्धि	Increase in the number of Sleeper Coaches in G. T. Express running between Delhi and Madras	93
347 भूमिगत रेल व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये रेलवे बोर्ड के विशेषज्ञों की यूरोपीय देशों को यात्रा	Visit of Experts of Railway Board to European Countries in Study Under ground Railway Systems	93—94
348 चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों का उत्पादन	Production of Diesel and Electric Engines in Chittaranjan Locomotive Works	94—95

U. S. Q. Nos.

349	दिल्ली-अहमदाबाद, सवाई माधोपुर-सीकर, आगरा-अहमदाबाद लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करना	Conversion of Delhi-Ahmedabad, Sawai Madhopur-Sikar, Agra-Ahmedabad Lines into Broad Gauge	95
350	रेलवे में बिना टिकट यात्रा में वृद्धि	Increase in Ticketless trave'ling on Railways	95—96
351	रूई के मूल्यों और रूई के भाड़े में समानता लाना	Equalisation of Cotton Prices and Freight on Cotton	96
352	गंगा नदी का सूखना	Gradual drying of River Ganga	97
353	दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई कमी	Shortage of Power Supply from DVC	97
354	दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to West Bengal by DVC	97—98
355	पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों में बिजली का संकट	Power Crisis in States of Eastern Region	98
356	केरल में काजू उद्योगों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Cahsew Workers in Kerala	98—99
357	रेल गाड़ियों का समय पर चलना	Running of Trains on time	99
358	वर्ष 1971-72 में बड़ी लाइन में बदली गयी मीटर लाइनें और छोटी लाइनों की लम्बाई	Mileage of narrow gauge and metre Gauge converted into Broad Gauge during 1971-72	99—100
359	रेलवे वर्कशापों में रेलवे माल डिब्बों का निर्माण	Manufacturing of Wagons in Railway Workshops	100
360	जापान से कपड़ा मिलों की मशीनों का आयात	Import of Textile Machinery from Japan	100—101
361	पोंग बांध के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के बीच विवाद	Dispute over compensation to Pong Dam oustees between H. P. and Rajasthan	101—102
362	अभ्रक निगम की स्थापना	Setting up of Mica Corporation	102
363	अभ्रक उद्योग में संकट	Crisis in Mica Industry	103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
364	विदेशों के साथ होने वाले व्यापारिक करारों का हिन्दी संस्करण	Hindi Version of Trade Agreements with Foreign Countries	103
365	कोनार और तिलैया बांध से बिहार को पानी की सप्लाई	Supply of water to Bihar from the Konar and Tilaiya Dams	103—104
366	श्रीनगर सम्मेलन में दामोदर घाटी परियोजना तथा सोन घाटी परियोजना जल विवाद सम्बन्धी मामले	Issue Raised in Regard to Damodar Valley Project and Sone Valley Project Water Dispute at Srinagar Conference	104
367	कलकत्ता पत्तन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये हुगली नदी के पानी के पर्याप्त बहाव को स्थिर रखना	Maintenance of Adequate Flow of Hoogly River Water to Feed Calcutta Port	104—105
368	कालिन्दी परियोजना (मैसूर)	Kalindi Project (Mysore)	105
369	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के व्यापार प्रतिनिधिमंडल का बंगला देश का दौरा	FICCI Delegation's Visit to Bangladesh	105
370	बनसागर परियोजना	Bansagar Project	105 -106
371	रेलवे के डाक्टरों, द्वारा मरीजों के घर जाकर मुआयना करने पर ली जाने वाली फीस	Visiting fees charged by Railway Doctors	106
372	पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन में रेलवे क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised Occupation of Railway Quarters in Dhanbad Division (Eastern Railway)	106
373	आर० टी० ए०, धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) के चयन के लिये अस्थायी प्रबन्ध करने हेतु अपनाई गई कसौटी	Criteria followed in Making Stop-Gap arrangements for selection of RTA, Dhanbad Division (Eastern Railway)	106—107
374	गंगा और कावेरी के संगम का बाणसागर परियोजना योजना पर प्रभाव	Effects of Ganga Cauvery link on Bansagar Project Scheme	107
375	लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	107
376	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के पदोन्नति के अवसर	Avenues of promotion for Station Masters and Assistant Station Masters	107—108

अत प्र० संख्या
U. S. Q. Nos

377	विद्युत परियोजताओं की धीमी प्रगति के कारण	Factors responsible for slow progress in Powes Projects	108
378	अमरीका को निर्यात	Exports to United States	108—109
379	दिल्ली में रेल यात्रा आरम्भ करने के लिये तीसरे स्टेशन का निर्माण	Construction of a Third Originating Railway Station in Delhi	109
380	दिल्ली तिरुनेलवेली (दक्षिण रेलवे) तक एक सीधी रेलगाड़ी आरंभ करना	Introduction of a direct train from Delhi to Tirunelveli (Southern Railway)	109
381	तीसरे दर्जे के रेल डिब्बों में यात्रा के लिये आरक्षण	Reservation in III class compartments	109-110
382	राज्यों में आम चुनावों के बारे में शिकायतें	Complaints Re. General Election in states	110
383	उठाईगिरी और चोरी के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railway due to Pilferage and Theft	110_111
384	मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Metre Gauge Lines into Broad Gauge Lines	111—112
385	अधिक बिजली उत्पादन करने की योजनाओं और पारेशण लाइनों के कार्य संचालन और निर्माण कार्य	Construction and operation of large Power Generation schemes and Transmission Lines	112
386	संसद सदस्यों द्वारा तम्बाकू बोर्ड के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को ज्ञापन	MPs Memorandum to prime Minister regarding Tabacco Board	112—113
387	तम्बाकू के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Export of Tobacco	113—114
388	राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू की खरीद	Purchase of Tobacco by STC	114
389	निर्यात व्यापार की मात्रा	Volume of Export Trade	114—115
390	ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग को अपने अधिकार में लेना	Take over of Brahamaputra Flood Control Commission	115
391	राजस्थान नहर के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को हड़ताल के परिणामस्वरूप हानि	Extent of loss due to strike of work-charged employees of Rajasthan canal	115

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अता: प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
392 कपड़ा निर्यात निगम की स्थापना	Setting up of Textile Export Corporation	115—116
393 कर्मचारियों और छोटे अंशधारियों के लिये राज्य व्यापार निगम की पूंजी को लगाना	Floating of STC Capital to Employees and small Shareholders	116
394 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि	Increase in the Pay of High Court Judges	116
395 अन्तर्राज्यीय नदी विवाद	Inter State River Disputes	116—117
396 रबड़ के मूल्यों में उतार-चढ़ाव	Fluctuations in prices of Rubber	117—118
397 ओलावाकोट के डिवीजनल कार्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of Divisional office from olavakhot	118
398 नार्वे तथा डेनमार्क को नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादकों का निर्यात	Export of Coir and Coir Products to Norway and Denmark	118—119
399 वर्ष 1972 के दौरान निर्यात का स्तर	Level of Exports during 1972	119
400 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of Judges in High Courts	119
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	120
आसनसोल में कुछ मजदूर संघ प्रतिनिधियों की हत्या का समाचार	Reported Murder of some trade unionists in Asansol	120
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	120—121
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	121—124
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	124—125
देश में सूखे की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा-पटल पर रखा गया	Statement Re. Drought Condition in the country-Laid on the Table	125—127
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	127—130
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377	130—132
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member	132—134

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के समझौते संबंधी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Statement on Agreement on Bilateral Relations between India and Pakistan	134
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	134 - 135
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya	135 136
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	136—139
श्री बी० आर० भगत	Shri B. R. Bhagat	139—141
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan	141—143
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya	143
श्री वी० के० कृष्ण मेनन	Shri V. K. Krishna Menon	143—145
श्री आर० के० सिन्हा	Shri R. K. Sinha	145—146
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	146—147
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	147—149
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L Bhagat	149
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Mishra	149—150
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	150—151
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	151—152
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	152—153
डा० हरि प्रसाद शर्मा	Dr. H. P. Sharma	153—154
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	154—155
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	155—161

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 1 अगस्त, 1972/10 श्रावण, 1894 (शक)
Tuesday, August 1, 1972/Sravana 10, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker In The Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मतदान की आयु कम करना

*21 **श्री एस० ए० मुरूगनतम :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युवकों को 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार देने सम्बन्धी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि सरकार ने इस प्रश्न पर निर्णय अब तक क्यों नहीं किया है जबकि मतदान की आयु सीमा कम करने के लिए विद्यार्थियों और युवक संघों ने कई अभ्यावेदन दिये हैं ? संसद की संयुक्त समिति और चौथी लोक सभा की याचिका समिति द्वारा मतदान की आयु कम करके 18 वर्ष निश्चित करने का सुझाव देने के उपरान्त भी इस कार्य में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री नीति राज सिंह चौधरी : मन्त्रिमण्डल ने इस विषय पर विचार किया था तथा मन्त्रि-मंडल द्वारा और आगे मांगी गई जानकारी एकत्रित की जा रही है जो उसे प्रस्तुत की जायेगी । तदुपरांत उस पर निर्णय किया जायेगा ।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या उन्हे पता है कि उनके दल ने इसको चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया था ? क्या जनता को दिया गया यह आश्वासन क्रियान्वित किया जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : यह प्रश्न केवल संविधान के अनुच्छेद को बदलने और मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निश्चित करने से सम्बन्धित नहीं है। इसके साथ ही, हमें मतदान की आयु कम करने से होने वाले वास्तविक प्रभाव पर भी विचार करना पड़ेगा, सरसरी तौर पर प्रारम्भिक जांच पहले ही कर ली गई है। इन उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मतदाताओं की संख्या में लगभग 4 करोड़ की और वृद्धि हो जायेगी। केवल यही निरुत्साहित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के अन्य कारण भी हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में भी वृद्धि होगी। यह तब तक संभव नहीं है जब तक हम निर्वाचन क्षेत्र को इतना बड़ा न बनायें। आज निर्वाचन क्षेत्र पर्याप्त बड़े हैं और औसतन उसमे 11 लाख मतदाता हैं, यदि इस प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जाता है तो मतदाओं की संख्या 12 अथवा 13 लाख हो जायेगी तो बहुत अधिक है। तब यह सोचना आवश्यक हो जायेगा कि क्या निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि मतदान केन्द्रों की संख्या में भी वृद्धि होगी, क्योंकि मोटे तौर पर 800 मतदाताओं के लिए एक मतदान केन्द्र होता है अतएव कर्मचारियों की संख्या व्यय तथा अन्य बातों में वृद्धि करने के प्रश्न के अलावा मतदान केन्द्रों की संख्या में भी वृद्धि करनी होगी। सरकार इस समय इसके पक्ष में अथवा विपक्ष में नहीं है, अपितु उसे इस पर निर्णत करने से पूर्व इसके सब पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा।

श्री अर्जुन सेठी : क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि सरकार यह नहीं समझती है कि संसदीय संयुक्त समिति ने मतदान की आयु के बारे में प्रस्ताव करते समय अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : यह सच है कि संयुक्त समिति को यह बात सौंपा निर्दिष्ट नहीं की गयी थी। परन्तु फिर भी उसने सिफारिश की है।

श्री पोपटलाल एम० जोशी : प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 11 से 12 लाख लोग रहते हैं परन्तु मतदाताओं की संख्या आधी है मतदाता की आयु 18 वर्ष निर्धारित करने से मतदाताओं की सँख्या में वृद्धि होगी परन्तु निर्वाचन क्षेत्र का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है, आप मन्त्री महोदय के समक्ष कतिपय सैद्धान्तिक विचार रख रहे हैं।

श्री पोपटलाल एम० जोशी : मेरा कहना है कि निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या मतदाताओं की संख्या में वृद्धि करके कोई कठिनाई होगी ?

अध्यक्ष महोदय : यही वह बात है जिसको वह अपने पूर्ण उत्तर में समझाने का प्रयत्न कर रहे थे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मन्त्री महोदय ने इतनी कठिनाइयों का जिक्र किया है परन्तु उन्होंने एक बात नहीं बताई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये अपरिपक्व लड़के अपने मतपत्र का सही उपयोग करेंगे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने के अपने अधिकार का उचित रूप से उपयोग करना चाहिए ।

Shri Panna Lal Barupal : May I know from the hon. Minister whether the seats of Lok Sabha and Rajya Sabha will be fixed on the basis of censm of 1971.

Mr. Speaker : This does not arise out of the main question.

(जून, 1972 में) श्री नगर में हुए राज्यों के सिंचाई और विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में किए गए निर्णय

*22. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** :
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1972 में श्रीनगर में हुए राज्यों के सिंचाई और विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में क्या क्या मुख्य निर्णय किये गये;

(ख) क्या जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति मानते हुए राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित करने और इस समय विभिन्न सरकारों द्वारा निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं सहित सभी विद्युत परि–योजनाओं के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय विद्युत उत्पादन बोर्ड की स्थापना करने के बारे में कोई निर्णय किये गये थे : और

(ग) केन्द्रीय सरकार का उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव०) : (क) राज्यों के सिंचाई और विद्युत मन्त्रियों के छठे सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को संलग्न उपबन्ध में दिया गया है । **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3204/72)**

(ख) सम्मेलन ने नोट किया कि देश के जल संसाधनों के बढ़ते हुये उपयोग के तथा भविष्य में बृहत्तर समुपयोजन के कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप; राष्ट्रीय जल नीति बनाने की आवश्यकता है ताकि समग्र देश के हित के लिए जल की आवश्यकताओं के सतत मूल्यांकन तथा विभिन्न उपयोगों के लिए अत्यधिक लाभदायक और एक समान जल–आबंटन सुनिश्चित किया जा सके ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत जनन के सम्बन्ध में, सम्मेलन का यह विचार था कि पाँचवी पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्र द्वारा विद्युत जनन बृहद अन्तर्राज्यीय विद्युत परियोजनाओं के लिये होगा अथवा राज्यों द्वारा विद्युत जनन के पूरक के रूप में होगा । सम्मेलन ने सिफारिश की है कि बाद की योजनाओं में विद्युत परियोजना के लिए विद्युत-जनन की नीति का पुनरवलोकन किया जाए ।

(ग) एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने में निहित विभिन्न पहलू का जिसमें विधायी विचार भी सम्मिलित है, अध्ययन किया जा रहा है ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत-जनन का संबंध है, यह प्रस्ताव है कि राज्यों द्वारा विद्युत-जनन के पूरक के रूप में पांचवीं योजनावधि के दौरान केन्द्रीय सैक्टर में कुछ परि-

योजनाओं को हाथ में लिया जाए । केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत उत्पादन बोर्ड की स्थापना के प्रश्न की भी जांच हो रही है ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : विवरण में कहा गया है कि "उन सतत परियोजनाओं से, जिन पर पर्याप्त प्रगति हो चुकी है, यथा संभव शीघ्र पूर्ण लाभ उठाने के उद्देश्य से राज्य सरकारें उनको पूरा करने के लिए कुछ अपेक्षित धन राशि की व्यवस्था करें । "मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार नागार्जुनसागर और श्रीसेलम जैसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के संसाधनों को बढ़ाने का है ताकि उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त किये जा सकें, क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मुझे आशा है कि पांचवी योजना का एक उद्देश्य यह होगा कि उन परियोजनाओं को पांचवी योजना में पूरा किया जाये । जो निर्माण के अंतिम चरण में है और मुझे आशा है कि इसके लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : विवरण में कहा गया है कि "सम्मेलन ने नोट किया है कि यद्यपि ग्राम विद्युतीकरण के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है तथापि समाज के कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों को विद्युत की सुविधाएं देने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है ।" क्या मैं जान सकता हूं कि आँध्र प्रदेश में रायलसीमा जैसे पिछड़े और कमजोर क्षेत्रों में इन सुविधाओं को न पहुंचाने का कारण लाभ प्रतिशत पर अधिक जोर दिया जाना है और क्या सिंचाई की रियायती दर निर्धारित की जायेगी जिस ऐसे क्षेत्रों को बिजली का लाभ मिल सके ?

डा० के० एल० राव : देश में पिछड़े क्षेत्रों की संख्या बहुत अधिक है और ग्राम विद्युतीकरण का एक उद्देश्य इसका विस्तार उन क्षेत्रों में करना है । यह पहले से ही किया जा रहा है । हमने राज्य बिजली बोर्डों को कहा है कि वे पहले 5 से 10 वर्षों तक लाभ पर जोर न दें. हमने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम और बिहार जैसे कुछ पिछड़े क्षेत्रों के गांवों में बिजली ले जाने के लिए कुछ प्रेषण लाइने लगाने हेतु वित्तीय सहायता दी है, अतएव पिछड़े क्षेत्रों में इसका लाभ पहुंचाने के लिए यथा सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं ।

Shri K. M. Madhukar : Recently, a conference of all the Ministers of Irrigation and Power was held at Srinagar. The Ministers of Irrigation and Power from Bihar, Bengal and Madhya Pradesh also attended the conference. A dispute regarding the Bansagar scheme arose there between Bihar and Madhya Pradesh. Similarly, the question of setting up of Power Plant as to whether it should be set up at Katihar or in Bengal—has resulted in a dispute between Bihar and Bengal. So, I want to know whether talks were held there to resolve the disputes among Bihar and Madhya Pradesh and Bihar and Bengal ? May I know whether any agreement has been reached or not ?

डा० के० एल० राव : देश में बहुत से विवाद हैं । हम उनकी जांच कर रहे हैं । मुझे प्रसन्नता है कि गत महीने हमें कुछ सफलता प्राप्त हुई है । कुछ विवाद अभी विचाराधीन है और हमें आशा है कि संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी ।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether it is a fact that a Power Plant is being set up at Katihar and the dispute regarding this has ensued with Bengal ? Similarly, Bihar and Bengal are having a dispute regarding the Ganga waters. The water of the Ganga river

flows from Bihar to Bengal. There is need of desilting there, whereas Bihar needs water for irrigation. So, this being a national asset, I want to know what method is being adopted by the Government to solve it on the central level ? This problem should be solved even if this has to be done at the level of the Prime Minister.

श्री के० एल० राव : जब तक जनता अपने अपने राज्यों का विकास करने को उत्सुक रहेगी, तब तक विवाद विद्यमान रहेंगे । इसमें कोई गलत बात नहीं है । मैंने पहले ही कहा है कि इस सप्ताह के अंत में बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों ने बातचीत करने की आशा है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्मेलन में फरक्का बांध पर चर्चा हुई थी और यदि हाँ, तो भारत सरकार क्या ठोस कार्यवाही करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह केवल विस्तृत नीतियाँ निर्धारित करने के बारे में हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : फरक्का के संबंध में उन्होंने वचन दिया था कि 40,000 क्यूसेक पानी दिया जायेगा । परन्तु वे अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं ।

डा० के० एल० राव : इस सप्ताह के अन्त में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ फरक्का बाँध के प्रश्न पर भी चर्चा की जायेगी ।

श्री बसंत साठे : दक्षिण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में भूमिगत जल होने के समाचार को देखते हुए, क्या सरकार का विचार इस भूमिगत जल संसाधन का सर्वेक्षण कराने का है ?

डा० के० एल० राव : इस विषय का संबंध कृषि मंत्रालय से है ।

प्रशासनिक विधि कम्पनी विधि और श्रम विधि की डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षाओं को मान्यता देना

*23. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय विधि संस्थान द्वारा प्रशासनिक विधि, कम्पनी विधि और श्रम विधि में ली जाने वाली डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षाओं को मान्यता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या उक्त संस्थान की तीनों डिप्लोमा परीक्षाओं को साथ-साथ मान्यता दी जायेगी, और यदि नहीं, तो इन तीनों पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम को मान्यता देने के उद्देश्य से प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मान्यता भूतलक्षी प्रभाव से दी जायेगी और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) : श्रम अधिकारियों की भर्ती के प्रयोजनार्थ भारतीय विधि संस्थान द्वारा संचालित श्रम विधि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता देने के लिए संस्थान द्वारा किए गए निवेदन पर सरकार विचार कर रही है ।

संस्थान ने उसके द्वारा संचालित प्रशासनिक विधि और कम्पनी विधि डिप्लोमा पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए सरकार से अनुरोध नहीं किया है ।

श्री राम सहाय पांडे : क्या मैं जान सकता हूं कि इस पर कब तक विचार कर लिया जायेगा और निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री नीति राज सिंह चौधरी : उन्होंने श्रम मंत्रालय से आवेदन किया था। श्रम मंत्रालय ने कतिपय शर्तें निर्धारित की हैं, विधि संस्थान ने अब स्वीकृति दे दी है और उसने श्रम मंत्रालय को सूचित कर दिया है। मेरे विचार में श्रम मंत्रालय शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय करेगा।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्णयाधीन पड़े मामलों को निपटाने हेतु कार्यवाही

*25 **श्री सरजू पांडे** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों की संख्या में कमी करने के लिए अब तक किये गये उपायों के अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार और आगे क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) यह सच है कि 1971 के अन्त में विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मुकदमों की संख्या में गत वर्षों की अपेक्षा वृद्धि हुई है। अधिकतर उच्च न्यायालयों में संस्थित मुकदमों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि होती रही है और निपटाए गए मुकदमों की संख्या संस्थित मुकदमों की संख्या के बराबर नहीं रह सकी है।

(ख) यह प्रस्ताव किया है कि राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे मुकदमों के संस्थित किए जाने, उनके निपटाने और उनकी अनिर्णीत संख्या का ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की संख्या की फिर से जांच करें। न्यायमूर्ति जे० सी० शाह की अध्यक्षता में न्यायाधीशों की एक समिति ने उच्च न्यायालयों में बकाया मुकदमों की समस्या पर एक रिपोर्ट पेश की है। समिति ने अनिर्णीत मुकदमों की संख्या कम करने और न्याय में विलम्ब कम करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। समिति की वे सिफारिशें जो कि पूर्णतः प्रशासनिक प्रकार की हैं और जिनके लिए नियम, कानून या विधि में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को क्रियान्वित करने के लिए भेज दी गई हैं जिन सिफारिशों में कानून या विधि के संशोधन की अपेक्षा की गई है उनकी जांच की जा रही है और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और राज्य सरकारों के विचार मालूम कर लिए जाने के पश्चात उनके बारे में निश्चय किया जाएगा। इसके अलावा, विलम्ब और खर्च को कम करने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता की विस्तार पूर्वक जांच करने के बारे में इस समय विधि आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has stated that the measures suggested to reduce the number of cases have not produced the desired results, and the Committee, which was set up for this purpose, have submitted its report to the Ministry. I want to know the major suggestions made therein. Although he has said that the suggestions were of administrative nature, but thousand of cases are pending in the High Courts. So, when will the Government take steps to implement those suggestions ? What are their major suggestions for disposing of the cases without delay ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : विलंब के लिए किसी एक विशेष कारण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उच्च न्यायालयों में भारी संख्या में अनिर्णीत मामलों के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, निश्चय ही एक कारण न्यायाधीशों की संख्या है जो 1967 में अपर्याप्त पाई गई थी और केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस स्थिति का पुनर्विलोकन करके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष लाने को कहा था। जब यह पुनर्विलोकन किया गया तब सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा जहां कहीं भी अतिरिक्त न्यायाधीशों की मांग की गई वहां वे उपलब्ध किये गये, परन्तु यह 1967 की बात है। उसके बाद भी हाल ही में हमने राज्य सरकारों को इस बात का और आगे पुनर्विलोकन करने को कहा था कि क्या अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता है। जहाँ तक मैं जानता हूं, गत एक वर्ष में जब भी अतिरिक्त न्यायाधीशों की मांग आई, उसे अस्वीकार नहीं किया गया तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई।

परन्तु, जैसा कि मैंने कहा है, विलंब के लिए केवल यही कारण उत्तरदायी नहीं हो सकता। विलंब का मुख्य कारण जटिल तथा विलंबकारी प्रक्रियायें हैं जो हमारे वर्तमान कानूनों में विद्यमान है, इन कानूनों में प्रमुख दीवानी प्रक्रिया संहिता है। जैसा कि संसद सदस्य जानते हैं. गत लोक सभा में संयुक्त समिति ने दीवानी प्रक्रिया संहिता में कतिपय संशोधन लाने की सिफारिश की थी। परन्तु समिति ने स्वयं यह टिप्पणी दी थी कि ये सिफारिशें इतनी अपर्याप्त हैं कि इनसे मामले की जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकेगा और अनिर्णीत मामलों की संख्या कम नहीं होगी। अतएव जब मैंने मामले की दुबारा जाँच की तब मैंने विचार किया कि दीवानी प्रक्रिया संहिता में पूर्ण तथा यहां तक कि आमूलचूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और विशेषकर दीवानी न्यायालयों में प्रक्रिया को बदलने के कार्य को दृष्टि में रखते हुए यथा दीवानी न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, जहां कहीं भी दीवानी प्रक्रिया संहिता लागू होती है, प्रक्रिया कानून में मूल परिवर्तन की आवश्यकता है जिसके बिना न विलंब तथा न खर्चे में कमी की जा सकेगी।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि यद्यपि कुछ समय पूर्व यह मामला विधि आयोग को सौंपा गया था, उसने दीवानी प्रक्रिया संहिता की जांच करने में अच्छी प्रगति की है और मुझे आशा है कि एक या दो महीने में इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जायेंगी। ज्योंहि यह प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा, हर प्रतिवेदन की जांच करेंगे और दीवानी प्रक्रिया संहिता में संशोधन लाने के लिए उचित विधान लाने हेतु कार्यवाही करेंगे।

यही दो मुख्य बातें है जिनके कारण विलम्ब होता है। अन्य सभी कारण भी सरकार के ध्यान में हैं। उन पर विचार किया जा रहा है और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

Shri M. C. Daga : Is this one of the factors responsible for such a large number of cases pending in High Courts that now-a-days efficient, intelligent and hardworking Judges are not appointed ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : This is not correct.

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पद लम्बे समय तक नहीं भरे जाते ? यदि हां, तो क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति करने सम्बन्धी प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई विचार है ? अब यह कार्य उच्च न्यायालय और राज्य सरकार को

करना पड़ता है । क्या केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने सम्बन्धी मामलों में केन्द्रीय सरकार स्वयं पहल करें ?

श्री एच० आर० गोखले : न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धी पद्धति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है । किन्तु यह बात सच है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में कुछ उच्च न्यायालयों में विलम्ब हुआ है । इसका कारण यह है, जैसा कि पहले भी हुआ है, कि हमारे पास जो प्रस्ताव आते हैं हम उन पर आंखें बन्द करके कार्य नहीं करते । हम प्रत्येक प्रस्ताव की अच्छी तरह जांच करते हैं । जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमें उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायिक प्राधिकारियों से सलाह लेनी चाहिए तो हम उन्हें कुछ नामों पर विचार करने की सिफारिश करते हैं । उन के द्वारा सुझाये गये नामों पर भी विचार किया जाता है । इस सब काम में अनिवार्य रूप से कुछ अधिक समय लगता है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know from the hon. Minister that, inview of such a large number of pending cases in High Courts, is there any proposal under consideration of the Government to the effect that Judges should be given limited number of cases which should be decided within a prescribed time-limit ?

Secondly, is there any proposal under consideration of the Government to ensure justice to the people at lesser cost ?

श्री एच० आर० गोखले : विभिन्न न्यायाधीशों में कार्य का वितरण करने का भार उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का हो है । सरकार इस बारे में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । अनिर्णीत मामलों के आंकड़ों के आधार पर मामलों की विशिष्ट संख्या का निपटारा करने सम्बन्धी एक न्यायाधीश की उचित क्षमता के आधार पर ही सामान्यतया इसकी औसत निकाली गयी है । प्रत्येक न्यायाधीश से यह अपेक्षा की जाती है कि वह औसतन उतने मामलों का निपटारा करे जितने कि उसे एक वर्ष की अवधि में करने चाहिए ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Is the Government considering as to how much time should be devoted to the disposal of one case and that people may get cheap Justice ?

Mr. Speaker : If you are a lawyer, please do not ask this question.

श्री शंकर तिवारी : क्या यह सच नहीं है कि उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति करने में सरकार द्वारा किए गए विलम्ब के फलस्वरूप, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 30,000 मामलें और बढ़ गये हैं ?

Mr. Speaker : Please ask this question on some other occasion. This is not relevant to this.

गांधीनगर, गुजरात में तापीय बिजली घर की स्थापना

* 26. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधीनगर, गुजरात में तापीय बिजली घर की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आएगी और इससे कितने मूल्य की बिजली पैदा होगी ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हां। गुजरात विद्युत बोर्ड ने ऐसा प्रस्ताव किया है।

(ख) विद्युत केन्द्र की अनुमानित लागत 45.62 करोड़ रुपये है। 120 मैगावाट के दो उत्पादन यूनिट प्रतिष्ठापित किए जाएंगे।

Shri Jagannath Mishra : May I know from the hon. Minister as to when this Power Station is likely to be completed and how much percentage of the total requirement of power in Gujarat will be met after its commissioning ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : तकनीकी सलाहकार समिति ने तो इस परियोजना की मंजूरी दे दी है। और योजना आयोग द्वारा मंजूरी अभी दी जानी है। ऐसी परियोजना के पूरा होने में सामान्यतया 5 वर्ष लग जाते हैं। पांचवी योजना के दौरान हम 1200 मेगावाट बिजली और बढ़ा रहे हैं। उन परियोजनाओं में से यह एक है, जिससे 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।

Shri Jagannath Mishra : Sir, reply to my question has not been given. Now I am putting another question.

The hon. Minister is aware that like other things, there is acute shortage of power in Bihar. Government had decided to set up a power station at Katihar, but that decision was changed overnight in favour of West Bengal... **(Interruption)**

In view of the fact that the new Minister of Power of Bihar state committed to provide power in Bihar, I want to know from the hon. Minister as to what immediate and practical steps, on the pattern of those of Gujarat, are being taken to help encourage the Minister of power of the state to meet the shortage of power in Bihar ?

डा० के० एल० राव : मूल प्रश्न तो गुजरात के बारे में है, परन्तु माननीय सदस्य ने बिहार के बारे में प्रश्न किया है। उत्तरी बिहार और उत्तरी बंगाल बिजली के मामले के पिछड़े क्षेत्र हैं। इसलिए हम दोनों क्षेत्रों में बिजली सप्लाई करने के लिए एक बिजली घर बनाना चाहते हैं। हम दोनों राज्यों की सीमा पर बिजली घर बनाने जा रहे हैं। यदि हो सका तो बिजली घर का आधा भाग एक राज्य में होगा और सम्भव हुआ तो आधा भाग दूसरे राज्य में।

हमने यह कभी नहीं कहा कि बिजली घर कटिहार में बनाया जायेगा। हम इसे एक केन्द्रीय परियोजना के रूप में बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे यह दोनों क्षेत्रों में बिजली सप्लाई कर सकें।

श्री के० एस० चावड़ा : गुजरात में बिजली की अत्यन्त कमी है, भले ही वह पन बिजली हो अथवा तापीय बिजली हो अथवा परमाणु बिजली हो। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का विचार यथा शीघ्र यह बिजली घर बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है जिससे गुजरात में बिजली की कमी से राहत मिल सके ?

डा० के० एल० राव : मैं पहले ही बता चुका हूं कि 5 वर्ष से पूर्व कोई बिजली घर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भारत में विद्यमान परिस्थितियों में इस कार्य में पांच वर्ष लग जायेंगे। देश में इस कमी को पूरा करने के लिए केवल एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक संख्या में बिजली घर बनाये जायें, और हम गुजरता में भी यही कर रहे हैं।

Shri Vekaria : Various Thermal Power Stations remain closed for three months in

a year due to shortage of coal. In view of this, there would be power shortage in this Thermal Power Station which is being commissioned. Why the construction work of Atomic Power Station which is proposed to be set up in Gujarat, is not expedited ?

डा० के० एल० राव : देश में कोयले के बजाय परमाणु ईन्धन कहीं अधिक दुर्लभ है। परमाणु ऊर्जा की छड़ें प्राप्त करना अधिक कठिन है। अत: देश में कोयले की अत्यधिक मात्रा में उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए हमें कोयले पर ही निर्भर करना पड़ता है। अत: कोयले की सप्लाई की योजना इस प्रकार बनाई जा रही है जिससे हम सब राज्यों में कोयले की आवश्यक मांग को पूरा कर सकें।

श्री डी० डी० देसाई : गुजरात में गत 20 वर्षों से बिजली की कमी चली आ रही है और यह कमी आज भी विद्यमान है। देश भर में उपकरण पहुंचाने में देरी हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इस बिजली घर तथा देश के अन्य बिजली घरों के बारे में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि हमारे लक्ष्यों की तुलना में देश में उपकरण बनने अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। हम इस बारे में विचार कर रहे हैं। निश्चय ही हमारी नीति यथा सम्भव अधिक से अधिक उपकरणों का देश में ही निर्माण करने की है। यदि किसी प्रकार हमें यह पता लगा कि हम अपनी आवश्यकताएं देशी संसाधनों से पूरा नहीं कर सकेंगे, तो, मैं समझता हूँ कि हमें आयात करना पड़ेगा।

Serving of Inferior Type of Food to Passengers in Railway Dining Cars.

*27. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Satpal Kapur :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether food served in the Railway dining cars is of inferior quality;

(b) whether no proper attention is paid towards the arrangements for serving Vegetarian food;

(c) whether Government are aware that wheat flour used in the Dining Cars is of inferior quality and there are no proper arrangements for preparing "chapaties"; and

(d) if so, the measures being taken by Government to improve the quality of catering ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : रेलवे भोजन-यानों में दिया जाने वाला भोजन, जिसमें चपातियां भी शामिल हैं, खराब किस्म का होने के बारे में कुछ शिकायतें हुई हैं। गेहूं के आटा खराब किस्म का होने के बारे में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। सब प्रकार का भोजन परोसने की व्यवस्था की ओर समुचित ध्यान दिया जाता है।

(घ) रेलों में (भोजन यानों सहित) खान-पान की किस्म में सुधार करने के उद्देश्य से किये गये महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं : —

(i) रेलवे विभाग तथा ठेकेदारों द्वारा प्रबन्धित खान-पान स्थापनाओं द्वारा की जाने वाली सेवा और सप्लाई किये जाने वाले भोजन के स्तर का अधिकारियों एवं निरीक्षकों द्वारा नियमित निरीक्षण।

(ii) कमियों को दूर करने के उद्देश्य से खानपान व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी शिकायतों की पूरी जांच-पड़ताल और दोषी ठेकेदारों या विभागीय खानपान व्यवस्था के कर्मचारियों को दण्ड देना।

(iii) विभागीय खानपान यूनिटों के लिए अच्छे किस्म के कच्चे माल की खरीद और सप्लाई सुनिश्चित की जाती है और इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न संघटक वस्तुओं का अनुपात निर्धारित करके विस्तृत हिदायतें जारी की गयी हैं।

(iv) विभागीय खानपान स्थापनाओं में नियुक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए समुचित व्यवस्था की गयी है।

(v) ठेकेदारों को प्रशिक्षित करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो उनकी कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करने के लिए भी रेल कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करके उनके काम का सख्त पर्यवेक्षण किया जाता है।

निरीक्षण करते समय सेवा या भोजन की किस्म में पकड़ी गयी या जनता द्वारा शिकायतों के जरिये नोटिस में लायी गयी सभी गलतियों पर शीघ्र ध्यान दिया जाता है और शीघ्र ही उपचारी कारंवाई की जाती है।

Shri Shiv Kumar Shastri : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has just now admitted that there have been some complaints regarding the inferior quality of food. The fact is that during travel meals are not taken to one's taste but just to satisfy one's hunger. I want to ask some questions on the basis of the statement placed on the Table of the House and would like hon. Minister to give specifice answers.

In the first instance, as he has stated, inspection is carried out of the cooked food. I would like to know as to how the inspection is done. May I know whether the inspection is carried out after taking some food from the kitchen or from the food served on the tables ? If the food is inspected on the table then that is not the proper way.

Secondly, May I know whether vegetarian per onnel have been appointed to inspect the vegetarian food ? It is evident that non vegetarian inspectors cannot inspect vegetarian food because they know the taste of meat only and they do not know about vegetables. Therefore, only vegetarian inspectors should be appointed to inspect the vegetarian food and not by any body else.

Thirdly, may I know whether all types of food is inspected by one inspector only and on a fixed date ? Unless the present system of food inspection is changed, the defects and lapses in catering arrangements cannot be removed.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : It has always been the end avour of the railways to provide good quality food both vegetarian and non-vegetarian to its passengers during travel. We try to provide to the passengers tastes as well as sufficient food according to their requirements. So far as the question of inspection of vegetarian and non-vegetarian food is concerned, separate officers have been appointed for the purpose. Besides, the food is inspected on hygienic basis by the medical officers as well as sanitary inspectors. It is not correct to say tha non-vegetarian personnel have been appointed for inspecting vegetarian food.

Shri Shiv Kumar Shastri : My question has not been replied to. What is the method of inspection ? Is the dish served on the dining table inspected or inspection is done in the kitchen ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Inspection of food is done in the kitchen.

Mr. Speaker : Is it likely to be changed on the way from kitchen to the dining table ?

Shri Shiv Kumar Shastri : The other hon. Minister in his statement......

Mr. Speaker : It seems the hon. Member is not satisfied.

Shri Shiv Kumar Shastri : The hon. Minister has stated in his statement that the raw materials purchased for the departmental catering units are inspected, but the fact is that sub-standard flour is used in Dining Cars, and it seems that the yellow wheat which is used there is grinded uncleaned. They say that rice of a standard quality is used in the Railway Catering Department. I usually do not take rice but when, on the recommendation of others, I took rice I found that a better quality of rice is supplied as compared to chapatis.

Secondly, it is also given in the statement that training is imparted in regard to baking chapatis.

May I know whether any arrangement will be made to bake chapatis on fire also ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Rice as well as chapatis are fully baked and the health of the passengers is also taken care of.

Shri Sat Pal Kapur : May I know the number of stations and the number of trains in Indian Railways where private caterers run this service and the number of places where the Railway Board makes such arrangement ?

Mr. Speaker : The hon. Minister will reply to this question in the next session.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The catering arrangements in the Indian Railways are made through the contractors as well as by the Department. The catering facility has been provided at 2900 stations and in 50 trains, out of which catering service is provided through contractors at 2800 stations and in 4 trains and at the remaining 100 stations and in 26 trains Departmental catering system is prevalent.

Shri Ram Singh Bhai : May I know whether the hon. Minister is aware that the chapatis served there expand when stretched and they are difficult to chew like rubber ? Are they made of flour or of some other material ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : As per the new arrangements in the Railways, the chapatis are kept in the plastic bags and it is possible that the hon. Member might have chewed the plastic bag inadvertently.

Shri Onkar Lal Berwa : When we go to South India, we place order for chapatis but the Railway canteens serve rice and tamarind-water instead of chapatis. Will the hon. Minister issue instructions to serve the Northerners with the chapatis only.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Rising above the regional limits, the Railways provide catering facility at every place and if required chapatis can also be served in South India. If the hon. Member has any grievance about any particular place, he may inform us and we shall look into that.

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे: यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि नये रेल मंत्री ने बम्बई में तृतीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की असुविधाओं को व्यक्तिगत रूप से जानने का प्रयास किया है। क्या मंत्री महोदय स्वयं उस भोजन को चखेंगे जो रेलवे द्वारा यात्रियों को दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यहां नहीं है—

श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे : वह यहीं हैं, श्रीमन् ।

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं मंत्री के रूप में चाहे कितनी ही यात्रा क्यों न करूं, मुझे लाखों यात्रियों से अच्छा भोजन मिलेगा ही, अतः मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं परन्तु मैं एक चीज जानता हूं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां जिस प्रकार का भोजन दिया जाता है उसकी निरंतर जांच करते रहने की आवश्यकता है, यहां तक कि किसी दिन अच्छे किस्म का भोजन दिया जाता है तो यह सम्भव है कि बाद में खराब भोजन दिया जाये और इसमें अच्छे किस्म के भोजन का निरन्तर दिया जाना आवश्यक है क्योंकि भोजन की स्वच्छता पर यात्रियों का स्वास्थ्य निर्भर रहता है तथा मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सभी शिकायतों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जायेगा । चूंकि भोजन की अधिकांश व्यवस्था ठेकेदारों तथा विभाग द्वारा की जाती है, अतः दोनों में एक सा स्तर रखा जायेगा । मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की सहायता चाहूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि ठेकेदारों तथा रेलवे द्वारा दिया जाने वाले भोजन पर एक ही नियम तथा विनियमन लागू हों और उनकी बार बार जांच की जाये । जहां तक मेरी यात्रा का सम्बन्ध है, मैंने इस असुविधा के बारे में जानने के लिये यात्रा नहीं की मैंने यह जानना चाहा था कि रेलवे की वास्तव में क्या क्या समास्याएं हैं ......

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री पाई, वातानुकूलित यान में आपका भोजन कैसा था ?

श्री टी० ए० पाई : वातानुकूलित यान में भोजन काफी अच्छा था ।

Shrimati Sahodrabai Rai : Mr. Speaker, Sir, mostly there are Madrasi cooks in the Railways Catering Department. Therefore, I would like to suggest that ladies of 40-45 years of age should be employed as cooks in the Railway Catering Department, because they have good knowledge and experience of cooking and their services will go a long way in providing good quality of food to us. Men cannot prepare as tasty food as ladies do.

Non-availability of Copies of Hindi version of the Constitution of India

*28. **Shri Onkar Lal Berwa** :
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) the date on which the Hindi Edition of the Constitution was last brought out and since when copies thereof are not available in the market and the time by which these will be again made available to the people;

(b) whether a pocket edition thereof will also be published; and

(c) whether in order to bring the Constitution of India within the reach of largest number of common people, Government propose to make copies thereof available at a concessional price and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law & Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhry) : (a) A diglot edition of the Constitution with the English text and the Hindi translation thereof side by side, as modified upto the 1st December, 1957, was published by the Ministry of Law in 1959. Copies of this publication are reported to be still available for sale with the Manager, Government of India Publications, Civil Lines, Delhi.

(b) Not for the present. When fresh Edition is published, printing of pocket edition would also be considered.

(c) The question of the sale price to be fixed for a copy of the up-to-date Hindi version of the Constitution will be considered when such a version is ready for publication.

Shri Onkar Lal Berwa : The copies of the Constitution in Hindi as well as English were published in 1957. May I know the names of places where those copies were kept for sale, the number of copies sold and the number of copies available now ? When did the Government start considering to bring out a pocket-edition and what is the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : The information, regarding the number of copies published, the names of places where they are kept and the number of available copies, will be sent to the hon. Member after the same has been collected. For a pocket-edition, a photostat of small letters is prepared for composition. As I have already stated in the reply, when new edition is prepared, it will be considered.

Shri Onkar Lal Berwa : Since when did he start considering and what is the result thereof ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : The question of pocket-edition was not considered.

Shri Onkar Lal Berwa : Have the Government also considered to bring out the editions of the Constitution in other Indian Languages ? If so, what is the result thereof and the time by which the Government are likely to bring out such editions ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : The Constitution is being translated into other Indian Languages for its publication in those languages. A part of it has been translated and remaining part is to be translated. As soon as it is completed it will be published.

Shri Hari Singh : In how many languages pointed in the Constitution, the Constitution of India has been published and what was the number of the copies ? Is it also a fact that the Constitution has not been published in any regional language other than Hindi ? If so, why ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : The question is related to the Hindi version of the Constitution. The information regarding other languages will be collected and sent to the hon. Member.

Dr. Govind Das : Is it not a fact that the Hindi draft of the Constitution was signed by Rajendra Babu ? I was also one of the members of the Constituent Assembly and an assurance was given that the Hindi version of the Constitution, would be recognised like the English version. If so, why the question regarding Hindi version has come up ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : It was decided in the Constituent Assembly that its translation should be submitted. Shri Ghanshyam Singh Gupta submitted that on January 24, 1950 in the Constituent-Assembly. The members of the Constituent Assembly signed the that and it was published in the Gazette on January 25, 1950. All the proceedings of that time are there in the Debates of the Constituent Assembly.

Dr. Govind Das : When that was signed by the members as well as by Rajendra Babu, why the question of the translation of the constitution has arisen now ? Why the old Hindi version of the Constitution is not accepted ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : प्रश्न यह है। ऐसी बात नहीं है कि हम उस विशेष संस्करण को सविधान के प्राधिकृत पाठ के रूप में मान्यता नहीं देना चाहते हैं जिस पर संविधान सभा के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। परन्तु यह कानून से सम्बन्धित प्रश्न है, विशेषतया यह संविधान की व्याख्या से सम्बद्ध है। इस प्रश्न की परीक्षा कर ली गई है। महा न्यायवादी ने यह राय व्यक्त की है, कि इसे प्राधि-

कृत अनुवाद तो मान लिया जाय परन्तु इसे संविधान को प्राधिकृत पाठ के रूप में नहीं माना जा सकता। अतः इस समय इस प्रश्न की परीक्षा की जा रही है कि संविधान के प्राधिकृत पाठ को तैयार और प्रकाशित करने के लिये क्या किया जाये।

भारत-यूगोस्लाविया व्यापार करार

*30. **श्री पी. गंगा देव** . क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूगोस्लाविया वर्ष 1972 में अपने व्यापार को संतुलित करने और भारत से यूगोस्लाविया के लिए परम्परागत एवं गैर-परम्परागत निर्यात व्यापार की वर्तमान व्यवस्था को कायम रखने के लिए भी सहमत हो गये हैं ;

(ख) क्या यहां आई हुई यूगोस्लाव टीम और विदेश व्यापार मंत्रालय के बीच वर्ष 1972 की व्यापार योजना पर जून, 1972 के महीने में चर्चा हुई थी : और

(ग) क्या दोनों देशों के बीच हुई मंत्री-स्तर वार्ता में व्यापार योजना पर और आगे विचार किया गया था और यूगोस्लाविया के इस दावे आदि प्रश्नों पर भी विचार किया गया था कि सन् 1967 में पौंड का अवमूल्यन होने के बाद अदायगी में हुई कमी को भी पूरा किया जाये ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) : जी हां।

श्री पी० गंगादेव : क्या सरकार को यूगोस्लाविया भेजी जाने वाली इंजीनियरी वस्तुओं जैसे गैर-परम्परागत वस्तुओं के हमारे निर्यात में कोई अत्यधिक वृद्धि होने की आशा है और यदि हां, तो कैसे ?

श्री एल० एन० मिश्र : यूगोस्लाविया को बहुत सी इंजीनियरी वस्तुएं भेजी जाती हैं। मुख्य प्रश्न यह था कि विदेशी मुद्रा से मुक्त आधार पर व्यापार किया जाये। इस तरह से ही हम व्यापार करेंगे। हम यूगोस्लाविया को माल डिब्बों और अन्य इंजीनियरी वस्तुओं की सप्लाई कर रहे हैं।

श्री पी० गंगादेव : औद्योगिक वस्तुओं के मामले में यूगोस्लाविया के साथ सहयोग करने से नई व्यापार व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : औद्योगिक वस्तुओं के मामले में सहयोग करने वाली बात पर मेरे मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है अपितु इस पर औद्योगिक विकास मंत्रालय विचार कर रहा है। लेकिन एक जनवरी, 1973 से यूगोस्लाविया के साथ विदेशी मुद्रा से मुक्त आधार पर व्यापार करने के बारे में चर्चा की गई थी। इस समय रुपयों में भुगतान संबंधी व्यवस्था है लेकिन एक जनवरी, 1973 से हम विदेशी मुद्रा से मुक्त व्यवस्था कर रहे हैं। अतः 31 दिसम्बर, 1973 तक यूगोस्लाविया के साथ जो कुछ भी व्यापार संतुलन होगा, चाहे वह एक ओर प्रतिकूल हो अथवा दूसरी ओर प्रतिकूल न हो, उसके पूरे लेखे का भुगतान करना पड़ेगा। यह निर्णय इसी आधार पर किया गया था।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : पौंड स्टर्लिंग और डालर के बारे में अत्यधिक अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए क्या यूगोस्लाविया के साथ हुए हमारे व्यापार करार में समय समय पर भुग-

तान के बारे में अस्थिरता बनी रहेगी अथवा क्या रुपयों के भुगतान के बारे में कोई दृढ़ वचन-बद्धता की गई है ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह नया व्यापार करार एक जनवरी, 1973 से लागू होगा और उस समय जो भी विनिमय दर लागू होगी, वही विनिमय दर इस व्यवस्था पर भी लागू होगी ।

श्री हरि किशोर सिंह : वे कौन से कारण हैं जिनके लिए यूगोस्लाविया सरकार ने विदेशी मुद्रा से मुक्त भुगतान की मांग की है ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमारा पिछला करार 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त होता है और यूगोस्लाविया अब विदेशी मुद्रा से मुक्त व्यापार करने जा रहा है । यह निर्णय उनकी सरकार का है और हमें इस निर्णय को स्वीकार करना है । जब दो देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था होती है तो हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है । इसके बारे में बहुत चिन्तित होने की जरूरत नहीं है । यूगोस्लाविया के साथ हमारा व्यापार संतुलन सदैव ही हमारे अनुकूल रहा है और इस नई व्यवस्था के अधीन कोई हानि नहीं दिखाई देती है ।

दामोदर घाटी निगम में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधि

*31. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दामोदर घाटी निगम के प्रशासन स्तर पर बंगाल का कोई भी प्रतितिनिधि नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) दामोदर घाटी निगम की स्थापना संसद-अधिनियम (दामोदर घाटी निगम की अधिनियम–अधिनियम संख्या 1948 का चौदह) द्वारा की गई है । इस अधिनियम में किसी भागीदार सरकार नामशः केन्द्रीय, पश्चिम बंगाल और बिहार के निगम के प्रशासन अधिकारियों में किसी प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था नहीं है । बहरहाल, कुछ उच्च पदों पर पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अजीत कुमार साहा : दामोदर घाटी निगम के प्रबंध–संचालन में विभिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की कसौटी क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव): इसके लिये कोई विशेष कसौटी नहीं है । बंगाल और बिहार दोनों के ही हमारे पास अधिकारी हैं । उदाहरण के लिये, इसका महा-प्रबन्धक अब तक बंगाल का एक अधिकारी था लेकिन उसके स्थान पर बिहार से एक अधिकारी आया है । इसका उप महाप्रबन्धक बंगाल से ही है । एक उप–सचिव बंगाल से है और दूसरा बिहार से है । 575 रुपये माहवार से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी प्रथम श्रेणी के अधिकारी माने जाते हैं । प्रथम श्रेणी के 920 अधिकारियों में से 604 अधिकारी अथवा दो तिहाई बंगाल से हैं । अतः हम यथासंभव बंगाल और बिहार के मध्य संतुलित रखने का प्रयास कर रहे हैं ।

Trade Agreements during 1972-73

*32. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the names of the countries with which export trade agreements have been entered into by India during 1972-73; and

(b) the amount of foreign exchang likely to be earned by Government as a result thereof?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) भारत सरकार ने 1972-73 के दौरान चिली गणराज्य के साथ व्यापार करार किया है। यह करार अनुसमर्थन लिखत के आदान प्रदान के बाद ही प्रवृत्त होगा जिसका आदान प्रदान अभी नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri M. S. Purty : When the country is making economic progress, does Government propose to enter into such trade agreements with other countries of the world in order to increase our export trade and to earn foreign exchange? May I also know the major items of export?

Mr. Speaker : This question is about chile.

Shri L. N. Mishra : The treaty which has been entered into with chile is not yet ratified. We are going to import copper and zinc from them and we want to export textile and jute goods. It will increase our trade.

कटक - पारादीप रेलवे लाइन का निर्माण

*33. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक-पारादीप रेलवे लाइन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है,

(ख) क्या कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जून, 1972 के अन्त तक लाइन के निर्माण में कुल मिलाकर 65 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) और (ग): जून 1973 तक काम पूरा करने के उद्देश्य से कार्यक्रम में संशोधन कर दिया गया है।

श्री बनमाली पटनायक : क्या माल डिब्बों के शीघ्र परिवहन को ध्यान में रखते हुए सरकार इस रेलवे लाइन के विद्युतीकरण पर विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बनमाली पटनायक : क्या कोट्टावलसा-किरनडूल रेलवे लाइन से प्राप्त अनुभव के आधार पर बैलाडिला खानों से लौह अयस्क के परिवहन के लिये इसका विद्युतीकरण करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ? क्या इस रेलवे लाइन पर वही कसौटी लागू होती है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह कसौटी सम्पूर्ण परियोजना की आर्थिक संभाव्यता पर निर्भर करेगी। यदि इस रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करना आवश्यक हो जाता है तो ऐसा करने में सरकार संकोच नहीं करेगी।

श्री ए० पी० शर्मा : माननीय उप-मंत्री ने कहा है कि जून, 1973 तक काम पूरा करने के

उद्देश्य से कार्यक्रम में संशोधन कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस संशोधन के कारण क्या हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वर्ष 1972 का निर्धारित लक्ष्य किन्हीं अनुमानों पर आधारित था, जो ये थे कि राज्य सरकार कुछ समय के लिये तलदाना नहर से सिंचाई जल को देना बन्द कर देगी जिससे रेलवे कुछ क्षेत्रों में रेलवे लाइन निर्माण कार्य पूरा कर सके। राज्य सरकार ने इस जल को रोकने में अपनी असमर्थता प्रकट की है और स्वाभाविक रूप से इस कार्य में कुछ समय के लिए विलम्ब हो गया था।

दुबरी से जाखापुरा के लिए, जो लगभग 14 किलोमीटर है, इमदादी तथा गैर-सरकारी साइडिंग के निर्माण के सम्बन्ध में उड़ीसा खनन निगम से विवाद उठ खड़ा हुआ। वे वचन से फिर गये और स्वाभाविक रूप से इसके कारण कुछ विलम्ब हो गया था।

इसके साथ ही, पत्तन क्षेत्र के अन्दर यार्ड सुविधाओं को देने का कार्य पत्तन अधिकारियों के खर्चे पर, रेलवे द्वारा किया जाघा है। पत्तन अधिकारियों द्वारा इस कार्य के लिये 2·49 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान पेश किया गया था। उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है। इस कारण से भी विलम्ब हुआ था।

यही दो या तीन कारण हैं जिसके कारण विलम्ब हुआ था।

बिजली खराब होने के कारण दामोदर घाटी निगम को हुई हानि

*34. **श्री मनोरंजन हाजरा** :
श्री जगदीश भट्टाचार्य :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विद्युत प्रजनन बन्द होने के कारण दामोदर घाटी निगम को करोड़ों रुपयों की हानि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिये जिम्मेदार प्रशासनिक व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और कुल कितने रुपयों की हानि हुई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : दामोदर घाटी निगम विद्युत प्रणाली में ताप विद्युत-जनन प्लांट कुछ बार बंद हुआ है। ये मुख्यतः घटिया किस्म का कोयला इस्तेमाल किये जाने और दामोदर घाटी निगम प्रणाली पर अधिक मांग होने के कारण हुए हैं। इन दोनों के लिए प्रशासनिक अधिकारी उत्तरदायी नहीं हैं। इन खराबियों के परिणामस्वरूप प्लांट बंद होने की अवधि के दौरान बिजली की सप्लाई में अनिवार्य रूप से कटौती करनी पड़ी और इससे कुछ राजस्व की हानि हुई है। ऐसी हानियों का ठीक मूल्यांकन सम्भव नहीं है। चूंकि मशीनों के कार्य घंटों की संख्या बढ़ गई है इसलिए प्लांट बन्द होने पर भी दामोदर घाटी निगम से विद्युत की कुल बिक्री में वृद्धि हुई है।

श्री मनोरंजन हाजरा : क्या यह सच है कि ताप विद्युत-खनन प्लांट के बंद होने और घटिया किस्म का कोयला इस्तेमाल किए जाने के कारण बिजली की कुल सप्लाई में पर्याप्त कमी हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : वस्तुत: जो कुछ हो रहा है, वह एक अजीब बात है और यह विरोधाभासी भी है । पिछले वर्ष जो उत्पादन हुआ है, उसकी तुलना में दामोदर घाटी निगम में बिजली का कुल उत्पादन अधिक है किन्तु, दुर्भाग्य से इसे अधिक बार बंद होना पड़ा है । मुख्यत: यह इसलिये हुआ है कि दामोदर घाटी निगम जितना कार्य भार उठा सकता है, उसकी तुलना में इसे अधिक भार उठाना पड़ता है । यह एक कारण है ।

दूसरा कारण है कोयले की घटिया किस्म । हमें कोयला तीन धुलाईयों के जरिए प्राप्त नहीं हो रहा है । हमें यह कोयला दो धुलाईयों में ही प्राप्त होता है । यही कठिनाई है ।

श्री मनोरंजन हाजरा : माननीय मंत्री ने कहा है कि हानियों का ठीक मूल्यांकन सम्भव नहीं है । ऐसा सम्भव क्यों नहीं है, मैं इसके कारण जानना चाहता हू ?

डा० के० एल० राव : स्पष्टता यह बहुत दुष्कर कार्य है क्योंकि बिजली की खराबी अक्सर बार बार होती रहती है । बंगाल और बिहार में अनेक उद्योगों पर इसका प्रभाव पड़ता है और उनकी हानियों के बारे में अनुमान लगाना हमारे लिये सम्भव नहीं है । हम जानते हैं कि हानि बहुत बड़ी होगी फिर भी बिजली की खराबी के कारण हानि को राशि का अनुमान लगाना हमारे लिए संभव नहीं है । केवल संबंधित उद्योग ही इस बारे में हमें अनुमानित आंकड़े दे सकते हैं ।

श्री मनोरंजन हाजरा : क्या आप कोई रिकार्ड नहीं रखते हैं जिससे आपको सही स्थिति का पता चल सके ?

डा० के० एल० राव : हमारे पास बिजली के खराब हो जाने का रिकार्ड है । लेकिन इस कारण, उदाहरण के लिए टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को अनुमानत: कितनी हानि हुई होगी, यह बताना हमारे लिए संभव नहीं है । यह तो हमें वह उद्योग ही बता सकता है । यदि सभी उद्योग हमें यह राशि बता दें कि उन्हें इतनी धनराशि की हानि हुई है तो हम उस को जोड़कर बता सकते हैं कि इतनी धनराशि की हानि हुई है ··(**अन्तर्बाधाएं**)

श्री त्रिदिव चौधरी : यह विस्मयकारी वक्तव्य है । दामोदर घाटी निगम एक सरकारी क्षेत्र का निगम है और इसके जांचे हुए लेखों से हानि का पता लगाना संभव होना चाहिये ।

डा० के० एल० राव : यदि प्रश्न दामोदर घाटी निगम को हुई हानि के बारे में हो, तो वह एक विभिन्न बात है । जैसा मैंने कहा है कि पहले वर्षों के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1971 में बिजली का कुल उत्पादन अधिक था । अत: जहां तक दामोदर घाटी निगम का सम्बन्ध है, वास्तविक हानि थोड़ी ही होगी ।

श्री बी० वी० नायक : ट्राम्बे, अप्सरा और शरावती में दामोदर घाटी निगम के कुप्रबन्ध के कारण क्या देश को बिजली की गम्भीर कमी का सामना करना पड़ा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इसको व्यापक प्रश्न के रूप में मत लें ; अपितु इसका संबंध तो केवल दामोदर घाटी निगम से है ।

डा० रानेन सेन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के विद्युत प्रजनन एककों के संचालन में पर्याप्त कुप्रबन्ध है ? क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विद्युत प्रजनन एककों को उसे सौंप देने के लिये कहा है ? यदि ऐसा कहा है, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रति क्रिया है ?

डा० के० एल० राव : मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं कि दामोदर घाटी निगम में कोई कुप्रबन्ध है ; वे अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं । मैंने पहले ही दो स्पष्ट कारणों के बारे में बता दिया है । एक कारण यह है कि वे निर्धारित की गई मात्रा से बहुत अधिक बिजली की सप्लाई कर रहे हैं । उन्होंने दोनों पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकारों से अनुरोध किया है कि घाटी के बाहर का विद्युत भार वे अपने हाथों में ले लें, लेकिन वे इसे अपने हाथों में नहीं ले रहे हैं । दामोदार घाटी निगम कलकत्ता को 100 मैगावाट बिजली सप्लाई करता है । यह सप्लाई बहुत पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार को अपने हाथों में ले लेनी चाहिये थी लेकिन वह ऐसा करने मे असमर्थ रहे हैं । वे बिहार को घाटी के बाहर 150 मैगावाट बिजली की सप्लाई कर रहे हैं और इसे भी बिहार सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया है जिसके परिणाम स्वरूप मेरे विचार से उन्हें इस समय निर्धारित की गई मात्रा से कहीं बहुत अधिक बिजली की मात्रा सप्लाई करनी है । यही कारण है कि बिजली बन्द होती है । पश्चिम बंगाल के मंत्री ने, माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार. एक वक्तव्य दिया था लेकिन यह कहां तक सही है, इसे मैं नहीं जानता हू क्योंकि इसमें कठिनाइयाँ हैं और इसके लिए दामोदर घाटी निगम को ही दोषी नहीं कहा जा सकता है ।

Shri Ishwar Chaudhary : Due to failure of power generation in the Damodar Valley Corporation, the engineers of Bihar and Bengal are dissatisfied. There has been loss worth crores of rupees due to inadequate supply of power and crops have been badly damaged. May I know as what steps are being taken to have better co-ordination in the system.

डा० के० एल० राव : उन क्षेत्रों में जब हम बिजली की क्षमता बढ़ा पायेंगे, तो कठिनाईयां दूर हो जायेंगी । उन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कपडे के निर्यात का पुनर्विलोकन करने के लिए कृतिक दल (टास्क फोर्स)

*24. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े के निर्यात सम्बन्धी प्रगति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करने के लिए उनके मंत्रालय में एक कृतिक दल (टास्क फोर्स) की स्थापना की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कृतिक दल के संविधान की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और कपड़े के निर्यात में इसके किस प्रकार सहायक होने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) कृतिक दल (टास्क फोर्स) विदेश व्यापार मंत्रालय के सम्बान्धत अधिकारियों तथा इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन तथा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्षों को शामिल करके गठित किया गया है। यह समय समय पर निर्यात निष्पादन की समीक्षा करता है, उन कठिनाइयों और समस्याओं का पता लगाता है जो सूती वस्त्र के निर्यातों में संतोषजनक वृद्धि के प्रतिकूल ठहरती है और उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव देता है।

सीमेंट, कोयला तथा लोहा और इस्पात ले जाने के लिए गैर सरकारी एजेंसियों और त्रिपुरा सरकार को रेल माल डिब्बे उपलब्ध कराना

*29. **श्री दशरथ देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट, कोयला तथा लोहा और इस्पात ले जाने के लिए गैर-सरकारी एजेंसियों और त्रिपुरा सरकार को 1 जनवरी, 1972 से 20 जून, 1972 तक कितने रेल माल डिब्बे उपलब्ध कराये गये ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : त्रिपुरा के लिए सीमेंट, कोयले, लोहे और इस्पात की ढुलाई के लिए त्रिपुरा सरकार और प्राइवेट एजेंसियों को 1 जनवरी से 20 जून, 1972 तक जितने माल डिब्बे उपलब्ध किये गये उनकी सँख्या इस प्रकार है :—

	उपलब्ध किये गये माल-डिब्बों की संख्या
सीमेंट :	
त्रिपुरा सरकार के लेखे में	91
त्रिपुरा की प्राइवेट एजेंसियों को	245
कोयला :	
त्रिपुरा सरकार के लेखे के—	कोई नहीं
त्रिपुरा की प्राइवेट एजेंसियों को—	459
लोहा और इस्पात :	
त्रिपुरा सरकार के लेखे में—	37
त्रिपुरा की प्राइवेट एजेंसियों को—	82

अपर कृष्णा प्रोजेक्ट

*35 **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री पम्पन गौडा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार अपर कृष्णा प्रोजेक्ट को उसी उत्साह और रुचि से क्रियान्वित नहीं कर रही है जिससे उसने केन्द्रीय सरकार से विशेष अनुदान प्राप्त किए थे ; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से कोई तकनीकी अथवा अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) : सिंचाई राज्य का

विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों को अपनी समस्त विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अपने बजटों में ही करनी पड़ती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता राज्य योजनाओं के लिए एकमुश्त ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी एक विकास शीर्ष अथवा परियोजना से संबन्ध नहीं होतीं। चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में मैसूर का योजना परिव्यय 185·90 करोड़ रुपये था जिसमें केन्द्रीय सहायता 96·60 करोड़ रुपये थी। 1972–73 के लिए मैसूर का योजना परिव्यय 72·30 करोड़ रुपये है जिसमें केन्द्रीय सहायता 33 56 करोड़ रुपये है।

मैसूर सरकार के पास बहुत सी बृहत् सिंचाई परियोजनाएं हाथ में है और यह अन्य परियोजनाओं जिनमें से कुछ परियोजनाएं अधिक प्रोढावस्था में हैं, की आवश्यकताओं के संदर्भ में अपर कृष्णा परियोजना चरण– । को धन दे रही है। राज्य सरकार ने 1972–73 के लिए 2·55 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

अपर कृष्णा परियोजना चरण-एक के कार्यान्वियन में किसी तकनीकी सहायता के लिए कोई प्रार्थना मैसूर सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

गंगा-बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना

*36. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक योजना तैयार करने और सम्बन्ध राज्य सरकारों द्वारा समेकित ढंग से उसके कार्यन्वयन का प्रबंध करने के लिए हाल ही में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग स्थापित किया है। यह आयोग जल्दी ही बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना तैयार करने से सम्बन्धित कार्य करेगा।

पोजनान में अन्यर्राष्ट्रीय मेला

*37. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोजनान में अभी हाल में आयोजित हुए अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भारत ने भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो मेले में भाग लेने के क्या परिणाम निकले ?

विदेशी व्यापार मंत्री श्री एल० एन० मिश्र : (क) जी हां।

(ख) भारतीय मंडप में एक बड़ी संख्या में वस्तुओं का सफलता पूर्वक प्रदर्शन किया गया

जिनमें इंजीनियरी वस्तुएं तथा उपभोक्ता वस्तुएं भी शामिल थीं। मेल में भाग लेने वालों से यह जानकारी एकत्र की जा रही है कि मौके पर कितने व्यापार के सौदे तय हुए और कितने के लिये बातचीत चल रही है। इसके अतिरिक्त व्यापार संबंधी उन्नतीस पूछताछ प्राप्त हुई।

Scarcity of Coal and Cement in Delhi due to Wagon Shortage

*38. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the shortage of coal or cement in Delhi is only due to shortage of wagons;

(b) the reasons for which his Ministry has not been able to supply wagons according to the requirements; and

(c) the steps taken or proposed to be taken in future to meet the demand for wagons ?

Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) to (c) : Delhi receive its requirements of coal from the West Bengal-Bihar fields, and of cement from the factories situated in Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh and Bihar.

The receipts of coal by rail in Delhi from January to July '72 (up to 20th) have been marginally less than the receipts in the corresponding period of last year. Receipt of cement during the same period was, however, more by approximately 13,000 tonnes as compared with the last year.

Movement of coal could not be increased further due to the difficulties faced by Railways in the Eastern Sector like the continued miscreants' activities in West Bengal area, the severe heat wave in the months of May and June '72 leading to large scale absenteeism of staff, frequent power failures affecting electric traction and poor releases of loaded wagons in Calcutta area.

Railways have the necessary resources to meet the current level of consumer demands under normal working conditions. They have in addition planned to order 8000 additional wagons over and above the existing wagon orders. The Railways can, however, meet the demands of coal satisfactorily, only if their working is not/obstructed by reasons beyond their control, and there is no undue delay in loading and unloading of wagons by the parties at terminals.

प्राइवेट एजेंसियों द्वारा बिजली का वितरण

*39. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में प्राइवेट एजन्सियों द्वारा बिजली वितरित की जा रही है ; और यदि हां, तो देश मे इस समय काम कर रही ऐसी एजन्सियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या ये एजन्सियां केवल नगरीय क्षेत्रों में ही बिजली सप्लाई करती हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी हां। 31 मार्च, 1972 को 130 प्राईवेट बिजली प्रदाय लाइसेंसधारी थे जो कि जनता को बिजली-सप्लाई का कार्य कर रहे थे।

(ख) लाइसेंसधारी सप्लाई के अपने अपने क्षेत्रों को बिजली सप्लाई करते हैं जो कि सामान्यतः शहरी इलाके होते हैं ।

विदेशों में भारतीय संयुक्त उपक्रम के कार्यकरण की जांच करने हेतु एक सैल की स्थापना

*40. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**
श्री गिरधर गोमांगा :

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार विदेशों में भारतीय संयुक्त उपक्रमों के कार्यकरण पर नजर रखने हेतु एक सैल की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने विदेश स्थित भारतीय औद्योगिक संयुक्त उद्यमों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित करने का पहले ही विनिश्चय कर लिया है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

*201. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कतिपय कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं और सतकर्ता विभाग उनकी जांच कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी सतकर्ता विभाग को भेजी गई हैं ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चार नियमित मामले पंजीकृत किये गये थे । इनमें से एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परीक्षणाधीन है, दो मंत्रालय में परीक्षणाधीन है और एक की अभी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है ।

दिल्ली की जल प्रदाय समस्याओं के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति

202 **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की जल प्रदाय समस्याओं के अध्ययन के लिए हाल ही में कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश-पद क्या हैं और यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय ने दिल्ली को जल सप्लाई की स्थिति का पुनरवलोकन करने के लिए तथा उसमें सुधारों के हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति की स्थापना की है ताकि गर्मी के महीनों के दौरान पानी की सप्लाई में वृद्धि और उसका बराबर वितरण सुनिश्चित हो सके। जिससे अगली ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी का पुनः सामना न करना पड़े।

जबकि इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई खास तारीख तय नहीं की गई है, समिति के यथासंभव शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है।

बाढ़ों के परिणामस्वरूप रेलवे को क्षति

203. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों में बाढ़ों के परिणामस्वरूप रेलवे को हुई क्षति के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ।

(ख) 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के वर्षों में रेलों को जो हानि हुई वह इस प्रकार है :—

1969-70	लगभग 551·36 लाख रुपये।
1970-71	लगभग 554·66 लाख रुपये।
1971-72	लगभग 198·94 लाख रुपये।

रेलवे में आई० ओ० डब्ल्यू० टनल और टनल इन्स्पेक्टरों के पद पर पदोन्नति का क्रम

204. **श्री रामजी राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में वेतनमान-वार और क्षेत्रवार आई० ओ० डब्ल्यू० टनल और टनल इन्स्पैक्टरों के कितने पद हैं ;

(ख) ये पद किस श्रेणी के कर्मचारियों के पदोन्नति क्रम में आते हैं तथा वास्तव में इन्हें किस प्रकार भरा गया है ; और

(ग) क्या ये विशिष्ट पद है और इन्हें उन कर्मचारियों द्वारा भरा जाना है, जो इन पर कुशलता से कार्य कर सके, चाहे उनकी वरीयता कोई भी हो ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

चाय उद्योग सहायता संगठन

205. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बी० के० दत्त के नेतृत्व में गठित किये गये भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन दल के सुझाव के अनुसार चाय उद्योग की अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकताओं

का ध्यान रखने के लिये सहायता संगठन का गठन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और उसे वास्तव में क्या क्या कार्य सौंपा गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसका गठन कब तक किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : उद्योग की दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकताओं पर अध्ययन दल की सिफारिशों पर रिजर्व बैंक अवधि ऋण-दात्री संस्थाओं के परामर्श से विचार कर रहा है तथा उसमें कार्यान्वित करने में कुछ और अधिक समय लगेगा ।

Set-back in Tea Production in South

206. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether tea production in South India had suffered a set-back of nearly nine million kgs. in the first four months of 1972 because of long spell of severe drought conditions; and

(b) if so the relief offered by Government to the tea plantations of South India to compensate them for their financial losses ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir But, with the improvement in whether conditions, the shortfall has come down to 4.8 million kgs. at the end of June, 1972 and it is hoped that the shortfall will be made up during the rest of the year.

(b) Does not arise.

आसाम और पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के भविष्य में विस्तार के लिये फालतू और सुरक्षित भूमि का रखा जाना

207. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आसाम और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से इस प्रश्न पर बातचीत आरम्भ की है कि भविष्य में उन चाय बागानों, जिनको इन राज्य सरकारों ने भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियमों के अन्तर्गत अपने हाथ में ले लिया है अथवा ले रही है के विकास के लिये फालतू अथवा सुरक्षित भूमि उनके पास ही रहने दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने चाय उद्योग के उस भय को दूर करने के लिए क्या उपाय किये हैं जिसका विकास और विस्तार उपरोक्त कारणों से रूक गया था ?

विदेश व्यापार मंत्री श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) : आसाम राज्य सरकार ने भूमि जोतों की अधिकतम सीमा के संबंध में एक संशोधक विधेयक पर विचार किया था । जहां तक चाय का संबंध है, भारत सरकार ने राज्य सरकार से यह अनुरोध किया था कि जहां आवश्यक समझा जाए भूमि की अतिरिक्त आवश्यकता की अनुमति देने के लिये आसाम भूमि जोत हद-बन्दी अधिनियम के अन्तर्गत नियमों में उपयुक्त व्यवस्था की जाए । जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, उनके साथ इस प्रश्न को उठाने का कोई अवसर नहीं आया है ।

(ग) विदेश व्यापार मंत्रालय ने चाय बागानों सहित विद्यमान हद-बन्दी कानूनों के विषय में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों पर विचार किया था और भूमि की अधिकतम सीमा से मिली छूट को जारी रखने की सिफारिश की।

चाय उद्योग का उत्पादन लागत

208. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड ने हाल ही में चाय उद्योग में उत्पादन लागत के बारे में कोई अध्ययन किया है जिससे इसका पता न लगे कि चाय उद्योग की लाभ-प्रदता कितनी है तथा उस पर करो, मंजूरी, लाभांश तथा निर्यात आदि पर छूट दिये जाने का क्या प्रभाव पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो चाय बोर्ड का इस अध्ययन को कब कराने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार के अध्ययन चाय और व्यापार के विभिन्न पहलुओं के संबंध में नीतियाँ बनाने के लिए पृष्ठाधार सामग्री प्रदान करते हैं और इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा इनका निरन्तर उपयोग किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ जाने वाली सवारी गाड़ियों में गुण्डागर्दी

209. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या मेरठ जाने वाली सभी सवारी गाड़ियों में गुलधर और मुरादनगर स्टेशनों से बड़ी संख्या में गुण्डे बैठते हैं और पुलिस की सांठ-गांठ से चाकू घोंप देने का डर दिखा कर प्रत्येक यात्री से एक रुपया मांगते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में बिजली उत्पादन की परियोजनायें

210. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने अधिक बिजली उत्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए विभिन्न परियोजनाएं भेजी हैं ;

(ख) यदि हां तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या राज्य में गत कुछ वर्षों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में कमी हुई है और इससे राज्य के औद्योगिक विकास पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यदि हाँ, तो राज्य में बिजली की कितनी कमी है और इसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार ने अतिरिक्त विद्युत-जनन क्षमता की प्रतिष्ठापना करने के लिए स्कीम-रिपोर्टें भेजी हैं। जिनके ब्योरे विवरण में दिये गये हैं।

(ग) प्रति व्यक्ति विद्युत खपत, जो 1968-69 में 118 यूनिट थो घटकर 1969-70 में 116 यूनिट और 1970–71 में 115 यूनिट रह गई। यह कमी राज्य की औद्योगिक खपत में जनसंख्या वृद्धि की तुलना में धीमी प्रगति को प्रतिबिम्बित करती है। ताप विद्युत-जनन यूनिटों के बारंबार मजबूरन बंद हो जाने से विद्युत सप्लाई कुछ हद तक कठिन हो गई और लोड शेडिंग की आवश्यकता पड़ी।

भारत सरकार ने बारंबार होने वाली बिजली की खराबियों के कारणों की जांच करने तथा उपचारक कार्रवाई सुझाने हेतु एक समिति गठित की है। निर्माणाधीन विद्युत-जनन और पोरषण परियोजनाओं को भी शीघ्र पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

विवरण

अतिरिक्त विद्युत-जनन क्षमता के प्रतिष्ठापन के लिए पश्चिम बगाल सरकार द्वारा भेजी गई स्कीम रिर्पोटों के नाम।

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ों में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	बन्देल ताप विद्युत केन्द्र प्रसार	1 × 200	33·74	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित स्कीम-स्वीकृति की प्रतिक्षा है
2.	कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र	2 × 200	77·44	जांच के अधीन
3.	सन्तालदीह ताप विद्युत केन्द्र प्रसार	1 × 200	36·01	वही
4.	उत्तरी बंगाल में डीजल जनन स्कीमें	7 × 1·16 + 7 × 0·63	2·01	वही
5.	गैस टरवाइन सैट	2 × 20	7·00	वही

गुजरात में बिजली की कमी

211. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बिजली की अत्यधिक कमी के कारण उद्योगों, कपड़ा मिलों, कृषि और अन्य क्षेत्रों में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में बिजली की कमी को दूर करने लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रायय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : इस वर्ष के शुरू में तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र से कम विद्युत-उत्पादन के परिणामस्वरूप गुजरात में विद्युत की न्यूनता से यह आवश्यक हो गया कि लोड शैडिंग किया जाए और अधिकतम 25% तक उद्योगों तथा अन्य उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत मांग और ऊर्जा उपभोग में कटौती की जाए जिससे कुछ सीमा तक, उत्पादन प्रभावित हुआ। इस अवधि के दौरान कमी को पूरा करने के लिए सभी उपलब्ध विद्युत जनन यूनिटों का, उनकी पूरी क्षमता तक प्रचालन किया गया था। केन्द्रीय सरकार ने इंधन तेल की अतिरिक्त सप्लाई की व्यवस्था की। महाराष्ट्र, मैसूर और मध्य प्रदेश से भी सहायता की व्यवस्था की गई। तारापुर से विद्युत की उपलब्धता में सुधार हो जाने से प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटा दिया गया। जून 1972 के शुरू में धुवरण ताप विस्तार परियोजना में 140 मैगावाट के पहले यूनिट के चालू हो जाने से प्रतिबंधो को पूर्णरूप से उठा लिया गया है। इस समय राज्य में विद्युत की कोई कमी नहीं है। राज्य में बढ़ती हुई माँगों को पूरा करने के लिए राज्य प्राधिकारी आवश्यक अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का प्रतिष्ठापन कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

212. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1972-73 में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने कितना धन दिया है; और

(ख) विद्युतीकरण की जिलेवार परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : ग्राम विद्युतीकरण में वर्ष 1972–73 के दौरान अब तक मध्य प्रदेश की छ: ग्रामु विद्युतीकरण स्कीमों को जिसमें 234·39 लाख रुपये की ऋण राशि निहित है और 197 ग्रामों के विद्युतीकरण, 6,700 सिंचाई पम्प सैटो के ऊर्जन और छ जिलों में 493 लघु उद्योगों और कृषि उद्योगों को बिजली सप्लाई की परिकल्पना की गई है, स्वीकृति किया है। इनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

स्कीम तथा जिले का नाम	कार्य क्षेत्र ग्राम	सिंचाई पंपसेट	लघु उद्योग/ कृषि उद्योग	स्वीकृत ऋण राशि (रु० लाखों में)
1. शाहडोल जिले में सहगपुर तहसील	40	700	120	32·32
2. रेवा जिले में हुजूर तहसील	37	1000	100	34·74
3. दतिया जिले में दतिया तहसील	22	500	71	17·89
4. सेहोर जिले में सेहोर तहसील	30	1500	52	46·75
5. शाजलपुर जिले में शाहजलपुर तहसील	32	1500	50	50 12
6. देवास जिले में सोन कच्छ तहसील	36	1500	100	52·57
कुल	197	6700	493	234·39

सौराष्ट्र में कपास निगम द्वारा रूई की विभेदपूर्ण खरीद

213. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जून, 1972 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय कपास निगम के सौराष्ट्र में विभेद पूर्ण खरीद की है जिसके फलस्वरूप कपास उत्पादकों को विशेषकर कपास उगाने वाले छोटे किसानों की बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रूई निगम द्वारा रूई कपास की खरीद के लिये प्रबन्ध गुजरात सरकार के साथ अच्छी तरह विचार विमर्श करके और उनके सहयोग से किये गये थे। इन खरीदारियों पर पर्यवेक्षण के लिए कृषि अधिकारी नियुक्त किये गये थे और किसानों को भुगतान दर्शनी हुंडी द्वारा किये गये। राज्य सरकार के साथ परामर्श से चुने गये व्यापारियों के माध्यम से उत्तरी गुजरात में थोड़ी सी खरीदारियों के सिवाय अन्य खरीदारियां सहकारी समितियों के माध्यम से की गई थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में एपेक्स मार्केटिंग एजेंसी माध्यम से पटसन की खरीद

214. **श्री दशरथ देव** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन बोर्ड का विचार त्रिपुरा में एपेक्स मार्केटिंग एजेंसी के माध्यम से पटसन खरीदने का है ;

(ख) क्या एपेक्स मार्केटिंग की पहले की गतिविधियां पटसन उत्पादकों के हितों के विरुद्ध थी ;

(ग) यदि हां तो ऐसी, एजेंसी के माध्यम से पटसन की खरीद त्रिपुरा के पटसन उत्पादकों के लिये किस प्रकार सहायक होंगी; और

(घ) क्या सरकार को इस आशय के समाचार मिले हैं कि त्रिपुरा व्यापारी मन एक पटसन के स्थान पर 40 किलोग्राम पटसन तौल कर ले रहे हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी. जार्ज) : (क) भारतीय पटसन निगम ने त्रिपुरा में, त्रिपुरा एपेक्स कोआपरेटिव सोसाइटी की एजेंसी के माध्यम से पटसन खरीदने की व्यवस्था की है। वहां कोई भारतीय पटसन बोर्ड नहीं है।

(ख) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा इस सोसाइटी की सिफारिश की गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

रूई खरीदने के लिए सरकार द्वारा मनोनीत एजेन्सियों का कार्यकरण

215. **श्री बेकारिया :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई खरीदने के लिये सरकार द्वारा मनोनीत एजेन्सियां विशेषकर गुजरात में भारतीय रुई निगम द्वारा निश्चित रुई का मूल्य किसानों को नहीं देती है; और

(ख) क्या सरकार रुई खरीदने के लिए सरकार द्वारा मनोनीत एजेन्सियों के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक जांच आयोग स्थापित करने का विचार कर रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने घरेलू रुई खरीदने के लिये कोई गैर-सरकारी अभिकरण मनोनीत नहीं किया है। रुई की घटती हुई कीमतों को देखते हुये क्वालिटी तथा चुनाव आदि पर आधारित उपयुक्त समायोजनाओं के अधीन रहते हुये सरकार द्वारा बताई गई 'उचित कीमतों' पर रुई : कपास की कीमत समर्थन खरीद करने के लिए भारतीय रुई निगम से, जो एक सरकारी अभिकरण हैं कहा गया था । उत्तरी गुजरात में, जहाँ सहकारी समितियां विद्यमान नहीं है, थोड़ी सी मात्रा में की गई खरीदारियों को छोड़ कर, निगम सारे देश में सहकारी समितियों के माध्यम से कपास की खरीद करता रहा है ।

(ख) चूंकि सरकार ने कोई एजेंट मनोनीत नहीं किया है, अत: कोई जांच आयोग स्थापित करने का विचार नहीं है ।

एशियायी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने वाले देश

216. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम**
श्री मुहम्मद शरीफ

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो एशियायी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(ख) कौन-कौन सी भारतीय फर्म मेले में भाग लेंगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जो देश अभी तक भाग लेने के लिये राजी हुये हैं उनके नाम संलग्न अनुबंध 1 में किये गये हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3205/72**] कुछ और देश भाग लेने के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार कर रहें हैं और उनके निर्णय की प्रतीक्षा है।

(ख) उन भारतीय फर्मों के नाम संलग्न अनुबंध 2 में दिये गये हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने मंडप लगाकर इस मेले में भाग ले रही हैं। कुछ अन्य फर्म निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों, राज्य सरकारों आदि के माध्यम से भाग ले रही है। उनके सम्बन्ध में ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

राष्ट्रीय जल ग्रिड के लिये स्वीकृत सहायता राशि

217. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों के लिये गंगा-कावेरी राष्ट्रीय जल ग्रिड का प्रारम्भिक अध्ययन

करने के लिये निश्चित की गई धन-राशि तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत सहायता की राशि कितनी है; और

(ख) परियोजनाओं के प्रारम्भिक अध्ययन को शीघ्रता से पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल ग्रिड पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों से एक और अभिमत देने को कहा हैं इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र विकास-कार्यक्रम द्वारा 24000 डालर की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। आशा है कि परियोजना पर इस वर्ष में क्षेत्रीय अन्वेषण शुरु करना तथा उनको पांच या छ: वर्षों में पूरा करना संभव हो सकेगा।

उठाऊ सिंचाई की दरों को कम करना और ग्राम पंचायतों को गलियों में लगी बिजली के लिए भुगतान न करने की छूट देना।

218. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उठाऊ सिंचाई की दरों को कम करने और उन्हें नहरी सिंचाई के समान बनाने तथा सड़कों की रोशनी के लिए ग्राम पंचायतों को बिजली का भुगतान न करने की छूट देने के उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के निर्णय की जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य सरकारों को भी ऐसी प्रगतिशील नीतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से पता चला है कि उन्होंने उठाऊ सिंचाई दरों को कम करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है और राज्य सरकार ने एक अध्यादेश पास किया है जिसमें व्यवस्था है कि राज्य की समेकित धन राशि में ऐसे ग्रामों में, जिनका विद्युतीकरण हो चुका है, गलियों में रोशनी के लिये लगे बिजली के लैंपों को ऊर्जा की सप्लाई के लिये प्रति वर्ष 50 लाख रुपये राज्य बिजली बोर्ड को दिये जायेंगे।

(ख) सिंचाई आयोग ने नल दरों के सम्बन्ध में विभिन्न सिफारिशें की हैं, जिन पर आयोग की अन्य सिफारिशों के साथ राज्य सरकार के साथ सलाह करके भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। गली की रोशनी के लिये विद्युत दरों की अदायगी से ग्राम पंचायतों को छूट देने सम्बन्धी मामला ऐसा है जिसे सम्बन्धित राज्य सरकारों ने अपने संसाधनों की स्थिति और अन्य संगत बातों को ध्यान में रख कर तय करना है।

महानगरों में भूमित रेलवे की व्यवस्था

219. **श्री रामसहाय पांडे**

श्री नरेन्द्र सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों की बढ़ती हुई परिवहन सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के लिये वहाँ

भूमिगत रेलवे की व्यवस्था सम्बन्धी परियोजनाओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिये कोई बातचीत की गई है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ये परियोजनायें कब तक क्रियान्वित की जायेंगी और उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० भाई) : (क) से (ग) : महानगरों भूगत रेलों की स्थिति इस प्रकार है :—

कलकत्ता —

दमदम टपलीगंज भूगत रेलवे (16 5 कि० मी०) की मंजूरी दे दी गई है जिसकी अनुमानित लागत 140 करोड़ रुपये है। अभिकल्प और निर्माण का काम प्रारम्भ करने के लिए 1972-73 में 2 97 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। विदेशी तकनीकी परामर्श सहायता की आवश्यकताएं रूसी सरकार को भेजी गयी हैं। इस परियोजना के निष्पादन में सात वर्ष लगेंगे।

बम्बई —

वलार्ड इस्टेट। फोर्ट मार्केट में पहुंच मार्गों सहित तीसरे टर्मिनल से सम्बन्धित सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और इसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को मिल गयी हैं। अन्य गलियारों की सेवा भूगत। उत्थित रेलों आदि द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में अध्ययन का काम प्रगति पर है। ब्रिटिश सरकार की तकनीकी परामर्श सेवाएं अभी हाल में प्राप्त हुई हैं। ब्रिटेन के परामर्शदाताओं की रिपोर्ट मिल गयी है और उस पर रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है। ब्रिटेन की सरकार से और भी परामर्श सहायता प्राप्त करनी होगी। 1972 में सभी गलियारों का तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन पूरा होने के बाद निर्माण क्षेत्र विस्तार और उनके कार्यक्रम के विषय में विचार किया जायेगा।

मद्रास और दिल्ली—

व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के सम्बन्ध में तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन का का काम रेलों के महानगर परिवहन संगठनों द्वारा जुलाई, 1971 में प्रारम्भ किया गया था। इन अध्ययनों का काम पूरा होने में लगभग दो वर्ष लगेंगे इसके बाद योजना और उसके कार्यक्रम के सम्बन्ध में और ब्यौरे मालूम होंगे। किसी विदेशी सहायता के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

हैदराबाद, कानपुर, बैंगलूरु, पूर्ण और अहमदाबाद —

राज्य यातायात कक्षों द्वारा यातायात सर्वेक्षण का काम पूरा होने और रेल मंत्रालय द्वारा ऐसे अध्ययन प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में योजना आयोग की सिफारिश प्राप्त होने के बाद इन नगरों में व्यापक द्रुत परिवहन योजना के सम्बन्ध में तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन के लिए रेलों द्वारा महानगर परिवहन परियोजना संगठनों की स्थापना की जायेगी।

दिल्ली में बार-बार बिजली खराब हो जाना

220. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से दिल्ली में अनेक बार बिजली खराब हो जाती है जिससे जनता और उद्योगों को बहुत असुविधा होती है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ताकि बिजली बार-बार खराब न हो, और भविष्य में राजधानी में बिजली की नियमित सप्लाई सुनिश्चित हो सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : पिछले वर्षों में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान विद्युत प्रणाली में रुकावटों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन जब उसके आकार की बढ़ोत्तरी के संदर्भ में देखें। (जोकि पिछले 6 वर्षों में लगभग दुगुना हो गया है) तो ज्ञात होगा कि 1969—70 से कार्य निष्पादन में सुधार हो रहा है। अभी तक वितरण प्रणाली अधिकतर ओवरहैड होने के कारण, खराबियों के लिए सुप्रभाव है। विशेषज्ञों द्वारा मामले की जांच की गई है और विद्युत सप्लाई स्थिति में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। आमतौर पर, बिजली में रुकावटें विद्युत घरों, उप-केन्द्रों, पारेषण और वितरण लाइनों में अचानक पैदा होने वाले कुछ दोषों के कारण होती है। वर्तमान वितरण लाइनों को जहां वे अपर्याप्त हैं, को सुदृढ़ करने तथा राजधानी के उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उप-केन्द्रों के निर्माण के लिए उचित उपाय किये गए और किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में सभी नए उच्च वोल्टता लाइन कार्यों को भूगत केबलों द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है। अनुरक्षण की तरफ, खासकर मानसून के पहले, जिसके दौरान बिजली की खराबी की घटनाएं बढ़ती हैं, अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अधिकतर उप-केन्द्रों पर दोहरी पोषक लाइनों की व्यवस्था के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

हिन्दू परिवार की परिभाषा के पुनरीक्षण का प्रस्ताव

221. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में हिन्दू परिवार की परिभाषा का पुनरीक्षण करने का है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका आधार क्या है; और

(ख) इसका सामाजिक प्रभाव क्या होगा; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) और

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले

222. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार उच्च न्यायालयों में कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) उच्च न्यायालयों में दस वर्ष से अधिक समय से कितने मामले लम्बित हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सलग्न है (विवरण—I) [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3206/72**]

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है (विवरण—II)

राज्य व्यापार निगम की निधियों की पूंजी निवेश

223. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के पास अत्यधिक निधियाँ हैं; **और**

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त निधियों के पूंजी निवेश का प्रस्ताव क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) **और** (ख) : 20 जुलाई 1972 को जैसी स्थिति थी उसके अनुसार निगम के पास 9·30 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि है जिसका उपयोग बैंकों में सावधि जमा, राजकोष पत्रों, निगम के सहायक निगमों या सरकारी क्षेत्र के अन्य निगमों को ऋण देने में किया जा रहा है।

हथकरघा कपड़ों का निर्यात

224. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश-वार हथकरघा कपड़ों का कुल कितना निर्यात किया गया ; और

(घ) इससे कितनी विदेश मुद्रा प्राप्त हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : (क) **और** (ख) : गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख देशों की हथकरघा वस्तुओं का कुल निर्यात तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :

(मूल्य लाख रु० में)

देश	निर्यात		
	1968-69	1969-70	1970-71
सं० रा० अमरीका	200.83	330.76	396.22
दक्षिण यमन	162.85	95.86	27.98
मलयेशिया	108.20	157.18	169.62
सिंगापुर	107.82	178.04	176.14
स्वीडन	97.53	197.32	94.47
ब्रिटेन	88.37	158.35	244.30

पश्चिम जर्मनी	82.99	466 00	288 41
नाईजीरिया	82.4 5	₂.96	3.60
फ्रांस	79 81	297.72	102.85
जापान	78.67	136.67	82.66
डेनमार्क	19 31	90 73	. 6 80
नेपाल	18.48	73 86	78 14

Excessive charges from Passengers by Licensed Porters of Railway Stations

2:5. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether Government have received reports that licensed protest at Railway Stations demand from the passengers high rates of porterage charges, which are three to four times higher than the rates fixed by the authorities;

(b) whether no arrangements exist at the railway Stations for expenditious hearing of complaints regarding arbitrary attitude of the porters and for taking any action in the matter; and

(c) if so, the measures proposed to be taken by Government in the matter ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) & (b) : Government have not received reports that licensed porters at stations demand three to four times the rates fixed. Complaints are, however, occasionally received about over-charging of passengers by licensed porters. Appropriate action is taken on all such complaints.

Complaints can be made to the station authorities who deal with the complaints on the spot and have the powers to take disciplinary action against porters including suspension from work and cancellation of their licences.

It may be added that Supervisors are appointed to exercise checks on the working of the porters. Furthermore, frequent announcements are made on the Public Address System detailing the authorised porterage rates and advising passengers not to pay in excess of these rates.

(c) Does not arise.

Wagons for the Transportation of Goods

227. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Banamali Patnaik :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the difficulties experienced by the people in obtaining Railway Wagons for Transportation of Goods;

(b) the position with regard to the availability of wagons, Division-wise; and

(c) the reasons, with details, with regard to the availability of wagons or delay in supplying wagons and the effective action taken and proposed to be taken in this regard and whether Committee would be set up at Divisional level in this regard which may have the representation from the consumers group also ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) The information is being collected and would be laid on the Table of the Sabha.

(c) Railway operation in the country was seriously affected during 1971-72 on account of various dislocations to train services in the Eastern Sector due to strikes, anti-social activities etc. Nearly 20,000 wagons were held up till December, 1971 on Eastern Railway alone causing general shortage of wagons on other Railways. The position was further aggravated due to extensive floods and breaches and heavy moment of foodgrains and other essential goods for refugees and heavy defence moves. During the current financial year, railway operation was again seriously affected due to excessive heat wave in the whole of Eastern, Central, Northern and Western parts of the country during May and June, 1972 resulting in heavy absenteeism amongest railway staff in key categories. Intermittent power failure from D.V.C. and Bihar State Electricity Board also affected train operations on Eastern and South Eastern Railways during May and June with serious repurcussions on wagon availability on other zonal Railways. Yet the Railways have been able to lift 11 lakh tonnes of originating traffic more during the first three months of 1972-73 than during the corresponding period of last year.

There are Railway Users' Consultative Committees at Divisional and zonal levels; In these Committees adequate representation is given to Trade and Industrial interests. These forms can be used by these interests to vandicate any difficulties.

Power Shortage in the Country

228. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the areas where shortage of power was experienced during the last one year and the extent and duration thereof;

(b) the extent of loss suffered by the industries and labourers as a result thereof; and

(c) the steps taken and proposed to be taken to check the recurrence of power shortage ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) During the last one year, power shortage occurred in Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh and Southern parts of Orissa. Power shortage conditions also prevailed in Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar and Tamil Nadu. The extent and duration of shortage was as follows :—

	Extent	Duration
Andhra Pradesh	19%	April to July, 1972.
Uttar Pradesh	8%	Throughout the year.
Orissa	8%	March to June, 1972.
Maharashtra	2% to 10%	March to June, 1972.
Punjab Haryana		Small restrictions in June-August, 1971.
Gujarat	10% to 20%	February to June, 1972.
West Bengal	Maximum 10% during peak hours but frequent load shedding.	November 1971 to-date.
Bihar	5% to 45%	June & July, 1971 and April & May, 1972

Tamil Nadu	10% to 25%	for some days since June, 1972.

(b) There was some loss of production in industry but it is not possible to estimate the exact amount of loss incurred due to power shortage alone. There was loss of production of fertiliser due to shortage in power supply to fertiliser factory. In Gujerat some labourers had to be laid off for a week during the closure of some textile mills in Ahmedabad.

(c) Power shortage occur due to the following cases :—

(1) outages of thermal generating units;

(2) Failure of hydro-eleetric reservoirs to fill up to the required extent at the end of the last monsoon;

(3) Inadequate addition of generating capacity in the system compared to the growth in the load demand.

The following steps have been taken to meet the situation from time to time :—

Short Term Steps :

(1) Government of India propose to set up two expert groups for inspection of thermal and hydro power stations respectively and suggest measures to improve their outturn.

(2) With a view to arranging emergency power supply from neighbouring States, existing inter-state transmission lines are being strengthened and new ones are being constructed.

Long-Term Steps :

Since power projects take generally about five years in the case of thermal plants and longer periods for the hydro-electric projects from the time of initial planning to the time of commissioning, it is necessary to take action for adding the generating capacity required to meet the future load demands well in advance. The Ministry of Irrigation and Power have prepared a Plan for the decade 1971-81 wherein locations of various hydro, thermal and nuclear projects together with the quantum of generating capacity required to meet the load demands in the various regions have been identified. Further studies in depth have been carried out in this Ministry and a programme for power development upto 1976-77 drawn up. Based on the above studies, preliminary proposals for the Fifth Pian have been formulated and are being further elaborated. The Power requirements of the various regions can be met adequately only if the above propoasls are fully implemen ed.

धर्मनगर रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) पर आरक्षण करने की व्यवस्था

229. **श्री दशरथ देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लुमडिंग रेलवे स्टेशन से आगे के स्थानों के लिये धर्मनगर स्टेशन पर बर्थों अथवा सीटों का आरक्षण नहीं किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर लुमडिंग रेलवे स्टेशन से आगे की यात्रा के लिए सीटों तथा बर्थों के आरक्षण की व्यवस्था करने का है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर 4 डाउन असम मेल में लुमडिंग से बरौनी तक के लिये शायिकाओं सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है।

धर्मनगर स्टेशन से नई दिल्ली और हावड़ा तक सीधे जाने वाले यात्रियों के लिए कोटे का आबंटन विचाराधीन है।

पटसन निगम

230. **श्री दशरथ देव :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विदेश व्यापार** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के आग्रह पर पटसन निगम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निगम के निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या उपरोक्त निदेशक मंडल में पटसन उत्पादक राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्री मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय पटसन निगम भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के एक निगम के रूप में स्थापित किया गया है।

(ख) निदेशक मंडल के वर्तमान गठन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 3207/72)

(ग) जी हां, जहाँ तक सम्भव है। पश्चिम बंगाल के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है।

जौहरियों के प्रतिनिधि-मंडल का पश्चिम योरोपियन देशों का दौरा

231. **श्री पी० गंगादेव**

श्री कृष्ण मोदी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जौहरियों के एक सरकारी प्रतिमंडल ने, जो उनके मंत्रालय द्वारा आठ पश्चिम यूरोपीय देशों के दौरे पर भेजा गया था, यह कहा है कि विदेशी बाजारों में भारत के तराशे गये हीरों के निर्यात की काफी सम्भावनायें हैं ; और

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल ने किन-किन देशों का दौरा किया था और उनके मंत्रालय द्वारा हीरों के निर्यात के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) : रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल-मई 1972 के दौरान सं० रा० अमरीका, हालैंड, बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विटजरलेंड, पश्चिम जर्मनी तथा इटली का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है।

यूनाइटिड डेवेलपमेंट इनकारपोरेशन, लंदन के साथ वस्तु विनिमय करार

232. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पी० के० देव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने एक वस्तु विनिमय करार किया है जिसके अन्तर्गत भारत 300 मेगावाट से 330 मेगावाट के 6 विद्युत संयंत्र आयात करेगा और उसके बदले में लोह और मेंगनीज अयस्क का निर्यात करेगा ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने यूनाइटिड डेवेलपमेंट इनकार्पोरेशन (इन्टरनेशनल प्रोजेक्ट डिवीजन) के साथ कोई बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो वस्तु विनिमय करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्चे माल को तैयार माल में बदलने के लिये रूस से बातचीत

233. श्री पी० गंगादेव
श्री के० लकप्पा

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी कच्चे माल को तैयार माल में बदलकर उसको पुन: रूस को निर्यात करने के चार और करारों के सम्बन्ध में भारत रूस से पेशकश कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल के बदले में तैयार माल निर्यात करने सम्बन्धी प्रस्तावित शर्तें क्या हैं और इसे कब अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) : भारत और सोवियत संघ के बीच 1972 के व्यापार संलेख को अन्तिम रूप देने के लिए विदेश व्यापार मंत्री के मई 1972 में मास्कों के दौरे के दौरान रूपांतर संबंधी जिन चार सौदों पर सोवियत संघ के प्राधिकारियों के साथ प्रारम्भिक बातचीत की गई थीं वे हैं : (1) भारत को सोवियत संघ द्वारा इस्पात के निर्यात के बदले भारत से लकड़ी के पेचों का आयात (2) कटलरी (छुरी चम्मच आदि) में बदलने के लिए सोवियत संघ द्वारा अधिकारी इस्पात या जर्मन सिल्वर की सप्लाई, (3) ऊनी वस्त्रों में बदलने के लिए सोवियत संघ द्वारा ऊन की सप्लाई (4) सिलाई के धागे में बदलने के लिए रूसी रुई की सप्लाई ।

सोवियत प्राधिकारियों के साथ इन प्रस्थापनाओं पर अभी विचार-विमर्श चल रहा है ।

दामोदर घाटी निगम में कुप्रशासन

234. श्री अजीत कुमार साहा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दामोदर घाटी निगम में कुप्रशासन के बारे में शिकायतें मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का कुप्रशासन है और इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : 11 और 15 जून, 1972 के बीच कलकत्ता को बिजली की सप्लाई में कुछ बाधाओं के संदर्भ में, पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी निगम के कार्य के सम्बंध में कुछ पहलुओं को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया है। मामले की जांच की रही है।

औद्योगिक विकास के लिए दामोदर घाटी निगम से विद्युत की सप्लाई

235. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए दामोदर घाटी निगम ने विद्युत की सप्लाई का उत्तरदायित्व लिया था; और

(ख) यदि हां, तो कैसा उत्तरदायित्व लिया गया था तथा इस उत्तरदायित्व को किस सीमा तक पूरा किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री श्री बैजनाथ कुरील : (क) और (ख) : दामोदर घाटी निगम अधिनियम के अन्तर्गत, निगम को घाटी के क्षेत्र के अन्दर 30,000 वोल्ट या अधिक पर थोक में विद्युत सप्लाई करने का एक मात्र अधिकार प्राप्त है। निगम सम्बन्धित राज्य सरकारों की अनुज्ञा से घाटी के बाहर के स्थानों को भी थोक विद्युत सप्लाई करता है। ये बाहरी भार एक सहमति-प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार धीरे-धीरे राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अपने हाथ में लिए जाने हैं। इस समय दामोदर घाटी निगम घाटी के अन्दर पश्चिम बंगाल राज्य में सभी बड़े उद्योगों जैसे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर अलाय स्टील प्लांट, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, अल्युमीनियम कार्पोरेशन आफ इण्डिया, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को विद्युत सप्लाई कर रहा है। निगम वितरण लाईसेंस धारियों जैसे दी सेरगढ़ पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, एसोसियेटेड पावर कम्पनी लिमिटेड और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड की विविध स्थानों पर थोक में विद्युत सप्लाई करता है, रेल संकर्षण को भी विद्युत सप्लाई की जाती है। दामोदर घाटी निगम एक नई स्लैग सीमेंट फैक्टरी को, जो कि दुर्गापुर में निर्माणाधीन है, भी विद्युत सप्लाई करेगी।

गंगा नदी पर टिहरी बाँध का निर्माण

236. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी पर टिहरी बांध के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त बांध का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इस बांध के निर्माण से स्थानीय जनता पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री श्री बैजनाथ कुरील : (क) कार्यों और पुनर्वास के लिए भूमि के अधिग्रहण सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है। विभिन्न स्थल सर्वेक्षणों और प्रारम्भिक डिजाइनों का कार्य भी प्रगति पर है।

(ख) निर्माण कार्यक्रम के अनुसार परियोजना के पूर्ण होने में 8 वर्ष लगेंगे।

(ग) इस बांध के जल फैलाव से लगभग 4249 हैक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी; जिस से टिहरी नगर के अलावा, 22 ग्राम पूर्णत: और 70 ग्राम आंशिक रूप से जलमग्न होंगे जिसके परिणामस्वरूप 2235 परिवार अथवा 13413 व्यक्ति प्रभावित हो जायेंगे।

भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग

237. **श्री बनमाली पटनायक :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की हाल ही में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक ने किन-किन समस्याओं पर विचार किया गया तथा क्या-क्या निर्णय किये गये थे; और

(ग) क्या फरक्का बांध परियोजना के बारे में भी चर्चा हुई थी; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री श्री बैजनाथ कुरील : (क) और (ख) : भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की प्रथम बैठक नई दिल्ली में 25 और 26 जून, 1972 को हुई थी ।

बाढ़ पूर्वसूचना और चेतावनी प्रबन्धों और साधारण रूप से गगा ब्रह्मपुत्र-मेथना प्रणाली में नदी बचाव कार्यों का पुनर्वलोकन किया गया। पारस्परिक हित की कुछ तत्कालीन वाद समस्याओं के अध्ययन के लिए कार्यकारी दल गठित किए गए थे।

(ग) जी, नहीं।

विदेशों में भारतीय रेशम की माँग में वृद्धि

238. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों में भारतीय रेशम की मांग बढ़ रही है ;

(ख) किन-किन देशों के साथ भारत का संपर्क है ;

(ग) गत 3 वर्षों में देश-वार प्रति वर्ष कितनी विदेश मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(घ) देश में इस उद्योग में सुधार करने हेतु सरकार ने कैसा प्रोत्साहन दिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया तथा नीदरलैंड में।

(ख) जिन महत्वपूर्ण देशों को भारतीय रेशम का निर्यात किया जाता है, वे ये हैं ; पश्चिम यूरोपीय देश, सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, मलेशिया, जापान, कीनिया, हांगकांग, कनाडा, आस्ट्रेलिया, चैकोस्लोवाकिया, तथा पोलैंड । भारतीय रेशम निर्यातक उक्त देशों के आयातकों के साथ निकट संपर्क रखते हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3208/72**]

(घ) (1) **चौथी योजना** के दौरान रेशम उद्योग के विकास हेतु 10 39 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

(2) भारतीय रेशम की क्वालिटी सुधारने तथा इसकी उत्पादन लागत कम करने हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मैसूर, रांची तथा बेहरामपुर में स्थित ग पणा केन्द्रों द्वारा गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) प्राकृतिक रेशम के निर्यात के बदले आयातित कच्चे माल की सप्लाई करने हेतु प्रतिपूर्ति की उपयुक्त योजनाएं चल रही हैं।

(4) आयातक देशों में रेशम के माल के निर्यातों में गिरावट के कारणों का पता लगाने तथा भारतीय रेशम के माल की भावी मांग के स्वरूप का अनुमान लगाने हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने नवम्बर, 1971 में पश्चिम यूरोपीय देशों, सं० रा० अमरीका, जापान तथा हांगकांग को एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था।

(5) सुस्थापित निर्यातकों को बाजार सर्वेक्षण करने, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों आदि में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कोनाकपुरा (मैसूर स्थित अरकावती परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता

239. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोनाकपुरा (मैसूर) स्थित अरकावती परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का कोई वचन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने अपना आश्वासन किस हद तक पूरा किया है और मैसूर राज्य को कितना सहयोग दिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली की गैर सरकारी फर्मों का राष्ट्रीयकरण

240. **श्री बी० एन० सिंह :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की गैर-सरकारी फर्मों का राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : बृहद् विद्युत विकास कार्यक्रम तथा सारे राज्य और क्षेत्र में एक समान विद्युत नीति अपनाने के संदर्भ में सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि निजी लाइसेंसधारियों द्वारा सेवित क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है ।

शरावती जल परियोजना (मैसूर) के संबंध में जांच

241. **श्री वी० एन० पी० सिंह :**
श्री सतपाल कपूर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शरावती जल परियोजना जहां पर दोषपूर्ण ढंग से बनाई गई दाब सुरंगों से आने वाले कचरे के कारण 'टरबाइन्स' क्षतिग्रस्त हो गई है ; के संबंध में मैसूर सरकार के जांच आदेश की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) परियोजना को हुई क्षति के परिणामस्वरूप सरकार तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कितनी हानि हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी नहीं । जहां तक हमें मालूम है, मैसूर सरकार द्वारा अभी तक किसी भी जांच का आदेश नहीं दिया गया है ।

(ख) इस विषय पर केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी है ।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि मैसूर राज्य विद्युत मंडल को, लगभग 15 दिनों की अवधि में, जबकि सुरंगों की मरम्मत होने के कारण विद्युत केन्द्र बन्द करने पड़ेंगे, लगभग 60 लाख रुपये के राजस्व की हानि होगी । बहरहाल, विद्युत प्रदाय का प्रबंध वैकल्पिक स्रोतों से होगा, अतः उद्योगों और वाणिज्यक संस्थानों को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा ।

ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हो जाने के फलस्वरूप उसको होने वाले भारतीय निर्यात की रक्षा के उपाय

242. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के जनवरी, 1973 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हो जाने के पश्चात उसका रवैया भविष्य में भारतीय निर्यात के प्रति बहुत असंतोषजनक है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह अनुमान लगाया गया है कि ब्रिटेन को होने वाले कुल भारतीय निर्यात के 42 प्रतिशत भाग पर इसका प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले को सुलझाने के लिए कोई हल नहीं मिल रहा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : यूरोपीय

आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के फलस्वरूप हमारे जिन निर्यातों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, उनके संबंध में पर्याप्त संरक्षणात्मक उपायों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर ब्रिटेन और साथ ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय दोनों के साथ बातचीत चल रही है।

चूंकि अनेक अकल्पनीय बातें हैं, अतः यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश से हमारे निर्यातों पर पड़ने वाले कुल प्रभाव को कूतना संभव नहीं है।

अफ्रीका-एशियाई देशों के लिये भारतीय परामर्श-दात्री समिति

243. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे संघों के अन्तर्गत अफ्रीकी एशियाई देशों में रेलों के विकास के लिए भारत का विचार एक परामर्श-दात्री सेवा की व्यवस्था करने का है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारत को अन्य देशों से क्या सहायता मिलेगी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Rural Electrification in Bihar

244. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the District-wise targets fixed by Government for the electrification of villages and energisation of tubewells in Bihar during 1970-72;

(b) the Districts where the work has been executed according to the targets and the Districts where work has not so far been done; and

(c) the reasons for the non-completion of work according to targets ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : **(a) & (b)** : The District-wise targets fixed by the Government of Bihar for the electrification of villages and energisation of pumpsets during 1970-72 and district-wise achievements during these years are given below.

Name of District.	Targets for villages and pumpsets/tube-wells in Bihar during 1970-72.		Achievements during 19 0-72.	
	Villages.	Pumpsets/ Tubewells.	Villages	Pumpsets/ Tubewells.
1.	2.	3.	4.	5
1. Patna	350	5,400	71	5,978
2. Gaya	350	5,400	229	3,649
3. Shahabad	300	4,800	242	2,175
4. Saran	160	1,400	71	335
5. Champaran	90	900	74	381
6. Muzaffarpur	450	2,600	128	1.302

7.	Darbhanga	200	1,700	94	593
8.	Monghyr	350	2,750	125	1,611
9.	Bhagalpur	200	1,400	43	223
10.	Saharsa	80	950	19	21
11.	Purnea	120	1,250	23	156
12.	Santhal Parganas	50	450	4	41
13.	Palamau	80	325	51	91
14.	Hazaribagh	150	275	7	38
15.	Ranchi	30	160	4	61
16.	Dhanabad	20	135	4	9
17.	Singhbhum	20	105	3	1
	Total	3,000	3 ,000	1,192	16,670

(c) Targets could not be achieved mainly due to non-availability of materials and equipment, constraint on financial resources and absence of transmission and distribution net-works in rural areas. There were also a State-wide strike by the employees of Bihar State Electricity Board in January/February, 1971.

Increase in quota of Railway Booking in Parliament House

245. **Shri Ishwar Chaudhary :**
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to double the quota of Railway Booking Office in Parliament House in view of the difficulties caused under the present arrangement;

(b) if so, by what time; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Ministry of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) to (c) : The demand for reservation from the Parliament House Booking Office is generally within the quota allotted. Hence there is no justification for enhancing the quota allotted to this Booking Office.

समुद्री कटाव सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिए केरल को भेजा गया अध्ययन दल

246. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने समुद्री कटाव की समस्या और समुद्री कटाव को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दीर्घकालीन परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव के अध्ययन के लिए जुलाई, 1972 में एक अध्ययन दल केरल भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन दल के क्या निष्कर्ष हैं तथा केन्द्र ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के दौरान केरल में प्राथमिक प्राप्त समुद्र-कटाव-रोधी उपायों के लिए धन की अतिरिक्त आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय दल गठित किया गया

था। दल ने जुलाई, 1972 में केरल का दौरा किया। दल के मूल्यांकन के आधार पर, यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्य सरकार को 1972-73 और 1973-74 वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष में 4 करोड़ रुपये के परिव्यय से कुछ अनुमोदित प्राथमिकतापूर्ण स्कीमें हाथ में लेनी चाहिए। इस परिव्यय में से 1972-73 में 1 3 करोड़ रुपये और 1973-74 में 1·5 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस कार्य के लिए राज्य की वार्षिक योजना-परिव्ययों में से की जानी चाहिए। उपर्युक्त राज्य वार्षिक योजना परिव्ययों से अधिक किया गया व्यय, वास्तविक व्यय की प्रगति को देखते हुए, केन्द्रीय सहायता द्वारा पूरा किया जाएगा। परन्तु प्रत्येक वर्ष में कुल परिव्यय 4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

पोटास पूरक उर्वरकों का आयात

247. **श्री माधुर्य्य हाल्दर** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पोटास पूरक उर्वरकों के आयात के बारे में फरवरी और जुलाई, 1972 के बीच प्रकाशित 'मेनस्ट्रीम' में छपे समाचार का पता है ; और

(ख) क्या सरकार ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा पोटास-पूरक उर्वकों का आयात अपने हाथ में लिये जाने की संभावनाओं पर विचार किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) पोटास-पूरक उर्वरकों का आयात पहले ही खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत मार्गीकृत है।

राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा प्रेस सम्मेलनों का आयोजन

248. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम अपनी उपलब्धियों की घोषणा करने के लिये प्रायः नई दिल्ली में प्रेस सम्मेलन आयोजित करते रहते हैं; और

(ख) क्या ये उपक्रम भारत सरकार से प्रत्यय-पत्र प्राप्त प्रेस संवाददाताओं में से ऐसे संवाददाताओं को, जो उनके आलोचक हैं; ऐसे सम्मेलनों से दूर रखने का प्रयास करते हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। किन्तु बार-बार नहीं।

(ख) जी नहीं। भारत सरकार ने प्रत्यय पत्र प्राप्त प्रेस संवाददाताओं को सदैव ऐसे सम्मेलनों में आमँत्रित किया जाता है।

कुतुब रोड, नई दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के क्वार्टरों में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक आवास

249. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में राम नगर के सामने कुतुब रोड पर बने हुए

उत्तर रेलवे के क्वार्टरों में प्रति वर्ष पानी भर जाता है तथा इस वर्ष भी उनमें पानी भर गया है,

(ख) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके अनुसार पहाड़गंज, नई दिल्ली में नये बनाये जा रहे क्वार्टरों में उनको वैकल्पिक आवास प्रदान किया जा सकें, और

(ग) यदि हां, तो उन्हें वैकल्पिक आवास कब प्रदान किया जायेगा; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) अप्रैल, 1973

सफदरजँग हवाई अड्डे के समीप रेलवे उपरि पुल का निर्माण

250. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग हवाई अड्डे (नई दिल्ली के समीप रेलवे उपरि पुल का निर्माण कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है; और

(ख) यह पुल संभवतः कब तक पूरा हो जायेगा तथा यातायात के लिये खुल जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे द्वारा बनाया जाने वाला पुल खास संभवतः जून, 73 तक बनकर तयार हो जायेगा । उसके पश्चात् यह पुल सड़क यातायात के लिए उसी समय खोला जायेगा जब नई दिल्ली नगर पालिका समिति द्वारा पहुंच मार्गों से सम्बन्धित काम पूरा कर लिया जायेगा ।

सफदरजंग रेलवे उपरि पुल (नई दिल्ली) का डिजाइन

251, **श्री अमर नाथ चावला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जून, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइमस' में ओवरब्रिज डिजाइन अगली (उपरि पुल का भद्दा डिजाइन) शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : छपा समाचार ऊपरी सड़क पुल के पहुंच मार्गों के डिजाइन के सम्बन्ध में है । निर्माण कार्य का यह अंश नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा कराया जा रहा है जबकि पुल वाला भाग रेलवे द्वारा बनवाया जाना है ।

निर्माण, आवास और सम्मरण मंत्रालय ने सूचित किया है कि यह निर्माण कार्य चालू रखने का विनिश्चय करने से पहले सभी सम्बन्धित लोगों की राय को ध्यान में रखा गया था ।

ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनरों को पारितोषिक देने के लिए प्रोत्साहन योजना

252. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या रेल मंत्रालय ने कोई ऐसी प्रोत्साहन योजना बनाई है जिसके अनुसार भिन्न-

भिन्न क्षेत्रीय रेलवे में अधिक शुल्क (एक्सेस चार्ज) की अधिकतम राशि वसूल करने तथा बिना बुक किये हुए सामान का सबसे अधिक पता लगाने वाले ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनरों को पारितोषिक दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रोत्साहन योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत इस बीच कितने टिकट एग्जामिनरों को पुरस्कृत किया गया है तथा दोषी यात्रियों से जुर्माने की कितनी राशि वसूल की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) 1971–72 के दौरान 1, 180 चल-टिकट परीक्षकों को नकद पुरस्कार दिये गये और 1, 228 को प्रशंसा-प्रमाण पत्र दिये गये । दोषी यात्रियों से 1971-72 में दण्ड स्वस्थ 1, 43, 39, 721 रुपये वसूल किये गये ।

विवरण

प्रोत्साहन योजना 1961 में लागू की गयी थी । 1968 में निम्नलिखत व्यवस्थाओं के साथ उसका विस्तार किया गया :

(1) उन टिकट परीक्षकों को पुरस्कार जो संपूर्ण रेलवे पर अधिकतम संख्या में अतिरिक्त प्रभार वसूल करते हैं तथा बिना बुक किये गये सामान के मामले पकड़ते हैं ।

(2) चल टिकट परीक्षकों के उस दस्ते को पुरस्कार, जो बारातों और किसान स्पेशल आदि से 500 रुपये अथवा इससे अधिक अतिरिक्त रकम वसूल कराये ।

(3) उस चल-टिकट को पुरस्कार, जिसकी आय अतिरिक्त प्रभार के कारण अपनी टोली के अन्य टिकट परीक्षकों की औसत आय की तुलना में दुगनी से अधिक हो ।

(4) 100 रुपये से अधिक रकम के लिए अतिरिक्त किराया टिकट जारी करने वाले चल टिकट परीक्षकों को प्रशंसा प्रमाण पत्र ।

इसके अलावा, रेलों पर विभागाध्यक्षों को यह अधिकार दिया गया है कि वे कुशल कार्य के लिये नकद पुरस्कार दे सकते हैं ।

रेलों में चोरी की समस्या को निपटाने के लिए विद्यमान कानून में संशोधन

253. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में चोरी की समस्या से प्रभावशाली ढंग से निपटाने के लिए विद्यमान कानून में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान कब तक पेश किया जायेगा और प्रस्तावित संशोधनों का स्वरूप क्या है ।

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : रेलवे सुरक्षा दल रेलों पर चोरी और

उठाईगीरी की समस्याओं से प्रभावकारी ढंग से निपट सकें, इस उद्देश्य से, रेलों पर सुरक्षा और पुलिस सम्बन्धी उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों, वर्तमान रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम, रेलवे सुरक्षा (विधि विरुद्ध कला) अधिनियम और भारतीय रेल अधिनियम में कतिपय संशोधन गृह मंत्रालय के परामर्श से इस समय विचाराधीन हैं ।

पोलैंड में भारतीय इंजीनियरिंग तथा उपभोक्ता वस्तुओं की नई मण्डी

254. **श्री पुरषोतम काकोडकर** :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अपनी इंजीनियरिंग तथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए पोलैंड में नई मण्डी मिली है; और

(ख) क्या इस बारे में पोलैंड के अनेक व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भारत का दौरा किया है, और यदि हां, तो उनके दौरों के क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हां ।

इन दौरों के परिणामस्वरूप भारत से निम्नलिखत इंजीनियरी माल तथा उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यातों में वृद्धि होने की आशा है :

पोर्जिग, दस्ती औजार तथा अपघर्षक, पाइप फिटिंग, औद्योगिक वाल्व, घरेलू उपस्कर, विभिन्न हल्का इंजीनियरी माल, बैटरियां, भवन निर्माण के लिए लोहे का सामान, विभिन्न किस्मों के वस्त्र, चमड़े के हैंड बैग डिब्बा बंद फलों का रस तथा खेल कूद का सामान ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ वाणिज्यिक करार

255. **श्री पुरुषोतम काकोडकर** :
श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ वाणिज्यिक करार को अन्तिम रूप देने का प्रयत्न कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सदस्य देशों की अनुकूल प्रतिक्रिया न होने के कारण क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या ब्रिटेन ने इस संबंध में विभिन्न प्रश्नों पर सरकारी स्तर पर बातचीत करने का प्रस्ताव किया है और तत्परता दिखाई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच वाणिज्यिक करार के लिए हमारा जो प्रस्ताव है उसके बारे में हमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सभी सदस्य राज्यों का समर्थन प्राप्त होने की आशा है ।

(ग) जी हां ।

गोम्रा में विद्युत संकट

256. **श्री पुरुषोतम काकोडकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोम्रा में विद्युत संकट है;

(ख) क्या, मैसूर और महाराष्ट्र सरकारों की ओर से गोम्रा की विद्युत सम्भरण के बारे में कोई पक्का विश्वास न दिये जाने के कारण गोम्रा में यह गम्भीर समस्या पैदा हुई हैं;

(ग) क्या इस संघ राज्य क्षेत्र में इस समस्या को हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

सैनिक उपकरण (सोफ्टवियर) के लिये निर्यात आदेश

257. **श्री पुरुषोतम काकोडकर :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगमं का विचार वर्ष 1972–73 में अफ्रीकी तथा पश्चिम एशियाई देशों को तम्बू, बूट, वर्दी तथा हैल्मेट जैसे सैनिक उपकरण (सोफ्ट वियर) निर्यात करने का है ;

(ख) उसके लिये किन-किन देशों से निर्यात आदेश मिल गये हैं ; और

(ग) कुल कितनी कीमत के निर्यात आदेश मिले हैं तथा उन्हें कब पूरा किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां,

(ख) नाइजीरिया, लेबनान, जोरडन तथा सउदी अरब ।

(ग) निर्यात आदेशों का कुल मूल्य 27 लाख रुपये है और इनके अक्तूबर 1972 के अन्त तक निष्पादित किये जाने की संभावना है ।

जूट के उत्पादन में कमी

258. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में भारी सूखा पड़ने से जूट के उत्पादन में 15 लाख गांठों की कमी होने की आशंका है ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकार को मिलों के लिए कच्चे जूट की सप्लाई करने का कोई आश्वासन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1972–73 मौसम की फसल की संभावनाओं के स्पष्ट होने के पश्चात् ही कमी की सीमा का अनुमान लगाया जा सकता है।

(ख) राज्य सरकार ने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मांगा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Appointment of an Enquiry Commission to go into the Irregularities Committed in Patratu and Barauni Thermal Plants

259. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(1) whether any Inquiry Committee was appointed to go into the irregularities committed in Patratu and Barauni Thermal Power Plants;

(b) if so, the findings of the Committee and the reactions of Government of India thereto;

(c) whether the Central Government have consulted the Government of Bihar in this regard; and

(d) if so, the outcome of the consultation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : **(a) & (b)** : An Enquiry Committee was set up by the Government of Bihar in August 1971. The report of this Committee was received in June 1972 and is under study by that Government.

(c) & (d) : No, Sir. This does not arise in view of Bihar Government having set up the Committee.

Modernisation of Indian Railways

260. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have entered into an agreement with the World Bank for a loan for the modernisation of the Indian Railways, and if so, the salient features thereof;

(b) whether under a condition laid down in the agreement, the loans would be utilised for purchasing goods from certain specified countries and the Government will not be able to purchase goods from socialist countries; and

(c) if so, the reasons why Government entered into such an agreement ?

The Minister for Railways (Shri T. A. Pai) : (a) An agreement has been entered into with the International Development Association (IDA), an affiliate of the World Bank for a Credit of 75 million US Dollars. The Credit is repayable over a period of 50 years with a moratorium for the first 10 years. There is no Interest as such on the Credit but a service charge of $\frac{3}{4}$ per cent per annum is charged. The Credit will finance, for a period of 3 years from September 1, 1971, the foreign exchange cost of import of the following :—

(1) Components for production of diesel locomotives, electric locomotives and electric multiple unit coaches.

(2) Spares for diesel locomotives, electric locomotives, and electric multiple units;

(3) Wheelsets, wheels and tyres and axles for maintenance and production require-

ments of the Railways.

(4) Steel for maintenance and production requirements.

(5) Non-ferrous metals for maintenance of rolling stock and for Railway electrification projects.

(6) Equipment for electrification schemes and signalling and telecommunication schemes.

(b) Funds for the IDA are contributed by the member countries of the IDA and mostly by the 18 developed countries among the members. Hence, under the terms of the Agreement for these credits. Procurement of goods is restricted to member countries and Switzerland which though not a member, lends money to the World Bank. While purchases from non-member countries cannot be financed from the Credit, there is no restriction whatever on purchases from socialist countries who are members of the IDA, such as Yugoslavia, Sweden, Burma.

(c) As per the policy guidelines laid down by the International Development Association for procurement of goods etc , global tenders have to be invited and only the lowest technically acceptable offer from the member country accepted. As such, purchases are generally much more economical than those under single country credits where the procurement is restricted to a particular country. The terms of the IDA Credit are also very favourable, in that repayment of the principal is spread over 50 years and only a service fee of $\frac{3}{4}$% per annum is charged. All developing countries who are members of IDA are keen to get as much IDA Credit as possible.

Difficulties of Weavers of Uttar Pradesh

261. **Shri K. M. Madhukar** : will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had given an assurance in Lok Sabha to solve the difficulties faced by weavers of Uttar Pradesh in regard to the supply of yarn at cheap rates, grant of loans from Banks and marketing of their produce; and

(b) if so, the extent to which the said assurance has been fulfilled and the extent to which the difficulties of weavers of Uttar Pradesh have been resolved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b) : While dealing with the various points raised by Hon. Members about the difficulties faced by the weavers of Uttar Pradesh, in regard to supply of yarn at cheap rates, grant of loans from banks and marketing of their produce, in the Debate on the Demands for Grants for 1972-73 of the Ministry of Foreign Trade on 1 .5.7 . in the Lok Sabha, the Minister of Foreign Trade had assured that the Government were keen to improve the plight of handloom weavers in U.P. and would try to see what could be done to meet their problems. These problems were considered in consultation with the Government of U.P. In order to meet the requirement of yarn of the weavers in U.P., a release of 9,000 bales of staple fibre yarn was made on an **ad-hoc** basis in April, 1972. Regular monthly supply of yarn at the rates charged by the South India Mill Owners' Association, have been arranged. The SIMA have also agreed to reserve 33 1/3% of the production of their constituent mills of cotton yarns of 60s and above counts for allotment to actual users including Co-operatives and Associations of the weavers at the rates to be regulated by the Textile Commissioner, and to make this supply at the ex-mill rates prevailing during the month of May, 1972.

The Government of Uttar Pradesh have since agreed to set up a Handloom Corporation in the State to deal with the problems relating to the supply of raw material, days and chemicals, marketing, provision of institutional finance and availability of processing facilities in the decentralised sector in the State.

It has also been proposed to set up another Weavers' Service Centre in the State to render the required guidance and assistance to the handloom weavers in the State.

दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय को न्यायपीठ खोलना

262 **श्री एम० कतामुतु** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में किसी सुविधाजनक स्थान पर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ खोलने के बारे में मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल को विद्युत् की सप्लाई बन्द करने का प्रस्ताव

263. **श्री रतन लाल ब्राह्मण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम का विचार कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल को विद्युत् की सप्लाई रोक देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी नहीं। कलकत्ता अथवा पश्चिम बंगाल के अन्य भागों को बिजली की सप्लाई बन्द करने के लिए दामोदर घाटी निगम का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Posting of Conductors in trains on Ajmer—Ratlam Section of Ratlam Division (Western Railway)

264. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Conductors have been provided in First class coaches in Express and Mail trains running on metre-gauge lines as on Broad-gauge lines; and

(b) if so, the reasons for not introducing this arrangement on the Ajmer-Ratlam Section of Ratlam Division of Western Railway ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) On Broad and Metre gauge Conductors have been provided on certain important long distance Mail and Express trains.

(b) Provision of Conductors on trains on Ajmer-Ratlam Section has not been found justified,

Conductors in Ratlam And Kota Divisions (Western Railway)

265. Laxminarain Pandey : will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether dispute regarding conductors posts in Ratlam and Kota Divisions is under consideration;

(b) Whether promotions of about 30 Conductors in Ratlam Division (Western Railway has been withheld on this account; and.

(c) if so, the present position of the case and the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) & (c) : Orders regardfng distribution of posts of Conductors among various Divisions have been challenged by some staff in a Court of Law and the Court has issued an interim injuction. The arrangements in force earlier are being continued pending vacation of the injunction.

Narmada Water Dispute

266. **Dr. Laxminarain Pandey :**
Dr. Prabhudas Patel :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a meeting of the Officials of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat was held in June last to consider Narmada Water Dispute; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b) : A meeting of the officials of Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh was held on 20th and 21st June, 1972.

Later the Minister of Irrigation and Power had discussions with the Chief Ministers/ Ministers of Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan from 18th to 22 & July, 1972 The Chief Ministers pointed out that, though Narmada is one of the best rivers of the country with a great potential, it has not been developed so far and requested the Government of India to give priority to its dévelopment in this decade. The Chief Ministers felt that development of Narmada should no longer be delayed in the best regional and national interests and therefore agreed to the settlement of disputes connected with this river by mutual agreement and with the assistance of the Prime Minister.

The quantity of water in Narmada available for 75 per cent of the years is assessed at about 28 million acre feet. The requirements of Maharashtra and Rajasthan for use in their territories are 0.25 and 0.5 million acre feet respectively; these are without prejudice to the level of the Canal.

The Chief Ministers requested the Prime Minister to allocate the balance of water of 27.25 million acre feet between Madhya Pradesh and Gujarat taking into account the various relevant features in both the States. The Chief Ministers also requested the Prime Minister to fix a suitable height for the Navgam dam after going into the various view points.

The Chief Ministers agreed the meet thereafter and finalise the arrangements for power generation and its distribution They hoped that the development of Narmada would be inaugurated by laying foundation stone for one or more of the major projects on the river in the auspicious month of August, 1972.

भारतीय रुई निगम द्वारा रुई की खरीद और आयातित रुई का उपयोग

267. **श्री बसन्त साठे** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह यह बताने कि कृपा करेंगे की :

(क) वर्ष 1972 में भारतीय रुई निगम ने कुल कितनी रुई खरीदी है और उसकी लागत कितनी थी ;

(ख) वर्ष 1972 में कुल कितनी रुई का आयात किया गया है और उसकी लागत कितनी है ; और

(ग) निर्यातित कपड़े और धागे में कितनी आयातित रुई का उपयोग किया गया।

व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) रुई निगम ने अब तक 55.80 करोड़ रुपये के मूल्य की घरेलू रुई की 507,345 गांठे खरीदी हैं।

(ख) अब तक लगभग 57.24 करोड़ रुपये की विदेशी रुई की 3, 70, 714 गांठें आयात की गई हैं।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

यूनियन कार्बाइड द्वारा समुद्री उत्पादनों का कथित निर्यात

268. **श्री राम कंवर** :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जून, 1972 के इकानामिक्स टाइम्स में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि यूनियन काबाइड भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका की विभिन्न मंडियों में मछलियां और अन्य समुद्री उत्पाद निर्यात कर रहा है ;

(ख) क्या यूनियन कार्बाइड की इस पहल से देश के परम्परागत मत्स्य-उदयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेशी व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूगोस्लाविया के साथ विशेष व्यापार करार

*269. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया ने भारत के साथ एक विशेष व्यापार करार किया है, जिसके अनुसार यूगोस्लाविया वे वस्तुएं अन्य देशों से खरीद सकता है जिनका व्यापार करार में उल्लेख नहीं है ; और

(ख) इसके परिणाम स्वरूप भारत को किस प्रकार और कितना लाभ होने की संभावना है।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। तथापि इस संबंध में पारस्परिक समझौता है कि दोनों देशों द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में उन वस्तुओं की खरीद के लिए स्वीकृति दी जा सकती है जो वार्षिक व्यापार संलेख से अधिक हों और जिनका उल्लेख इसमें नहीं हो।

(ख) क्योंकि 31. 12. 1972 तक सामान्य व्यापार अधिकांशतः रुपये में है अतः कोई भारी लाभ की आशा नहीं है ।

इस्पात कारखानों में रेल वैगनों को अधिक समय तक रोके रखना

270. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**

श्री निहार लास्कर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1972 से इस्पात कारखानों में रेल–वैगन अधिक समय तक रोके जाते रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां । अप्रैल, 1972 से इस्पात कारखानों में माल डिब्बों के रुके रहने में आम तौर पर वृद्धि हुई है ।

(ख) इस वृद्धि के कारणों की जानकारी इस मंत्रालय को नहीं है ।

(ग) इस मामले में क्षेत्रीय रेलों द्वारा अलग-अलग इस्पात कारखानों से और इस मंत्रालय से भी बातचीत की गयी है । उन्होंने आश्वासन दिया है कि माल डिब्बों, विशेष कर बी ओ एक्स टाइप के माल डिब्बों, के रुके रहने में कमी लाने के लिए सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं ।

भारत–पेर व्यापार समझौता

271. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री ई० वी० विरवे पाटिल :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पेरू व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेशी व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) व्यापार करार की एक प्रति संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3209/72**]

समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए प्राधीकरण

272. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :**
श्री एन. श्रीकांतन नायर :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है, यदि नहीं, तो इस समय यह किस स्थिति में है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 11 से 18 (दोनों सहित) के सिवाय अन्य उपबन्धों को 12 जुलाई, 1972 से लागू करने के लिये भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 1. जुलाई, 1972 में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्राधीकरण के गठन से संबंधित आवश्यक अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जा रही है।

केरल से सिंचाई परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त आवंटन करने का अनुरोध

237. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** :

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से राज्य में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय आवंटन करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : केरल में सिंचाई कार्यक्रम के लिए 1972-73 में किसी विशेष केन्द्रीय सहायता के लिये अभी तक राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

सड़क यातायात अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत रेलवे और राज्यों के बीच अंशदान

274 **श्री इब्राहीम सुलेमान सैट** ;

श्री एन० श्री कान्तन नायर :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क यातायात निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत राज्यों तथा रेलवे के मध्य सहमत अंशदान की प्रतिशतता का अनुपात क्या है ;

(ख) क्या केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को रेलवे के अंशदान की बकाया राशि का भुगतान किया जाना स्वीकार कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों में सड़क परिवहन निगमों के लिए अधिक अनुपात स्वीकार किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन स्थापित निगमों के लिए पूँजी का अंशदान राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार (रेलों) द्वारा अनुपात में किया जायेगा जिसपर दोनों सरकार सहमत हों। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत 31. 3. 1969 तक के निवेश के सम्बन्ध में राज्यों और रेलों के बीच हिस्सा अंशदान का सहमत अनुपात 20 प्रतिशत से 33 प्रतिशत के बीच भिन्न भिन्न है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

निगम का नाम	राज्य सरकार के अंशदान की दर प्रतिशत	रेलवे के अंशदान की दर प्रतिशत
(1) आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम	75	25

(2) बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम 75 25

निगम का नाम	राज्य सरकार के अंशदान की दर प्रतिशत	रेलवे के अंशदान की दर। प्रतिशत
(3) गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम	$66\frac{2}{3}$	$33\frac{1}{3}$
(4) केरल राज्य सड़क परिवहन निगम	75	25
(5) महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	$66\frac{2}{3}$	$33\frac{1}{3}$
(6) मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	75	25
(7) मंडी कुल्लु सड़क परिवहन निगम	80	20
(8) उत्तर बंगाल राज्य सड़क परिवहन निगम	$66\frac{2}{3}$	$33\frac{1}{3}$
(9) पेप्सू सड़क परिवहन निगम	80	20
(10) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	73	27
(11) मैसूर राज्य सड़क परिवहन निगम	75	25

लेकिन 1.4.1969 से किए गये निवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और रेलों के बीच सहमत अंशदान का अनुपात समान रूप से संशोधित करके 2:1 कर दिया गया है।

(ख) रेलों और राज्य सड़क परिवहन निगम के बीच वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत निगम को कोई रकम देय नहीं है।

(ग) जी हां, 1.4.1969 से पूर्व किए गये निवेश के सम्बन्ध में। जैसा कि इस प्रश्न के उत्तर के भाग (क) में कहा गया है, अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार मामलों में विभिन्न अनुपात होना वर्जित हो।

देश में नई ग्राम विद्युतीकरण परियोजनायें

275. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में केन्द्र द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम को देश में कुछ नई ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए कोई धन राशि मंजूर की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : ग्राम विद्युतीकरण निगम जुलाई, 1969 में केन्द्रीय क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के साथ स्थापित किया गया था। इस निगम द्वारा पायलेट ग्राम विद्युत सहकारिताओं और राज्य विद्युत बोर्डों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए दीर्घकालीन ऋणों के रूप में योगात्मक धन दिया जाता है। अब तक, निगम ने 5 पायलेट ग्राम विद्युत सहकारिताओं समेत राज्य विद्युत बोर्डों की 247 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को स्वीकृत किया है, जिसमें 151.02 करोड़ रुपये की ऋण

सहायता दी गयी तथा जिनसे 23, 243 के विद्युतीकरण, 3, 31, 640 सिंचाई पम्प सेटों को ऊर्जन तथा 51,032 छोटे तथा कृषि उद्योगों को विद्युत सप्लाई करने की परिकल्पना की गई है। इसकी स्थापना से 1971-72 तक भारत सरकार निगम को 22 करोड़ रुपये (10 करोड़ ऋण के रूप में तथा 12 करोड़ रुपये इक्विटी पूंजी के रूप में) स्वीकृत कर चुकी है। पहले से विद्युतीकृत गांवों से लगी हरिजनों की बस्तियों केविद्युतीकरण के लिए, दिसम्बर, 1971 से एक स्कीम चालू की जा चुकी है। इस स्कीम के लिए भारत सरकार ग्राम विद्युतीकरण निगम को अब तक एक करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत कर चुकी है। इस स्कीम के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को रियायती शर्तों पर ऋण सहायता उपलब्ध की जा रही है। इस ऋण पर 4¾ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जाता है तथा यह ऋण 15 वर्षों में लौटाना होता है।

कच्चे पटसन के लिए सांविधिक समर्थन मूल्य

276. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जून, 1972 में कच्चे पटसन के लिए कोई न्यूनतम सांविधिक समर्थन मूल्य घोषित किया ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता में आसाम बॉटम की न्यूनतम कानूनी कीमत 115 रुपये प्रति क्विंटल होगी। कलकत्ता में न्यूनतम कीमतों तथा देहाती कीमतों में अन्तर पटसन उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जायेगा, लेकिन ये 15 रुपये प्रति क्विंटल के भीतर ही होगा। कीमतों का पुनर्विलोकन 2 मास पश्चात किया जायेगा।

कलकत्ता ट्यूब रेल परियोजना पर वार्षिक व्यय

277. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **रेल** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में 1973 से कलकत्ता ट्यूब रेल परियोजना पर अनुमानित वार्षिक व्यय कितना आयेगा ;

(ख) क्या उक्त परियोजना के लिए नई नियुक्तियां की जायेंगी अथवा संपूर्ण परियोजना वर्तमान अधिकारियों द्वारा संचालित की जायेगी ; और

(ग) उक्त परियोजना के लिए अनुमानतः कितनी नई नियुक्तियां की जायेंगी।

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) कलकत्ता ट्यूब रेल परियोजना के वार्षिक खर्च का अनुमान इस प्रकार है :—

वर्ष	खर्च करोड़ रुपये
1972–73	4

73–74	12
74–75	17
75–76	22
76–77	27
77–78	34
78–79	19·5
79–80	4
80–81	0 8
जोड़	140·3

(ख) इस परियोजना के लिए, संगठन के वर्तमान कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। इन पदों को अधिकतर रेलों से कर्मचारी लेकर भरा जायेगा और रेलों पर परिणामी रिक्तियों को नयी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(ग) इस परियोजना में सभी कोटियों के कुल लगभग 10,000 कर्मचारियों के नियोजन की संभावना है।

लन्दन में व्यापार केन्द्र

278. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में जानकारी देने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा कोई व्यापार केन्द्र लन्दन में स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां तो उस केन्द्र के कार्यकरण की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उस व्यापार केन्द्र का यहां पर स्थित भारतीय उच्च आयोग से कोई संबंध है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Laying of Railway Line in Kashmir Valley

279. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme for laying Railway line in Kashmir Valley; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) Preliminary Engineering-cum-Traffic Survey for construction of an electrified MG rail line between Baramula and Qazigund via Srinagar at the cost of the State Government, is in progress. Request of the State Government to carry out the survey for a BG line instead of MG, is at present under consideration of the Government.

पश्चिम कोसी नहर परियोजना के संबध में हुई प्रगति

280. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम कोसी नहर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने तथा इस परियोजना की नेपाली और भारतीय दोनों क्षेत्रों में क्रियान्विति प्रारंभ करने के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था की गई है ; यदि हां तो कितनी राशि की व्यवस्था की गयी है तथा उसकी मोटी रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) नेपाल सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक आदेश प्रेषित किए जा चुके हैं और अब नेपाल में भूमि-मापन प्रगति पर है। बिहार सरकार द्वारा नेपाली क्षेत्र में नहर के प्रथम दो मीलों पर कार्य पहले शुरू किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए निविदाएं मंगाई गई हैं और अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त किया चुका है। इसके पश्चात नेपाल के पूरे क्षेत्र में मुख्य नहर के शेष भाग, वितरणियों आदि पर कार्य शुरू किया जाएगा। नेपाली क्षेत्र में कार्य की अच्छी प्रगति प्राप्त करने के बाद भारतीय-क्षेत्र में कार्य शुरू किया जाएगा।

(ख) पश्चिमी कोसी नहर पर लगभग 37 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। नेपाली क्षेत्र में कार्य की लागत लगभग 7·46 करोड़ रुपये है और भारत सरकार बिहार सरकार को विशेष सहायता देने पर सहमत हो गई है ताकि नेपाल-क्षेत्र में कार्य तीन वर्षों में पूरा किया जा सके।

झंझपुर से लोकाहा, सकारी से रोसेरा तक रेलवे लाइन बिछाना तथा समस्तीपुर से रक्सौल-बरास्ता-दरभंगा के लिए बड़ी लाइन का विस्तार

281. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झंझरपुर से लोकाहा और सकारी से रोसेरा तक नई रेलवे लाइनें बिछाने के कार्य का सर्वेक्षण तथा उत्तर-पूर्व रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में समस्तीपुर से रक्सोल-बरास्ता-दरभंगा तक बड़ी लाइनों के विस्तार का कार्य पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकलें हैं तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : **(क) और (ख)** : निम्नलिखित सर्वेक्षण पूरे कर लिये गये हैं :—

(i) झंझारपुर-लउकहाबाजार मीटर लाइन के लिए व्यावहारिकता अध्ययन एवम् यातायात अनुमान (लम्बाई 42·55 कि० मी०-अनुमानित लागत 1·93 करोड़ रुपये)। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार यह लाइन अलाभप्रद है। फिर भी, रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

(ii) दरभंगा के रास्ते समस्तीपुर-रूक्सौल मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के

लिए इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण (लम्बाई 187 कि० मी० लागत 18.54 करोड़ रुपये)। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि यह अलाभप्रद है। फिर भी, रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

सकरी-रोसेरा लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है फिर भी हसनपुर से (जो रोसेरा घाट के पास है) सकरी तक एक लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण का काम शुरू किया जा रहा है।

बिहार में कटिहार में तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

282. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार विधान मण्डल द्वारा सर्व सम्मत्ति से पास किए गए उस संकल्प की जानकारी है जिसमें प्रस्तावित तापीय विद्युत परियोजना को बिहार में कटिहार में स्थापित करने की मांग की गई और इसे पश्चिम बंगाल में ढालकोला मे ले जाने का विरोध किया गया; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां। ऐसा पता लगा है कि बिहार विधान मंडल ने इस आशय का एक संकल्प पारित किया है। बहरहाल, बिहार सरकार ने इसकी प्रति भारत सरकार को नहीं भेजी है।

(ख) मामले का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

करकारिया यार्ड, अहमदाबाद के सहायक यार्ड मास्टर द्वारा पकड़े गये छुट-पुट चोरी करने वाले व्यक्ति

283. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27–28 अप्रैल, 1972 की रात को शंटिंग कर्मचारियों के साथ करकारिया यार्ड अहमदाबाद (पश्चिम रेलवे) के सहायक यार्ड मास्टर ने छुट-पुट चोरी करने वालों को पकड़ा था जो कि ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के साथ सांठगांठ करके लदान यार्ड से अनाज के थैलों की चोरी कर रहे थे ;

(ख) क्या रेलवे सुरक्षा दल के सम्बन्धित कर्मचारियों ने सहायक यार्ड मास्टर तथा शंटिंग कर्मचारियों को दो घंटे तक ताले में बन्द रखा ; और

(ग) क्या स्टेशन मास्टर को इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट की गयी थी और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं। किन्तु 27/28 अप्रैल, 1972 की रात को जब शंटिंग कर्मचारियों ने दो आदमियों का पीछा किया तो वे गेहूं की बोरियां पीछे छोड़कर

भाग गये। इस मामले में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की मिली भगत होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

(ख) जी नहीं, लेकिन रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों ने सहायक यार्ड मास्टर और शंटिंग चर्मचारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया और उन्हें रेलवे सुरक्षा दल की चौकी में ले गये।

(ख) जी हां। रेलवे सुरक्षा दल के उप निरीक्षक ने इस घटना की सूचना कंकरिया के स्टेशन मास्टर को दी थी। एक मुख्य रक्षक और दो रक्षक, जो अशिष्ट व्यवहार और अनुचित कार्यवाई के लिये उत्तरदायी थे, मुअत्तल कर दिये गये।

सिंचाई आयोग का प्रतिवेदन

284. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : भारत सरकार, सिंचाई आयोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों की जांच कर रही है। प्रथम पग के रूप में, इन सुझाओं पर 29 जून से 1 जुलाई, 1972 तक श्रीनगर में हुई राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों की बैठक में विचार किया गया था।

राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में लगे लाउडस्पीकरों से घटिया और अश्लील गानों का प्रसारण

285. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में लगे लाऊडस्पीकरों से घटिया और अश्लील गाने तथा अन्य 'पौप' संगीन प्रसारित होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री श्री टी० ए० पाई (क) और (ख) : राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में उनके अन्दर लगाये गये लाउडस्पीकरों पर भारतीय और पाश्चात्य शास्त्रीय और लोक संगीत सुनाया जाता है। इसमें पाश्चात्य गैरशास्त्रीय संगीत भी शामिल है जिसके लिए बहुत से यात्रियों द्वारा अनुरोध किया जाता है। इसके अलावा लाउडस्पीकर पर आकाशवाणी के विविध भारती कार्य-क्रम का प्रसारण भी किया जाता है। लोकप्रिय संगीत आमतौर पर आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होने वाले संगीत जैसा ही होता है।

सम्बद्ध रेल प्रशासनों को हिदायतें दी गयी हैं कि कब और कैसा प्रसारण किया जाये, इसका विनिश्चय करते समय श्रोताओ की प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

राज्यों द्वारा बिजली घरों की स्थापना

286. **श्री मुहम्द शरीफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और देश के कुछ अन्य राज्यों ने बिजली घर स्थापित करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, उनके प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय लिए गए ?

सिचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित व्यौरा संलग्न विवरण उपबंध-एक में दिया गया हैं।

विवरण

उपाबंध—1

राज्यों का नाम	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)	संयंत्र की किस्म	उस पर लिया गया फैसला
बिहार	तेनुघाट	1300	ताप	सरकार इन प्रस्तावों की जांच कर रही है।
	कोयल-कारो	722	जल विद्युत	
उत्तर प्रदेश	ओबरा	1000	ताप	
	न्यूक्लियर (अभी फैसला नहीं किया गया)		अणु	
केरल	इडिकी जल विद्युत विस्तार	390	जल विद्युत	
गोआ, आँध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात	उपयुक्त क्षमता का अणु विद्युत केन्द्र			अणु ऊर्जा आयोग द्वारा स्थापित स्थल चयन समिती ऐसे केन्द्रों के स्थलों की संभाव्यता की जांच कर रही हैं।

Irrigation Schemes for Chambal Valley

287. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of rrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate irrigation schemes for the Chambal Valley of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b) : Four medium Schemes upstream of Gandhi Sagar namely Bhaisakheri, Bedikhedi, Quazzikheda and Kishanpura with an aggregate irrigation potential of 11,C00 acres are under investigation by the Government of Madhya Pradesh. Another medium Scheme namely Barda Nalla for irrigating an area of 3000 acres in Morena district of Madhya Pradesh is under consideration by them. Large parts of the Chambal Valley in Morena and Bhind Districts of Madhya Pradesh with a potential of 7 lakhs acres are covered by Chamal canal taking off from the Kotah barrage

Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

288. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the names of the irrigation schemes of Madhya Pradesh which are under consideration of the Central Government; and

(b) the time by which the Central Government are likely to accord approval to the schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b) : The Government of Madhya Pradesh have proposed Narmadasagar, Bargi, Sukta and Bichhia tank schemes in Narmada basin. It is expected that all the water disputes of this basin will be resolved shortly when these projects can be considered for clearance.

The State Government have also proposed the Upper Wainganga and Nahlesara schemes in Godavari basin. Consideration of these would have to await the award of the Godawari Tribunal.

The Bansagar project proposed by the State has been objected to by the Governments of Uttar Pradesh and Bihar, and the project is under discussion amongst the States in order to evolve proposals likely to be acceptable to all the States.

The Rangwan Canal Project is under discussion between the Governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

The technical examination of the Sindh Project has been completed and it is expected to be included in the developmental plans of Madhya Pradesh in the near future.

The Pairi and Hasdeo Bango projects are under technical examination.

Major and Medium Irrigation Schemes in M. P.

289. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of the major and medium irrigation schemes of Madhya Pradesh which have been taken up for construction; and

(b) the present position regarding each such irrigation scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) A list of the major and medium irrigation projects under construction in Madhya Pradesh is attached.

(b) All the medium projects and most of the major projects are expected to be substantially completed by the end of the Fourth Plan.

Statementss

List of Irrigation Projects under construction in Madhya Pradesh

Major Projects :

1. Chambal States I and II.
2. Tawa Project.
3. Barna Project.
4. Hasdeo Right Bank Canal.
5. Mahanadi Reservoir.

Medium Projects :

1. Borasd Valley Dev.
2. Dudhawa.
3. Gurmanala.
4. Akhajhiri.
5. Bilanadi.
6. Bhainswar.

7. Chandrakeskar.
8. Chappi.
9. Gopalpura.
10. Jassayer.
11. Pampawati.
12. Harsi Irrigation.
13. Bagh Right Bank Canal.
14. Jamni Right Bank Canal.
15. Kanwapur.
16. Mayana.

Halting of Passenger Trains at Outer Signals at Jhansi Station

290. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether passenger trains coming from Manikpur are almost daily halted for a period of half-an-hour to one hour at outer signals at Jhasni Station;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the halting of trains results in the passengers missing the connected trains for other stations causing graet inconvenience to them; and

(d) the steps being taken to remedy the situation ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) & (b) : No. During June 1972, however, 522 Up and 5.4 Up Manikpur-Jhansi Passenger trains were detained outside singnl at Jhansi station for more than 10 minutes on 6 and 2 occasions respectively. These detentions occurred due to trains running out of path on account of alarm chain pulling enroute.

(c) Yes, no some occasions.

(d) Instructions have been issued to keep a close watch on the running of Manikpur-Jhansi Passenger trains to improve their punctuality and to ensure maintenance of connections.

Introduction of an Express Train on Jhansi-Manikpur line

291. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there are only two passenger trains between Jhansi and Manikpur on Central Railway, as a result of which passengers going beyond Manikpur upto Allahabad or Varanasi have to travel back to Kanpur for reaching their destinations as there is no express train on Jhansi-Manikpur line;

(b) whether Government propose to divert the Utkal Express from Jhansi via Manikpnr instead of via Bina to meet the problem; and

(c) whether Government also propose to divert the Assam Mail which runs from Agra to Kanpur via Tundla to Jhansi and Manikpur direct from Agra ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes. There are 2 pairs of Passenger trains running between Jhansi and Manikpur; but for the convenience of passengers going to Allahabad or Varanasi, one III class 2-tier sleeper coach is running between J ansi and Varanasi via Manikpur by 522 Up/523 Dn. Jhansi-Manikpur Passenger and 27 Dn./28 Up Dadar-Varanasi Express. No. 521 Jhansi-Manikpur Passenger also provides connection with 4 Dn. Bombay-Howrah Mail for passengers going to Allahabad.

(b) No.

(c) No. Assam Mail even at present does not touch Agra.

खेलों के सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिए योजना

292. **श्री मानसिंह भौरा** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार खेलों के सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक योजना आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : खेलों के सामान का निर्यात बढ़ाने की पहले एक ही योजना है। इसकी मुख्य विशेषतायें हैं।

(1) खेलों के सामान के निर्यात के जहाज पर मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से नकद सहायता, तथा

(2) पूँजीकृत निर्यातकों को जहाज पर मूल्य के 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक प्रति पूर्ति आयात लाइसेंस।

मेवा के व्यापार को सरकारी अधिकार में लेना

293. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेवों के व्यापार को अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे अपने अधिकार में लेने के क्या लाभ हैं;

(ग) क्या इस उद्योग के लिए सम्भवतः कोई निगम गठित किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो उसके गठन सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) मेवे के आयातों को सरकारी क्षेत्र के अभिकरण की मार्फत मार्गीकृत करने का प्रश्न अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

कानपुर में ऊपरी पुलों का निर्माण

294. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कानपुर में दो ऊपरी पुलों का निर्माण करने की योजना है;

(ख) यदि हां तो उनका निर्माण करने के लिए राज्य सरकार को कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) इन ऊपरी पुलों का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ग) : कानपुर में दो सड़क ऊपरी पुल बनाये जाने का प्रस्ताव हैं। एक सड़क ऊपरी पुल लखनऊ, झांसी सड़क पर स्थित पनकी में समपार नं०

81 ए के स्थान पर बनाया जायेगा। इस काम की मंजूरी दी जा चुकी है और पुल खास पर रेलवे के हिस्से का काम 1-6-1973 तक पूरा हो जाने की संभावना है। दूसरा पुल कानपुर में भरे समपार के स्थान पर बनाया जायेगा। यह प्रस्ताव राज्य सरकार के परामर्श से योजना तथा अनुमानों को अन्तिम रूप दिये जाने के प्रारम्भिक चरण में है और अभी इस की मंजू ी दी जानी है।

(ख) इन दो सड़क ऊपरी पुलों के लिये राज्य सरकार के हिस्से की लागत अनुमानत: 50-75 लाख रुपये होगी। इन कामों को करने के लिये राज्य सरकार सहायता की मांग कर सकती है और उसे रेलवे संरक्षा कार्य निधि से रकम की प्रतिपूर्ति की जा सकती है बशर्तें जिस समय सहायता माँगी जाये उस समय रेलवे संरक्षा कार्य निधि में राज्य सरकार के लिए ऋण की रकम उपलब्ध हो।

उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी

29्. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उत्तर प्रदेश में विद्युत के अभाव को दूर करने के लिए और क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित पग उठाय गये हैं :

(1) अनुसूची के अनुसार ओबरा ताप और यमुना-दो (चिबरो) जैसी निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पग उठाये गये हैं।

(2) उत्तर प्रदेश को राजस्थान से लगभग 50 मैगावाट विद्युत लेने को संभव बनाने के लिए मथुरा भरतपुर 132 के० वी० अन्तर्राज्यीय परिषद पथ के निर्माण में थेजी लाई जा रही है।

(३) 200-200 मैगावाट के 2 विद्युत जनन यूनिटों के आयात का एक प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है ताकि देशीय क्षमता से प्राप्त किए जाने की तुलना में इस क्षमता का प्रचालन शीघ्र किया जा सके।

(4) बदरपुर से विद्युत के लिए जाने को संभव बनाने के लिए दिल्ली-मुरादानगर 220 के० वी० सम्पर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है।

बिड़ला बंधुओं के एल्युमीनियम निगम तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य करार को समाप्त करने की अनुमति

296. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बिड़ला बन्धुओं के एल्यूमीनियम निगम तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य हुए करार की अनुमति केन्द्र से मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : जी,

नहीं। चूँकि हिन्दुस्तान एल्युमीनियम निगम लि० को विद्युत की सप्लाई निगम द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हुए करार की शर्तों के अनुसार दी जानी है, राज्य सरकार को केन्द्र से इसे समाप्त करने की अनुमति लेने का प्रश्न नहीं उठता।

बोनस अधिनियम में संशोधन

297. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री कृष्ण चन्द्र पाँडे :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठनों ने रेल कर्मचारियों को बोनस की अदायगी का पात्र बनाने के लिये बोनस अधिनियम में संशोधन करने की माँग की है;

(ख) क्या इस मामले पर श्रम मन्त्रालय से विचार-विमर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम निकले हैं ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क के लिये विदेशों में नई मण्डियों की खोज

298. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खनिज तथा धातु व्यापार निगभ के माध्यम से हमारे बढ़िया लौह अयस्क के व्यापार के लिए नई विदेशी मंडियों की खोज करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

बिदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : लौह अयस्क के निर्यात के लिए नई मंडियों की खोज का निरन्तर प्रयास किया जाता है। दक्षिण कोरिया गणराज्य तथा तायवान की नई खोजी गई मंडियों में लगभग 24 मे० टन की कुल मात्रा की सप्लाई के लिए हाल में दीर्घकालीन करार किये गये हैं ?

फरक्का बांध परियोजना पर किया गया व्यय

299. **श्री ज्योतिर्मय बसु** ; क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध परियोजना, पश्चिम बंगाल पर आज तक कुल कितना व्यय किया गया ;

(ख) क्या उनका ध्यान फरक्का बाँध परियोजना के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल में परिचालित श्वेत पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें संबंधित प्राधिकारियों से कलकत्ता पत्तन को बचाने हेतु अविलम्ब उपाय करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त श्वेत पत्र का पूर्ण पाठ क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार के क्या विचार हैं ?;

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जून, 1972 के अन्त तक फरक्का बराज परियोजना पर 114 10 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का पुनरीक्षण

300. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री बी० के० दास चौधरी

क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे पटसन के उत्पादन मूल्य के बारे में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त अनुमान किस तरीके से लगाया गया ;

(ग) क्या उनका ध्यान सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 115 रुपये निर्धारित किये जाने के निर्णय के विरुद्ध पश्चिम बंगाल में पाये जाने वाले व्यापक असन्तोष की ओर दिलाया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का है ?

विदेशी व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल के हुगली तथा 24 परगना जिलों में किये गये खेत प्रबन्ध अध्ययन के आधार पर कच्चे पटसन की उत्पादन लागत का अनुमान 1955–56 तथा 1956–67 की अवधि के लिए कुल लागत के कारण 68.37 रुपये प्रति क्विंटल लगाया गया था।

(ग) जी नहीं। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपेक्षाकृत ऊंची न्यूनतम कीमत निश्चित करने के लिए सुझाव किया था।

(घ) न्यूनतम कीमतों का पुर्नविलोकन दो मास पश्चात करने का प्रस्ताव है।

पोंग बांध के निष्कासितों से शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने का नोटिस

301. **श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोंग बांध क्षेत्र के निष्कासितों से शान्तिपूर्ण आन्दोलन के लिए कोई नोटिस मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : जून 1972 में शान्ति पूर्ण आन्दोलन शुरू करने के लिए एक नोटिस प्राप्त हुआ था लेकिन इसमें माँगों का कोई उल्लेख नहीं था। बहरहाल, पोंग बांध विस्थापित समिति मंगवाल से पहले प्राप्त दिनांक 22 अक्तूबर, 1971 के पत्र में कुछ मांगें दी गई थीं। इन मांगों में से भूमि के अधिग्रहण

और पंचाटधनराशियों के भुगतान जैसी अधिक महत्वपूर्ण मांगें पहले ही अधिकतर पूरी कर दी गई हैं।

हिमाचल प्रदेश में रेलवे की आउट एजेंसी का कार्यकरण

302. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में रेलवे की आउट एजेंसी का कार्यकरण पुनः आरम्भ करने के बारे में सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) ; (क) और (ख) सम्भवत: प्रश्न का सम्बन्ध हिमाचल प्रदेश गगेट, भरवाई प्रागपुर, ज्वालामुखी मंदिर और नदौन की आउट ऐजेंसियों से है जो अगस्त, 1967 में बंद कर दी गयी थीं इन आउट एजेंसियों को फिर से खोलने के लिये जनता की ओर से अनुरोध प्राप्त हुये हैं। लेकिन ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि यातायात की सम्भावनायें कम होने के कारण कोई ठेकेदार इन आउट एजेंसियों को चलाने के लिए नहीं मिल सका। फिर भी, मंडी-कुल्लु सड़क परिवहन निगम परीक्षण के तौर पर इन आउट एजेंसियों को चलाने के लिये राजी हो गया है। निगम से इस मामले पर पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें

303. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्र में नई रेल लाइनें आरम्भ करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां तो प्रस्तावित लाइनों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसी लाइनों को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी निर्माण-कार्य सम्भवत: किस तारीख से आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) (क) , (ख), (ग) और (घ) रेलवे के विकास सम्बंध में राज्यवार या क्षेत्रीय दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समग्र रूप से राष्ट्रीय हित की दृष्टि से विचार किया जाता है चूंकी नई रेलवे लाइनों का खर्च सामान्य राजस्व से पूंजी उधार लेकर करना पड़ता है जिस पर लाभाँश का भुगतान भी करना होता है, अतः केवल उन्हीं लाइनों के निर्माण पर सामान्यत: विचार किया जाता है जिनके आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने की आशा की जाती है। लेकिन अभी हाल में बनाई गयी / निर्माणाधीन और विचाराधीन लाइनें, संयोग से, कुछ पहाडी और पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजरती है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का संशोधन

304. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिये जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का स्वरूप क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में निम्नलिखित दृष्टि से संशोधन करने के लिये पहले भी जनता से कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं: —

(1) पुत्री को पैत्रिक सम्पत्ति के अपने अधिकार से वंचित करना;

(2) स्त्रियों के लिये अपने ससुरों की सम्पत्ति में विरासत के अधिकार की व्यवस्था करना ;

(3) पुत्रियों को विरासत से अपवर्जित करने के लिये बिल बनाने के सम्बन्ध में हिन्दू का अधिकार समाप्त करना।

अन्य अभ्यावेदनों में यह आग्रह किया गया है कि महिलाओं के सम्पत्ति विरासत में पाने के अधिकार के बाबत उक्त अधिनियम में कोई परिवर्तन न किया जाये।

(ग) अधिनियम में संशोधन करने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रेणुकूट (उत्तर प्रदेश) स्थित बिड़ला के एलुमीनियम संयन्त्रों को रियायती दरो पर बिजली की सप्लाई

305. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेणुकूट (उत्तर प्रदेश) स्थित बिड़ला के एलुमीनियम संयन्त्रों को रियायती दरों: पर बिजली देने और इसकी मात्रा बढ़ाने के लिये सरकार से कोई अभ्यावेदन किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके पक्ष में क्या कारण बताये गये हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) हिन्दूस्तान एल्युमीनियम निगम ने 4 पैसे प्रति यूनिट की रियायती दर पर 1–5–1972 से 20 मेगावाट विद्युत की अतिरिक्त मात्रा के लिये कहा है जो कि 1–4–1974 तक 110 मेगावाट तक बढ़ा दी जायेगी। यह दर इस आधार पर मांगी गई है कि एल्युमीनिमम उद्योग उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के वर्तमान ग्रिड टैरिफ पर, जो कि लगभग 7.3 पैसे प्रति यूनिट आता है, अपने आपको नहीं चला सकता है। 4 पैसे प्रति यूनिट की मांगी गई रियायती दर विद्युत उत्पादन की लागत से कम है, इसलिये यह स्वीकार्य नहीं है।

चाय का निर्यात

306. **श्री बेकारिया :** क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी चाय निर्यात की गई ; और

(ख) भारत द्वारा किन-किन देशों को चाय का निर्यात किया जाता है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ऐ० सी० जार्ज) : (क) गत तीन वर्षों में निर्यात की गई चाय की मात्रा निम्न प्रकार है: —

वर्ष	मात्रा (हजार कि० ग्रा० में)
1969	168,709
1970	206,249
1971	206,074

(ख) भारत के जिन मुख्य देशों को चाय का निर्यात किया जाता है वे हैं ब्रिटेन, सोवियत संघ, अफगानिस्तान, सूडान, मिश्र का अरब गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरीका, आयरिश गणराज्य ईराक, पोलैंड, कनाडा, पश्चिम जर्मनी, नीदरलैंड्स, ईरान, जोर्डन, ट्यूनीसिया तथा यूगोस्लाविया ।

201 अप अहमदाबाद मेल में लगे पुराने डिब्बों का बदला जाना

307. **श्री वेकारिया** . क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 201 अप अहमदाबाद मेल में दिल्ली से ओखा के लिये लगा डिब्बा बहुत पुराना है और गड़ियां भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके स्थान पर नया डिब्बा लगाने का हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण गुजरात में रेलवे में सुधार

308. **श्री बेकारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण गुजरात में रेलवे में सुधार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) (क) से (ग) : रेलों के आंकड़े राज्य-वार अथवा क्षेत्र-वार न रखकर रेलवे-वार रखे जाते हैं । फिर भी एक विवरण सलंग्न हैं जिसमें, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गुजरात राज्य में पड़ने वाले, रेलों के मुख्य चालू निर्माण-कार्यों और 1972-73 के बजट में शामिल किये गये निर्माण-कार्यों की सूची दिखायी गयी है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3210/72]**

गुजरात में नई बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने सम्बंधी योजना

309. **श्री बेकारिया** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने नई बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने सम्बन्धी कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ख) : जी हां, । गुजरात सरकार ने निम्नलिखित दो नई विद्युत्–जनन स्कीमें प्रस्तुत की थीं ।

(1) उत्तर गुजरात ताप विद्युत् स्कीम

उत्तर गुजरात ताप विद्युत् स्कीम में उत्तर गुजरात में विद्युत् को बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए अहमदाबाद जिले में सावरमती नदी के किनारों पर, अब गांधीनगर में 120 मेगावाट की दो विद्युत-जनन युनिटों का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है ।

इस स्कीम को तकनीकी सलाहकार समिति के विचारार्थ उसकी 8 फरवरी, 1972 को हुई बैठक में रखा गया था जबकि इनको 45.62 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर स्वीकार्य पाया गया । बहरहाल, बाद में, गुजरात बिजली बोर्ड ने परियोजना स्थल में परिवर्तन करके भट ग्राम के निकट के स्थान पर गांधीनगर में परियोजना बनाने की सूचना दी है । योजना आयोग की औपचारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(2) कडाना पम्पित जलाशय परियोजना

कडाना पम्पित जलाशय परियोजना में विद्युत्-जनन के लिए माही नदी के नियमित जल का जो कडाना बांध द्वारा बनाई गई लगभग 43.5 मीटर (143 फुट) की औसतन ऊंचाई पर है, समुपयोजन करना परिकल्पित है । इस स्कीम को संयुक्त प्रकार की पम्पित-जलाशय स्कीम के रूप में आयोजित किया गया है ताकि भार वाहक क्षमता के लिए इस स्कीम का योगदान, जल की उपलब्धता की विपरीत स्थितियों में भी, प्रभावित न हो । 2458.0 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बांध की जड़ में स्थित विद्युत् घर में 66-66 मेगावाट की चार पलटावों पम्प-टर्बाइन यूनिटों की स्थापना करने का प्रस्ताव है । इस परियोजना के कार्यान्वयन के साथ राज्य की ग्रिड की भार वाहक क्षमता में लगभग 200 मेगावाट तक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है ।

यह स्कीम तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा प्रोसेस की गई हैं और योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कर दी गई है ।

अंकटाड III में नीदरलेण्ड द्वारा प्रस्तावित तृतीय विश्व केन्द्र की स्थापना

310. **श्री वी० पी० यादव :**
श्री गिरधर गोमांगो :

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1972 में सन्टीयागों में हुए अंकटाड-III में नीदरलेंड ने तृतीय विश्व केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव किया था जिस में विकास शील तथा विकसित देश सहयोग कर सकते हैं तथा इस केन्द्र की स्थापना में "पर्याप्त अंशदान" करने का वचन दिया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की कार्यान्विति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेशी व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली से ओखा जाने वाली अहमदाबाद मेल (पश्चिम रेलवे) में और डिब्बों का जोड़ा जाना

311. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से औखा जाने वाली 201 अप अहमदाबाद मेल में एक 2-टायर डिब्बा जोड़ा जाता है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस मार्ग पर एक डिब्बा अपर्याप्त है ; और

(ग) क्या उक्त गाड़ी में और डिब्बे जोड़ने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां, । दिल्ली से ओखा के लिए तीसरे दर्जे का एक 2-टायर शयन यान लगाया जाता है ।

(ख) जी नहीं । जितने स्थान की व्यवस्था है, वह यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त समझा जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

पश्चिम रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्रा के विरूद्ध अभियान

312. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्रा के विरूद्ध प्रारम्भ किये गये अभियान की विशेष बातें क्या हैं ; और

(ख) इस के क्या परिणाम उपलब्ध हुए ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : सम्भवतः आशय उस संयुक्त अभियान से है जो पश्चिम रेलवे ने गुजरात राज्य में राज्य सरकार के सहयोग से बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध 15-3-72 से 30-4-72 तक चलाया था । पश्चिम रेलवे ने इसी तरह का एक अभियान 10-7-1972 से राजस्थान राज्य में शुरू किया है ।

गुजरात वाले अभियान की मुख्य विशेषतायें संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

गुजरात राज्य में बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध चलाये गये अभियान की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार है :—

1. यह अभियान एक संयुक्त समिति द्वारा चलाया गया था जिसमें राज्य सरकार और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी तथा श्रम संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे । गुजरात सरकार के ऊपर मुख्य सचिव (गृह) इस समिति के अध्यक्ष थे ।

2. राज्य सरकार ने अपने पुलिस दल और मजिस्ट्रेटों को सेवाएं उपलब्ध कराके (भारतीय रेल अधिनियम के अधीन मुकदमें चलाने के लिए), इस अभियान को सफल बनाने में अपना पूरा-पूरा सहयोग दिया । रेल प्रशासन ने इसके लिए टिकट

जांच करने वाले कर्मचारी, पर्यवेक्षक, रेलवे सुरक्षादल के कर्मचारी एवं अधिकारी लगाये। गुजरात राज्य में पड़ने वाले रेलवे के विभिन्न खण्डों पर संगठित रूप से जांच की गयी।

3. महत्वपूर्ण स्टेशनों, शिक्षा संस्थाओं और औद्योगिक क्षेत्रों में बिना टिकट यात्रा की बुराई के सम्बन्ध में इश्तहार लगाकर व्यापक प्रचार किया गया।

अहमदाबाद, बड़ोदरा जैसे महत्वपूर्ण नगरों के सिनेमाघरों में इस विषय पर स्लाइडें भी दिखायी गयी थी।

4. बिना टिकट/अनियमित यात्रा के 16,760 मामले पकड़े गये थे जिनसे 1,73 787.00 रुपये की आमदनी हुई।

5. अभियान की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, गुजरात राज्य के अन्दर पड़ने वाले राजकोट भावनगर, और बड़ौदरा मंडलों के स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री और उनसे प्राप्त हुई रकम क्रमशः 3.1 प्रतिशत बढ़कर 1,67,94,000 से 1,73,21,000 और 10 8 प्रतिशत बढ़कर 2,34,33,000 से 2,59,61,000 रुपये हो गयी। यह वृद्धि इस तथ्य के बावजूद हुई कि शादियों का व्यस्त मौसम 1971 में अप्रैल के महीने में पड़ा था जबकि चालू वर्ष में शादियों का मौसम मई के मध्य में शुरू हुआ

इसी प्रकार, आवधिक टिकटों की बिक्री में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अहमदाबाद मेल में संसद सदस्यों के लिए कोटा

313. **श्री डी० पी जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 201 अप अहमदाबाद मेल के 2–टायर कम्पार्टमेंट में संसद सदस्यों के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या गाड़ी के उक्त कम्पार्टमेंट में संसद के कोटे में 4 स्थान अलाट करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : संसद् सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसद् भवन आरक्षण कार्यालय, नयी दिल्ली में 201 अप दिल्ली अहमदाबाद मेल गाड़ी के 2–टियर शयन यान में 4 शायिकाओं का कोटा पहले से मौजूद है।

रेलवे माल डिब्बों और उपकरणों का निर्यात

314. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970—71 और 1972—73 में विदेशों को कितनी मात्रा में रेलवे उपकरणों और रेलवे माल डिब्बों का निर्यात किया गया था, और

(ख) उन का निर्यात किस-किस देश को किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान रेल माल डिब्बों तथा रेल उपकरणों से निर्यात निम्न प्रकार रहे।

	(मूल्य लाख रु० में)			
	1970—71		1971—72	
	मात्रा (संख्या)	मूल्य	मात्रा (संख्या) (अनतिम आंकड़े)	मूल्य
रेल माल डिब्बे	463	188	821	224
डिब्बा संघटन तथा रेल के अन्य उपस्कर जैसे कि ट्रैक का माल और सिगनल देने के उपस्कर	,,	178	—	172

(ख) आयात करने वाले मुख्य हँगरी, सूडान, घाना, पोलैंड, ईरान, कीमिया तथा वर्मा हैं।

अदरा शहर (दक्षिण पूर्व रेलवे) के "ग" श्रेणी का दर्जा

315, **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदरा शहर (दक्षिण पूर्व रेलवे) की जनसंख्या 50,000 से अधिक हो गई है तथा क्या मकान किराया भत्ते की अदायगी के लिये इसे "ग" श्रेणी का शहर घोषित किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या स्थानीय अधिकारियों ने उस आशय की कोई सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यवाही करने में विलंब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं। अन्तिम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आदरा की जनसंख्या 18,839 है। अतः वह 'सी' श्रेणी के नगर की पात्रता के लिए हैं नहीं है।

(ख) और (ग) स्थानीय रेल अधिकारियों ने एक प्रस्ताव भेजा है कि आद्रा और 8 किलोमीटर अर्द्धवास के भीतर के अन्य स्थानों का, जिनकी जनसंख्या मिलाकर 50 हजार से अधिक बैठती है, मकान किराया भत्ता के लिये 'सी' श्रेणी के रूप में वर्गीकरण कर दिया जाये। प्रस्ताव तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किसी नगर के वर्गीकरण की कसौटी, उसकी अपनी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर की जनसंख्या होती है और इस आधार पर, आदा का वर्गीकरण मकान-किराया भत्ते के लिये 'सी' श्रेणी के नगर के रूप में नहीं किया जा सकता।

पुलिस रेलवे सुरक्षा दल की ज्यादतियों के कारण रेल कर्मचारियों द्वारा काम बन्द कर देना

316. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस रेलवे सुरक्षा दल द्वारा की गई ज्यादतियों की कुल कितनी घटनायें हुई हैं जिनके कारण रेल कर्मचारियों ने काम बन्द कर दिया था और 1970 से अब तक स्टेशनवार कितने कर्मचारी इन घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त थे;

(ख दोषी पाये गये पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को दण्ड देने के लिये कदम उठाये गये हैं; और

(ग) पुलिस रेलवे सुरक्षा द्वारा मार-पीट को रोकने के लिये सामान्य नीति निर्धारित की की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3211/72**]

(ख) 1-पुलिस रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों और अन्य विभागों के रेल कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है ; और

(ग) 2-पुलिस 1 रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों से अधिक से अधिक सयम बरतने और अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता पर बार-बार जोर दिया जाता है।

3. रेलवे सुरक्षा दल को इस आशय की हिदायतें जारी की गई हैं कि वे रेल कर्मचारियों पर बल प्रयोग न करते हुए और हथकड़ी बेड़ी लगाये बिना उनके साथ नम्रता का व्यवहार करें। रेल कर्मचारियों के मकानों की तलाशी लेने से पहले मण्डल अधिकारियों की पूर्व- अनुमति लेली जाती है।

4 पुलिस। रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा तथा कथित ज्यादतीपूर्ण कार्यवाई की शिकायत मिलने पर संयुक्त जांच की जाती है और जिन मामलों में मामला प्रत्यक्षत: सिद्ध हो जाता है उनमें विभागीय कार्यवाई शुरु कर दी जाती है और जो कर्मचारी अपराधी पाये जाते हैं उनके विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जाती है।

सियालदह डिवीजन पूर्वी रेलवे) में रेल सेवाओं का रोका जाना

317. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या। अप्रैल, 1972 को पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में रेल सेवायें रोकी गई थी,

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) इस अवसर पर हड़ताल का आह्वान करने वाले संगठनों के नाम तथा उनकी मांगे क्या हैं तथा उनकी मांगे पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) इस हड़ताल के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : 1-4-1972 को नौजवानों की टोलियों ने सियालदह मण्डल के कर्मचारियों को सियालदह, चितपुर, नेहाटो और दूसरे स्थानों पर गाड़ी परिचालन रोक देने के लिए विवश किया।

(घ) रेल प्रशासन को लगभग 475 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों के दूरवर्ती स्थानों पर स्थान्तरण

318. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कुछ कर्मचारियों को बम्बई-मद्रास, तिरुचिरापल्ली आदि जैसे किसी दूरवर्ती स्थान पर स्थानान्तरण के आदेश दिये गये थे ; और यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा उन्हें किन-किन स्थानों का स्थानान्तरित किया गया है ;

(ख) क्या ऐसे स्थानान्तरण होना सामान्य बात है तथा क्या इसके विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) उक्त अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) (ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

चूंकि ये स्थानान्तरण जनहित में किये गये थे इसलिए स्थानान्तरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों को अस्वीकार कर दिया गया ।

विवरण

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	जिस रेलवे पर स्थानान्तरित किया गया
1.	श्री एन० एन० सिंह	मध्य
2.	" एन० के० मुखर्जी	दक्षिण
3.	" उमापति चौधरी	पश्चिम
4.	" डी० के० बोस	पश्चिम
5.	" पी बनर्जी	दक्षिण
6.	" एस० आर० दास	मध्य
7.	" ए० बोस	दक्षिण
8.	" अनन्त चौधरी	पश्चिम
9.	" बी० पी० मांडल	पश्चिम
10.	" परम हंस	पश्चिम
11.	" आर० एस० चक्रवर्ती	पश्चिम
12.	" एस० एन० सिंह	दक्षिण
13.	" डी० के० सरकार	दक्षिण
14.	" पी० के० राम	पश्चिम
15.	" बी० बी० भौमिक	पूर्वोत्तर
16.	" ए० के० मुखर्जी	दक्षिण

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकामोटिव वर्क्स तथा इनटेग्रल कोच फैक्टरी में मजदूर संघों को मान्यता देने सम्बन्धी नियम

319. **श्री मौहम्मद इस्माइल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव, वर्क्स डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और इनटेग्रल कोच फैक्टरी में मजदूर संघों को मान्यता देने संबंधी नियम सरकार ने बनाये हुए हैं और यदि हां, तो

उसकी मुख्य बातें क्या हैं और वहां पर जिन मजदूर संघों को मान्यता दी गई है ; उनके नाम क्या हैं ?

(ख) यदि किसी मजदूर संघ को मान्यता नहीं दी गई है तो इस बारे में क्या व्यवस्था की गई है जिससे कर्मचारी अपनीशिकायतें को दूर करा सकें ;

(ग) क्या इन संस्थानों के कर्मचारी रेलवे बोर्ड स्तर पर स्थायी बातचीत व्यवस्था की बैठकों में सरकारी तौर पर भाग ले रहे हैं और यदि हां, तो वे किन कार्मिक संघों के हैं और क्या वह मजदूर संघ मान्यता प्राप्त है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) एक विवरण संलग्न है जिस में मोटे तौर पर वे मार्ग दर्शक सिद्धान्त बताये गये हैं जिनके अधीन रेलों के महाप्रबन्धक एक मान्यता प्राप्त यूनियन की आवश्यकता को देखते हुए किसी यूनियन को मान्यता प्रदान कर सकते हैं। इन उत्पादन यूनिटों में यूनियनों को मान्यता देने के लिए अलग से कोई नियम नहीं बनाये गये हैं और अभी तक किसी यूनियन को मान्यता नहीं दी गयी है।

(ख) स्टाफ कौंसिलें मौजूद हैं जिनमें कर्मचारियों के सीधे चुने गये प्रतिनिधि होते हैं।

(ग) नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन और आल इंडिया रेलवेमेन्स फैडरेशन, जिन्हें रेलवे बोर्ड के साथ बात-चीत करने की सुविधायें मिली हुई हैं, रेलवे बोर्ड स्तर पर स्थायी वार्ता तंत्र को बैठकों में भाग लेने वाले अपने प्रतिनिध मण्डल में इन उत्पादन यूनिटों के कर्मचारियों को भी नामित करते हैं और ऐसे कर्मचारी इन बैठकों में इन फैडरेशनों के प्रतिनिधियों के रूप में भाग लेते हैं न कि किसी स्थानीय यूनियन के प्रतिनिधियों के रूप में।

विवरण

मोटे तौर पर सर्वाधिक ऐसी महत्वपूर्ण शर्तों में से कुछ शर्तें नीचे दी गयी हैं जिनके अधीन क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्ध एक मान्यताप्राप्त यूनियन की आवश्यकता को देखते हुए किसी यूनियन को मान्यता प्रदान कर सकते हैं :—

(i) इस में रेल कर्मचारियों को एक अलग श्रेणी (जैसे अराजपत्रित) के सदस्य होने चाहिए और यह किसी जात, जाति या धर्म के नाम पर या किसी ऐसी जात, जाति या धर्म के किसी दल या वर्ग के आधार पर गठित नहीं की जानी चाहिए।

(ii) उस श्रेणी के सभी रेल कर्मचारी उसकी सदस्यता के हकदार होने चाहिए।

(iii) यह भारतीय मजदूर संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए।

(iv) इस को सदस्य संख्या सम्बन्धित रेलवे पर नियोजित अराजपत्रित कर्मचारियों को कुल संख्या के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

(v) यह खण्डीय नहीं होनी चाहिए। जो यूनियनें एक कोटि के कर्मचारियों को या सीमित कोटियों के कर्मचारियों से बनायी गयी हैं उन्हें मान्यता नहीं दी जानी चाहिए ; और

(vi) रेल प्रशासन को दृष्टि में इस यूनियन के तोड़-फोड़ को कार्यवाइयों में भाग लेने की सम्भावना नहीं होनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलों को अधिकार में लिया जाना

320. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम पश्चिम बंगाल में रामपुरा, थकेश्वरी, लक्ष्मीनारायण और आरती की चार कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेने की योजना बना रहा है ;

(ख) उन्हें कब तक अधिकार में लिए जाने की सम्भावना है और उन्हें कब पुनः आरम्भ किया जायेगा : और

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में अन्य बन्द कपड़ा मिलों को पुन. आरम्भ करने के लिए कोई व्यापक योजना बनाने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : 4 बन्द मिलों के सम्बन्ध में स्थिति अनुबन्ध । के विवरण में दो गई है ।

(ग) 1 जुलाई. 1972 में बन्द पड़ी अन्य सूती वस्त्र मिलों के सम्बन्ध में स्थिति अनुबन्ध 2 के विवरण में दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3212/72]**

उत्तर प्रदेश में सिंचित भूमि का क्षेत्रफल

321. **श्री आर० के० सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान उत्तर प्रदेश में सिंचित कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल का जिलेवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाने वाली कृषि योग्य भूमि का जिलेवार ब्योरा क्या है ; और

(ग) अधिक भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1968-69 के वर्ष के लिए केन्द्र के पास जिलेवार सूचना उपलब्ध है और यह संलग्न विवरण में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3213/72]**

(ख) केन्द्र के पास जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है । 1972-73 के दौरान राज्य में बृहत् और अध्ययन सिंचाई सेक्टर में 1 3 लाख हेक्टेयर की और अतिरिक्त शक्तया उत्पन्न होने की संभावना है ।

(ग) योजनाओं के आरंभण से, उत्तर प्रदेश सरकार ने 66 नई बृहत् और मध्यम स्कीमों के निर्माण को हाथ में लिया था । इन स्कीमों से पहले ही 12 लाख हेक्टेयर सिंचाई शक्यता जुड़ गई है और उनके पूरा होने पर 14 लाख हेक्टेयर सिंचाई शक्यता और हो जाएगी । चतुर्थ योजना में इस सैक्टर का परिव्यय 137 करोड़ रुपये होगा ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सी नई स्कीमों का भी अनुसंधान किया है जिनको उनके द्वारा निर्माण के लिए तब हाथ में लिया जाएगा जबकि संसाधन उपलब्ध होंगे ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु सिंचाई का भी एक कार्यक्रम हाथ में लिया है जिसके लिए चतुर्थ योजना में 96 करोड़ रुपये के एक परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 1972 में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से अर्जित आय

322. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1972 तक सभी रेलवे में बिना टिकट कितने यात्री पकड़े गये ; और

(ख) उनसे कुल कितनी राशि वसूल की गयी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 8, 81, 318 *

(ख) 1, 09, 95, 733.00 *

अखरोटों के निर्यात में कमी

323. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखरोटों के निर्यात में कोई कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अखरोट निर्यात करने वालों को नकद राज-सहायता देने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

सिले सिलाये वस्त्रों की मंडी में भारतीय निर्यातकर्ताओं की पाकिस्तानी निर्यात-कर्ताओं से कड़ी प्रतियोगिता

324. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यातकर्ताओं को सिले सिलाये वस्त्रों की मंडी में पाकिस्तानी निर्यातकर्ताओं के साथ कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत के सिले सिलाये परिधानों के निर्यातों को पाकिस्तान से होड़ करनी पड़ती है लेकिन वह होड़ इतनी तीव्र नहीं होती जितनी हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान जैसे देशों से होती है।

(ख) भारत से निर्यातों की प्रतिस्पर्धा-शक्ति में सुधार करने के लिए, साज सामग्री आदि के प्रतिपूर्ति आयात जैसे सामान्य निर्यात सहायता उपायों के अलावा परिधानों के निर्यात उत्पादन के लिए कस्टम बांड के अन्तर्गत चयनात्मक आधार पर सूती कपड़े के और गैर-सूती कपड़े के आयात की अनुमति दी जाती है।

* उत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों के संबंध में केवल मई, 1972 तक की सूचना उपलब्ध है।

फिजी में भारत विषयक प्रदर्शनी

325. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजी में हाल ही में एक भारत विषयक प्रदर्शनी होगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी हां, । 1 अक्तूबर से 15 अक्तूबर 1972 की अवधि के दौरान सूवा (फिजी) में एक भारतीय प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।

इस भारतीय प्रदर्शनी में अनेक प्रकार की वस्तुओं और परामर्श सेवाओं को निर्यात करने की भारत की क्षमता को दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय जीवन और विकास पर महात्मा गांधी के प्रभाव को चित्रित करने वाली एक फोटो प्रदर्शनी इस प्रदर्शनी का अभिन्न अंग होगी।

इस प्रदर्शनी में मशीन टूल्स, कृषि संबंधी मशीनें और उपस्कर, दूर-संचार उपस्कर, विद्युत संघटक और उपस्कर, सिनेमा प्रोजैक्टर, विद्युत फिटिंग्स, घरेलू उपकरण, रसायन, औषधियां और भेषज, अंगराज, प्लास्टिक की वस्तुएं, सभी प्रकार के वस्त्र, हस्तशिल्प की वस्तुएं, हीरे और जवाहरात, खेल-कूद का सामान, खाद्य और फलों के उत्पाद, काफी, काजू सिगरेट, किताबें तथा पत्रिकाएं आदि प्रदर्शित की जाएंगी।

कावेरी जल विवाद

326. **श्री के० लकप्पा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काबेरी जल विवाद से संबंधित तथ्यों का पता लगाने वाली एक चार सदस्य समिति नियुक्त की है ;

(ख) समिति के निदेश पद क्या हैं ;

(ग) क्या समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) इस समिति ने तीन सदस्यों के साथ 15 जून, 1972 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। चौथे सदस्य एक न्यायाधीश की भी 29 जुलाई, 1972 से नियुक्त कर दी गई है।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) कावेरी जल, भिन्न-भिन्न समयों पर इसके उपयोग, सिंचाई पद्धतियों और कावेरी बेसिन में वर्तमान, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित परियोजनाओं से संबंधित आंकड़े संकलित करना ;

(2) सिंचाई उद्देश्यों के लिए जल के अत्यधिक उपयोग अथवा वर्तमान प्रदाय की पर्याप्तता की जांच ;

(3) विभिन्न राज्य में जल के उपयोग, कृष्य क्षेत्रों, घरेलू और औद्योगिक जल-प्रदाय

के वर्तमान और प्रस्तावित प्रयोग, जल-विद्युत जनन, नौवहन, लवणता-नियंत्रण तथा अन्य गैर-सिंचाई उपयोगों से संबंधित आंकड़े, जैसा कि भोतिकीय तथा अन्य प्रकार के, संकलित करना : और

(4) कोई अन्य संबंधित मामला।

(ग) इस तथ्यान्वेषी समिति ने अपना कार्य 15 जून, 1972 से आरंभ कर दिया है तथा इसे अपनी रिपोर्ट 15 सितम्बर, 19 2 तक प्रस्तुत करने को कहा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय खान-पान व्यवस्था को न बढ़ने सम्बन्धी निर्णय

327. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अपनी विभागीय खान-पान व्यवस्था को और आगे न बढ़ाने का कोई निर्णय किया हैं ;

(ख) देश में यात्री गाड़ियों की कुल संख्या क्या है और विभागीय खान-पान की व्यवस्था कितनी गाड़ियों में की गई है ; और

(ग) अन्य गाड़ियों में भी खान-पान व्यवस्था करने के लिए सरकार ने कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की है और सभी गाड़ियों में खान-पान व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा।

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) रेलवे खान-पान और यात्री सुविधा समिति, 1967 द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार यह निश्चिय किया गया कि जब तक वर्तमान सेवाओं को सुव्यवस्थित नहीं कर दिया जाता और उनके संचालन में सुधार नहीं हो जाता तब तक विभागीय खानपान व्यवस्था का विस्तार स्थगित रखा जाये। अब सुव्यवस्था कर ली गयी है अतः चुने हुए स्थानों पर विभागीय खान-पान व्यवस्था का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है।

(ख) भारतीय रेलों पर मिली-जुली गाड़ियों सहित प्रतिदिन चलने वाली सवारी गाड़ियों की संख्या लगभग 6000 है। 26 जोड़ी गाड़ियों में विभाग द्वारा प्रबन्धित रेस्तरां। भोजन पान। वुफे। पैंट्री कारें चलती हैं।

(ग) 24 जोड़ी गाड़ियों में ठेकेदारों द्वारा प्रबन्धित भोजन पान। बुफे। रेस्तरां कारों द्वारा खान-पान व्यवस्था की जाती है।

शेष गाड़ियों में खान-पान सेवा मार्गवर्ती स्टेशनों पर स्थायी यूनिटों। वेंडरों द्वारा पहले से ही की जा रही है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन और उसके कार्य

328. **श्री शशि भूषण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का इस बीच गठन हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के कितने सदस्य हैं और इसके क्या कार्य हैं ; और

(ग) बाढ़ों को कम करने में यह बोर्ड किस सीमा तक सहायक सिद्ध होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां ।

(ख) गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन निम्न प्रकार है :

1. केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री	अध्यक्ष
2. केन्द्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	सदस्य
3. बिहार के मुख्य मंत्री या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4. उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
5 पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
6. हरियाणा के मुख्य मंत्री या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
7. राजस्थान के मुख्य मंत्री या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
8. मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
9. केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री	सदस्य
10. अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	सदस्य-सचिव

बोर्ड का कार्य व्यापक नीतियाँ निर्धारण करना, विधि स्कीमों के कार्यान्वियन में प्राथमिकता निश्चित करना, स्कीमों का अनुमोदन करना और उनके कार्यान्वियन के लिए वार्षिक परिव्ययों की सिफोरिश करना है ।

(ग) बोर्ड का गठन, गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक और समेकित योजना के तैयार करने और उसको तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए तत्काल और प्रभावकारी कार्यवाही को सरल बनाने के लिए किया गया है, जो कि, यथा समय, बाढ़ों के कारण बार बार होने वाली क्षतियों को तथा सहायता-कार्यों पर होने वाले व्यय को कम करने में सहायक होगा ।

टिकटों की चोरबाजारी के आरोप में नई दिल्ली में गिरफ्तारी ।

339. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृत कौर मार्किट, नई दिल्ली में एक यात्रा एजेंसी के मालिक को टिकटों की चौर बाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या इस मामले से अन्तर्ग्रस्त कुछ अन्य व्यक्ति फरार हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) सिविल पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) अभी तक अभियोग लाने का ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक हो ।

(घ) भाग (ग) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

भारत के संविधान के हिन्दी रुपान्तर का प्रमाणीकरण

330. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारत के संविधान के हिन्दी रूपान्तर का प्रमाणीकरण करने हेतु क्या कार्य वाही की जा रही है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : संविधान का हिन्दी में प्राधिकृत और अद्यतन रूपान्तर प्रकाशित करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है। हिन्दी में संविधान के इस प्रकार के प्रकाशन की व्यवस्था करने के लिये संसदीय विधान अधिनियमित करना होगा। इस मामले पर भी सरकार विचार कर रही है।

गुजरात को कोयले का लदान

331. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को कोयले के लदान में वृद्धि करने के लिए पश्चिम रेलवे के यहां प्रबन्धक ने जून 1972 में नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) कोयले की कमी से उत्पन्न स्थिति में सुधार करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) गुजरात में रेलवे के कार्यकरण में सुधार करने की दिशा में उक्त बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : सवाल नहीं उठता।

गुजरात में बाढ़ की चेतावनी देने सबंधी उपाय

332. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **सिंचाई और विदयुत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के सहयोग से राज्य में बाढ़ आने की पूर्व चेतावनी देने के सम्बन्ध में कुछ उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हाँ तो किये गये उपायों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) बाढ़ के कारण होने वाली हानि को कम करने में इन उपायों से राज्य को कितनी सहायता मिली है।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग का सूरत स्थित बाढ़ पूर्वसूचना यूनिट नर्मदा और ताप्ती वाह क्षेत्रों में बाढ़ स्तरों और वर्षापात से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है और उनका विश्लेषण करने के बाद भड़ौंच पर नर्मदा में और सूरत पर ताप्ती में बाढ़ों की पूर्व सूचनाएं जारी करता है। ये पूर्व सूचनाएं राज्य के इंजीनियरी, राजस्व और पुलिस विभागों के कर्मचारियों और म्युनिस्पल प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं, जो इन बाढ़ चेतावनियों को प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को प्रसारित करते हैं।

(ग) 1970 में इनके प्रारम्भ होने से लेकर बाढ़ पूर्व सूचनाओं और चेतावनियों का अनुभव बताता है कि 8 राज्य प्राधिकारियों को समय के पूर्व ही बचाव और राहत कार्यों को जुटाने में तथा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए सावधान करने में पर्याप्त सहायक रही हैं। ये पूर्व सूचनाएं जन, पशु और छल सम्पत्ति की हानि में कमी लाने में सहायक सिद्ध हुई हैं।

गुजरात में तापीय विदयुत् केन्द्र स्थापित करने की मांग

333. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री विजय मोडक :

क्या सिचाई और विदयुत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जून, 1972 को श्री नगर में सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों की बैठक में गुजरात के प्रतिनिधि ने कहा था कि तारापुर आण्विक विद्युत् केन्द्र को "संकटग्रस्ट" समझा जाये और राज्य को और अधिक तापीय विद्युत केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिचाई और विदयुत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुराल) : (क) जी, नहीं। गुजरात के प्रतिनिधि ने एसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। बहरलाल, उन्होंने गुजरात में वर्तमान विद्युत् सप्लाई की ओर संकेत किया था और यह कहा था कि राज्यों को अधिक ताप-विद्युत् संयंत्र स्थापित करने की इजाजत दे दी जाए। उन्होंने गुजरात में एक अणु विद्युत् केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता पर भी जोर दिया था।

(ख) पांचवीं योजना के लिए प्रारम्भिक प्रस्तावों में, गुजरात में अतिरिक्त ताप संयंत्रो की ओर पश्चिमी क्षेत्र में एक नए अणु विदयुत् केन्द्र की परिकल्पना की गई है।

Import of Dry Fruits

334. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the names of the countries from which dry fruits have been imported during the last three years together with nemes, quantity and value of the dry fruits imported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : Dry fruits are imported into India from Afghanistan and Iran. The quantity and value of each category of dry fruits imported during 1969-70, 1970-71 and 1971-72 (upto January 1972) are given in the attached statement.

Statement

Imports of dry fruits into India during 1969-70, 1970-71 and 1971-72 (upto Jan. 1972)

Item	Quantity (per tonnes)	Value (Rs. lakhs)
1. Almonds	5093	503
2. Pistachionuts	935	123
3. Figs dried	456	22
4. Raisins	16276	798
5. Sultanas and other dried grapes	5129	118
6. Apricots	(60	35
7, Plums and Prunes	74	4
8. Other dry fruits	230	16

Export of Coir

335. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Foreign Trade** be please to state :

(a) the names of the countries to which India has been exporting coir for the last three years;

(b) the amount of foreign exchange earned therefrom, year-wise, and whether any agreement has been made with any other country during the current year; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) A list of countries to which Indian coir goods are exported is attached. **[Placed in Library. See No. L. T. 3214/72]**

(b) & (c) : Foreign exchange earning from coir goods during the past three years are as below :—

1967-70	Rs. 13 673 crores
1970-71	Rs. 13.873 crores
1971-72	Rs. 14.859 crores.

Annual Trade Plan Agreements are concluded with East European countries. No other Agreement has been concluded with other importing countries.

Re-opening of Shahdara-Saharanpur Light Railway Line

336. **Shri Dhan Singh Pradhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received representations for the re-opening of Shahdara-Saharanpur Light Railway Line; and

(b) if so, the decision taken by Government thereon ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) The Ministry of Railways would not be able to reopen and run the Light Railways, as it will not be a viable undertaking.

Power Crisis in Bihar

337. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the news item published on the front page of the daily 'Hindustan' (dated the 7th June, 197) under the heading 'Power Crisis in Bihar;

(b) if so, the causes of crisis; and

(c) the steps taken so far by Government to overcome the power crisis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Power and Irrigation (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c) : The power supply position in Bihar was difficult in June, 1972 due to outages to generating plants both in the power stations of Bihar State Electricity Board as well as in those of the Damodar Valley Corporation which is serving parts of Bihar. As a result of these outages, power supply had to be curtailed by shedding part of load during certain hours of the day. Steps have been taken to put back the generating units into operation.

A one-man Committee with Shri S. Bose as Chairman has examined the forced outages at Patratu and the Report is understood to be under study by the Government.

Emergency transfer of power is also being arranged to the extent possible between

the Bihar State Electricity Board Sy tem and the Damcdar Valley Corporaticn Power System for meeting temporary shortages.

Presently, there is no power crisis in Bihar.

Effect on India due to Declaration of Mediterraeanseu as Free Trade Zone

33 . **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether on the Mediterranean Sea being declared free trade zone which would prove beneficial to the common market, India will suffer any loss; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the steps being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (**Shri A C. George**): (a) There is no proposal for Mediterranean Sea being declared a free trade zone.

(b) Does not arise.

Legislation for the Management of the Properties of Religious Places

339. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether the properties of religious places throghout the country are misused;

(b) if so, whether Government propose to enact any legislation in this regard; and

(c) the time by which such legislation is likely to be enacted ?

The Minister of State in the Ministry of Law & Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) the information is not available with the Government. The same is being collected from the State Governments and Union Territory Administrations.

(b) and (c) : There is already a Central enactment, viz., the Wakf Act, 1954, which provides for better management and administration of the Muslim wakfs, In so far as the Hindu religious endowments are concened, in most of the States, there are State enactments to regulate the management and supervision of such endowments. However, the Government of India have been considering a proposal for Central legislation relating to all public religious and charitable trusts for quite some time. The matter is at present under reference to the Law Commission. Further acting will be taken after the report of the Commission is received.

Legislation on Polygamy

340. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether Government propose to enact legislation to stop polygamy among the Muslims also;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) whether Government are aware that restrictions on polygamy have been imposed in Muslim countries and if so, the names of those countries ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) No. Sir.

(b) It is the policy of the Government that initiative for any reform in the personal law of a minority community should come from that community. At present, there is stiff opposition from certain sections of the Muslim community to introduce any change in the Muslim Personal Law.

(c) Polygamy has been abolished in the following Muslim countries :—

(1) Turkey
(2) Lebanon and
(3) Tunisia.

Various restrictions on polygamy have been imposed in the following countries :—

(1) Syria
(2) Morocco
(3) Iraq
(4) Jordan
(5) Pakistan
(6) Malayasia and
(7) Singapore.

News item alleging Dictatorial attitude of Railway Administration

341. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether attention of Government has been drawn to the news item published at page 4 of the daily "Hindustan" (Hindi) on 8th June, 1 72 under the heading 'Railway Prashasan ki Tanashahi' and if so, the reaction of Railway Department thereto; and

(b) whether the people of Nathdwara have launched a signature compaign and sent a petition to the Railway Administration, Bombay, and if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) The Government are not aware of any signature compaign. An unsigned letter was received by the Railway Administration in March 1972 desiring the Nathdwara Out Agency, which is now served by Nathdwara station, to be linked to Mavli Jn, station also. The news item in question suggests that fresh tenders should be called for by the Railway to select a contractor for the out agency instead of extending the contract in favour of the existing contractor and that the serving station of the out agency should be Mavli Jn. instead of Nathdwara. The demand for linking the out agency with Mavli Jn. has not been found justified. However, the Railway Administration has decided to call for fresh tenders.

लोको तथा सी एण्ड डब्लू डिपार्टमेंटस, झांसी मध्य रेलवे के कर्मचारियों को रात्रि–कार्य भत्ता न दिया जाना

342. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के दिनांक 7 जुलाई, 1962 के पत्र संख्या के० डी० ए० /पीसी/60 /डी डब्लू/11/डी के अनुसार लोको तथा सी एण्ड डब्लू ब्रेक डाउन झांसी (मध्य रेलवे) के कर्मचारियों को रात्रि कार्य भत्ता दिया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : झांसी के लोको और सवारी तथा माल डिब्बा कर्मचारी रात्रि कार्य भत्ता पाने के पात्र नहीं थे क्योंकि वे रेलवे बोर्ड के दिनांक 7–7–62 के पत्र संख्या पीसी–60/एच डब्लू–2/3 में दी गयी शर्तों को पूरा नहीं करते थे। लेकिन, इन शर्तों में संशोधन के कारण 1-4-67 से वे उसके पात्र हो गये। तदनुसार लोको ब्रेक-डाउन कर्मचारियों को रात्रि कार्य भत्ता दिया जा चुका है और सवारी तथा माल डिब्बा कर्मचारियों को भी शीघ्र ही बकाया के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

झाँसी यार्ड (मध्य रेलवे) के कर्मचारियों के लिए ड्यूटी रोस्टर

343. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी (मध्य रेलवे) यार्ड के कार्मचारियों के लिए ड्यूटी रोस्टर के क्रियान्वयन में रोजगार नियमों के कार्य-घंटों का अनुसरण किया जा रहा है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या प्रत्येक पारी में 30 घण्टे लगातार कार्य करने के उपरान्त उन्हें साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है ; और

(ग) क्या कर्मचारियों को दुहरी ड्यूटी करनी पड़ती हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस समय नहीं । लेकिन झांसी यार्ड में ट्रेन कलर्कों, शटिंग मास्टरों और शटिंग जमादारों के सम्बन्ध में, साप्ताहिक पारी को 16–24 से 8–16 और 8–16 से 08 में बदलते समय 8 घन्टे का विश्राम दिया जाया करता था। 22-7-72 से यह रोस्टर बदल दिया गया है और इस के स्थान पर नया ड्यूटी रोस्टर रखा गया है जिसमें साप्ताहिक पारी घंटों में तबदीली पहले 10 घंटों के विश्राम की व्यवस्था की गयी है ।

स्थानान्तरित कर्मचारियों को कार्यभार से मुक्त करने के लिये अपनाई जा रही कसौटी ।

344. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका और गाजियाबाद में नियुक्त कुछ सिगनेलरों को कार्यभार से मुक्त नहीं किया जा रहा है ; यद्यपि उनके स्थानान्तरण के आदेश कइ महीने पूर्व जारी हो गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और अस्थानान्तरित कर्मचारियों को कार्यभार से मुक्त करने के लिये क्या कसौटी अपनाई जाती है ।

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : सिगनेलरों की कमी के कारण कालका से गाजियाबाद स्थानान्तरित करने के लिए केवल एक सिगनेलर को भार मुक्त करना सम्भव नहीं हो सका है । जैसे ही संवर्ग की स्थिति सुधर जायेगी, वैसे ही इस कर्मचारी को छोड़ दिया जायेगा ।

केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, चन्दौसी (उत्तर रेलवे) के प्रशिक्षणार्थियों को सुविधाएं

345. **हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पशिक्षण केन्द्र, चन्दौसी (उत्तर रेलवे) में प्रशिक्षण पा रहे रेलवे कर्मचारियों को अपने निश्चित भत्तों के अनुरूप भोजन की उचित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जिनके कि वे हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलमंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) निर्धारित भत्ते के अनुसार सुविधाएं दी जा रही हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली जी० टी० एक्सप्रैस में शयनयानों की संख्या में वृद्धि

346. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली जी० टी० एक्सप्रेस में समुचित स्थान के अभाव में दिल्ली से बगलौर और कोचीन तक लम्बी यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसमें केवल सीि त संख्या मे शयनयानों की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या जी० टी० एक्सप्रेस में शयनयानों की संख्या बढ़ाने अथवा सभी सवारी डिब्बों को शयनयानों में बदलने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) इस समय नई दिल्ली और कोच्चीन/बैंगलूर के बीच निम्नलिखित सीधे सवारी डिब्बे चलते हैं जो 15/16 जी० टी०/वातानुकूल एक्सप्रैस और सम्बन्ध गाड़ियों में जुड़ते हैं :

नई दिल्ली-कोच्चीन :	तीसरे दर्जे का एक टियर शियनयान, रोजाना । पहले और तीसरे दर्जे का एक मिला-जुला सवारी डिब्बा हफ्ते में 5 दिन ।
नई दिल्ली-बैंगलूर :	एक पहले दर्जे का और एक आँशिक टियर शयनयान ।

ये सवारी डिब्बे नई दिल्ली और कोचीन । बैंगलूर के बीच, यातायाता की जरूरतों की पर्याप्त रूप से पूरी कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

भूमिगत रल व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए रेलवे बोर्ड के विशेषज्ञों की यूरोपीय देशों की यात्रा

347. **श्री मती सावित्री श्याम :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड का एक दल रूस और अन्य यूरोप देशों में भूमिगत रेलगाड़ियों के बारे में पूरी जानकारी लेने हेतु उन देशों को रवाना हो गया है;

(ख) क्या कलकत्ता में मैट्रो पद्धति उन देशों में चलने वाली रेलगाड़ियों के अनुरूप होगी;

(ग) क्या भूमिगत रेलगाड़ियों के लिए सवारी डिब्बों और इंजनों का निर्माण देश में किया जायेगा अथवा उनका आयात किया जायेगा; और

(घ) ये भूमिगत रेलगाड़ियां कलकत्ता में यातायात की आवश्यकता को कहाँ तक पूरा करेंगी ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) किसी विदेशी ऐजेंसी की सहायता से देश में ही सवारी डिब्बे बनाने की योजना है। शुरू ने विशेष प्रकार के कर्षण उपस्कर आयात किये जाने की संभावना है ।

(घ) शुरू में 1 लाख यात्री प्रति दिन ।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों का उत्पादन

348. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री नवल किशोर शर्मा : क्या

रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चितरजन लोकोमोटिव वर्क्स में भाप से चलने वाले इंजनों का उत्पादन बन्द कर दिया है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या भविष्य में डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों का उत्पादन चितरंजन वर्कशाप में हुआ करेगा :

(ग) यदि हां, तो वर्कशाप में इंजनों का अनुमानतः वार्षिक उत्पादन कितना होगा; और

(घ) इन इंजनों के उत्पादन से रेलवे की माँग कहाँ तक पूरी होगी और ये इंजन कहां तक मितव्ययी होंगे ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) चितरंजन रेल इंजन कारखाने में भाप चालित रेल इंजनों का उत्पादन जनवरी, 1972 से रोक दिया गया है और बिजली एवं डीजल चालित रेल इंजनों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

भारतीय रेलों पर डीजल और बिजली कर्षण का प्रारम्भ मुख्यतः इस उद्देश्य से किया गया है कि संचलन की गति तेज की जा सके तथा लाइन क्षमता बढ़ायी जा सके । जहां कहीं भाप कर्षण से खण्डीय क्षमता संतृप्त बिन्दु तक पहुंच गई है और जहाँ अन्य उपायों द्वारा लाइन क्षमता बढ़ाने में भारी खर्च तथा विलम्ब होने की सम्भावना हो, वहां, डीजलीकरण/बिजलीकरण से तुरन्त राहत मिलती है ।

(ख) जी हां । चितरंजन रेल इंजन कारखाने में डीजल शटरों के अलावा मुख्य लाइन के बिजली चालित रेल इंजनों का उत्पादन भी किया जायेगा ।

(ग) चौथी योजना में शेष दो वर्षों (1972–73 और 1973–74) के दौरान चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में उत्पादन इस प्रकार होने की सम्भावना है :

	रेल इंजनों का उत्पादन	
	बिजली	शटर
1972–73	65	56
1973–74	74	56

(घ) चितरंजन और वाराणसी में बिजली तथा डीजल रेल इंजनों का जितना उत्पादन होने की सम्भावना है, वह अतिरिक्त यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा भाप चालित गतायु रेल इंजनों के बदलाव के लिए पर्याप्त होगा।

भारी घनत्व वाले मुख्य भागों का बिजलीकरण करना सबसे अधिक किफायती है जबकि बहुत से अन्य खण्डों पर डीजलीकरण करना किफायती होगा शेष अपेक्षाकृत महत्वहीन खण्डों पर आगामी कुछ समय के लिए जब तक कि भाप चालित रेल इंजनों का वर्तमान बेड़ा धीरे-धीरे हटा नहीं लिया जाता, भाप कर्षण जारी रहेगा।

दिल्ली अहमदाबाद, सवाई माधोपुर-सीकर, आगरा-अहमदाबाद लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करना

349. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-अहमदाबाद मीटर गेज लाइन को परिवर्तित करने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सर्वेक्षण में आगरा-अहमदाबाद और सवाई माधोपुर-जयपुर, सीकर-झुनझुनू और बांदीकुई-आगरा जैसी ब्रांच लाइनों को भी शामिल किया जायेगा; और

(ग) उक्त लाइनों को परिवर्तित करने का कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) उल्लिखित खण्डों में से केवल जयपुर-सवाई माधोपुर खंड के सर्वेक्षण की व्यवस्था है। उस सर्वेक्षण में जयपुर-बान्दीकुई आगरा और सीकर-झुकझुनू खण्ड सम्मिलित नहीं है।

(ग) यह सर्वेक्षण दिसम्बर, 1972 तक पूरा हो जायेगा। सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जांच हो जाने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा।

रेलवे में बिना टिकट यात्रा में वृद्धि

350, **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में रेलवे में टिकट यात्रा में वृद्धि हुई है;

(ख) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां गत वर्ष टिकट देखने वाले कर्मचारियों द्वारा सबसे अधिक यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये और उनसे जुर्माने के रूप में कितना धन वसूल किया गया; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिना टिकट यात्रा करने की जांच करने के प्रश्न के लिये एक समिति गठित करने का है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) बिना टिकट यात्रा से सम्बन्धित आंकड़े रेलवे-वार रखे जाते हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें 1971-72 (अप्रैल, 1971 से मार्च, 1972 तक) के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर बिना टिकट अथवा अनियमित टिकटों पर यात्रा करते पकड़े गये यात्रियों की संख्या के साथ ही उनसे वसूल की गयी किराये और अधिक प्रभार की रकम दिखाई गयी है।

(क) जी नहीं।

विवरण

वर्ष 1971-72 में सभी भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा से सम्बन्धित आंकड़े

रेलवे	बिना टिकट अथवा अनियमित टिकटों पर यात्रा करते पकड़े गये यात्रियों की संख्या	वसूल की गयी किराये और अधिक प्रभार की रकम रुपये
मध्य	2, 35, 456	36, 19, 609
पूर्व	2, 57, 232	38, 30, 980
उत्तर	2, 00, 609	23, 43, 458
पूर्वोत्तर	1, 30, 004	15, 67, 318
पूर्वोत्तर सीमा	51, 580	5, 32, 551
दक्षिण	2, 26, 653	29, 51, 202
दक्षिण मध्य	1, 40, 173	18, 47, 678
दक्षिण पूर्व	1, 85, 146	17, 10, 826
पश्चिम	2, 65, 587	31, 56, 464
जोड़	16, 92, 440	2, 15, 60, 086

रूई के मूल्य और रूई के भाड़े में समानता लाना

351. **श्री रानेन जेन** :

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र को लिखा है कि रूई के मूल्य और रूई का भाड़ा सब जगह एक सामान होना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) मामले पर ब्यौरेवार विचार करने की आवश्यकता है।

गंगा नदी का सूखना

352. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा नदी धीरे धीरे सूख रही है और यह रिपोर्ट केन्द्रिय सरकार के पास है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण है और इस स्थिति के समाधान के लिए सरकार ने क्या सुझाव दिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) गंगा नदी के सूख जाने के सम्बन्ध में ऐसी कोई रिपोर्ट भारत सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई में कमी

353 **श्री समर मुखर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई में भारी कमी के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल के अनेक औद्योगिक उपकरणों के लिए गम्भीर कठिनाईयां उत्पन्न हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो बिजली की कमी के क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** : दामोदर घाटी निगम अधिनियम के अन्तर्गत, दामोदर घाटी निगम का मुख्य उत्तरदायित्व घाटी के भीतर विद्युत सप्लाई करना है। बहरहाल, पश्चिम बंगाल और बिहार की संबंधित सरकारों के साथ व्यवस्था द्वारा घाटी के बाहर कुछ क्षेत्रों को भी विद्युत सप्लाई की जा रही है। विद्युत-जनन यूनिटों के अथवा उनके सहायक उपकरणों के मजबूरन बंद होने के कारण विद्युत की सप्लाई में रुकावटें आई हैं। ऐसे अवसरों पर दामोदर घाटी निगम को पीक घटों में विद्युत भार पर पाबन्दिया लगानी पड़ी। फिर भी, विद्युत जनन में कोई अधिक कमी नहीं आई है और सभी उपभोक्ताओं को विद्युत के विक्रय में कमी पिछले वर्ष की तिमाही की औसत की तुलना में 1972-73 को प्रथम तिमाही के दौरान केवल 3·4% तक ही है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल को बिजली की सप्लाई

354. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दामोदर घाटी निगम आरम्भ से ही पश्चिम बंगाल को उसका निश्चित कोटा (अर्थात् कुल विद्युत उत्पादन का 40 प्रतिशत) सप्लाई नहीं कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री श्री बैजनाथ कुरील (क) और (ख) : दामोदर घाटी निगम द्वारा उत्पादित विद्युत का कोई ऐसा निश्चित कोटा पश्चिम बंगाल अथवा बिहार को

सप्लाई करने के लिए निर्धारित नहीं किया गया है । बहरहाल, पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को सप्लाई की गई विद्युत का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

1969 -70	- -	41·4%
1970 -71	- -	44 7%
1971 -72	- -	45·6%

पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों में बिजली का संकट

355, **श्री समर मुखर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में बिजली संकट के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप तथा कारण क्या है और संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में इस समय विद्युत सप्लाई की स्थिति कठिन है ।

(ख) विद्युत सप्लाई स्थिति के संकटमय होने के वे कारण हैं :—पश्चिम बंगाल दामोदर घाटी निगम और बिहार के विद्युत केन्द्रों में तापीय जनन यूनिटों का अक्सर बंद हो जाना और देर से मानसून आने के कारण दामोदर घाटी निगम के जल-विद्युत जलाशयों में अपर्याप्त जल-संचय के परिणाम स्वरूप जल-विद्युत केन्द्रों से विद्युत का कम मात्रा में उपलब्ध होना । उड़ीसा में तलचर विद्युत केन्द्र में एक विद्युत-जनन यूनिट के आपत्कालिक बंद होने के और दूसरी यूनिट के ओवरहाल के लिए बंद होने के कारण विद्युत-जनन में कमी आ गई है ।

क्षेत्र में विभिन्न पारेषण पथों और अन्तर्राज्यीय पारेषण सम्पर्कों को चालू करने के साथ साथ पश्चिम बंगाल में सन्तालडीह और दामोदर घाटी निगम में चन्द्रपुरा पर विद्युत-जनन यूनिटों को चालू करने में शीघ्रता की जा रही है । तापीय यूनिटों के विद्युत-जनन में सुधार करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

भारत सरकार, सलाहकारों के दो विशेषज्ञ दलों की स्थापना करने पर भी विचार कर रही है जो देश में ताप और जल विद्युत केन्द्रों का निरीक्षण और वर्तमान प्रचालन स्थितियों का अध्ययन करेंगे तथा सुधारों के लिए उपायों की सिफारिश करेंगे ।

कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र में अक्सर विद्युत प्रदाय बंद होने के कारणों के अध्ययन करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति की स्थापना भी कर दी गई है ।

केरल में काजू उद्योगों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

356. **श्री समर मुखर्जी** : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीर्घकाल से अनिर्णीत पड़ी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए केरल में काजू उद्योग के लगभग 1·5 लाख कर्मचारियों द्वारा आरम्भ की गई हड़ताल की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या काजू के कारखानों को सार्वजनिक क्षेत्र में लेने हेतु केरल सरकार को और अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

रेल गाड़ियों का समय पर चलना

357. **श्री सतपाल कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल गाड़ियों के समय पर चलने में और आगे कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 1971 की तुलना में 1972 में कितना सुधार हुआ है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए की रेल गाड़ियाँ समय पर चलें, आगे और क्या उपाय करने का विचार है और यह कब तक सुनिश्चित किया जायेगा कि देश में समस्त रेलगाड़ियां समय पर चलने लगें ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) (क) और (ख) : जनवरी से जून, 1972 के दौरान, 1971 की इसी अवधि की तुलना में, विभिन्न क्षेत्रीय रेलों की बड़ी लाइन और मीटर लाइन पर समय-पालन में सुधार का प्रतिशत 3·1 से लेकर 28·9 के बीच रहा । लेकिन पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर बड़े आमान की लाइनों पर खतरे की जंजीर खींचे जाने की घटनाओं में वृद्धि होने के कारण समय-पालन में थोड़ी सी गिरावट आयी ।

(ग) क्षेत्रीय रेलों द्वारा सभी स्तरों पर गाड़ियों के समय पालन पर कड़ी निगाह रखी जाती है और महत्वपूर्ण गाड़ियों के समय पालन पर रेलवे बोर्ड के स्तर पर निगरानी रखी जाती है । परिहार्य विलम्ब के मामलों की तुरन्त जांच की जाती है और समय पालन में सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक या दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है । जन आन्दोलन तथा रेल पथ के बाढ़ ग्रस्त हो जाने आदि जैसे प्राकृतिक कारणों के बाबजूद अनुकूलतम परिणाम प्राप्त करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं । कुछ चुनी हुई गाड़ियों में खतरे की जंजीर को नाकाम कर दिया गया है ताकि गाड़ियों का समय पालन बेहतर हो जाये ।

वर्ष 1971-72 में बड़ी लाइन में बदली गयी मीटर लाइनें और छोटी लाइनों की लम्बाई

358. **श्री सतपाल कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1971-72 में देश में कुल कितने मील मीटर और छोटी रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला गया ;

(ख) इस उद्देश्य के लिए 1971-72 के बजट में कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई थी और उक्त वर्ष में कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ग) मीटर और छोटी रेलवे लाइनों में बदलने के लिए वर्ष 1972-73 के बजट में कुल कितने धन की व्यवस्था की गई है और इस वर्ष कुल कितने मील लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जायेगा ; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां 1971-72 में यह कार्य किया गया था तथा कितने

मील लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला गया है तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जहाँ इस वर्ष यह कार्य किया जायेगा तथा कितनी मील लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) (क) दक्षिण मध्य रेलवे के दो मीटर लाइन खंडों अर्थात् पूर्णा-मिरज खंड (279.19 कि० मी०) और मिरज-कोल्हापुर खंड (47.22 कि० मी० के आमान परिवर्तन के लिए क्रमश: 1963-64 और 1968-69 में मंजूरी दी गयी है और 1971-72 में यातायात के लिए खोल दी गयी है ।

(ख) 1971-72 में इन परिवर्तनों के लिए 1·8 करोड़ (लगभग) रुपये की व्यवस्था की गयी थी और इसे खर्च कर दिया गया ।

(ग) 3·14 करोड़ रुपये (लगभग) और 1600 कि० मी० (लगभग) ।

(घ) 1971-72 में पूर्णा-मिरज-कोल्हापुर (326·41 कि० मी० महाराष्ट्र में) लाइन पूरी कर दी गई । फिलहाल निम्नलिखित मीटर लाइन खंडों का बदलाव जारी है :—

(1) वीरमगाम- ओखा और कानालुस-पोरबन्दर (जामनगर-वेदी और कानालुसिका सहित) 556 97 कि० मी० गुजरात राज्य में)

(2) गुन्तकल्ल- बैंगलूरू सिटी (280·29 कि० मी० आन्ध्र और मैसूर राज्यों में)

(3) तिरुवन्तपुरम-कोल्लम-एर्णाकुलम (220·14 कि० मी० केरल राज्य में)

(4) बाराबंकी-समस्तीपुर (572 कि० मी० उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में)।

रेलवे वर्कशापों में रेलवे माल डिब्बों का निर्माण

359. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलवे वर्कशापों में रेलवे माल डिब्बों का निर्माण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) रेलों ने रेल कारखानों में नियमित रूप से माल-डिब्बों का उत्पादन 1961 से शुरू किया ।

(ख) रेल कारखानों में माल डिब्बों का उत्पादन मुख्य रूप से 1961 में प्रोत्साहन योजना शुरू करने के फलस्वरूप अतिरिक्त घोषित किये गये कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिए शुरू किया गया था । लेकिन चल-स्टाक के नियमित अनुरक्षण और मरम्मत के काम में तेजी से वृद्धि होने के फलस्वरूप केवल तीन कारखानों को छोड़कर जिनमें मरम्मत के काम में वृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा, अधिकांश कारखानों में उपलब्ध जनशक्ति और सुविधाएं मरम्मत के काम में नियोजित की गयी हैं ।

जापान में कपड़ा मिलों की मशीनों का आयात

360. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जुलाई, 1972 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1966 में जापान से कपड़ा मिलों की कीमती मशीन का आयात किया था और क्योंकि राज्य व्यापार

निगम इसे अभी तक नहीं बेच सका है, अतः यह बम्बई में किसी गैर सरकारी गोदाम में पड़ी हुई है;

(ख) क्या ब्याज, गोदाम, किराया, बीमा आदि सहित, माल का वर्तमान मूल्य 93 लाख रुपये बैठता है;

(ग) क्या मशीन का आयात विशिष्ट क्रया देश पर किया गया था और यदि हां, तो माँग-कर्त्ताओं ने उसे क्यों नहीं खरीदा है; और

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम ने इस मशीन को बेचने की कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी हां।

(ग) मूल मांग कर्त्ता वित्तीय कठिनाइयों के कारण मशीन की सुपुर्दगी नहीं ले सके।

(घ) जी हां। योजना की मुख्य बातें निम्नोक्त प्रकार हैं—

( ) मशीनें निर्यात अभिमुख एककों को, जो और भी निर्यात उत्पन्न करने की स्थिति में हो, वही मूल्य पर बेची जाती है।

(2) प्रत्येक मशीन के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रु० मूल्य का अपेक्षित कच्चा माल (नायलन धागा अथवा फिलामेंट पोलिस्टर धागा) सभरित किया जायेगा। बाद के वर्षों में आय तित कच्चे माल की प्रतिपूर्ति विहित हकदारों पर आधारित होगी।

(3) इन मशीनों के अलाटी तीन वर्ष की अवधि में मशीनों के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 200 प्रतिशत तथा कच्चे माल के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य के 100 प्रतिशत तक के नकली रेशम के वस्त्रों के निर्यात के लिए निर्यात दायित्व लेना। उसके बाद निर्यात दायित्व कच्चे माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 100 प्रतिशत रह जायेगा। मशीनों की बिक्री। कच्चे माल की निकासी से पूर्व अलाटियों से बैंक गारन्टी अथवा अन्य किसी इस रूप से स्वीकार्य वचन-पत्र द्वारा समर्थित एक बांड लिया जायेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने दायित्व पूरा करेंगे।

(4) मशीनें प्रत्येक निर्माता/निर्यातक की, जिसका वर्ष 1968-69 तथा 1969—70 तथा 1970-71 में नकली रेशम वस्त्रों का सर्वोतम निर्यात निष्पादन हुआ हो, एक या दो मशीनों के सैटों में अलाट की जायेगी। इन मशीनों की बिक्री तथा कच्चे माल की निकासी पर निर्यात दायित्व, 1968-69, 1969—70 तथा 1970—71 के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी वर्ष में किये गये निर्यात के आँकड़ों के अतिरिक्त होगा।

पोंग बांध के कारण विस्थापित हुई व्यक्तियों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के बीच विवाद

361. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पोंग बांध के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान राज्य सरकारों के बीच चल रहे विवाद का पता है, और यदि हां तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस विवाद में हस्ताक्षेप करने का है;

(ख) क्या राजस्थान नहर क्षेत्र में विस्थापितों को भूमि आवंटित करने के लिए भूमि का अधिकतम क्षेत्र निश्चित करने के बारे में वर्ष 1960 से दोनों राज्यों के तत्कालीन मुख्य मंत्रियों के बीच हुई वार्त्ता के परिणामस्वरूप कोई निष्कर्ष निकला था अथवा कोई समझौता हुआ था तथा इस बांध के पूरा होने तक अधिकतम कितने विस्थापित व्यक्ति प्रभावित होंगे;

(ग) किसी व्यक्ति को विस्थापित व्यक्ति मानने के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पोंग बाँध के विस्थापितों को दिए जाने वाले मुआवजे के संबंध में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकारों के बीच कोई विवाद नहीं है ।

(ख) संबंधित राज्यों के तत्कालीन मुख्य मंत्रियों के बीच 1960 में हुई वार्ता के उपरांत यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन रहा और 1965 में राजस्थान सरकार पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आए विस्थापितों में आबंटन के लिए 3 25 लाख एकड़ भूमि सुरक्षित रखने पर सहमत हो गयी थी। तदुपरांत पोंग बांध से विस्थापित लगभग 20,7000 परिवारों के लिए यथानुपात भाग 2·25 लाख एकड़ पर फैसला हुआ था ।

(ग) मुख्य मंत्रियों की समिति की तीसरी बैठक में किसी व्यक्ति को व्यास परियोजना से विस्थापित मानने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए गए : —

व्यास परियोजना क्षेत्र से 'विस्थापित' के पुर्नवास के लिए वही व्यक्ति हकदार होगा जो व्यास परियोजना के निर्माण के लिए अधिगृहीत क्षेत्र के अन्दर स्थायी रूप से भूमिधर, भूमिहीन श्रमिक अथवा शिल्पकार के रूप में 31 मार्च, 1961 को अथवा उससे पहले से रहता हो ।

स्पष्टीकरण

उपर्युक्त व्यक्तियों के संबंध में ऐसे व्यक्ति जो व्यापार, धन्धा अथवा सर्विस के कारण लम्बी अवधि के लिए अपने ग्रामों से अनुपस्थित रहे, ग्रामों में "स्थायी रूप से रहने वाले" समझे जाएंगे ।

इस तिथि के पश्चात् इन क्षेत्रों में विधि द्वारा उत्तराधिकरण को छोड़कर अन्य किसी भी ढंग के जरिए, अधिकार पाने वाला व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों से विस्थापितों को होने वाले लाभों का हकदार नहीं होगा ।

Setting up of Mica Corporation

362. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Mica Corporation; and

(b) the progress made so far in this direction and the time by which this Corporation is likely to be constituted and the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) & (b) : It is proposed to set up a Mica Trading Corporation as a subsidiary of the Minerals & Metals Trading Corporation to undertake purchase, processing and export of mica. The question of creation of the subsidiary is under examination and it is expected that it would be constituted soon.

Crisis in Mica Industry

363. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the steps taken so far by Government to overcome the crisis in Mica industry and whether any advice has been sought from the representatives of the people in this regard; and

(b) the names of the places where Minerals and Metals Trading Corporation has set up its offices for Mica trading ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) The Minerals and Metals Trading Corporation has allowed export of mica against contracts finalised by the mica exporters with foreign buyers to normalise export trade in mica.

(b) The Corporation has its Offices in port towns but will soon establish offices in Bihar, Rajasthan and Andhra Pradesh.

Hindi Version of Trade Agreements with Foreign Countries

364. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the language in which drafts of trade agreements with foreign countries are prepared; and

(b) whether Hindi versions of such agreements are also required to be published in accordance with the declaration made by Government and if so, whether they are so published ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Normally Trade Agreements concluded by the Government of India with other countries are prepared in three languages, viz. Hindi, English and the language of the other country.

(b) The salient features of Trade Agreements are published by the Directorate of Exhibitions & Commercial Publicity, Ministry of Foreign Trade in its Hindi Monthly 'Udyog Vyapar Patrika.

Supply of Water to Bihar from the Konar and Tilaiya Dams

365. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Power and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had sent any letter to the Government of West Bengal in the recent past regarding the supply of water to Bihar from the Konar and Tilaiya dams under Damodar Valley Project;

(b) if so, the broad outlines thereof and of the letter sent by Government of West Bengal in reply thereto;

(c) the steps being taken by Government in this regard; and

(d) whether correspondence has also been exchanged with Bihar Government in this regard and if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : **(a) to (d)** : The attention of the State Governments of West Bengal and Bihar was invited to the recommendation of the Chairman of the Committee of Experts appointed by the Damodar Valley Corporation that the waters of Tilaiya could be diverted for use in highly drought affected areas in Bihar and that similarly the waters of Konar could also be used for irriga-

tion of drought affected areas in Bihar by constructing a link canal from Tenughat reservoir for the supply of cooling waters for Bokaro and Santaldih power stations and for other industrial uses. It was suggested to the Government of Bihar that these proposals might be finalised for further consideration by the two State Governments. The Government of West Bengal in their reply indicated that they could not agree to such a proposal as these waters were required for agricultural and industrial uses in their State.

It has been suggested to the chief Ministers of the two States that it would be best if they could discuss these and other matters between themselves to settle the issues and that if they so desired, the assistance of the Central Government would be available.

Issue Raised in Regard to Damodar Valley Project and Sone Valley Project Water Dispute at Srinagar Canference

366. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any issue in regard to water dispute of Damodar Valley Project and Sone Valley Project was raised at Srinagar Conference of States I. and P. Ministers and if so, the broad outlines thereof; and

(b) the States in the country which are involved in water disputes at present and whether Central Government propose to adopt any concrete policy in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) During discussions at the Sixth Conference of State Ministers of Irrigation and Power held in June-July, 1972 at Srinagar, the representative of the Bihar State urged the need for the early settlement of the dispute over the waters of the Sone River and also for the early clearance of the Tilaiya Dam Scheme.

Discussions are being held with the Chief Ministers of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar to resolve the differences amongst the three States over the use of Sone waters in the context of the Bansagar Project proposed by Madhya Pradesh. It is felt that it would be possible to arrive at a settlement in the near future.

It has been suggested to the Chief Ministers of Bihar and West Bengal that it would be best if they could discuss the proposal of Bihar Government on diversion of waters from Tilaiya Dam for use in Bihar and other matters regarding the Damodar between themselves to settle the issues and that, if they so desired, the assistance of the Central Government would be available.

(b) the policy of the Government of India is to make efforts to settle all such disputes by negotiations and a number of disputes have been settled in this way. In a few instances where the differences could not be resolved by negotiations, they are referred for adjudication by Tribunals under the provision of the inter-State Water Disputes Act, 1956,

कलकत्ता पत्तन की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये हुगली नदी के पानी के पर्याप्त बहाव को स्थिर रखना

367. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने हुगली नदी के पानी के पर्याप्त बहाव को स्थिर रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो फरक्का बांध के साथ वाली पोषक नहर खुल जाने के पश्चात कितना

पानी बहने की आशा है; और

(ग) इस संबंध में किये गये निर्णय की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं।

(ख) **और (ग)** : इस संबंध में जानकारी वही है जो फरक्का बराज परियोजना के बारे में 31 मई, 1972 को लोक सभा में रखे गये विवरण में दी गई थी, अर्थात;

20 जून से दिसम्बर तक	—	40,000 क्यूसेक
जनवरी से मध्य मार्च तक	—	40,000 से 20,000 क्यूसेक
मध्य मार्च से मध्य मई तक	—	20,000 क्यूसेक तक (यथा उपलब्ध)
मध्य मई से 20 जून तक	—	20,000 से 40,000 क्यूसेक

कालिन्दी परियोजना (मैसूर)

368. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने कालिन्दी परियोजना के निर्माण के लिए मैसूर राज्य को कितना धन ऋण के रूप में दिया है;

(ख) क्या उक्त परियोजना पर व्यय कम करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) केंद्रीय सरकार ने मैसूर सरकार को खास कालीनदी परियोजना के लिए अभी तक कोई ऋण नहीं दिया है। भारत सरकार द्वारा हर साल ब्लाक अनुदान/ऋण दिये जा रहे हैं और ये अनुदान/ऋण किसी खास परियोजना से बद्ध नहीं होते।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के व्यापार प्रतिनिधि मंडल का बंगला देश का दौरा

369. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के किसी व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने इस वर्ष बंगला देश का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Bansagar Project

370. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether high level talks have been held among the Chief Ministers of Bihar.

Madhya Pradesh and Uttar Pradesh to find out a solution of the dispute regarding Bansagar Project;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c) : Some discussions have already been held amongst the Chief Ministers. It is hoped that it would be possible to arrive at a settlement in the further round of discussions proposed to be held in the near future.

रेलवे के डाक्टरों द्वारा मरीजों के घर जाकर मुआयना करने पर ली जाने वाली फीस

371. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैक्टिस बन्दी भत्ता लेने वाले रेलवे के डाक्टर रेलवे के क्वार्टरों में जाकर रोगियों को देखने की फीस लेते हैं ;

(ख) यदि हां, तो रोगियों के घरों पर जाकर उन्हें देखने के लिये फीस की निर्धारित दरें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार ली गई फीस को आयकार निर्धारण में शामिल किया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3215/72**]

(ग) जी हां ।

पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन में रेलवे क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा

372. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन में कर्मचारियों के समुचित आवंटन के बिना कितने रेलवे क्वार्टरों पर कब्जा किया हुआ है ;

(ख) प्रत्येक मामले में इस प्रकार अनधिकृत रूप से कब्जे की अवधि कितनी है ; और

(ग) ऐसे क्वार्टरों के आवंटन को नियमित करने और रेलवे को दी जाने वाली राशि को वसूल करने के लिए रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) अधीनस्थ कर्मचारियों को 282 यूनिट क्वार्टर ।

(ख) 133 यूनिट क्वार्टर एक वर्ष से कम अवधि से, 56 यूनिट एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम से, 21 यूनिट दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम से और 72 यूनिट तीन वर्ष से अधिक से ।

(ग) प्रशासन अनधिकृत आवासियों से शास्तिक दर पर किराया वसूल कर रहा है ।

आर० टी० ए०, धनबाद डिवीजन पूर्व रेलवे, के चयन के लिये अस्थायी प्रबन्ध करने हेतु अपनाई गई कसौटी

373. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे पर धनबाद डिवीजन में ग्रार० टी० ए० 6 जुलाई, 1966 का रेफ्रेंस ई टी/4/पैनल/ग्रार० टी० ए० पार्ट । का चयन धनबाद जिला जज के न्यायालय में ग्रभी भी न्यायाधीन है ,

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई ग्रस्थायी प्रबन्ध किया गया है : ग्रौर

(ग) यदि हां, तो ग्रस्थायी प्रबन्ध करने के लिए क्या कसौटी ग्रपनाई गई ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) पात्र कोटियों के कर्मचारियों में से वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता के ग्राधार पर ग्रल्पकालिक व्यवस्था कर दी गयी है ।

गंगा ग्रौर कावेरी के संगम का बाण सागर परियोजना पर प्रभाव

374. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई ग्रौर विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गंगा को कावेरी में मिलाने की प्रस्तावित योजना से बाण सागर परियोजना योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; ग्रौर

(ख) मिर्जापुर के पठार की सिंचाई करने हेतु सोन नदी के जल का प्रयोग करने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना पर इस प्रस्ताव का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सिंचाई ग्रौर विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) ग्रौर (ख): न तो बनसागर परियोजना ग्रौर न ही गंगा बेसिन में कोई वर्तमान ग्रथवा भावी परियोजनाएं प्रस्तावित सम्पर्क से कुप्रभावित होंगी ।

लोह ग्रयस्क का निर्यात

375. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे लोह-ग्रयस्क निर्यात व्यापार में वृद्धि हो गयी है ; ग्रौर

(ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से देश हमारे लोह ग्रयस्क का ग्रायात करते हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : (क) जी हां,

(ख) भारतीय उद्भव के लोह ग्रयस्क का ग्रायात करने वाले मुख्य देश जापान, रुमानिया, चैकोस्लोवाकिया, पौलैंड तथा बुलगारिया है ।

स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के पदोन्नति के ग्रवसर

376. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नतियों के ग्रवसरों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; ग्रौर

(ख) वेतन ग्रायोग के समक्ष पदोन्नति क्रम के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) भारतीय रेलों के महाप्रबन्धक रेलों में अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति सरणियां निर्धारित करने में सक्षम हैं लेकिन शर्त यह हैं कि उनसे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन न होता हो। इसलिए स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति सरणियां अलग-अलग रेलों पर अलग-अलग हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा इस आशय की हिदायतें जारी की गयी हैं कि 250—380 रु० (अ० वे०) ग्रेड तक के और इस ग्रेड वाले स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के पद केवल निचले ग्रेड में काम करने वाले स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए अलग से सुरक्षित रखे जाने चाहिए लेकिन 250—380 रु० (अ० वे०) के ग्रेड में यातायात प्रशिक्षुओं की सीधी भर्ती निर्धारित प्रतिशत के अनुसार होती रहेगी।

(ख) प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर देखते हुए स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति सरणि के सम्बन्ध में वेतन आयोग को कोई प्रस्ताव भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

विदयुत् परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण

377. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् परियोजनाओं की धीमी प्रगति का कारण दो विदयुत् उपकरण निर्माता, अर्थात्, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड, और हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड द्वारा समय पर अपेक्षित उपकरण सप्लाई न किया जाना है; और

(ख) यदि नहीं, तो कथित धीमीं प्रगति के क्या अन्य कारण हैं।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** : बिजली परियोजनाओं के प्रचालन में धीमी प्रगति का केवल यह कारण नहीं है कि एच० ई० एल० और बी० एच० ई० एल, जो दो मुख्य देशी निर्माता हैं और अन्यों द्वारा संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई में देरी की गई थी। विलम्ब के अन्य कारण ये हैं :—

(i) सिविल कार्यों के पूर्ण होने में देरी ;

(ii) देशी निर्माताओं द्वारा बताई गई डिलिवरी परियोजना अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रचालन लक्ष्य के अनुकूल नहीं हुई ;

(iii) अन्य देशी निर्माताओं द्वारा बैलेंसिंग उपस्कर की मदों की सप्लाई में देरी ;

(iv) कुछ विद्युत् परियोजनाओं के लिए उपलब्ध धन की अपर्याप्तता; और

(v) इस्पात जैसी कुछ निर्माण सामग्री को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ।

अमरीका को निर्यात

378. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के वाणिज्य विभाग के अनुसार भारत अमरीका को होने वाला निर्यात जनवरी मार्च 1972 में कुल 1148 लाख डालर का हुआ था।

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष की दूसरी तिमाही में निर्यात की यही गति कायम रखी गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां,

(ख) जबकि इस वर्ष की सम्पूर्ण दूसरी तिमाही की ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, ऐसे संकेत मिले है कि वही गति कायम रखी जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Construction of a Third Originating Railway Station in Delhi

379. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to construct a third originating Railway station in Delhi; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) There is no construction proposal but surveys/investigations are in hand.

(b) Does not arise.

Introduction of a direct train from Delhi to Tiruneiveli (Southern Railway)

380. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a direct train is proposed to be introduced from Delhi to Tirunelveli;

(b) whether this train is proposed to be run from Delhi to Cape Camorin after Cape Camorin is put on the Railway map; and

(c) if so, by what time the proposed train will start ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Not at present.

(b) & (c) : It would be possible to introduce a train from Delhi to Cape Comor after the Ernakulam-Trivandrum conversion and Trivandrum-Kanyakumari-Tirunelveli new line projects are completed, in about 3 years time.

Reservation in III Class Compartments

381. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the hardships faced by people while making reservations in Third class compartments; and

(b) if so, the steps taken by Government to remove these hardships ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes, but only in cities like Delhi, Bombay, Madras and Calcutta, during periods of rush at the time of holidays in Summer and at the time of Puja, Diwali and Christmas festivals.

(b) (1) Surprise checks of reservation offices are conducted;

(ii) During periods of rush, additional booking windows are provided and special trains are run;

(iii) Raids are organised against activities of anti-specialrelements;

(iv) A Committee of Members of Parliament has been appoint d to study the problem and suggest improvements.

Complaints Re : General Election in States

382. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) the total number and nature of complaints received at the Central and State level during the elections held this year; and

(b) the action taken or proposed t) be taken on each complaint ?

The Minister of State in the Ministry of Law & Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary). (a) 1433 complaints were received by the Election Commission and 1484 by the Chief Electoral Officers of the States/Union territories The nature of the complaints may be summarised as follows :—

Nature of complaints	Received by Commission	Received by C. E. Os.
Omission of names and inclusion of bogus names in the electoral rolls.	150	26
Thransfer of officers on the eve of elections.	38	13
participation by Government employees in elections	270	354
Misuse of Government machinery.	59	203
Partisan attitude of Government officers employed on election duty.	36	94
Printing and publishing objectionable posters; pamphlets etc.	11	—
Intimidation and coercion of voters at polling stations.	70	68
Impersonation of voters.	30	9
Disturbance at public meetings and maintenance of law and order.	419	380
Complaints of other miscellaneous character.	350	337
Grand total	1433	1484

(b) Wherever the complaints contained specific allegations, they were immediately brought to the notice of the authorities concerned for appropriate action.

उठाईगीरी और चोरी के कारण रेलवे को हानि

383. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उठाईगीरी और चोरी के कारण रेलवे को, क्षेत्र-वार, कितनी हानि हुई हैं ;

(ख) रेल माल की उठाई गीरी और चौरी को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या इन उपायों से कोई परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बुक किये गये परेषणों की चोरियों और उठाईगीरी के कारण भारतीय रेलों द्वारा भुगतान किये गये क्षतिपूर्ति के दावों का ब्योरा रेलवार संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) रेलवे के माल की चोरियों और उठाईगीरी को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं ।

(i) बुक किये परेषणों की चोरी को रोकने और उनका पता लगाने के लिए सशस्त्र गश्त को तीव्र कर दिया गया है ।

(ii) भेद्य खन्डों में माल गाड़ियों पर सशस्त्र मार्ग रक्षकों की व्यवस्था है ।

(iii) क्षेत्रीय अपराध आसूचना कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अचानक जाचों की व्यवस्था की जाती है ।

(iv) संदिग्ध रेल कर्मचारियों एवं बाहरी अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए सादे कपड़ों में रेलवे सुरक्षा दल के लोगों को लगाया जाता है ।

(v) 26 जनवरी, 1972 से एक अभियान चलाया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अपराधियों से चुराई गयी सम्पत्ति को लेने वालों का पता लगाने तथा उनसे भुगतने के लिए श्रमिक संगठनों और राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त किया गया है ।

(ग) जी हां । इन उपायों के फलस्वरूप चोरियों और उठाई गीरी के कारण क्षतिपूर्ति के दावों के भुगतान का बढ़ता हुआ रूप रुक गया है ।

विवरण

1969—70, 1970—71 और 1971—72 के वर्षों के दौरान भारतीय रेलों द्वारा चोरियों और उठाईगीरी के कारण भुगतान किये गये क्षतिपूर्ति के दावों के मूल्य का रेल-वार विवरण

वर्ष	मध्य	पूर्व	उत्तर	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर सीमा	दक्षिण
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1969-70	49,37,674	1,39,12,987	49,36,510	45 63 128	62,75 566	42,54,740
1970-71	56,14,297	1,69,98,588	37,21,185	32,06, 49	73,84,885	43,76,397
1971-72	48,32,138	1,63,82,521	33 39,104	38,57,528	91,90,948	35,95,104

वर्ष	दक्षिण-मध्य	दक्षिण पूर्व	पश्चिम	सब भारतीय रेलों का जोड़
	रु०	रु०	रु०	रु०
1969-70	19,48,051	41,82,429	44,93,300	4,95 04,381
1970-71	24,41,579	60,66,547	44,41,323	5,42 50,948
1971-72	22,45,570	86,87 275	41,02,976	5,62,33,164

मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

384. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दो वर्षों में कौन-कौन सी रेल लाइनें बड़ी लाइनों में बदल दी जायेंगी ; और

(ख) इन योजनाओं पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : आगामी दो वर्षों के दौरान मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्तावों पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । अतः उनकी अनुमानित लागत और खर्च के सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

अधिक बिजली उत्पादन करने की योजनाओं और पारेषण लाइनों के कार्य-संचालन और निर्माण कार्य

385. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध बिजली के वर्तमान असंतुलन को दूर करने के विचार से अधिक बिजली उत्पादन करने की योजनाओं और पारेषण लाइनों के कार्य-संचालन और निर्माण कार्य को अपने हाथ में लेने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा नियत किए गए सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच विद्युत की उपलभ्यता में विद्यमान असंतुलन को दूर किया जाए । इसे दूर करने का केन्द्र के पास एक रास्ता यह है कि बृहत्-जनन स्कीमों और मुख्य पारेषण पथों के निर्माण और प्रचालन का कार्य हाथ में लिया जाए ।

इस प्रश्न पर 30 जून और 1 जुलाई, 1972 को श्रीनगर में हुए राज्य के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों के छठे सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था । सम्मेलन का विचार था कि पांचवी योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत-जनन, बृहत् अन्तर्राज्यीय विद्युत परियोजनाओं के द्वारा अथवा राज्यों द्वारा विद्युत-जनन के अनुपूरक रूप में किया जाना चाहिए और इस नीति का बाद की योजनाओं में पुनरवलोकन किया जाना चाहिए ।

पारेषण पथों के सम्बंध में पांचवी योजना में परिकल्पित विद्युत-जनन और पारेषण के बृहत् कार्यक्रम और इसकी सफलतापूर्वक कार्यन्विति पर विचार करते हुए सम्मेलन ने राज्य और केन्द्रीय स्तरों पर विद्युत सप्लाई उद्योग की संगठनात्मक संरचना के पुर्नसंगठन की आवश्यकता को स्वीकार किया है । सम्मेलन ने सिफारिश की कि बिजली से सम्बद्ध विद्यमान कानून में जितना शीघ्र सम्भव हो सके, राज्य सरकारों के साथ सलाह करके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए । ठोस प्रस्ताव तैयार करने के दृष्टिकोण से मामले की और आगे जांच की जा रही है ।

संसद सदस्यों द्वारा तम्बाकू बोर्ड के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को मापन

386. **श्री एल० एम० पटेल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा गुजरात के अनेक संसद सदस्यों ने संयुक्त मापन के द्वारा प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है कि एक तम्बाकू बोर्ड का गठन किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ज्ञापन की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी और ;

(ग) उसमें दिये गये विभिन्न सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। ज्ञापन केवल आन्ध्र प्रदेश और मैसूर के संसद सदस्यों से प्राप्त हुआ था।

(ख) ज्ञापन की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3216/72**]

(ग) चिमनी द्वारा सुखाये गये वर्जिनिया तम्बाकू के लिए तम्बाकू विपणन बोर्ड की स्थापना करने का तब से विनिश्चय किया जा चुका है।

तम्बाकू के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

387. **श्री एच एम पटेल** : **क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में, वर्ष-वार और देश-वार, कुल कितनी मात्रा में तम्बाकू का निर्यात किया गया ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप अर्जित विदेशी मुद्रा की कुल राशि कितनी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) और (ख)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान मुख्य देशों को भारत के अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात

मूल्य लाख रु० में
मात्रा लाख किग्रा में

देश	1970–71		1971–72 (अप्रैल से जनवरी 72)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आस्ट्रेलिया	2	10	1	8
बैल्जियम	5	23	5	20
फ्रांस	16	19	3	2
जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य	15	68	9	28
इंडोनेशिया	13	16	4	12
आयरलैंड	17	172	11	96
जापान	25	239	40	383
लीबया	6	50	4	37
नीदरलैंड्स	11	28	7	23
नेपाल	27	50	10	18
सिंगापुर	10	77	4	28

दक्षिण यमन जनवादी गणराज्य	9	25	7	17
साउदी अरब	10	27	7	23
सोमालिया	13	28	22	60
संयुक्त अरब गणराज्य	9	39	8	76
ब्रिटेन	186	1662	156	1309
सोवियत संघ	70	554	178	1438
अन्य देश	31	53	36	97
योग	475	3140	512	3675

राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू की खरीद

388. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा उत्पादकों से सीधे ही और बिचौलियों के माध्यम से तम्बाकू की कुल कितनी मात्रा खरीदी गई ;

(ख) निगम द्वारा बिचौलियों को उनकी कमीशन अथवा चढ़ाने-उतारने के खर्च के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ग) क्या अतिरिक्त माल होने की स्थिति में व्यापारियों और निगम द्वारा कम कीमत पर माल लेने के शोषण के बारे में उत्पादकों से शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो भविष्य में इस तरह की शिकायतें को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्ययाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम ने आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम और पैंकरों के माध्यम से किसानों से कुल 93 लाख कि०ग्रा० कच्चा तम्बाकू जिन मूल्यों पर खरीदा वे विनिर्दिष्ट मूल्यों से कम नहीं थे।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा कोई कमीशन या लादने-उतारने का प्रभार नहीं दिया गया।

(ग) जी नहीं।

निर्यात व्यापार की मात्रा

389. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के विभिन्न देशों को रुपयों में कुल कितना निर्यात व्यापार किया गया ;

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये व्यापार की प्रतिशतता क्या ; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम को और अधिक निर्यात व्यापार सौपने का कोई प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1671-72 में 1,566·66 करोड़ रुपये।

(ख) 1971-72 में लगभग छः प्रतिशत।

(ग) देश के निर्यात व्यापार में राज्य अभिकरणों को योग बढ़ाना सरकार की नीति है और इस नीति के अनुसरण में राज्य व्यापार निगम को समय समय पर और अधिक वस्तुओं के निर्यात सौंपे जाएंगे।

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग को अपने अधिकार में लेना

390. **श्री विश्व नारायण शास्त्री :**
श्री रोबिन काकोटी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आसाम सरकार से कोई ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग को अधिकार में लिया जाये ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : असम सरकार समय समय पर केन्द्रीय सरकार से ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग का उत्तरदायित्व लेने के लिए अनुरोध करती आ रही है।

यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

राजस्थान नहर के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरूप हानि

391. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर का निर्माण कार्य जून, 1972 में कार्य-भारित कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरूप रुक गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस हड़ताल के परिणामस्वरूप कितनी क्षति हुई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : राजस्थान राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 10 जून, 1972 से वर्क-चार्ज कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राजस्थान नहर के कार्य ठप्प नहीं हुए हैं और इसलिए हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

कपड़ा निर्यात निगम की स्थापना

392. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा निर्यात निगम की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निगम के उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में कितना कपड़ा निर्यात किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे व्यौरे तय किये जा रहे हैं और सरकारी क्षेत्र के रोल को बढ़ाने की सरकार की नीति के अनुसरण में वस्त्रों का निर्यात व्यापार को निगम के माध्यम से अपने हाथ में लेने का सरकार का विचार है।

(ग)	वर्ष	मूल्य लाख रु० में
	1969-70	11,153.8
	1970-71	11,542.6
	1971-72	11,027.1 (अनंतिम)

कर्मचारियों और छोटे अंशधारियों के लिए राज्य व्यापार निगम की पूंजी का लगाना

393. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने सरकार को सुझाव दिया है कि इसे कर्मचारियों तथा यूनिट ट्रस्ट जैसे छोटे अंशधारियों के लिए अपनी पूंजी का कुछ अंश लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) : सितम्बर, 1971 में भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० की वार्षिक महा सभा में अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम ने अपने वक्तव्य में इस संबंध में सुझाव दिये थे। ये सुझाव नोट कर लिए गए हैं। अभी तक कोई ठोस प्रस्थापना नहीं मिली है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि

394. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने और उनकी परिलब्धियों को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : यह एक आम भावना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें और निबन्धन इतने आकर्षक नहीं हैं कि वास्तव के योग्य सदस्य न्यायाधीश का पद स्वीकार करें। इसलिए मामला सरकार के विचाराधीन है।

अन्तर्राज्यीय नदी विवाद

395. **श्री निहार लास्कर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन नदियों के संबंध में अंतर्राज्यीय विवाद हैं उनके संबंध में योजनाएं बनाने और उनके निष्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रकार के अन्तर्राज्यीय विवादों को किस प्रकार हल किया जाता है ?

सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : सिंचाई एक राज्य विषय है । नदियों पर परियोजनाएं, चाहे वे अन्तर्राज्यीय हों या राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा ही, जहा कहीं आवश्यक हो दूसरे राज्यों के सहयोग से नियोजित और कार्यान्वित करनी होती हैं जब कभी विवाद उठ खड़े होते हैं उनको आपसी बातचीत के द्वारा हल करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किए जाते हैं । सिंचाई. बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत से संबधित कई समस्याएं और अन्तराज्यो मतभेद संबंधित राज्यों के बीच आपसी बातचीत द्वारा तय किया जा चुके हैं । कुछ अन्य मामलों पर केन्द्रीय सरकार की सहायता से संबंधित राज्यों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है । उन विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए, जो आपसी बातचीत के द्वारा तय नहीं हो सकते, अन्तर्राज्यों जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण गठित किए जा सकते हैं ।

रबड़ के मूल्यों में उत्तार चढ़ाव

396. **श्री वयालार रवि :**
श्री मुख्यितार सिंह मलिक :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मूल्य स्तर में स्थिरता लाने सम्बन्धी सतत प्रयासों के बावजूद रबड़ के मूल्य में बहुत अधिक उतार चढ़ाव हो रहा है,

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है और मूल्य स्तर में स्थिरता लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं, और

(ग) राज्य व्यापार निगम ने आज तक कुल कितना रबड़ क्रय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) और (ख)** : टायर तथा गैर टायर के कुछ एककों में हड़तालों तथा धीरे काम करने तथा कुछ क्षेत्रों में बिजली की कटौती और लघु रबड़ उपजकर्ताओं के पास अभीष्ट (ईको) कीमतों वाला स्टाक जमा हो जाने के कारण प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहा है । रबड़ की कीमतों को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है और आशा है कि इनसे कीमत स्तर बना रहेगा :—

(1) लघु उपजकर्ताओं को सितम्बर, 1970 में अधिसूचित कीमतों पर माल उपलब्धि सुनिश्चित करने तथा जमा स्टाकों को उठाने के लिए राज्य व्यापार निगम को, सहकारी सोसायटियों के माध्यम से लघु उपजकर्ताओं में रबड़ खरीदने हेंतु अक्तूबर 1970 में रबड़ बाजार में प्रवेश करने का निदेश दिया गया ।

(2) समय समय पर हुई अनेक बैठकों में विनिर्माताओं, टायर विनिर्माताओं द्वारा अपेक्षित 3.5 मास के स्टाक के बराबर तथा गैर टायर एककों द्वारा अपेक्षित 2.5 मास के स्टाक के बराबर प्राकृतिक रबड़ का स्टाक रखना स्वीकार किया ।

(3) नवम्बर, 1971 में केरल राज्य सरकार को रबड़ कीमत समर्थन कार्यवाही के लिए 2·50 करोड़ रु० मूल्य का ऋण मंजूर किया गया । कुल ऋण में से 50·50 लाख रु० की दो किस्तें केरल राज्य सरकार को दी जा चुकी हैं जिसने वह राशि रबड़

से संबंधित लघु उपजकर्ताओं, सहकारी सोसायटियों तथा अन्य सोसायटियों से रबड़ खरीदने के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को सौंप दी है ।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने निम्नलिखित प्रकार से प्राकृतिक रबड़ की खरीद की —

1970—71 (26 अक्तूबर, 1970 से 31 मार्च 1971 तक)	6,000 मे० टन
1971—72	12,648 मे० टन
1972—73 (1 अप्रैल से 17 जुलाई, 1972 तक)	2,043 मे० टन
योग :	20,691 मे० टन

राज्य व्यापार निगम समय समय पर विनिर्माताओं को रबड़ का आवंटन करता रहा है ।

ओलावाकोट के डिवीजनल कार्यालय का स्थानान्तरण

397. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डिविजनल कार्यालय अथवा इस कार्यालय के अन्य किसी विभाग को ओलावाकोट, केरल से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इसके बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कुछ अभ्यावेदन मिले थे और भाग (क) के उत्तर के अनुसार ही उनका उत्तर दिया जा चुका है ।

नार्वे तथा डेनमार्क को नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादनों का निर्यात

398. **श्री वयालार रवी**: क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्वे तथा डेनमार्क ने भारत से नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादनों का आयात करने के लिये क्या क्या विशेष सुविधायें दे रखी हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य देशों से भी इस प्रकार की सुविधायें प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रयास करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है और इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) अधिमानों की सामान्यीकृत पद्धति के लिये नार्वे तथा डेन्मार्क ने हस्ताक्षर किये हैं, जिनके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ भारत से कयर वस्तुओं के निर्यातों के लिये कतिपय रियायतें देने का प्रस्ताव है । नार्वे में भारतीय केयर वस्तुओं को व्यावहारिक रूप में, कोई विशेष छूट नहीं है जबकि डेनमार्क ने कुछ वास्तविक रियायतें दी हैं जो निम्नोक्त हैं :

अधिमानों की सामान्यकृत पद्धति से पहले दरें	अ. सा. पद्धति के बाद दरें
केयर उत्पादन 5 प्रतिशत से 12·5 प्रतिशत	निशुल्क
कयर की रस्सी डी० क्यू आरई० 41 किलो	निशुल्क

कयर वस्तुओं के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक उदार बनवाने के लिये सरकार के प्रयास जारी हैं।

वर्ष 1972 के दौरान निर्यात का स्तर

399. **श्री वयालार रवि** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के प्रथम छः महीनों में किन-किन देशों को कितने-कितने मूल्य का निर्यात किया गया, और

(ख) वर्ष 1971 के प्रथम छः महीनों में इन देशों को किये गये निर्यात की तुलना में इसकी क्या स्थिति है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) : जनवरी–जून 1972 के दौरान पुनर्निर्यात सहित भारत के नियमों के 882 करोड़ रुपये के अंतिम आंकड़े, जनवरी–जून 1971 के 759 करोड़ रुपये के निर्यातों से 16.2 प्रतिशत अधिक है।

1972 के दौरान निर्यात के देश। वस्तु वार ब्यौरे जनवरी 1972 के बाद के उपलब्ध नहीं हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

400. **श्री वयालार रवि** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सतरह उच्च न्यायालयों में से दस उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) मामलों के निपटारे में विलम्ब से बचने के लिए और न्यायाधीश नियुक्त करने की दिशा में कौन से कदम उठाये गये हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) रिक्तियां निवृत्तियों और अतिरिक्त पदों के बनाने से हुई थीं।

(ग) कतिपय उच्च न्यायालयों में रिक्तियां भरने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और नियुक्तियां शीघ्र ही अधिसूचित कर दी जायेंगी। दूसरे उन उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में, जहां रिक्तियां विद्यमान हैं। राज्य प्राधिकारियों को नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव शीघ्र भेजने के लिए स्मरण करा दिया गया है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आसनसोल में कुछ मजदूर संघ प्रतिनिधियों की हत्या का समाचार

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं श्रम और पुनर्वास मंत्री का ध्यान लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"आसनसोल में चिनाकुरी त्रीपित कोयला खान में हाल ही में कुछ मजदूर संघ प्रतिनिधियों की हत्या के समाचार तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए की गई कार्यवाही ।"

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) ; यह मालूम हुआ है कि 26 जुलाई, 1972 को पश्चिम बंगाल के आसनसोल क्षेत्र में चिनाकुरी थ्रीपिट कोलियरी में, कोलियरी मजदूर यूनियन (इंटक) के श्री कलोल बनर्जी के आदमियों और कोलियरी मजदूर कांग्रेस (हिन्द मजदूर सभा) के अनुयायियों के बीच व्यक्तिगत शत्रुता के कारण एक झड़प हो गई, जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्ति मारे गये । यह सूचना मिली है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में बहुत से आदमियों को गिरफ्तार किया है और आगे तहकीकात जारी है । ऐसा बताया गया है कि श्री कलोल बनर्जी फरार हैं । कोलियरी अब सामान्य रूप से कार्य कर रही है और स्थानीय पुलिस कॉलियरी में तैनात की गई है ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रम और पुर्नावास मन्त्री के इस लापरवाही से दिए गये वक्तव्य पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है । एक ऐसी घटना पर जिसमें मान्यता प्राप्त एक मजदूर संघ के चार व्यक्ति मारे गये हों, उसके सम्बन्ध में एक मामूली सा पुलिस का सिपाही भी इससे कहीं अधिक विवरणात्मक वक्तव्य दे सकता है । मुझे उनके इस कथन पर भी आश्चर्य हुआ कि यह झगड़ा आपसी शत्रुता के कारण हुआ । मजदूर संघों में दिलचस्पी रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि वहां मजदूर संघों में आपस में शत्रुता है । वास्तविकता यह है कि कुछ लोगों को वहां लोकप्रिय समाजवादी संघ आंखों में खटकता है । यह पहला ही अवसर नहीं है जब हमारे मजदूर संघ के लोगों की हत्या की गई है । वर्ष 1967 में हमारे एक लोकप्रिय मजदूर नेता कामरेड झा की हत्या की गई और चार आदमियों की फिर ये हत्यायें 26 को नहीं 27 जुलाई को हुईं । लगता यह है छपाई की भूल है ।

क्या यह सत्र है कि इन्टुक के कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, जो बन्दूक आदि से लैस थे, एच० एम० एस० यूनियन के कार्यालय पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई । मंत्री महोदय ने मृत व्यक्तियों नाम भी नहीं बताए जबकि पश्चिम बंगाल के सभी अखबारों में उनके नाम छपे हैं एच० एम० एस० पर इस प्रकार के हमले समय समय पर होते रहे हैं । अभी कल हम शिमला समझौते पर चर्चा करते समय भारत और पाकिस्तान के मतभेदों को शान्ति से सुलझाने की बात कर रहे थे पर बगाल में हम उसे भूल गये ।

1967 में समाजवादी मजदूर नेता कामरेड झा की हत्या हुई थी । तब वहां संयुक्त मोर्चा सरकार थी और अब फिर कांग्रेस सरकार के शासन काल में यह हत्याएं हुईं । अब मजदूर नेताओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए । अतः मैं कहूगा कि यदि आपसी झगड़े इस प्रकार गोली से ही सुलझाए जाने की परिपाटी चलाई गई तो हम में से भी कुछ, जिन्होंने 1942 में गोली

चलाई थी पर बाद में चुनाव का जनतांत्रिक तरीका अपनाया, फिर से उसे अपना सकते हैं। यदि हमें बाध्य किया गया तो हम गोली से ही उसका जवाब देंगे। हर इससे मजदूर संघ आन्दोलन समाप्त प्रायः हो जायेगा। अतः हमें इस हिंसात्मक तरीके को छोड़ देना चाहिए।

बार-बार इस घटना की न्यायिक जांच करवाने की मांग की गई है पर मंत्री महोदय इसे व्यक्तिगत शत्रुता का नाम देकर टालते रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस सरकार भी ब्रिटिश सरकार की तरह हत्याओं को कोई और रूप देकर जांच को टाले यदि प्रान्तीय सरकार इस मामले की जांच करवाने में असफल रहती है तो क्या मंत्री महोदय इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपेंगे, क्योंकि इस प्रकार की हत्याएं बार-बार हो रही हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : घटना के बाद मैंने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को फोन करके पता किया था तथा उन्होंने बताया कि यह घटना 26 को नहीं 27 जुलाई को हुई थी। हमारी सूचना के अनुसार आसनसोल मजदूर संघों में कोई झगड़ा नहीं था। यदि यह मजदूर संघों का मामला है, तो किसी भी संघ के साथ पक्षपात करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि अपराधी चाहें किसी भी मजदूर संघ से सम्बन्ध रखते हों उन्हें दण्ड दिया जायेगा। यह कानून और व्यवस्था का मामला है, अतः पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

नामों के सम्बन्ध में भी अलग-अलग बात सुनने में आई हैं। ज्यों ही घटना के सम्बन्ध में पता चला, मुख्य मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया। अतः इस समय जबकि जांच चल रही है न्यायिक जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता और यदि उचित समझा गया तो यह पश्चिम बंगाल सरकार ही करवायेगी।

जहां तक मुझे खान मजदूर सभा के सचिव से सूचना प्राप्त हुई है, उसमें आक्रमणकारियों को उन्होंने गुण्डे कहा है, किसी मजदूर संघ के कार्यकर्ता नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : पर अगर यह गुण्डों का काम है, तो एक मजदूर संघ का नेता फरार क्यों है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह बताना कठिन है। पर इतना सही है कि वह पहले साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल से सम्बन्धित था। तथा यह भी निश्चित नहीं है कि वह वास्तव में इन्टक से सम्बन्धित था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरी सूचना के अनुसार श्री कल्लोल बनर्जी कभी भी साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल से सम्बन्धित नहीं रहे, वे हमेशा काँग्रेसी रहे। और अब समाज विरोधी कार्य करने पर उतारू हो गये हैं।

पश्चिम बंगाल में यह पहली घटना नहीं है विशेषकर तब से जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मजदूर संघों के विरूद्ध फासिस्ट रवैया अपनाया है।

इस समाजवादी जनतांत्रिक सरकार की छत्रछाया में मंजूरी बोर्ड का लगातार उल्लंघन करने वाले खान मालिकों के हितों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस उस क्षेत्र में तेनात रहती है। वे विधि सम्मत मजदूर संघों के कार्यकर्त्ताओं को भी लालची मालिकों के विरूद्ध संघर्ष करने से रोकते हैं। वे अपना काम शान्ति से नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते।

मालिकों के हितों की रक्षा के लिए एक और एस० पी० की नियुक्ति की गई है और तमाम क्षेत्र में दफा 144 लागू कर दी गई है।

राज्य सभा में श्री कल्याण राय के तारांकित प्रश्न संख्या 267 में यह पूछे जाने पर कि क्या आसनसोल-रानीगंज खान क्षेत्र से बहुत से कर्मचारी भाग गये थे, मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया था कि हां, ऐसा हुआ था। ये कर्मचारी असुरक्षा के कारण भाग गये थे। यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है और पश्चिम बंगाल सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाई नहीं कर रही है।

हमारी जानकारी के अनुसार 5000 कर्मचारी ऐसे थे जो काम पर नहीं जा सकते और न घर जा सकते हैं। कर्मचारियों के विरूद्ध 2000 मामले चलाए गये और उन्हें अपने घरों को नहीं जाने दिया गया। और सत्तारूढ़ दल और खान मालिकों के हितों के लिए कुछ को गिरफ्तार किया जा रहा है।

मैं एक प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे मजदूर संघों को इस गुण्डा गर्दी से बचाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री० आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य ने राज्य सभा के प्रश्न का हवाला दिया है, उसके अनुसरण में मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था कायम करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं जिससे कि वैध मजदूर संघों की गतिविधियाँ सुचारू ढंग से चल सकें।

मैं स्थिति का बड़ी सावधानी से अध्ययन कर रहा हूं और जब कोई सदस्य किसी खान विशेष के सम्बन्ध में मुझे बताएंगे, जहां कर्मचारियों को काम पर आने से रोका गया हो, तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार की मार्फत हर सम्भव कार्यवाई करूंगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरामपुर) : भारतीय श्रम संगठन में एक शिकायत की गई थी और मंत्री महोदय पश्चिम बंगाल से उत्तर पाने का प्रयास कर रहे हैं पर उन्हें वह नहीं मिला है और वे कर्मचारियों की सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे रहे हैं। यह सब झूठी बातें हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे तो केवल एक पत्र लिखकर उसका सहारा ले लेते हैं। क्या वह उस पत्र की एक प्रति वे सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह आवश्यक नहीं है। यदि कोई विशेष शिकायत हुई तो मैं उसकी जांच करूंगा **(व्यवधान)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय को नहीं पता कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा हैं। प्रतिदिन हमारे लोग मारे जा रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि पटना रेलवे स्टेशन पर हमारे एक सदस्य श्री एम० पी० शर्मा पर हमला किया गया था ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्री खाडिलकर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर बड़े जोर-शोर से दिया करते थे आज उनका उत्तर पक्षपातपूर्ण और सदन को गुमराह करने वाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने तथ्यों को गलत ढंग से और तोड़ मरोड़ कर उसे राजनीतिक रूप देकर किया है। उन्हें यहां तक नहीं पता कि कल्लोल बनर्जी कौन है ? क्या इन्टक से सम्बन्धित है?

अथवा नहीं ? क्या उन्होंने इस सभा में दिया गया अपना वक्तव्य पढ़ा है जिसमें उन्होंने श्री बनर्जी को इन्टक का आदमी माना है। वे कहते हैं कि यह व्यक्तिगत शत्रुता के कारण हुआ पर अपने वक्तव्य में वे क्या कहते हैं ? यदि वहां मजदूर सघों सम्बन्धी शत्रुता नहीं होती तो वहाँ यह मुठ भेढ़ न हुई होती। पक्षपात की कोई सीमा होनी चाहिए ?

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर राम ने बड़े ही शिष्ट ढंग से मुझे सब बातें बताई और विधान सभा में जो वक्तव्य उन्होंने बताया कि कल्लोल बनर्जी ने, जो एक उग्र-पंथी था, यह सब किया और वह इन्टक का सक्रिय कार्यकर्त्ता है। वह बलपूर्वक चिनाकुरी त्रिपित खान के मजदूर संघ पर कब्जा करना चाहता था।

मंत्री महोदय एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं वे केन्द्रीय मंत्री हैं, उन्हें इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं देने चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि उस क्षेत्र में मजदूर संघों को आधार शीला श्री देवेन सेन ने रखी थी और मंत्री भी वहां के मजदूर संघों पर अधिकतर हिन्दू मजदूर सभा का अधिकार है। संयुक्त मोर्चा सरकार के समय में भी संघ के कर्मचारियों पर अनेकों हमले हुए और महा मंत्री बी० पी० झा तथा अन्य दर्जनों समाजवादी कार्यकर्त्ताओं की हत्या की गई। यह घटना भी उसी की एक कड़ी है। मुख्य मंत्री का कहना है कि कल्लोल बनर्जी उग्रपंथी था जो अब इन्टक में शामिल हो गया था और वह बलपूर्वक हमारी यूनियन को समाप्त कर इन्टक की यूनियन बनाना चाहता था। जनतांत्रिक ढंग से यदि किसी यूनियन को समाप्त किया जाता है, तो वह एक स्वस्थ परम्परा होगी। बन्दूक आदि द्वारा बल पूर्वक स्थान को छीनना नहीं। इसी कारण पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस पर चर्चा करने के लिए समय नियत करने की बात कही। परन्तु श्री आर० के खाडिलकर ने, जो स्वयं एक मजदूर संघ नेता हैं, मामले के औचित्य अनौचित्य को नहीं देखा, वे उसकी गहराई में भी नहीं गए।

आजकल भी पश्चिम बंगाल में वही बातें हो रही हैं जैसी कि संयुक्त मोर्चा सरकार के समय थी। श्री राम ने इस बात को समझा और पक्षपात रहित वक्तव्य दिया। पर मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने ऐसा न करके पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। यह एक बड़ी ही खेदजनक स्थिति है।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि यह घटना शाम को 3 45 पर हुई पर पुलिस ने अपनी कार्यवाई 12 से 15 घंटे बाद की। ऐसा क्यों ?

दूसरे क्या हताहत व्यक्तियों को मुआवजा दिया जायेगा और उनका इलाज कराया जायेगा।

तीसरे क्या पुलिस जांच में तेजी की जायेगी।

चौथे क्योंकि सारे आसनसोल और रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं क्या मुख्य मंत्री की सलाह से वहां चलती फिरती पुलिस युनिट की स्थापना की जायेगी।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से स्वयं वहाँ जाकर जांच करने का अनुरोध करूंगा क्योंकि यह व्यक्तिगत शत्रुता का मामला नहीं है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस घटना की न्यायिक जांच करायेंगे जिससे कि उन्हें इस तथ्य का पता चल जाए कि हत्याएं वहां बार-बार क्यों हो रही हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : मूल रूप से यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। इसलिए

यह सही-सही बताना मेरे लिए कठिन है कि पुलिस मौके पर कब पहुंची । माननीय सदस्य ने स्वयं माना है कि मुख्य मंत्री इसमें गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए वे इस प्रश्न को सीधे उन्हीं से करें ।

मुआवजे के सम्बन्ध में भी उन्हें मुख्य मंत्री से पता करना होगा ।

जहां तक एच० एम० एस० केन्द्रीय मजदूर संघ के नेताओं का सम्बन्ध है, वे बड़े ही जिम्मेदार लोग हैं और वर्तमान स्थिति से बड़े चिन्तित हैं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) (संशोधन नियम)

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 की उपधारा 24 की धारा (3) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियम, 1972, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 263 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । **(ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3197/72)**

रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत में रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या डी० एस० आर० 1813 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत में रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 जून 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 731 में प्रकाशित हुए थे । **(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3198/72)**

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, आय-कर व्यतिक्रमियों की सूची आदि

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): मैं, श्री के० आर० गणेश की ओर से,

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार (रक्षा सेवायें) के वर्ष

1970–71 सम्बन्धी विनियोग लेख के बारे में भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) रक्षा सेवाओं के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी विनियोग लेखे की एक प्रति तथा तत्संबंधी वाणिज्यिक परिशिष्ट (हिन्दी संस्करण) । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3199/72]**

(3) एक लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यतिक्रमियों तथा निर्धारितियों की सूचियों के पश्चिम बंगाल प्रेस में प्रकाशन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी 3200/72]**

देश में सूखे की स्थिति के बारे में वक्तव्य
Statement Re : Drought Condtion in the country

कृषि मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : मैं देश में सूखे की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमें पिछले अधिवेशन में देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति पर चर्चा करने का अवसर मिला था । उस समय मुख्यत: मानसून-पूर्व अपर्याप्त वर्षा होने के कारण चिन्ता प्रकट की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ग्रीष्म की फसलों को नुकसान पहुंचा था । तब से, मानसून देश के विभिन्न भागों में जून के दूसरे पक्ष में शुरू हो गई थी, हालांकि यह देर से शुरू हुई थी और यह जुलाई के पहले पक्ष तक चलती रही । तथापि, दुर्भाग्यवश जुलाई के पहले पक्ष से देश के अधिकांश भागों में हमें सूखे की लहर का सामना करना पड़ रहा है । इसके परिणामस्वरूप जल्दी की धान की बुवाई और मुख्य खरीफ की फसलों की बुवाई पर प्रभाव पड़ा है । बिहार, गुजरात, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में मौजूदा वर्ष में सूखे की स्थिति के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । इन राज्यों के अलावा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर के राज्यों में पिछले वर्ष से सूखे की स्थिति चल रही है ।

2. संबंधित राज्य सरकारों ने जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, आवश्यक राहत उपाय शुरू किए हैं । इनमें ये उपाय शामिल हैं :-

(1) प्रभावित जनसंख्या को रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा उन्हें क्रय शक्ति प्रदान करने के लिए राहत कार्य खोलना जैसे, कुओं, टैंकों की खुदाई तथा उन्हें गहरा करना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना आदि;

(2) तकावी ऋणों का वितरण करना;

(3) पेय जल की सप्लाई करने के प्रबन्ध करना;

(4) बच्चों दूध पिलाने वाली महिलाओं और बूढ़े एवं दुर्बल लोगों में मुफ्त सहायता वितरित करना; और

(5) खाद्यान्नों की सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, आदि ।

3. केन्द्रीय सहायता के लिए निर्धारित कार्यविधि के अनुसार चालू वर्ष में केन्द्रीय दलों ने आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल के राज्यों का दौरा किया है और इस समय एक दल त्रिपुरा के दौरे पर है। हाल ही में बिहार ने भी एक केन्द्रीय दल को भिजवाने के लिए अनुरोध किया है। जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, सम्बन्धित राज्य सरकारों को तदर्थ ऋण सहायता भी सुलभ की गई है।

4. असिंचित क्षेत्रों में खरीफ फसलों की सम्भावनायें बहुत हद तक आगामी कुछ सप्ताहों में मानसून के रूख पर निर्भर करेगी।

5.. यथा सम्भव अधिकतम मौजूदा खरीफ की फसलों को बचाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए एक आपात खाद्य उत्पादन कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और उसे हाथ में लिया जा रहा है। इसमें ये शामिल हैं:—

(1) देश भर में मौजूदा लघु मध्यम और मुख्य सिचाई कार्यों को उचित आकार देना ताकि वे दिन-रात चल सकें;

(2) सतह-सिंचाई का जहां कहीं भी वह उपलब्ध हो अधिक से अधिक प्रयोग करने हेतु पम्पिग सैटों की सप्लाई करना;

(3) कृषि प्रयोजनों हेतु बिजली की तरजीही सप्लाई;

(4) सभी अधूरे लघु सिंचाई कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना;

(5) यदि आगामी 2 अथवा 3 सप्ताहों में वर्षा होती है तो धरती पर खाद बिछाने हेतु उर्वरकों तथा कीटनाशकों की तुरन्त सप्लाई करने के प्रबन्ध करना, और

(6) खरीफ की फसलों की कमी को पूरा करने के लिये रबी तथा ग्रीष्म-उत्पादन के लिए विशाल कार्यक्रम तैयार करना ।

6. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों के पास खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति सुगम चल रही है और राज्य सरकारों की उनकी सरकारी वितरण प्रणाली के लिये सभी उचित मांगों को पूर्णतया पूरा किया जा रहा है। फिलहाल, देश भर में 1,25,000 से भी अधिक उचित मूल्य की दुकानें कार्य कर रही हैं और राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने राज्यों में सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करें।

7. मौजूदा स्थिति में आवश्यक रूप से सावधानी पूर्वक निगरानी रखने और तैयार रहने की आवश्यकता है, लेकिन इससे कोई अनावश्यक चिन्ता की बात पैदा नहीं होनी चाहिये। हम राज्य सरकारों से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके सहयोग से किसी भी कठिन स्थिति, यदि कोई पैदा होती है, का सामना कर सकेंगे।

श्री दिनेश जोरदर (मालदा) : पश्चिम बंगाल के कई जिलों, विशेषकर पुरुलिया, बांकुरा, मालदा, पश्चिम दीनाजपुर और मुर्शिदाबाद में सूखे की स्थिति बहुत गंभीर है। मालदा तथा पश्चिम दीनाजपुर में पिछले दस महीनों से वर्षा नहीं हुई है और वहां भुख मरी की हालत हो गयी है। राज्य सरकार इस स्थिति से निपटने में असफल हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर हम सामान्य चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री दिनेश जोरदर : मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह

मालदा के लोगों को पूर्ण भुखभरी से बचाने के लिये उचित कार्यवाही करें। प्रधान मंत्री ने बंगाल के मुख्य मंत्रीं से बताया है कि यदि किसी की भुखभरी से मृत्यु हो जाये तो राज्य मंत्रिमंडल त्याग-पत्र दे दे। अतः मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य पहले ही रखा हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे।

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Committee

चौदहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से, जो 31 जुलाई, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से, जो 3। जुलाई, 1972 का सभा में प्रस्ताव किया गया था, सहमत है।"

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : संसद के सत्रों की अवधि कम करने की ओर मैं सभा का ध्यान दिलाता हूं। गत वर्ष हमारी केवल 102 दिन तक बैठक हुई जबकि एक ही बार में हमारी 151 दिनों तक बैठक हुई हैं। गत बजट सत्र केवल 57 दिन का था तथा वर्तमान सत्र केवल 22 दिन का है।

मेरा निवेदन है कि इस प्रकार संसद अपनी उपयोगिता तथा अधिकार में छोटी हो जायेगी हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हम इस मामले में आपका सँरक्षण चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने इस सम्बन्ध में आपको पत्र लिखा था।

श्री के० मनोहरन् (मद्रास उत्तर) : श्री श्यामनंदन मिश्र द्वारा उठाये गये प्रश्न पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव पर, जो सदस्य बोलना चाहते हैं, उनसे सदा मुझे सूचना मिली है। श्री मिश्र के अतिरिक्त मुझे किसी सदस्य से सूचना नहीं मिली।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्षमा कीजिए। आपके सहायक मेरे पास आये तथा पूछताछ की। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले दिन, आज नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कल।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It is not necessary to intimate in such matters when this point has been raised before the House how can you prevent the hon. Member from speaking only on the ground that he has not given intimation ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : विरोधी दल और सरकार के बीच यह निर्णय हुआ है कि परामर्शदात्री समिति की एक बैठक सभावधि में तथा एक बैठक अन्तर्सत्रावधि में होनी चाहिये। 1971 से

अब तक ऐसे नौ अवसर मिले हैं। प्रधान मंत्री ने अपने स्वयं के मंत्रालय की ओर से केवल तीन बैठकें की। इतनी ही बैठकें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हुई।

वर्षा कालीन सत्र के लिये हमारी औसतन 28-29 दिनों की बैठक होती थी परन्तु इस बार 22 दिन ही रही है। इस प्रकार संसद सत्रों की अवधि कम की जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं कि सभा की बैठक और दिन का कार्य निश्चित किये जाने से पूर्ण आपको चाहिये कि सात दिन पहले ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाये और इसका निर्णय अन्तिम और हम सभी को मान्य होगा। आपको दिनों बैठकों, परामर्श-दात्री समितियों की बैठकों आदि की संख्या के मामलो में हमारे हितो की रक्षा करनी चाहिये।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं कार्य मत्रणा समिति के निर्णयों को स्वयं पर मान्य नहीं समझता क्योंकि मेरे दल का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपका स्वागत है, हम आपको आमंत्रित करेंगे।

श्री पीलू मोदी : दूसरे गत दो-तीन सत्रों से ऐसा हो रहा है कि आने वाला सत्र छोटा होता जाता है। आप सरकार को अंतिम दो तीन दिनों में विधेयक पुरः स्थापित करने की अनुमति दे देते हैं जिनमें से कुछ पर मामूली चर्चा होती है। आपको इस प्रथा को बंद करना चाहिये। तब सरकार को स्वयं आभास होगा और आप स्वयं को कठिन स्थिति में न रखेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : If the problem of the whole country is to be widely discussed, the duration of the session should not be curtailed.

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय) : समाचार पत्रों में इस बारे में कई बार उल्लेख हुआ है कि संसद की महत्ता कम की जा रही है। यह हमारे प्रजातंत्र का प्रतीक मानी जाती है। हमें समय नहीं मिलता है। गत सत्र में भी महत्वपूर्ण मंत्रालयों की माँगों पर चर्चा नहीं की जा सकी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : गत बजट सत्र की अवधि कम कर दी गई जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं हो सकी। हमें 84 'साइक्लोस्टाइल्ड' संशोधन दिये गये जिन्हें न तो पढ़ने का समय हमारे पास रहा और न ही समझने का। ऐसा गत दो वर्षों से हो रहा है। कल आपने और संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा समिति में इस दृष्टिकोण पर कहा कि बाढ़ की स्थिति, सूखे की स्थिति और बिजली के संकट जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर विशेष प्रस्तावों के माध्यम से चर्चा की जानी चाहिये परन्तु आज प्रातः समाचार भाग 2 से पता चला कि इन तीनों में से प्रत्येक के लिये एक एक घंटा निर्धारित किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वह समूची स्थिति स्पष्ट करें और अपने कार्ड सभा पटल पर रखें।

श्री के० डी० मालवीय (डुमरिया गंज) : महत्व पूर्ण विषयों पर चर्चा के लिये अधिकतम समय दिये जाने के बारे में जितना विरोधी दल चिंतित है उतने ही हम चिंतित हैं। परन्तु रोजाना लगभग दो घंटे असंगत चर्चा में बीत जाते हैं। इस बात पर अधिक बल दिया जाना चाहिये कि संसद में क्या कार्यवाही हो रही है, ताकि हम संसद की गरिमा बढ़ा सकें।

श्री के० मनोहरन् : मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री उत्तर देने की जल्दी केवल इसीलिये न करें कि उन्हें उत्तर देना है। मुझे आशा है कि वह समूची सरकार परामर्श करके श्री मालवीय सहित सभी माननीय सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त दृष्टिकोण को समझते हुए स्पष्ट वक्तव्य देंगे।

श्री राज बहादुर : सर्वप्रथम मैं श्री मनोहरन् को आश्वासन दे दूं कि मैं जल्दी नहीं करता हूं।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम चाहते हैं कि महत्वपूर्ण तथा जटिल समस्याओं पर आवश्यक समय दिया जाना चाहिये। मैं श्री मालवीय से सहमत हूं कि जितना ही कम असगत बोला जायेगा उतना ही अधिक समय मिलेगा। इस वर्ष मार्च में चुनाव होने के कारण सत्र पहले आरम्भ न किया जा सका। यह वैध कारण है। तत्पश्चात् यह विचार किया गया कि माननीय सदस्यों को आठ सप्ताह का अवकाश दिया जाना चाहिये तब यह सत्र 31 जुलाई को आरम्भ हुआ। वर्षाकालीन सत्र सामान्यतया 6 सप्ताह का होता है इस बार यह 5 सप्ताह का है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : केवल 22 कार्य दिवस हैं।

श्री राज बहादुर : मेरे विचार से 24 हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो 23 होने चाहियें।

स्थिति को देखकर समय निर्धारित किया जाता है। कुछ शिष्टमंडल विदेश जायेंगे तथा सितम्बर में अध्यक्ष महोदय उनकी अध्यक्षता करेंगे ...... **(व्यवधान)**

श्री के० मनोहरन् : मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। इसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष महोदय पर डाला गया है।

श्री राज बहादुर : मेरा यह आशय नहीं है। सूखे के बारे में *1* घण्टे तक चर्चा करेंगे ... ...

श्री श्याम नन्दन मिश्र : एक घण्टे में इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं?

श्री राज बहादुर : सरकार ने इसे निश्चित नहीं किया है। इस सम्बन्ध में हमें सभा की इच्छा मान्य होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं। पिछली परम्परा यह रही है कि सत्र की अवधि का फैसला सरकार करती रही है और मेरे से पूर्वाधिकारी इससे सहमत होते रहे हैं। अध्यक्ष को केवलमात्र यह सूचित किया जाता रहा है कि अमुक दिन से सत्र प्रारम्भ होगा। परन्तु मैं इस बारे में प्रधान मंत्री से बात करूंगा ...

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या इसका यह अर्थ नहीं होगा कि केवल सरकारी कार्य को विचार में लेकर ही सत्र की अवधि का निर्णय किया जाए। इस प्रकार तो कोई भी महत्वपूर्ण गैर सरकारी कार्यवाही नहीं हो सकेगी?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यह अनुभव करते हैं कि गैर सरकारी कार्य के लिए पर्याप्त समय नहीं रखा गया है और यदि आप इस बात से सहमत हों तो अध्यक्ष को इस बात का निर्णय करने का अधिकार दे दिया जाये कि वह गैर-सरकारी कार्य के लिये निर्धारित दिनों के अतिरिक्त समय बांट सकें तो निश्चित रूप से मैं इसका ध्यान रखूंगा यह सत्र पांच सप्ताह का है अतः इस सत्र के दौरान हमारे पास दो तीन दिन का थोड़ा ही समय है। उसके बारे में मेरा प्रस्ताव है कि हम एक शनिवार को अपनी बैठक कर लें तथा इसी प्रकार एक और दिन की भी पूर्ति कर ली जायेगी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : शनिवार को बैठक नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हमने कल कार्य मन्त्रणा समिति में यह फैसला किया था कि सप्ताह

में नियमानुसार एक अनियत दिन के प्रस्ताव के स्थान पर तीन अथवा अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा । इस बात को विचार में रखा जाये । भविष्य के लिए हम आपके इस सुझाव को ध्यान में रखेंगे ।

भविष्य में गैर-सरकारी कार्य और सरकारी कार्य के बीच समय का बंटवारा करते समय मैं दोनों पक्षों से विचार विमर्श किया करूंगा जिससे कि किसी शिकायत का अवसर न आये । मैं इस बात के लिए आपका आभारी हूं कि यह बात मेरे ध्यान में लाई गई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह नियमानुसार भी है । अध्याय 4, नियम 15 में लिखा है कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष को है ।

अध्यक्ष महोदय : वह नियम सदन की बैठक के बारे में हैं सत्र के बारे में नहीं ।

Sri Atal Bihari Vajpayee : Sir, the time should be extended. One hour is not enough.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री के० मनोहरन् : एक बजकर दस मिनट हो चुके हैं । अब शिमला समझौते पर चर्चा होनी है । मुझे डर है कहीं उसमें से हमारा समय कम न कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका हल निकालूंगा मध्यान्ह भोजन के पश्चात ठीक दो बजे हम पुन: मिलेंगे ।

प्रश्न यह है: "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से, जो 31 जुलाई, 1972 को प्रस्तुत किया गया था, इस रूपभेद के साथ, कि प्रतिवेदन की मद (17) (18) और (19) के लिए नियत समय में अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाये, सहमत है ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 37/

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इस सदन के दो सदस्य 17 मई, 1972 को छात्र बोर्ड के कार्यकारी समितियों में चुने गये थे । उनके चुनाव की सूचना विदेश व्यापार मन्त्रालय को 6 मई को प्राप्त हुई ।

विदेश व्यापार मन्त्रालय और चाय बोर्ड के चैयरमैन ने नव निर्मित बोर्ड की बैठक 3 जून को कलकत्ता में बुलाई और उस बैठक में यहां के दोनों सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया । उसी बैठक में उन्होंने शासी समिति और सभी स्थायी समितियों का गठन किया । इस प्रकार दोनों सदस्यों अर्थात मुझे और श्री विश्व नारायण शास्त्री को अपने अधिकार के उपयोग से वंचित रखा गया । इसका कारण यह बताया गया है कि लोक सभा सचिवालय का पत्र उस मन्त्रालय को 22 मई से पूर्व नहीं प्राप्त हो सका । यह बात गलत है । वस्तुत: यह पत्र 19 मई को उस मन्त्रालय में पहुंच गया था । मैं लोकसभा सेक्रेटेरियर की पीयन बुक में स्वयं देखा है । यह भी कहा गया कि यह पत्र विधि मन्त्रालय को भेजा गया और उन्होंने 28 जून तक इसे अपसे पास रखा यह सब झूठ है । विधि मन्त्रालय से मुझे ज्ञात हुआ है कि उस मन्त्रालय ने 9 जून को ही इस पत्र को विदेश मन्त्रालय को लौटा दिया था ।

विदेश व्यापार मंत्री कहते हैं कि विधि मंत्रालय से फाइल 28 जून को वापस आई और फिर क्योंकि अधिसूचना जारी की जानी थी अतः इसे हिन्दी में अनुवाद करवाने में कुछ समय लग गया। परन्तु दूसरी ओर यह फाइल प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय को 22 जून को भेजी गई। श्रीमन आपको गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं।

इस सबसे एक बात स्पष्ट होती है कि नौकर शाही किस प्रकार से कार्य करती है और उनका क्या व्यवहार है। इससे उनका एक ही उद्देश्य थां कि हमें उस से बाहर रखना और उसके लिए यह सब षडयन्त्र किया गया है।

मैं प्रार्थना करता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए और दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जाये। मंत्री महोदय ने सदन के सम्मुख झूठ बोला है अतः उन्हें त्यागपत्र देना चाहिये। समिति की तीन जून की बैठक को गैर-कानूनी घोषित किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये।

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं आप से क्षमा चाहता हूं। जो विवरण आपको कल भेजा गया था उसमें एक गलती है। उसमें यह लिखा है कि अधिसूचना विदेश व्यापार मंत्रालय में 24 जून को प्राप्त हुई। वास्तव में यह 'टाईप" की गल्ती के कारण से है। यह तारीख '28" न हो कर "8" है। यदि यह 28 को प्राप्त हुआ हो तो इसे 22 जून को मुद्रणालय को नहीं भेजा जा सकता। इस वक्तव्य में केवल यही गल्ती है। जहां तक श्री विश्वनारायण शास्त्री और श्री ज्योतिर्मय बसु के नामांकन का संबंध है इस बारे में अधि सूचना 22 जून को जारी की गई थी और बोर्ड की प्रथम बैठक 3 जून को हुई थी जिसमें यह भाग नहीं ले सके। उस बैठक की कार्यसूची नियत करना चाय बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। सरकार का चाय बोर्ड के कार्यकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं है। माननीय सदस्य भी उस बोर्ड के सदस्य होने के नाते यह नहीं चाहेंगे कि सरकार उसके प्रतिदिन के कार्य- करण में कोई हस्तक्षेप करे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप ने बताया है कि लोक सभा सचिवालय का पत्र मंत्रालय में 22 मई को प्राप्त हुआ था परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि यह 29 मई को प्राप्त हुआ था। समाचार भाग II, दिनांक 18 मई की प्रति मंत्रालय को भेजी गई थी उस पर उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने उक्त फाइल मंगवा कर स्वयं देखा कि यह पत्र संबंधित अधिकारी को 22 मई को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार की छोटी छोटी बातों के लिए प्रत्येक अधिकारी पर संशय नहीं किया जा सकता है। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या यह 22 मई को प्राप्त हुआ था अथवा 8 जून को ?

श्री एल० एन० मिश्र . इसमें दो बाते हैं। लोक सभा सचिवालय ने मेरे मंत्रालय को जो पत्र भेजा वह मेरे मंत्रालय के अधिकारी को प्राप्त हो गया। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : यहां पर झूठ मत बोलें।

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति। मुझे मंत्री महोदय की बात सुनने दें।

श्री सी एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या शब्द "झूठ" संसदीय है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा कहा है। उन्हें इस प्रकार कहना चाहिये था कि "गलत" है क्या वे इसे वापस लेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस शब्द को वापस लेता हूं और इसके स्थान पर "असत्य" शब्द रखता हूं ।

श्री विश्व नारायण शास्त्री : चाय बोर्ड का सदस्य होने के नाते मैं कुछ कहना चाहता हूं । मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यह पत्र मंत्रालय को चाय बोर्ड को अथवा किसी अन्य स्थान पर कब प्राप्त हुआ । मुझे तो केवल इस बात से मतलब है कि मैं चाय बोर्ड का निर्वाचित सदस्य हूं और 3 जून 1972 को होने वाली चाय बोर्ड की बैठक की सूचना निर्वाचित सदस्यों को नहीं दी गई तथा उस बैठक में सारी समिति । तीन स्थायी समितियों और चार अन्य समीतियों का गठन कर लिया गया । लोक सभा से चाय बोर्ड के लिए सदस्यों का निर्वाचन करने की अन्यथा क्या आवश्यकता है । मैं माँग करता हू कि चाय बोर्ड की 3 जून की बैठक की सारी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाये ।

श्री एल० एन० मिश्र : इस समय मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता । यदि यह नियमानुसार हो तो माननीय सदस्य अगली बैठक में उपस्थित होकर सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें । मेरा विचार है कि माननीय मंत्री इस बारे में जांच करेंगे । मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि निर्वाचित सदस्यों को बैठक में भाग लेने का अवसर ही नहीं दिया जाए तो उन्हें सदस्य निर्वाचित करने का क्या प्रयोजन है ··· **(अन्तर्बाधायें)**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : माननीय मंत्री ने कहा है कि सदन से सदस्य नामनिर्देशित करने में देरी हो गई । यह एक आरोप है और इस बात का उत्तर दिया जाए कि यह देरी क्यों हुई और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने आरोप नहीं लगाया है ।

अध्यक्ष महोदय : सचिव ने मुझे बताया है कि नाम निर्देशन 17 को दिया गया तथा उसको 18 तारीख को प्रकाशित किया गया । खैर हम इस बात की चांच करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह स्पष्टतया विशेषाधिकार भंग का मामला है । इसे विशेषाधिकार समिति को निर्देशित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार भंग मामला नहीं है ।

अब सदन भोजनकाल के लिए स्थगित होता है और 2 बजे म० प० पुनः समवेत होगा ।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then abjourned for lunch *till* fourteen of the clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha then re. assembled after lunch at four minutes past fourteen of the clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
Personal Explanation by Member

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I stand for giving a personal explanation Yesterday, the Prime Minister in her s;eech in the House bed said, "How dare be says that we are leaving the people of Kashmir to the tender mercies of the Pakistan's" I did not use such words in my speech. I mentioned Kashmir twice in my speech. I quoting from her speech that...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना स्पष्टीकरण पढ़ कर सुना सकते हैं। नियमानुसार इस पर चर्चा अथवा भाषण की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Unless I read from my speech how I can explain ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार तो यह चर्चा बन जाती है। यह नियमानुकूल नहीं है। आप केवल उतना नहीं पढ़ कर सुना सकते हैं जो आपने अध्यक्ष महोदय को लिखा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ऐसा कोई नियम नहीं है। आपने मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी है।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रनिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्री मती इदिन्रा गांधी) : मेरा अनुरोध है कि यदि आप उचित समझें तो उन्हें यह पढ़ने की अनुमति दे दें कि उन्होंने क्या कहा था ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा और वही पत्र पढ़ कर सुनाया जा सकता है।

श्री के० मनोहरन् (मद्रास उत्तर) : वह अपने स्वयं के भाषण का अंश पढ़ेंगे। यह कोई चर्चा तो नहीं है।

श्री एम० रतन शर्मा (बांदा) : वह केवल स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : (रोहतक) व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का अर्थ क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय को सन्तुष्ट किया जाना चाहिए कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अध्यक्ष महोदय से उनके चैम्बर में मिला था। और उनसे अनुमति ली थी। अब आप मुझे स्वयं अपने भाषण का उदाहरण प्रस्तुत करने से कैसे रोक सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह सब बातें अपने पत्र में लिखनी चाहियें थी परन्तु आपने नहीं लिखी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने अध्यक्ष महोदय से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिए अनुमति प्राप्त की है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो सदन के हाथों में हूं। यदि सदन इस बात से सहमत है कि नियम बाह्य बात की अनुमति दी जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : नियम-बाह्य जाने की बात से हम सहमत नहीं हो सकते। आप इस समय पीठासीन हैं। नियम की व्याख्या करना आपका कार्य है। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देते समय सारे भाषण को नहीं पढ़ा जा सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपना सारा भाषण नहीं पढ़ रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतना कह सकते हैं कि आपने यह बात नहीं कही । पहले तो आप को यहां प्रधानमन्त्री भाषण के समय यहां पर उपस्थित होना चाहिये था । आप उस समय विरोध करते और आपकी बात कार्यवाही वृतान्त में आ जाती। आप यह कहना कि मैंने यह नहीं कहा और मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की अनुमति दी जाए यह एक असामान्य बात है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कोई असामान्य बात नहीं है । ऐसा पहिले भी कई बार हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा पहिले कभी नहीं हुआ है और यदि हमने यह परम्परा डाल भी तो प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति मांगने लगेगा । फिर भी माननीय सदस्य को उनके पत्र के आधार पर व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी गई है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय को लिखा मेरा पत्र आप पढ़ दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां :

"नियम 357 के अधीन मैं प्रधान मंत्री के भाषण के संबंध में अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति चाहता हूं । शिमला समझौते संबंधी चर्चा के दौरान प्रधानमन्त्री ने कहा :

"वह यह कहने का किस प्रकार दुस्साहस करते हैं कि हम कश्मीर के लोगों को पाकिस्तानियों की दया का पात्र बना रहे हैं"

"मैंने अपने भाषण में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही थी । प्रधान मंत्री ने या तो मेरे भाषण को ध्यानपूर्वक सुना नहीं और या उन्होंने जानबूझकर ऐसे विचार और शब्द मेरे ऊपर थोपे हैं जो मैंने कभी कहे नहीं थे ।"

'क्योंकि मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है अतः मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिए आप की अनुमति चाहता हूं ।"

अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दे दी है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अब सन्तुष्ट हूं ।

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों के समझौते संबंधी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. STATEMENT ON AGREEMENT ON BILATERAL RELATION BETWEEN INDIA AND PAKISTAN

Dr. Govind Das (Jabalpur) : Those who are opposing this fact should reconsider their view points. It has been stressed many times that we do not want to occupy an inch of land belonging to another country. In the circumstances it becomes our duty that we must return the land which does not belong to our country. Those who are opposing it today should have made their stand known earlier that the conquered land would not be returned. But they did not do so.

We have followed certain principles since the period of Mahatma Gandhi. This Agreement has been arrived at on the basis of those Principles.

These people have lost the elections. It was pinching them. Therefore they are talking in the present terms.

Whatever has happened since the Bangla Desh crisis was a model not only for this country but for the whole world. We helped Bangla Desh as a neighbour. The day Bangla Desh won its freedom we stopped the war. There has not been any precedent in the world where a country fought a war without any interest, merely to help a neighbour. So these have been historical happenings. Only the history would recognise the importance of role played by Smt. Indira Gandhi and Congress during the present puncture. It has been stated by our Prime Minister that this is first step towards peaces.

Some people say that this Agreement has been arrived at under foreign pressure. But our Prime Minister has categorically denied it.

श्री के० डी० मालवीय (डूमरियागंज) : सदन श्री नेता के कल के भाषण के पश्चात अब कुछ भी कहने को नहीं रह गया है परन्तु फिर भी मैं कुछ विचार अवश्य व्यक्त करना चाहूंगा ।

जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पिछले कुछ दिन का व्यवहार इस प्रकार का रहा है जिससे उन्हें शर्म आनी चाहिये । इस बात को कोई सोच भी नहीं सकता था कि जनसंघ के नेता सीमा पर जाकर हमारे जवानों के लिए कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करेंगे । उनके इन कृत्यों से देश भक्ति की झलक नहीं मिलती और न ही देश के किसी राजनैतिक दल को इस प्रकार की बातें शोभा देती हैं । श्री वाजपेयी न केवल सीमा पर गए अपितु उन्होंने दूसरे देश के नागरिकों के साथ भी राजनैतिक दुर्व्यवहार किया है । श्री वाजपेयी के इस प्रकार के व्यवहार से भारत में स्थायी शांति कभी भी संभव नहीं हो पायेगी । यदि कोई राज-नैतिक दल शिमला समझौते का विरोध करता है तो उस दल को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि वह दल इस उप-महाद्वीप पर स्थायी शांति का हिमायती है । यदि शिमला समझौता न हुआ होता तो स्थिति अत्यन्त दुरुह हो गई होती ।

श्री के० डी० मालवीय : साम्यवाद के प्रति आपका यह विरोध आपको कहीं का नहीं रखेगा । इस उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति के लिए आपका योगदान नगण्य है । आपको इस प्रकार की नेतागिरी नहीं करनी चाहिए थी । क्या यह ड्रामा नहीं है कि आप अपने को गिरफ्तार कराने कराने के लिए वहा जायें ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आपने शान्ति बनाये रखने का ड्रामा नहीं खेला है ।

श्री के० डी० मालवीय : शान्ति न केवल हमारे लिए अपितु समूची जनता के लिए आवश्यक है और आप सबको गुमराह कह रहे हैं । श्री वाजपेयी को समझ लेना चाहिए कि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है और जनता ने नए-नए सबक सीखे हैं, यह सबक है कि शान्ति आवश्यक है, आज विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं है जो शान्ति का हिमायती न हो । योरप के देश अब दूसरा युद्ध नहीं चाहते हैं । सब देश एक दूसरे के निकट आना चाहते है । ऐसे समय में श्री वाजपेयी शिमला समझौते को असफल देखना चाहते हैं । वे स्थायी शान्ति नहीं चाहते हैं, उनके दल ने राष्ट्रीय, आर्थिक तथा अन्तराष्ट्रीय समस्याओं के प्रति हमेशा संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है, इस प्रकार की बातें न उनके दल के लिए ठीक है और न देश के लिए ।

बड़े देश के नेता महत्वपूर्ण सबक सीख रहे हैं । उन्होंने अपनी गल्तियों को सुधारा है, मैं चाहता हूं कि जनसंघ के नेता अपना सुधार करें । उन्हें शान्ति का रास्ता अपनाना चाहिये

जिसके द्वारा ही समाजवाद तथा सामाजिक न्याय को लाया जा सकता है, हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं । मैं प्रधानमंत्री के इस कथन से पूर्णतया सहमत हूं कि भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है परन्तु हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ईमानदारी के साथ करनी चाहिए । हमें जनसंघ की चुनौती का सामना करना चाहिये अन्यथा भारत का भविष्य कहीं अन्धकारमय ही रहेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने कोई चुनौती नहीं दी है आप कह रहे हैं कि बंगला देश के उदय से द्विराष्ट्र का सिद्धान्त समाप्त हो गया है । मेरा यह कहना है कि यदि पश्चिम में युद्ध विराम लागू न किया जाता तो पश्चिम मे भी द्विराष्ट्र का सिद्धान्त समाप्त हो गया होता ।

श्री के० डी० मालवीय इस तर्क में कोई जान नहीं है । वे अपने राजनीतिक दर्शनशास्त्र तथा विचार धारा से एक विशेष संस्कृति की स्थापना करना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप समझौते के बारे में कहिए ।

श्री के० डी० मालवीय : आज विश्व छोटा हो गया है । हम शान्ति के लिए वचनबद्ध हैं: विभिन्न देशों के बड़े नेताओं ने अपने विचार बदले हैं । मुझे आशा है कि जनसंघ इस विषय पर गम्भीरता से विचार करेगा । तथा शिमला समझौते के प्रति अपने विरोध को छोड़ देगा । इससे सैनिक व्यय बचाया जा सकेगा तथा उसका उपयोग गरीबी दूर करने तथा जनता के कल्याण के लिए किया जा सकेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्रीमन स्वाधीनता से पूर्व वर्ष 1945 में शिमला में हुये सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुसलिम लीग के नेताओं ने भाग लिया था । सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश वायसराय ने की थी. मुस्लिम लीग देश के विभाजन तथा मुस्लिम बहुल इलाकों को मुस्लिम देश में मिलाने के पक्ष में थी । कांग्रेस दलसिद्धान्त: अप्रत्यक्ष रूप से इस के पक्ष में था । अंग्रेज जानते थे कि उन्हें यहां से चले जाना है अतएव वे देश का विभाजन करके अप्रत्यक्ष रूप से यहां अपना शासन रखना चाहते थे ।

शिलमा सम्मेलन को हमें सही परिप्रेक्ष्य में देखना है यह एक महान ऐतिहासिक घटना है, पाकिस्तान अब पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहा है, उसने अपना एक बड़ा भाग खो दिया है । उस बड़े भाग ने अपने को एक स्वतन्त्र देश के रूप में स्थापित कर लिया है, देश के विभाजन के पश्चात भारत को पाकिस्तान के साथ तीन बार युद्ध करना पड़ा है । भारत ने एक विजित देश के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया था । भारतीय सेनाओं ने अपनी शानदार सफलताओं से देश का नाम ऊंचा किया है, शिमला समझौता हमारे लिए एक चुनौती था कि क्या हम युद्ध जीतने के उपरान्त शान्ति पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं अथवा नहीं ।

दक्षिण वियतनाम और इस्लामाबाद की सरकारों ने आर्थिक तथा सैनिक रूप से बाहरी शक्तियों पर निर्भर रह कर अपना भारी नुकसान किया है । यदि हम दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुई घटनाओं का अध्ययन करें तो यह देखेंगे कि उन देशों में यह विचार पनप रहा है कि हमें सैनिक गुटों तथा समझौतों से अलग हो जाना चाहिए और अपने देश में दूसरे देशों के सैनिक अड्डे स्थापित नहीं करने देना चाहिये । वे अब स्वयं अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, यह एक अच्छी प्रवृत्ति है ।

हमारे समक्ष अब प्रश्न यह है कि क्या हम पाकिस्तान को विदेशी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त करने में मदद दें अथवा उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार करें जिससे वह अधिकाधिक रूप से विदेशी शक्तियों पर निर्भर रहना आरम्भ कर दें, जब तक पाकिस्तान के शासक वस्तुतथ्य को नहीं समझ जाते हैं तब तक हमें अपनी रक्षा की तैयारियों में ढील नहीं देनी चाहिये, फिर भी मुझे आशा है कि एक मसय ऐसा आयेगा जब हम सैनिक तैयारियों में होने वाले व्यय को लाभ दायक तथा उत्पादक कार्यों में लगा सकेंगे ।

मै आपसे यह पूछना चाहूंगा कि बंगला देश का स्वतन्त्र देश के रूप में उदय होने से क्या पाकिस्तान को दोनों पक्षों को एक साथ मिलाने के लिए कृत्रिम रूप में पैदा किये भारत विरोधी उन्माद को बनाये रखने की आवश्यकता है ? दूसरा पीपुल्स प्रोगेसिव दल के नेता श्री भुट्टो 1970 के चुनावों में भारी बहुमत से विजय हुए थे और उन्होंने चुनावों में जो वायदे किये थे उनके लिए वायदे अभी भी वचनबद्ध हैं, हम सभी जानते हैं कि श्री भुट्टो ने भूमि वितरण करने, अमीर व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने, व्यापारियों के पासपोर्ट जब्त करने आदि सम्बन्धी वायदे किये थे, क्या उनके लिये अब अपने दिये गये वचनों से इनकार करना संभव है ? यदि ऐसा नहीं है तो क्या उन्हें 'शान्ति' की आवश्यकता नहीं होगी तथा क्या उन्हें सेना पर होने वाले व्यय को अन्य कार्यों में लगाने की आवश्यकता नहीं है ।

कुछ लोगों का तर्क है कि भुट्टो आंतरिक सुधार न ला सके तो वे जनता का ध्यान बढ़ाने के लिए भारत विरोधी रवैया पुन: अपना सकते हैं । इसका तात्पर्य यह होगा कि सेना के जनरल पाकिस्तात का शासन चलाने के लिए आ सकते हैं, ऐसी स्थिति में श्री भुट्टो की क्या नियति होगी ? श्री भुट्टो एक राजनीतिक नेता तथा एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं जो पुन: ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न होने देंगे सैनिक रूप से अमरीका और चीन पर निर्भरता तथा काश्मीर के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ पर विश्वास करने के बारे में उनकी भ्रान्ति अब समाप्त हो गयी है ।

हमारे सामने अब प्रश्य यह है कि हम पाकिस्तान को पुन: विदेशी शक्तियों पर अधिकाधिक रूप से निर्भर रहने को विवश करें अथवा उसके युद्ध का मार्ग छुड़वाकर शान्ति मित्रता तथा सहयोग का मार्ग अपनाने में सहायता दें, यदि हम अपने आपको साम्राज्यवादी शक्तियों तथा बाहरी हस्तक्षेपों से बचाना चाहते हैं तो इस उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, बंगला देश तथा भारत को सौहार्दपूर्ण तथा मित्रता के वातवरण में रहना पड़ेगा ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस परिप्रेक्ष्य में शिमला समझौता एक ठोस कदम कहा जाना चाहिये । यह सोचना अभी गलत है कि 25 अथवा 27 वर्षों का इतिहास रातों रात बदल जायेगा हमें आशा है कि संघर्ष के एक लम्बे इतिहास का अब अन्त होगा तथा समस्याओं को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हल करने का नया मार्ग खुल जायेगा । इस समझौते में द्विपक्षीय वार्ता को महत्व दिया गया है, ताशकंद समझौते में ऐसा नहीं था, ताशकंद सम्मेलन में आज जैसी स्थिति विद्यमान नहीं थी, शिममा सम्मेलन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाकिस्तान इस बात पर सहमत हो गया है कि दोनों देश अपने मतभेदों को शान्तिपूर्ण ढंग से बिना किसी तीसरे के हस्तक्षेप से हल करेंगे । इस समझौते में द्विपक्षीय वार्ता को महत्व दिया गया हैं जिसको यदि इमानदारी से क्रियान्वित किया गया तो हमेशा के लिए संघर्ष की नीति का अन्त हो सकता है, पाकिस्तान के संघर्ष में हम हमेशा शस्त्रास्त्रों पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं । अंत में हमें एशिया, भारत तथा

बंगला देश तथा यहाँ तक कि पाकिस्तान की जनता की जागृत चेतना पर भी निर्भर रहना पड़ेगा।

मैं श्री वाजपेयी से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपने दृष्टिकोण में काश्मीर के मामले में आगे बढ़े हैं या नहीं ताशकंद समझौते के अनुसार हमें 1949 की पुरानी युद्ध विराम रेखा तक वापिस लौटना था जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक के अन्तर्गत थी, अब पाकिस्तान ने 17 दिसम्बर 1971 की युद्ध विराम रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया है। शिमला समझौते में पुरानी वास्तविक नियंत्रण रेखा को युद्ध विराम रेखा नहीं माना गया है। अब 7 दिसम्बर, 1971 की युद्ध विराम रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा माना गया है। सयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत पुरानी युद्ध विराम रेखा थी जो अब विद्यमान नहीं है। इसलिए वहां संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों का अब कोई कार्य नहीं रहा है। मुझे आशा है कि पाकिस्तान ने 17 दिसम्बर 1971 के बाद जिन चौकियों पर अधिकार कर लिया था उसे वह खाली कर देगा, पुरानी युद्ध विराम रेखा के विद्यमान न रहने से किसी तीसरे दल का वह उपस्थित होना आवश्यक नहीं रह गया है, ऐसा करना अब इसलिए भी अपेक्षित हो गया है क्योंकि कुछ समय पूर्व अमरीका और चीन के संयुक्त विज्ञप्ति में काश्मीर की समस्या का उल्लेख किया था। मैं यह नहीं कहता कि भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर की समस्या को नहीं उठाया जायेगा परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि वहाँ हमारे भी मित्र हैं, श्री भुट्टो को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि रूस के साथ हमारी 26 वर्षीय सन्धि है।

श्री वाजपेयी ने कहा है कि श्री भुट्टों ने पाकिस्तान में जाकर ऐसे वक्तव्य दिये है जो शिमला समझौते के अनुरुप नहीं हैं, क्या श्री भुट्टो अपने देश के लोगों को जाकर कहेंगे कि शिमला सम्मेलन उनके आशानुकूल नहीं रहा है? आखिर श्री भुट्टो को 17 दिसम्बर, 1971 की युद्ध विराम रेखा को वास्तविक रेखा मानने के संबंध में अपनी जनता को कुछ कहना है।

यदि पाकिस्तानी अपने दृष्टिकोण में उदार न होते तो शिमला सम्मेलन में वे उत्तेजनात्मक कार्रवाई भी कर सकते थे परन्तु श्री भुट्टो ने वहां बुद्धिमता पूर्ण ढंग से का कार्य किया है। पाकिस्तान को एक न एक दिन बंगला देश की वास्तविकता निश्चित रूप से स्वीकार करनी पड़ेगी पाकिस्तान समर्थक देश भी एक-एक करके बंगला देश को मान्यता देते जा रहे हैं।

अमरीकी समाचार पत्रों तथा विशेषकर अमरीका के सरकारी क्षेत्रों में यह मत व्यक्त किया जा रहा था कि भारत का उद्देश्य बंगला देश को स्वाधीन कराने के उपरान्त पश्चिम पाकिस्तान को समाप्त करना था, आज जनसंघ के समर्थक कर रहें हैं। कि हमने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा क्यों की थी? इस तरह की बातें उन विदेशी शक्तियों के कथन की पुष्टि करती हैं जिनके अनुसार भारत का उद्देश्य पश्चिम पाकिस्तान को भी समाप्त करना था।

पाकिस्तानी आक्रमण के समय हमने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि हमारा उद्देश्य पाकिस्तान की भूमि पर कब्जा करना नहीं है तथा पाकिस्तान की जनता हमारी मित्र है। यह युद्ध तो केवल उनके शासकों के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। जनसंघ के नेता श्री वाजपेयी ने आरम्भ में संतुलित दृष्टि कोण रखा परन्तु युद्ध के उपरान्त उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य दिये। शिमला सम्मेलन के दौरान साम्प्रदायिक दंगे कराने का प्रयत्न किया गया था, समाचारों के अनुसार पुलिस और अल्पसंख्यक वर्ग में संघर्ष हुए और यदि इसको फैलने से न रोका जाता तो संभवतया शिमला सम्मेलन आरम्भ में ही असफल हो जाता।

हमारी विचारधारा यह कभी नहीं रही है कि बल से जीती गई भूमि कों अपने पास रखा जाये। यहां तक कि चीन ने भी एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा के उपरान्त स्वयं ही कब्जा किये हुए हमारे क्षेत्रों को खाली कर दिया था। परन्तु श्री वाजपेयी इसरायल के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं।

मैंने एक प्रतिस्थापन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार शिमला समझौते का का विशेष रूप से अनुमोदन करना है तथा उसकी क्रियान्विति के लिए संसद के बाहर जनता का आवाह्न करना है।

अन्त में यह कहना चाहूंगा कि यदि समझौते की पुष्टि के पूर्व सभा में इस बारे में चर्चा आयोजित की जाती तो राजनीतिक रूप से यह हमारे लिए अधिक लाभदायक होता। संवैधानिक रूप से सरकार ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है परन्तु ऐसा करके यह सिद्ध किया जा सकता था कि इस समझौते को व्यापक समर्थन प्राप्त है।

श्री बी० आर० भगत (शाहबाद) : मैं अपने माननीय सहयोगी श्री गुप्त जी द्वारा कही गयी इस अंतिम बात से सहमत नहीं हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार के पुष्टीकरण को इस सदन की स्वीकृति से जानबूझकर बाहर रखा है संसद सर्वोपरि है। संसार को गलत काम करने वाली सरकार का तख्ता उलटने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस बात की पुष्टीकरण के प्रश्न के साथ जोड़ना और उसे औचित्य सम्बन्धी मामला बनाना ठीक नहीं है।

प्रधान मंत्री और उनके सहयोगी हमारे इतिहास के अत्यन्त संकट मय काल में राष्ट्र को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। प्रधान मंत्री ने शिमला समझौते के बारे में कहा है कि यह समझौता निःसन्देह छोटा किन्तु एक अच्छा कदम है। शिमला में पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को ठीक बनाने में विवेक पूर्ण वातावरण पैदा करना ही हमारा उद्देश्य था। इस दिशा में अब शुरूआत हो गयी है और एक तर्क संगत दृष्टिकोण अपनाया गया है। मेरे विचार से शिमला में हमारा मुख्य प्रयास यह सुनिश्चित करने का रहा है कि हमारे सम्बन्धों का प्रमुख पहलू सहयोग की प्रवृत्ति अथवा भावना होनी चाहिए नकि संघर्ष की भावना। शिमला में हुई कठिन और लम्बी वार्ता से पुराने वैमनस्य समाप्त हुए और वास्तविक स्थितियों और तथ्यो के सामने आने से और उन्हें स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के नेताओ ने स्थिति की वास्तनिकता को अनुभव किया।

जनसंघ एक ऐसा दल है जिसका पाकिस्तान के साथ साम्प्रदायिक संघर्ष की भावना बनाये रखना ही निहित स्वार्थ रहा है। उत्कट देश प्रेम अथवा राष्ट्र भक्ति के नाम पर यदि जनसंघ ने इस समझौते का विरोध करने का प्रयास किया तो यह राष्ट्रीय विचार धारा से बिलकुल अलग-अलग हुआ माना जायेगा, क्योंकि इस समझौते में राष्ट्रीय विचार पूर्णरूप से व्याप्त है। जिन्होंने इस विचार धारा के विरुद्ध जाने का प्रयास किया वे अपने आप को ही कष्ट देंगे और वे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचायेंगे।

पाकिस्तान के साथ सहयोग की भावना पैदा करने के लिए हमने स्वयं ही इस लक्ष्य को अपनाया। पिछले 25 वर्षों में हम पाकिस्तान के साथ शान्ति के साथ रहने का प्रयास करते आ रहे हैं किन्तु पाकिस्तान ने वहां अन्य शक्तियों के सक्रिय होने के कारण, दूसरा मार्ग अपनाया।

हमारा लक्ष्य था कि इन शक्तियों से इस क्षेत्र को मुक्त कराया जाए और इस क्षेत्र में शान्ति तभी स्थापित हो सकती है जबकि इस महाद्वीप की एकता और स्वततंत्रा बनी रहे। अतः बाहरी शक्तियों से इस महाद्वीप की मूल भूत एकता और स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। यद्यपि हमने युद्ध में विजय प्राप्त की है फिर भी एक विजेता का व्यवहार नहीं कर सकते थे जैसा कि श्री वाजपेयी चाहते हैं, यदि हम इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाते तो हम न केवल पाकिस्तान को ही शत्रु बनाते बल्कि पाकिस्तान की जनता को भी शत्रु बना लेते और सब ओर शत्रुतापूर्ण वातावरण हो जाता। संघर्ष और बढ़ता और यह एक गलत नीति होती, एक गलत मार्ग होता और इससे हम इस क्षेत्र को महाशक्तियों के हस्तक्षेप और षडयन्त्रों के लिए एक अखाड़ा बना लेते। परन्तु इस स्थिति से हम बचना चाहते थे।

अतः हमारे द्वारा उच्छृखंल और निरंकुश प्रवृत्ति अपनाये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इससे न केवल पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़ते, वरन् हमारे आस पास के देशों के साथ भी हमारे सम्बन्ध बिगड़ते। ऐसी प्रवृत्ति अपनाने से सन्देह और अविश्वास पैदा होता और साथ ही अन्य देशों के साथ शंका वैमनस्य अर बैर भावना पैदा होती जबकि इन देशों की सद्भावना और विश्वास हमारे लिए बहुत महत्व और हित की बात है।

पाकिस्तान ने भारत पर चार बार आक्रमण किया और हमने संघर्ष को समाप्त करने का निरन्तर प्रयास किया है जबकि अरब और इजराइल एक दूसरे से स्थाई संघर्ष की बात करते हैं। अतः श्री वाजपेयी जी के द्वारा भारत की तुलना इसराइल के साथ करना अनुचित है। इसलिए यह कहना कि हम दिए गये वचनों के अनुसार विवादों का समग्र रूप में समझौता नहीं कर पाये, न तो देश भक्ति का द्योतक है और न ही उनकी राजनीतिज्ञता का द्योतक है। इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बातें राष्ट्र का हित नहीं होती। हमें ऐसे तत्वों अथवा शक्तियों को भारत और पाकिस्तान में बिलकुल अलग-थलग कर देना चाहिए।

कुछ लोगों का कहना है कि हमें पाकिस्तान पर विश्वास नही करना चाहिए। कुछ आलोचक सदस्यों ने कहा है कि शिमला समझौता करने से पूर्व हमें काश्मीर और *अन्य मामलों* को सदा के लिए हल कर लेना चाहिए था। यह शंका व्यक्त की गई है कि पाकिस्तान समय आते ही हम पर फिर आक्रमण करेगा। किन्तु ऐसी बातें करने वाले राष्ट्रीय विचार धारा के बाहर चल रहे हैं और वे भ्रान्ति में है और परस्पर विरोधी बातें करते हैं। शिमला समझौते से हमें शान्ति का वातावरण बनानें का अवसर मिला है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने कहा है कि शिमला में एक शुभारम्भ हुआ है।

पाकिस्तान अपनी संघर्ष की नीति के कारण ही अधोन्मुख हुआ है। पाकिस्तान को अत्यन्त भारी क्षति उठानी पड़ी यहां तक कि पाकिस्तान के टुकड़े हो गये। इसलिए, यदि हमने भी ऐसी ही नीति अपनाई होती तो हमें भी पाकिस्तान की भांति बहुत भारी दुखों का सामना करना पड़ता। अतः हमें पाकिस्तान में शान्ति की ओर अग्रसर होने वाली नयी लोकतंत्रीय और प्रगतिशील प्रवृत्तियों को मान्यता देनी चाहिए। जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा भारत के साथ संघर्ष पूर्ण वातावरण बनाये रखने से पाकिस्तान में लोकतंत्र और जनता का अहित हुआ है। ऐसी प्रवृत्ति से वहां सैनिक तानाशाहों को बढ़ावा मिला है और वहां के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और उनकी सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की घोर उपेक्षा की गई है।

पाकिस्तान में अब शान्ति स्थापना की ओर झुकाव है। वहां के नेताओं के भाषणों में शान्ति बनायें रखने की दिशा में झुकाव है और यह शुभ संकेत है।

शिमला समझौते का यह भी उद्देश्य था कि इस क्षेत्र को विश्व की शक्तियों के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। अतः द्विपक्षीयवाद की प्रवृत्ति पाकिस्तान में उत्पन्न की गई जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। यह कहा गया है कि यह समझौता इस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है। किन्तु इस समझौते में स्थायी शान्ति के लिए ढांचा तैयार किया गया है जिनमें वे आधार भूत सिद्धान्त निहित हैं जिनके लिए हम गत 25 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं अर्थात शान्ति स्थापित करने के लिए हमारा प्रयास तथा शान्तिपूर्ण तरीकों से समस्याओं का समाधान करना तथा बाहरी प्रभाव और हस्तक्षेप को दूर रखना।

हमने छोटी और बड़ी-सब प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखा है। इससे पहले हमने सिन्धु नदी जल-विवाद और कच्छ समस्या को हल किया किन्तु इससे पाकिस्तान के साथ हमारे बुनियादी सम्बन्धों पर, कश्मीर समस्या पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किन्तु, मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के विचारों से सहमत हूं, अब कश्मीर की समस्या पर भी कुछ ठोस प्रगति हुई है। 17 दिसम्बर, 1971 की वास्तविक नियंत्रण रेखा के पाकिस्तान द्वारा स्वीकार कर लेने का यह परिणाम निकला है कि राष्ट्र संघ को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः काश्मीर समस्या का हल भी दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता तथा शान्तिपूर्ण ढंग से किया जायेगा। अब बाजपेयी जी इससे अधिक और क्या चाहते हैं। छटा और सातवा दशक सुरक्षा संधियों, बहुपक्षीय सन्धियों, पारस्परिक सन्धियों तथा सैनिक सन्धियों का युग रहा है। आठवें दशक में द्विपक्षीयता की प्रवृत्ति ने, जिसकी हम दुहाई देते आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी शक्तियों को प्रभावित किया है। निक्सन-चाऊ-एन-लाई और निक्सन-ब्रेजनेव वार्ताएं भी हुई हैं। कोरिया के नेताओं ने भी अपनी सब समस्याओं को शान्ति पूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सिद्धान्त रूप में निर्णय किया है। सारे विश्व में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है।

हमें शिमला समझौते को शान्ति, के गुट निर्पेक्षता, राष्ट्रों की प्रभुसत्ता तथा समानता के सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए जिनका हम सदा समर्थन करते आये हैं। यह सच है कि जब एक बार संघर्ष की प्रक्रिया समाप्त हुई तो फिर पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था का उत्थान करने के लिए संसाधन प्रचुर मात्रा में जुटाये जा सकते हैं। अतः विश्व और एशिया के संदर्भ में किसी भी स्तर पर, हमारे राष्ट्रीय हित और सुरक्षा की दृष्टि से, इसे शान्तिपूर्ण क्षेत्र बनाये रखने तथा किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप से रोकने के लिए यह समझौता सही दिशा में उठाया गया एक कदम है, यद्यपि यह आरम्भ मात्र है।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : मैं शिमला समझौते का समर्थम करने के दृढ़ विचार से मैं अपने दल की ओर से खड़ा हुआ हूं। शिमला समझौता वास्तव में एक ऐतिहासिक प्रलेख है, क्योंकि इतिहास ही यह बतायेगा कि जिस लाभ की हमने आशा की थी वह हमें प्राप्त हुआ है या नहीं। मुझे विश्वास है कि इस उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति के लिए यह एक शुभारम्भ है।

शिमला समझौता और ताशकन्द उद्घोषणा की तुलना की गई है। किन्तु काल के अन्तराल को दृष्टि में रखते हुए दोनों में भिन्नता है। ताशकन्द समझौता उस समय हुआ था जब पाकिस्तान में सैनिक नौकरशाही जन्ता का शासन था। किन्तु शिमला समझौते के समय वहां असैनिक शासन था।

श्री भुट्टो के बारे में यह सन्देह किया गया है वह स्थिर वृत्ति के नहीं हैं । शिमला समझौता करने के पश्चात् उन्होंने अपनी नेशनल असेम्बली में कहा कि यदि काश्मीर के लोग भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करें तो वह उनकी सहायता करने को तैयार हैं और वह काश्मीर के लोगों को आखरी दम तक नैतिक समर्थन देते रहेंगे । परन्तु मेरे मतानुसार यह कुछ बात नहीं है । और यदि ऐसी कोई बात हुई भी तो हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं और इसे श्री भुट्टो भी जानते हैं । अतः श्री भुट्टो के भाषण को सीधे अर्थों में नहीं लिया जा सकता क्योंकि उन्हें अपने देश की जनता, अपने दल और विरोधी तत्वों को भी सन्तुष्ट करना है ।

जहां तक काश्मीर के लोगों के आत्म निर्णय पर श्री भुट्टों की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है, काश्मीर में चार बार चुनाव हो चुके हैं और वहां के लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वे भारत के प्रति पूर्ण निष्ठावान हैं । श्री भुट्टों ने अपने भाषण में कहा है कि शिमला समझौते के आधार पर काश्मीर का मामला फिर से उठाया गया है । इस सम्बन्ध में मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधान मंत्री ऐसा कभी नहीं होने देंगी । यह बात प्रधान मत्री अनेक वर्षों से कहती आ रही हैं कि यह अध्याय अब समाप्त हो चुका है । बैठ कर बातें करना एक बात है, किन्तु देश के लोगों के भाग्य को एक अन्य देश के हाथों में दे देना तथा उन्हें दूसरों की दया पर छोड़ देना एक जघन्य अपराध है । मुझे आशा है कि हमारी प्रधान मंत्री ऐसा करने में असमर्थ हैं । अतः पाकिस्तान के साथ बात चीत करते समय अपने जवानों के खून को नहीं भूलना चाहिए । सौदेबाजी में लेने और देने की भावना होती है । कल वाजपेयी जी कह रहे थे कि पाकिस्तान की विजित 5000 वर्ग मील भूमि वापस नहीं की जानी चाहिए । मेरे विचार में यह बात बिल्कुल हास्यास्पद और निरर्थक है । प्रधान मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारा उद्देश्य साम्राज्यवादी नहीं है और हम किसी की एक इंच भूमि भी नहीं चाहते है । यही करण है कि ज्यों ही हमारा ध्येय सफल हुआ, त्यों ही एक तरफा युद्ध बन्दी का आदेश दे दिया गया । मैं चाहता हूं कि हमें यथासम्भव पूर्ण रूप से उसी स्थिति पर दृढ़ रहना चाहिए ।

मुझे यहां यह कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि केवल एक राजनीतिक दल को छोड़कर सम्पूर्ण देश ने शिमला समझौते का समर्थन किया है । भारत सरकार के लिए यह सुअवसर है कि सारे एशिया के लोगों के जनमत को संचालित करने हेतु मुख्य भूमिका निभाये । क्योंकि जब तक हम शक्तिशाली नहीं बनेंगे हमारी कोई रक्षा नहीं करेगा । मुझे यह कहते हुए गर्व अनुभव होता है कि हम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं ।

मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के लिए शिमला जाने से पूर्व प्रधान मंत्री विरोधी पक्ष के नेताओं से कम से कम यह कहने के लिए कि "मैं जा रही हूं" विपक्षी नेताओं को बुलायेंगी । परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया । अब मै अपने आप को आश्वासन देता हूं कि प्रधान मंत्री के पास समय नहीं था । उनके पास केवल एक ही दिन था और वह तुरन्त शिमला चली गई । शिमला समझौता होने के पश्चात् मुझे यह आशा थी कि अब वह विपक्षी दल के नेताओं को बुलाकर उन्हे स्थिति से अवगत करायेंगी और उसका स्पष्टीकरण करेंगी । किन्तु उन्होंने ऐसा भी नहीं किया । दूसरी और सैनिक जनता के शासन के अन्तर्गत तानाशाह श्री भुट्टों ने अपने आपको लोकतन्त्रवादी सिद्ध करने के लिए जनमत बनाने हेतु इस मामले को अपने देश की नेशनल असेम्बली में प्रस्तुत किया ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : किन्तु वहां कोई संविधान नहीं था। वहां सैनिक शासन था।

श्री के० मनोहरन : यह ठीक है कि वहां कोई संविधान नहीं था। किन्तु मेरे कहने का यह आशय कि ऐसा तानाशाह विश्व को धोका देने के लिए यह दिखा सकता है कि इसका अनुसमर्थन नेशनल असेम्बली ने किया है। किन्तु यहां ऐसी कोई प्रक्रिया अथवा पद्धति नहीं है। हमारी प्रधान मंत्री भी ऐसा ही कर सकती थीं किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिमला समझौते पर पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली द्वारा अनुसमर्थन दिए जाने के तुरन्त बाद जब उसकी प्रति यहाँ प्राप्त हो जाती तो प्रधान मंत्री संसद को बुला सकती थीं, किन्तु संसद की बैठक के केवल दो दिन पूर्व उन्होंने समझौते पर अनुसमर्थन देना उचित समझा इस कारणों का तो उन्हीं को पता है।

अतः मैं, अपने दल की ओर से इस ऐतिहासिक शिमला समझौते का समर्थन करता हूं।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : India is a peace loving country. The Simla pact is another chapter in the glorious peace loving attitude of India. There are a few people who are opposing and criticising this pact. In my opinion, they believe in violence and war and they can never think of welfare of the Society.

It is said that when Mr. Bhutto came to India he had three things in his mind to achieve through this agreement, namely, (i) release of prisoners of war. (ii) withdrawal of troops on the line of actual control as it was in 1 49 or 1965; and (iii) to establish durable peace in the sub-continent. But he could not achieve his first and second objectives at all while he has been successful in achieving his last objective. India has also been equally successful in regard to securing durable peace in the sub-continent. This feeling was expressed from both sides that the problems of both the countries should be solved through peaceful means.

It is also said that our Prime Minister has taken a very dangerous step that by withdrawing from the area occupied by our forces in the war, & that this step is not in the interest of the country. But India is not an imperialist country. We have no desire of occupying even an inch of territoy of any country. We have no territorial ambitions. No country can. retain any occupied territory by force for ever. This territory had to be returned ultimately

Suspicious have been expressed about Kashmir. Though it is a fact that Kashmir is an integral part of India, but it cannot be desired that this problem is in the U. N. O. and this dispute was taken to U. N. O. by India herself. But this matter cannot be reopened in U. N. O. as Kashmir is an integral part of India.

Our Prime Minister has rightly stated that it is our sincere and honest feeling to live peacefully with Pakistan. We should not get so much suspecious of Simla Pact.

Yesterday, the hon. Members of the Jana Sangh Party created a very deplorable scene in this House. It is very clear from the feelings they expressed yesterday that they have no faith in parliamentary democracy.

Shri Atal Behari Vajpayee and his colleages should remember that democracy has become our religious and no power whether it be external or internal can be allowed to break it.

I welcome this agreement and hope that Pakistan woned co-operate with us in strengthening peace in this region.

श्री वी० के० कृष्ण मेननर (त्रिवेन्द्रम) : मैं इस समझौते का तथा उन परिस्थितियों को तथा जिनमें इस वार्ता की आवश्यकता हुई उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं इसके लिये सरकार

की, तथा इससे वार्ता से सम्बद्ध उन सभी प्रशासनिक,राजनयिक तथा अन्य अधिकारियों की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने इस समझौते के सम्पन्न होने में अपनी योग्यतानुसार योगदान दिया है शान्ति स्वतन्त्रता के पश्चात् शांति हमारा मुख्य उपदेश रहा है।

मैं समझता हूं कि द्विपक्षीय करारों के आधार पर समस्याओं को निपटाने की वचन बद्धता एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आई है। मैं बताना चाहता हूं कि भारत सदा ही इसका सदैव समर्थक रहा है और हमारा अनुभव है कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में भी इस प्रकार की द्विपक्षीय वार्ताओं का बड़ा महत्व रहा है।

हमें सरकार के समर्थकों के विचारों से अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए क्योंकि उनमें समझौते की प्रशंसा अधिक की गई है तथा उसके दूसरे पहलू को नहीं देखा गया है। यह कोई नहीं कह सकता कि शिमला समझौते से स्थायी शन्ति की स्थापना हो सकेगी। परन्तु स्थायी शान्ति तभी स्थापित हो सकती है जब समस्त विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित हो जाये परन्तु इतना निश्चित है कि इस समझौते से तनाव में कमी अवश्य होगी।

पाकिस्तान ने हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के बदले सहमति दे दी है जो कि उस देश की पिछली नीति में एक महत्वपूर्ण सुधार है।

मैं समझौता करने से पहले संसद से परामर्श लेने की बात का उल्लेख नहीं करूंगा। परन्तु जहां तक जीते हुए क्षेत्र के वापस करने का प्रश्न है, उस संबध में मैं यह अवश्य कहूंगा। कि यदि हम यह नीति अपनाते हैं कि "जो क्षेत्र हमने जीत लिये हैं उन्हें हम अपने पास रखेंगे" तो यह एक दुर्भाग्य पूर्ण बात होगी। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उपनिवेशवादी बन जाते हैं। हम पाकिस्तानी क्षेत्र में इसलिये गये थे क्योंकि उनकी सेनायें अपने ही क्षेत्र में कार्यवाही करें और आगे न बढ़ने पाये। हमारा उद्देश्य उनके नगरों पर अधिकार करना कभी भी नहीं था। बंगला देश की स्वतन्त्रता पर हम सबकों प्रसन्नता है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इससे पाकिस्तान की अपनी दुर्बल सीमाओं वाले क्षेत्र से छुटकारा मिल गया है। अब उसे एक ही मोर्चे पर लड़ना है।

दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अभी भी सैनिक गठबन्धनों से बंधा हुआ है और वह उनसे तथा अन्य स्रोतों से सैनिक उपकरण प्राप्त करना रहता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि पिछले कुछ वर्षो से अमरीकी नौ सेना हमारे समुद्रों में सक्रिय बनी हुई है। यदि उक्त नौ सेना पाकिस्तान की बम वर्षा में सहायता देती है तो हमें इस बारे में पहले से ही सतर्क रहना चाहिए।

हमारी प्रधान मंत्री पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक मुश्त करार नहीं किया। मैंने उनका ऐसा कोई वक्तव्य समाचार पत्रों में नहीं पढ़ा जिसमें एक मुश्त करार की बात कहीं गई हो। एक मुश्त करार का कोई अर्थ नहीं होता है।

जीते हुए क्षेत्रों से अपनी सेनाएं वापस बुलाना हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है तथा अंतर राष्ट्रीय उत्तर दायित्व भी है। इसको हमें समझना चाहिये।

करार में मौलिक समस्याओं के शान्ति पूर्ण ढंग से निपटाने की व्यवस्था की गई है और

जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में 17 दिसम्बर, 1971 की युद्ध विराम रेखा का सम्मान करने की भी व्यवस्था की गई है।

वर्तमान समझौते से किसी का अपमान नहीं होता है। यह समझौता समस्याओं को उचित ढंग से निपटाने से सम्बन्धित है। काश्मीर के सम्बन्ध में हम केवल कानून के द्वारा ही नहीं अपितु उस समय के इस राज्य के अध्यक्ष अर्थात काश्मीर के महाराजा के द्वारा राज्य के विलय के आधार पर ही वहां गये। काश्मीर का क्षेत्र, भारत की प्रभुसत्ता का एक अंग है, वह खाश क्षेत्र है, जो कि काश्मीर के महाराजा की प्रभुसत्ता और अधिराज्य के अधीन था। इसमें जम्मू तथा काश्मीर के वे सभी क्षेत्र शामिल है, जो अब पाकिस्तान के कब्जे में है और वह 2000 वर्ग मील भूमि भी है जो पाकिस्तान द्वारा अस्थायी रूप से चीन को सौंप दी गई है। इस मामले में यह रवैया अपनाने के क्या परिणाम निकल सकते हैं, मैं इसके बारे में अनेक बार अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि सरकार ने इस मामले में कभी कोई वचन दिया है, इस देश की कोई भी सरकार ऐसा करने का साहस नहीं करेगी, क्योंकि अखण्डता के बारे में भावनायें इतनी गहरी हैं कि कोई सरकार चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकती। कहीं पर रेखा डालने के प्रयास का जिससे वास्तव में काश्मीर का विभाजन होता हो, हमारी जनता अवश्य विरोध करेगी, चाहे सरकार कितनी ही लोकप्रिय क्यों न हो। आज देश में ऐसी बातें भी हो रही हैं कि हमें सब कुछ भूलकर युद्धविराम रेखा पर ही समझौता कर लेना चाहिये। यदि हम ऐसा ही करते तो हमें अपने नियंत्रणाधीन वाले भाग को भी उसी प्रकार वापिस करना पड़ता जिस प्रकार हम पांच हजार वर्ग मील भूमि वापिस कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर भारत विलय द्वारा आया है और पिछले 25 वर्षों से भारत का अंग है।

पाकिस्तान को उन क्षेत्रों को रखने का भी क्या अधिकार है जिन पर उसने कब्जा कर रखा है। आक्रमण द्वारा ये क्षेत्र इसके कब्जे में हैं। पाकिस्तान को हमें वे क्षेत्र देने ही चाहिए जो इसके कब्जे में हैं और पाकिस्तान का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह हमारे क्षेत्र वापिस कर दे।

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : श्रीमान् श्री वाजपेयी के भाषण से सिद्ध हो गया है कि उनका दल राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से अलग होकर अब अकेला पड़ गया है उन्होंने समूचे मामले को एक साथ निपटाने की बात कही है मैं समझता हूं कि वे 18 वीं या 19 वीं शताब्दी में रहते हैं जब सेनाएं पराजित हो जाती थीं, देश हार जाते थे और युद्ध विराम संधि की मेज पर हारे हुए देशों को हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जाता था। लेकिन यह 20 वीं शताब्दी है आज शांति की राजनीति है जिसमें भारत और पाकिस्तान को कई बार एक साथ बैठना होगा। शिमला समझौते ने इस उप-महाद्वीप का इतिहास बदला है और यह स्वागत योग्य हैं इस समझौते ने इस उप महाद्वीप का इतिहास बदला हैं। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा इस महाद्वीप का विभाजन हुआ था। भारतीय लोकतंत्र को दबाने के लिये उन्होंने पूर्व और पश्चिम में पाकिस्तान के दो खंड बना दिये। ऐसा इस लिये किया गया था। ताकि भारत और पाकिस्तान की जनता एक साथ न हो सके और यह उपमहाद्वीप साम्राज्यवादियों के लिए क्रीड़ास्थल बना रहे। यदि इस प्रवृति को आज बदला जा रहा है तो ऐतिहासिक घटना के रूप के यह निश्चित रूप से स्वागत करने योग्य है।

बंगला देश की मुक्ति में हाथ बटाने के बाद हमने एकपक्षीय युद्धविराम करके श्री निक्सन के इस प्रचार को निराधार ठहरा दिया है कि हम पाकिस्तान को समाप्त करना चाहते हैं। इस समझौते द्वारा दक्षिणी एशिया को साम्राज्यवादी शक्तियों के हस्तक्षेप से मुक्त करने की अब सम्भावनायें बढ़ गयी हैं।

शिमला समझौते द्वारा हम पाकिस्तान को जमीन वापिस कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान के लोगों के अन्दर प्रजातंत्र और भारत के प्रति मित्रता की भावना निश्चित रूप से बढ़ जायेगी।

हमें अपने नेताओं तथा लोगों पर विश्वास है। हमें अगर कोई डर है तो केवल देश के प्रतिक्रियावादियों से है जो इस देश में संघर्ष की राजनीति को जिन्दा रखना चाहते है।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवतुपुजा) : शिमला समझौता एक ऐतिहासिक समझौता है क्योंकि इसके द्वारा इस उपमहाद्वीप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली घटनाओं में परिवर्तन आयेगा।

कहा गया है कि इस समझौते पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से पहले सभा के सामने इस समझौते को न लाकर सरकार ने अनुचित कार्य किया हे। यह समझौता ऐसा है जिस पर सरकार ने प्राप्त कार्यकारी शक्तियों के आधार पर हस्ताक्षर किये हैं। सरकार की कार्यकारी शक्तियों की परिभाषा उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार की गई है कि न्यायिक शक्ति तथा वैधानिक शक्ति के अतिरिक्त कोई भी शक्ति इस प्रकार यह कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा है कि संविधान के अन्तर्गत जो कि ब्रिटिश संविधान के अनुसार है, भारत के राष्ट्रपति केवल नामखात्र राज्याध्यक्ष हैं और वास्तविक कार्यकारी शक्ति मन्त्री परिषद के पास रहती है। व्यावहारिक दृष्टि से तथा सभी कानूनी पहलुओं से यह समझौता उसी दिन से अंतिम रूप से भारत पर लागू हो गया जिस दिन प्रधान मन्त्री ने इस पर हस्ताक्षर किये। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तो केवल औपचारिकता मात्र हैं।

भारत के संविधान की अनुसूची एक में की गई प्रविष्टि संख्या 40 के अनुसार हस्ताक्षर किये गये हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता किया जाता है तो औपचारिकता की दृष्टि से इसे अंतिम रूप देने के लिये राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं।

जनसंघ को छोड़कर सभी दलों ने इस समझौते का समर्थन किया है। जनसंघ के नेताओं ने कहा है कि पाकिस्तान से जीते गये पांच हजार वर्गमील क्षेत्र को लौटाने के लिये संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। उनके तर्क के अनुसार यह अर्जित किया गया क्षेत्र है। संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है क्योंकि संविधान को इस विशेष क्षेत्र का पता नहीं है। अतः किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य अभी नहीं किया गया है।

हम शांतिपूर्ण नीति अपना रहे हैं। पाकिस्तान संघर्ष की नीति अपना रहा है। हम शाँति स्थापित करने के लिए शिमला गये और इसके लिये हमने पाकिस्तान को मना लिया है।

जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है, पुरानी युद्ध विराम-रेखा अब समाप्त कर दी गई है तथा नई युद्ध-विराम रेखा बन गई है। हमने अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी है कि काश्मीर का शेष भाग हमारा है, वहां जरा सा क्षेत्र भी नहीं छोड़ा गया है।

इन सभी विषयों पर हमारी विजय हुई है और शांन्ति स्थापित करने के लिये नींव डाली गई है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, यह तो शुरूआत है और यदि इसी प्रकार सम्बन्ध अच्छे रहे तो इस उपमहाद्वीप में एक नये युग का सूत्रपात होगा और हम एशियाई प्रतिष्ठा तथा एशियाई आत्म-विश्वास की स्थापना कर सकेंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सभापति महोदय हमारे दल ने ठीक ही कहा है कि वह शिमला समझौते में निहित भावना का स्वागत करता है।

[**श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए।**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

परन्तु इसके साथ साथ मुझे यह भी कहना चाहिये कि हम आशा करते हैं कि ऐसी स्थितियां पैदा की जायेंगी जिनमें इस समझौते को पूर्णयता तथा विश्वास के क्रियान्वित किया जायेगा।

हमारा दल इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचा ? इस समझौते पर विचार करने से दो प्रश्न पैदा होते हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या यह समझौता हानिकारक है। हमारी समझ में इसका उत्तर यह है "नहीं" फिर दूसरा प्रश्न यह उठा कि क्या शिमला में इससे श्रेष्ठतर समझौता हो सकता था इसका उत्तर है कि शायद इससे श्रेष्ठतर समझौता हो सकता था।" परन्तु यह सब उस शैली पर निर्भर करता है जो आप किसी विशेष बैठक अथवा सम्मेलन में अपनाते हैं। अतः हमें इसके बारे में कोई अधिक शिकायत नहीं है।

सामान्यतया एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या दूसरा पक्ष इस समझौते का उल्लंघन नहीं कर सकता। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम इसे पूरी ईमानदारी के साथ निभायेंगे परन्तु यदि कोई यह प्रश्न करें कि क्या पाकिस्तान इसका उल्लंघन करेगा तो मैं कहूंगा कि यदि उसके राष्ट्रीय हित में हुआ तो निश्चय ही वह इसका उल्लंघन करेगा। यदि ऐसा हुआ तो इस उपमहाद्वीप के दोनों देशों के करोड़ों लोगों के लिये एक दुखांत घटना होगी।

इससे पहले कि शिमला समझौते में जो कुछ लिखा हुआ है उसके विश्लेषण के बारे में हम चर्चा करें, मैं कहना चाहूंगा कि इस समझौते के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा करने में हमें अधिक उत्साह नहीं दिखाई देता है क्योंकि सरकार ने इस मामले में संसद से गंभीरतापूर्वक परामर्श नहीं किया है जबकि उसको ऐसा करना चाहिये था। प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि उन्होंने इस समझौते के सम्बन्ध में 19 मई को विरोधी पक्ष से परामर्श किया था। उस समय तो इस समझौते की बात दिमाग में भी नहीं आई थी। अतः प्रधान मंत्री ने कल जो कुछ कहा है उससे हमें संतोष नहीं है।

अन्ततः हमारे प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के कारण हमारी विजय हुई और यदि अब हम इस विचारधारा, इस मूल उद्देश्य, पर चलते हैं तो हम कम से कम इस प्रक्रियात्मक मामले में पाकिस्तान की महत्ता के समक्ष हमेशा के लिये झुक जाते हैं।

वे संविधान के शब्दों की शरण लेते हैं। संविधान की यह भावना कभी नहीं रही होगी। कि विदेशी पहलू के बारे में संसद को कुछ नहीं करना है। इसके अतिरिक्त औचित्य का प्रश्न भी है। औचित्य तो यह है कि संसद से आवश्यक परामर्श लिया जाना चाहिये था। प्रधान मंत्री को शिमला जाने से पूर्व विरोधी पक्ष के नेताओं से अवश्यक परामर्श करना चाहिये था।

हमें अब तक जो कुछ उपलब्धि हुई है उसका अधिक उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये।

यदि शिमला वार्ता सफल न हुई होती, तो यह चमत्कार ही होता। शिमला वार्ता को सफल बनाने के लिये सभी प्रकार के दबाव डाले गये और संभवत: इस समझौते के न होने से दोनों देशों का निश्चित रूप से विनाश ही होता।

मै यह कह रहा था कि हम पर विश्व की कुछ प्रवृत्तियों का दबाव पड़ रहा था। मेरे माननीय मित्र ने ठीक ही कहा है कि हम विश्व स्तर पर संघर्ष के युग से निकल कर वार्ताओं के युग की ओर बढ़ रहे हैं। यह बड़े ही हर्ष की बात है।

अत: हम अमरीका और चीन के बीच तनाव में कमी तथा अमरीका और रूस के बीच लाभदायक सहयोग का एक नया अध्याय खुलते हुए देख रहे हैं।

समूचे विश्व में इस समझौते का बहुत स्वागत हुआ है और हम इस देश में समूचे विश्व में व्याप्त इस नई प्रवृत्ति से मुख नहीं मोड़ सकते।

समूची बात का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या दोनों देशों के लोग अथवा नेता भविष्य के बारे में सोचे अथवा पहले की तरह दुर्भाग्यपूर्ण और कटु अतीत में लिप्त रहे ?

अग हमें ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने का कार्य हाथ में लेना है जिससे इस उप-महाद्वीप में स्थायी शांति स्थापित की जा सकें। प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि यह सही दिशा में सही प्रारंभ है और यदि वैसा किया जाता रहा तो वांछित उद्देश्य प्राप्त होगा तथा उपमहाद्वीप में शान्ति रहेगी।

इस समय यह दावा किया जा रहा है कि यह उप-महाद्वीप विदेशी प्रभावों से मुक्त होने जा रहा है परन्तु परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस प्रकार की आशावादी कल्पना उचित प्रतीत नहीं होती। यह उप-महाद्वीप तथा पाकिस्तान विदेशी प्रभावों से तभी मुक्त हो सकते हैं जब भारत यह दिखा दे कि वह रक्षा और अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्रों में अपनी सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की व्यवस्था करने में समर्थ है।

सदस्यों द्वारा ऐसा भी सुझाव दिया गया है कि शिमला में कुछ राजनैतिक दबाव डाले जाते रहे। ऐसी बात होती ही रहती है, राजनयिक दबाव डाले जाते हैं और ऐसा होना अनिवार्य है। परन्तु समूचा प्रश्न यह है कि क्या ऐसे दबावों से हम कुछ ऐसी बात करने पर विवश हुए जो हमें नहीं करनी चाहिये थी।

यह स्पष्ट है कि शिमला में महा शक्तियों का प्रभुत्व रहा तथा इस बारे में अधिक संदेह नहीं हो सकता। हम यह दृष्टिकोण अपना सकते हैं कि वह दबाव हितकर रहा। कई बातें कही गई हैं परन्तु उनका अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इस बात का, कि बंगला देश में रूसी राजदूत आद्योपांत शिमला में उपस्थित थे, विरोध नहीं किया गया है।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह पूर्णतया गलत है...

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह श्री शशि भूषण द्वारा प्रमाणित तथ्य है कि श्री कोन्नैली के आगमन का समय इसे थोड़े दिन आगे रखकर तय किया गया।

श्री स्वर्ण सिंह : श्री कोन्नैली शिमला समझौते के बाद में आये थे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं आशा करता हूं कि दोनों देश, उनके नेता और उनके लोग,

इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिये स्थितियां पैदा करने का प्रयास करेंगे। मंत्री महोदय को चाहिये कि वह सभा को बतायें कि वार्ताओं के दूसरे दौर में भारत का वार्ता करने का मूल दृष्टिकोण क्या होगा। सरकार को कम से कम विरोधी पक्ष के नेताओं से अनिवार्य रूप से विचार विमर्श करना चाहिये।

Shri H. K. C. Bhagat (East-Delhi) : I agree to the views expressed by Shri Mishra that the spirit of the Simla Agreement should be implemented as it was inevitable.

Shri Vajpayee has said that the Prime Minister has disrupted the unity of India. I would tlke to submit humbly that when war was imposed on us on the Bangla Desh issue. unity was not only among the people of India and Bangla Desh but peple of foreign countries also joined with us.

When our ideology; our policy and our objectives were put in this House. Shri Vajpayee who was present here did not contradict them.

When the war was fought on the Bangla Desh issue and the people of India and Bangla Desh gathered, they did not gather in support of the policy of Shri Vajpayee. In that war, the policy of this House worked. Our victory was the victory of principles.

If any body who has tried to disrupt the unity of India time to time, it was Shri Vajpayee. But inspite of his efforts the unity is there. And the fact is that the persons who opposed the Congress are supporting the Simla Agreement.

If package deal has not been made, what harm is there, for there has been partial understanding between Russia and America and between America and China too. After all the Agreement is a step towards peace and understanding which is a very good sight.

Shri Vajpayee also said that the Simla Agreement had activised the Kashmir question but the fact was that there had been a definite advance in India's stand over the Kashmir problem.

It has also been said that this agreement was finalised under the pressure of foreign powers and it is suggested that a Parliamentary Committee should look into the matter by taking evidence of Telephone operators at Simla. Let Shri Vajpayee excuse me, nothing can be more childish pranks than this.

Shri Vajpayee has also said that India has lost at the conference table. In fact the Jan Sangh has always taken wrong stand and their present stand in regard to Simla. Agreement reflect their frustration and isolution from historical mainstream of the country.

श्री पीलू मोदी : (गोधरा) : * *

सभापति महोदय : जो कुछ श्री मोदी ने कहा है, वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीरोड) : मैं इस ऐतिहासिक शिमला समझौते का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। एक दिन आयेगा जब इसमें बंगला देश भी शामिल हो जायेगा और इस क्षेत्र में शांति स्थापित होगी।

गत 25 वर्षों से जो पड़ौसी देश सतत घृणा का भाव रखे हुए थे उनके बीच अब शांति-पूर्ण सम्बन्धों की स्थापना का इस समझौते में प्रयास किया गया है।

* कार्यवाही वृत्तान्त सम्मिलित नहीं किया गया।

* Not recorded.

यह स्पष्ट है कि 25 वर्षों के कटु अनुभव के पश्चात पाकिस्तान ने अब महसूस किया है कि भारत के साथ समस्याओं तथा मतभेदों का संघर्ष अथवा किसी बड़ी शक्ति की मध्यस्थता द्वारा दूर करना संभव नहीं है। उसने यह भी जान लिया है कि ये समस्यायें सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ भी नहीं सुलभा सकता है। इन समस्याओं को सुलझाने का एकमात्र उपाय यह है कि भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीकों से द्विपक्षीय वार्ता की जायें। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और साथ ही एक बहुत बड़ी सफलता भी है जो भारत ने इस सम्मेलन में प्राप्त की है।

सेना की वापसी के बारे में काफी कुछ कहा गया है। हमने सदैव यही कहा है कि हमें पाकिस्तान की एक इंच भूमि भी नहीं चाहिये। सितम्बर, 1971 में घोषित किया गया युद्ध-विराम एकतरफा है। शिमला समझौते में अविकृत क्षेत्रों से वापसी का जो निर्णय किया गया है वह हमारे अच्छे इरादों का परिचायक है। इससे विश्व में भारत का मान बढ़ा है।

समझौते के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत यात्रा सुविधाएं, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापार तथा सहकारिता जैसे सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये कई कदमों का प्रस्ताव किया गया है। आशा है दोनों देश इस अनुच्छेद को शीघ्र लागू करेंगे जिससे शांति शीघ्र स्थापित हो।

काश्मीर के मामले में वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार करते हुए पाकिस्तान ने इसका प्रतिपादन किया है। हमने इस बात पर दबाव भी डाला है कि हम पुरानी युद्ध विराम रेखा से पीछे नहीं हटेंगे।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं समझा हूं कि यह चर्चा तभी सार्थक सिद्ध होगी जब राष्ट्रपति के अनुसमर्थन से पूर्व इस पर चर्चा की जाती। संसद के साथ निर्विवाद तथ्य समझ कर उसके समक्ष लाना समस्त लोकतांत्रिक सिद्धान्तों तथा संसदीय औचित्य का अपमान करना है। जब कभी न्यायपालिका तथा विधान मंडलों में होड़ हुई है तो संसाद को सर्वोच्च बताया गया है परन्तु इस मामले में संसद को विश्वास में नहीं लिया गया है।

16 फरवरी, 1966 को ताशकंद समझौते पर बोलते समय मैंने आशाव्यक्त की थी कि इससे पड़ौसी देशों के सम्बन्ध में एक नया अध्याय खुलेगा पर साथ ही यह भी कहा था कि हमें बाद में होने वाली घटनाओं का भी अध्ययन करते रहना चाहिये। मेरी आशंकायें बाद में सच साबित हुई और इसलिए उन घटनाओं ने हमारी आशाओं पर तुषारापात कर दिया।

यद्यपि ताशकंद समझौता और शिमला समझौता की प्रस्तावना एक जैसी ही थी परन्तु दोनों भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में हुए हैं। शिमला समझौता भारत की भूमि पर बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के सम्पन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त इस बीच बंगला देश अस्तित्व में आया है। इस समय पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हमारे अधिकार में है उसके 90,000 सैनिक हमारी हिरासत में हैं तथा सैनिकों ने पाकिस्तान में अनेकों लड़ाईयां भी जीती।

हमने लड़ाई जीती और अब हमें शान्ति भी जीतनी चाहिये। जो लोग एक मुश्त समझौते की बात करते हैं उन्हें यह समझना चाहिये कि समझौते मात्र कलम हिलाने से नहीं होते हैं, उन्हें वास्तविकता को समझना चाहिये।

धर्म के आधार पर देश का विभाजन होने के परिणाम स्वरूप अब 25 साल तक खून खराबे के बाद शिमला समझौता अब स्वागत योग्य है। हमें दोनों देशों के बीच तनाव कम करना

चाहिए। हम यदि चाहते तो श्री भुट्टो के इस कथन का कि वह 1000 वर्ष तक लड़ेंगें यह कह कर उत्तर दे सकते थे कि हम 1001 वर्ष तक लड़ेंगें।

लड़ाई के साजो समान खरीद कर तथा बना कर क्या हम अपने राष्ट्र को साधनहीन बनाना चाहते हैं, गरीब, कमजोर बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस समझौते से एक नये युग का सूत्रपात हुआ है जो दोनों के लिए हितकर होगा। भारत, पाकिस्तान तथा बंगला देश आपसी सहयोग से मिल जुल कर अपना हितकर सकते हैं तथा वे भी यूरोपीय साझा बाजार के समान एक साझा बजार बना सकते हैं।

यद्यपि शीघ्रता में ही सही, पर यह एक सही दिशा में उठाया गया सही कदम है। मैं आशा करता हूं कि अगले शिखर सम्मेलन मे श्री भुट्टो काश्मीर से संयुक्त राष्ट्र पेक्षकों हटाने और नई सेना डिवीजन के गडन का विरोध करने के सम्बन्ध में अपना अन्तव्य स्पष्ट कर देंगे।

मैं बतलाना चाहता हूं कि इस सौदे बाजी में हम हानि में नहीं रहे हैं। अभी भी हमारे हास 90,000 युद्ध बन्दी और उन्हें बंगला देश को मान्यता देने पर ही पाकिस्तान को वापिस किया जा सकता है तथा अगले शिखर सम्मेलन में भारत के सहयोग से बंगला देश को मान्यता दिला सकना सम्भव हो सकेगा।

जीती हुई भूमि को पाकिस्तान को न लौटाना दुर्योधन के समान बिना युद्ध के पण्डवों को पाँच गाँव भी न देने जैसी ही बात होगी। (व्यवधान) ऐसा कहना बिल्कुल तर्क हीन बात है।

आज मैं अपने योग्य साथी डा० लोहिया का स्मरण करता हूं। उन्होंने सभा में कईबार कहा था कि हम उपमहाद्वीप का एक कन्फैडरेशन बनाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह उस दिशा में एक कदम है। अन्त में शिमला समझौते का स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं अखण्ड भारत वर्ष का हमारा स्वप्न साकार हो जायेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : युद्ध के समान शान्ति के समय भी भारत ने शिमला समझौता के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह नन कुछ दिनों में स्पष्ट हो गया है।

[**श्री एन० के० तिवारी पीठासीन हुए।**
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

बंगला देश के एक स्वतन्त्र राष्ट्र के उदय से भारत और पाकिस्तान के बीच निरन्तर आतंक पूर्ण स्थिति बनाये रखने वालों पर यह एक वज्रपात हुआ था, इसी प्रकार शिमला समझौता उन पर दूसरा वज्रपात हुआ है। जनसंघ उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जिन पर वज्रपात हुआ है तथा जो शान्ति नहीं चाहते हैं।

बंगला देश की स्वतन्त्रता के बाद भारत की सेना मुक्ति दाता सेना के रूप में उभर कर सामने आई है।

विस्तार वादी राष्ट्र की सेना के रूप में नहीं। अतः यह कहना कि भारत उपनिवेशवादी देश है और उसके बड़ी शक्ति रहते किसी पड़ौसी देश का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकता, गलत है। हमने सम्प्रदाय वादियों के इन सभी आरोपों को झुटला दिया है, विशेषकर बंगला देश

के संकट के समय उनकी यह सची बातें झूठ साबित हो गई। हमने जो कुछ भी शिमला समझौते के समय तथा गत दिसम्बर युद्ध में किया है वह हमने सभी अपनी निश्चित नीतियों के अनुसरण में किया है।

शिमला समझौते के द्वारा हमारे अन्य सभी पड़ौसी हमें देश जैसे बंगला देश, अफगानिस्तान नेपाल, भूटान, श्री लंका तथा वर्मा और निकट आयेंगे और हम पड़ौसी देशों को एकता सूत्र में बांधने का श्री जवाहर लाल नेहरू का सपना हमारे सामने साकार होने के लिए मार्ग के प्रशस्त होगा।

श्रीमन इतिहास की यह एक महत्वपूर्ण घटना है। यह तो अभी एक सही दिशा में श्री गणेश है, और यदि यह श्री गणेश सही दिशा में है, तो भारत एक दिन निश्चिय ही इस उपमहाद्वीप भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। श्री वाजपेयी जी ने कहा है कि शिमला समझौते के विरोध में एक लाख व्यक्ति उनके साथ हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि श्री शंकर दयाल शर्मा कॉंग्रेस प्रेजीडेंट चाहे तो शिमला समझौते के पक्ष में असंख्य व्यक्तियों को उपस्थित कर सकते हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : शिमला समझौते का सदस्यों ने स्वगत किया है पर यदि इस समझौते के पीछे शान्ति स्थापना के लिए एक ठोस आश्वासन और वास्तविक इच्छा होती तो समाज वादी दल भी इसका हार्दिक स्वागत करता। इस समझौते के सम्बन्ध में जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, मैं चाहता हूं कि वे सब मृगतृष्णा ही साबित न हों।

हम शान्ति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देश मित्रता और सहयोग से रहें। पर अब तक जितने भी बड़े-बड़े निर्णय किये गये हैं उनमें किसी न किसी साम्राज्यवादी राष्ट्र का हस्तक्षेप रहा है चाहे वह देश का बटवारा हो, काश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की समस्या है। अथवा 1950 का निर्णय हो। इस कारण मन में कुछ संदेह पैदा होता है। मुझे प्रधान मन्त्री के इस वक्तव्य से प्रसन्नता हुई है कि यह समझौता बिना किसी तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप के किया गया है। 25 साल के कटु अनुभवों के बाद शान्ति का होना अत्यन्त आवश्यक है राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं वरन ऐतिहासिक दृष्टि से भी ऐसा करना आवश्यक है यह युद्ध एक गृह युद्ध के समान है। पाकिस्तानी युद्ध बन्दी हमारे भाई ही हैं, पर पथभ्रष्ट भाई हैं अतः जीता हुआ क्षेत्र जीत का माल नहीं वरन शान्ति के लिए एक धरोहर मात्र है।

जैसा कि सभा में बताया गया है, यह इस दिशा में न तो पहला और न नया कदम और न ही एक शुरुआत है। यदि हम भूतकाल की ओर देखें तो पायेंगे कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार के चार या पांच समझौते पहले भी किये गए थे जैसे नेहरू-लियाकत अली समझौता फीरोजखां नून के साथ हुआ समझौता, फिर मुहम्मद अली और अयूब खां के साथ हुए समझौता उस समय भी शान्ति, सहयोग, आपसी सहमति आदि सुन्दर शब्दों का इनमें भी समावेश किया गया है।

शिमला समझौता और ताशकंद समझौता दोनों की भाषा में नाम मात्र का ही अन्तर है, यदि यही नया कदम है, पहला कदम है तो यह हमने कई बार उठाया है, कई बार शान्ति के उद्देश्य के प्रति सहमति प्रकट की है पर इन सभी का क्या परिणाम निकला ? क्या वे, फलदायक सिद्ध हुए। यदि नहीं, तो उनके क्या परिणाम निकले। अतः इस अन्तिम कदम के प्रति भी संदेह पैदा होना स्वाभाविक है।

सभापति महोदय : वे अपना भाषण समाप्त करें।

श्री समर गुह : जी नहीं ।

सभापति महोदय : वे जो कुछ भी कहेंगे। वह कार्यवाहीं वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री समर गुह : * *

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : उन्हें पांच मिनट और दे दिये जायें।

सभापति महोदय : बहुत अच्छा कृपया 5 मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री समर गुह : इस समझौते में द्विपक्षीय बातचीत व्यवस्था की एक नई शर्त रखी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य कोई नई बात नहीं है।

समझौते पर सिपाही सूखने से पहले ही द्विपक्षीय बातचीत व्यवस्था के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की उसकी अलग-अलग व्याख्या की है। प्रधान मंत्री कह चुकी हैं कि वे श्री भुट्टो की व्याख्या से महमत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक स्थायी शान्ति की स्थापना नहीं हो जाती युद्ध बन्दियों को नहीं छोड़ा जायेगा। जबकि श्री भुट्टो का कहना है कि भारत को युद्ध बन्दियों को आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा और यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम उसके विरुद्ध विश्वजनमत जाग्रत करेंगे। अतः हमने एक तकनीकी गलती की है। समझौता होने से पहले अधिकतर कैदियों को वापिस भेज दिया जाना चाहिये था और शान्ति की धरोहर के रूप में भूमि को अपने पास रखना चाहिये था।

हमने काश्मीर सम्बन्धी अपनी बीस वर्षीय नीति को बदल दिया है। हम कहते थे कि कश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान कुछ नहीं कह सकता पर अब हम इस बात को मानते हैं। इस बारे में श्री भुट्टो का कहना है कि यदि कश्मीर के लोग हिन्दुओं से स्वतंत्र होना चाहेंगे तो हम शिमला समझौता तोड़ कर और भारत से अपने सम्बन्ध बिगाड़ कर भी काश्मीरियों की मदद करेंगे पर पहले उन्हें ही करनी होगी।

बंगला देश को मान्यता देने से पहले सम्बन्धों को सामान्य बना कर हमने महान गलती की है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा (अलवर) : एक बड़ा ही लचर तर्क तो शिमला समझौते के विरुद्ध यह दिया जाता है कि हमने पाकिस्तान के साथ पहले भी छः बार शान्ति स्थापना के लिए समझौते कर चुके हैं, इसलिए सातवीं बार ऐसा प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। मेरा कहना है कि भले ही हम भूतकाल में सफल न हुए हों पर हमें शांति स्थापना की ओर अपने प्रयत्न कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए।

इस समझौते से हमें नई शिक्षा मिली है और इस उपमहाद्वीप में शांति की स्थापना के लिए नई आशा की किरण उदय हुई है।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not Recorded.

दूसरा तर्क यह पेश किया गया है कि श्री भुट्टो अधिक विश्वास करने योग्य व्यक्ति नहीं हैं और वह आज कुछ कहते हैं तो कल न जाने क्या कह दें। ऐसी उनसे आशा की जा सकती है, परन्तु वस्तुतः स्थिति यह है कि वह किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के दबाव में हैं और जो व्यक्ति एक हजार वर्ष के जिहाद आदि की बात कहता रहा हो उसके लिए अपने देश के लोगों के सामने यह स्वीकार करना जरूरी नहीं कि वह सदा के लिए युद्ध हार चुके हैं। अतः हमें उन्हें दोष देकर उनके साथ अपनी बातचीत के बारे में अविश्वास से काम नहीं लेना चाहिये।

शिमला करार का अर्थ दोनों देशों के बीच सभी विवादों का निपटारा नहीं है। यह बात प्रधान मन्त्री ने भी बार बार दोहराई है। इसके अन्तर्गत तो बस कुछ ऐसी व्यवस्था है कि दोनों देश शांति के लिये परस्पर प्रयास कर सकते हैं।

हमें सारी परिस्थिति को इस प्रकाश में देखना चाहिये कि हम गत 25 वर्ष से पाकिस्तान के साथ प्रायः युद्ध की स्थिति में रहे हैं और इस बीच हम पर चार बड़े युद्ध भी थोपे गये हैं और इनमें अनेक कुर्बानियां देकर भी हम कोई निश्चित हल अभी तक नहीं निकाल सके हैं, हमें अपना सुरक्षा बजट बढ़ाना पड़ता रहा है और अपनी अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़कर सुरक्षा की स्थिति मजबूत करनी पड़ती रही है। हमारे विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता रहा है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker in the chair

इस करार का एक प्रमुख लाभ यह हुआ है कि इसके प्रावधान के अनुसार इस उपमहाद्वीप के सभी मामलों में कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी अन्यथा पहले स्थिति यह थी कि हजारों मील दूर बैठे अन्य लोग ही यह निर्णय करते थे कि इस महाद्वीप में कैसी स्थिति रहे जैसे शांति बनी रहे या युद्ध छिड़ जाये। यही लोग यहां युद्ध कराया करते थे। इस करार से दोनों देशों की इस मनौवृत्ति में भी परिवर्तन आयेगा जिसके अधीन किसी भी स्थिति का सामना करने के उद्देश्य से, या किसी भय से, अपनी विकास परियोजनाओं को हमें कुछ पीछे रखना पड़ता था। इससे अधिक जनसंघ दल इस करार से क्या लाभ उठाना चाहता है ? सभी समस्याओं का हल आखिर एक दम तो नहीं हो जाया करता। इस समझौते ने इतनी व्यवस्था तो की है कि दोनों देश मिल बैठ कर शांति के साथ, अपने विवादों को हल कर सकें। मैं तो नहीं समझ सकता कि इससे भी अन्य लाभ क्या हो सकता है। मेरे विचार से तो यह एक अत्यन्त सौभाग्य पूर्ण तथा लाभ प्रद करार है।

Shri S. A. Shamim (Shrinagar) : The two very important speeches I heard here indicate two different idiologies. Whereas the speech of Smt. Indira Gandhi represents the idiology of Mahatma Gandhi. The speech of Shri A. B. Vajpayee tells us the way in which Guru Golwalkar wants the things to go. And it is quite evident that the people of India believe in and follow Gandhian ideology.

Our Prime Minister deserves wholesome appreciation and congratulation for bringing about the historical Simla Agreement, and I do not understand what Jan Sangh wants by opposing this agreement. Truely speaking this agreement symbolises the birth of a true democratic sense in Pakistan after a spell of 25 years of her existence.

I am surprised to find Jan Sangh calling it a defeat when the champion of a thousand year war with India Shri Bhutto who had solemonly pledged not to leave a sigh of

releif until he seized Kashmir from India; and who cried to his most and turn out the U. N. Agenda papers in U. N. Genreat Assembly. He has now come to us to settle all the disputes through peaceful negotiations and mutual goodwill. Is it India's defeat? Virtually it is India's second great victory. The first on the war front and this second one on political and ideological front. In connection with our declaration of unilateral cease-fire after wining the war, it was always clear that we never wanted to capture even an inch of Pakistan's territory and therefore, having achieved our main goal, we declared unilateral cease-fire. If Shri Vajpayee is still not convinced let him speak out the seasons for continuing war. We had always honoured democracy in Pakistan and when that country started talking of peace, was it not unappreciable on our part to talk of confrontation particularly when we had achieved what we wanted ?

Shri Vajpayee fears why Bhutto is happy over this a reement which shows something mysterious at the bottom of the affairs. But ask him to tell why Jamat-a-Islami and Shri Vajpayee himself are angry over it. Why Jan Sangh in India and Jamat-a-Islami in Pakistan are speaking on the same frequencies. Both are speaking in the one tone.

The world knows that India never wanted war because we know and understand the horror and after results of war. Ours is a poor country and we know that war means snatching away whatever little meals our poor men are very hardly getting today.

So, we never wanted war. We don't bother what Shri Bhutto speaks out in his country. We know we have no enemity what so ever with the people of Pakistan and Shri Bhutto had come here as a representation of the people of Pakistan. And we are interested but the democracy in Pakistan should live and flourish. And by signing this agreement we had obliged the masses of Pakistan and certainly they also feel grateful to us for the same.

Peace in Pakistan is very important and desirable for us also. We know that a very large number of Indian Muslims are having relatives—even blood relatives, in Pakistan and during war with Pakistan on one hand we wanted victory for our fighters but side by side we can't help wishing the safety of our relatives who were fighting in theory of Pakistan. Is it not something very tragic ?

So renouncing war through this instrument, should have been welcomed by all and has vertically and practically been welcomed by all except the isolated Jan Sangh.

As regards Kashmir, which has always been used by Jan Sangh as an instrument of rousing the sentments of the people of India; it has been stated that Mr. Bhutto has been giving very exciting speeches to arouse the Kashmiries to against India. But every body knows that not only Mr. Bhutto but right from Ali Mohd. Jinnah to Mr. Bhutto every body in Pakistan has been crying for Kashmir since its complete accession to India what is now in it ? After all the Pakistani leaders should have something to speak to their people. Jan Sangn too speak about Kashmir to keep themselves alive.

One thing howeven I admit that this agreement should have been brought before the Parliament for its ralifications and that was not difficult also for the Government. Yet this lapse on the part of the Government is also not a very ling mistake but just like some spe ling mistakes by a student who has otherwise done his examination papers capable of securing first class marks.

Thus Smt, Gandhi certainly deserves congratulations from the 56 crore people of India for bringing about this unique Agreement.

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : श्रीमन सबसे पहले मैं शिमला समझौते का समर्थन करने वाले दलों का धन्यवाद करता हूं और साथ ही यह भी अनुभव करता हूं कि इस करार

का विरोध करके जनसंघ दल बिलकुल अकेला पड़ गया है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जनसंघ को अब जनता और उसकी भावनाओं से कोई सम्पर्क अथवा सम्बन्ध नहीं रह गया है और वस्तुतः इह करार का विरोध करके यह दल अपने लिये स्वयं जनता का विरोध प्राप्त कर रहा है।

शिमला करार का समर्थन केवल हमारे देश में ही सर्वत्र नहीं हुआ है बल्कि विश्व के प्रायः प्रत्येक भाग में इसकी प्रशंसा हुई है, इसे शांति स्थापित करने का एक अद्भुत मानदण्ड माना गया है। यहां तक कि जो देश हमारे साथ स्पष्ट रूप से अथवा परोक्ष रूप से भी सहानुभूति नहीं रखते थे, जो भारत के हितों के विरुद्ध भी बोलते रहे थे या कुछ न कुछ करते भी रहे थे भले ही इसका कारण उनकी कम जानकारी या अन्य कोई बात रही हो, उन देशों ने भी मुक्त कण्ठ से कहा है कि सशस्त्र युद्ध के छः महीनों के भीतर ही युद्ध जीतने के बाद भी भारतीय नेता प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने स्वयं अपने विपक्षी को अपने यहां बुलाकर केवल कुछ ही दिनों में, शांति स्थापित करने के लिये यह अद्भुत शिमला करार पेश कर दिया है। सभी देशों ने यह एक मत होकर यह बात कही है और विश्व के किसी भी भाग से किसी भी ऐसे वक्तव्य का पता नहीं लगा है जिसमें इस करार की आलोचना की गई हो। समूचे विश्व ने इस समझौते का समर्थन किया है।

इसी करार के तुरन्त बाद युद्ध संयोगवश पश्चिम अफ्रीका तथा दो यूरोपीय देशों तथा काहिरा का दौरा करने का अवसर मिला। मुझे हर जगह बड़े उत्साह के साथ यही कहा गया कि शिमला करार करके भारत ने एक महान बुद्धिमानी का कार्य किया है और विश्व को यह दिखा दिया है कि भारतवासी जहां उठकर लड़ना जानते हैं विजय प्राप्त करना जानते हैं, वहीं वे शांति स्थापना के लिये भी कहीं अधिक उत्साहित होते हैं। यहाँ सदन में भी दो दिन की चर्चा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में भी इस करार को कितना विशाल समर्थन प्राप्त हुआ है। हां जनसंघ के प्रमुख नेता श्री वाजपेयी ने इस करार का विरोध करते हुए कल यहां एक बड़ा ही जोरदार भाषण जरूर दिया था मगर खेद इस बात का है कि जब उनके भाषण का जवाब यहां दिया जा रहा है तो वह सदन में उपस्थित भी नहीं है। एक तरफ तो उन्होंने इस मामले को देश का सबसे महत्वपूर्ण मामला स्वीकारा है परन्तु दूसरी ओर उसकी अवहेलना करते हुए आज वह सभा में उपस्थित तक नहीं हैं। वह प्रधान मन्त्री के भाषण के समय भी अनुपस्थित थे और आज प्रातः उन्होंने कहा था कि वह कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देंगे परन्तु अब फिर वह यहां उपस्थित नहीं है संभव है वह इस समय की कार्यवाही को पढ़कर फिर कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की पेशकश करें परन्तु हमें इस प्रकार के व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। आवश्यकता तो इस बात की है कि यहां सभा में तथा बाहर भी जो उनके समर्थन हैं वे यह अनुभव करें कि जो प्रदर्शन उन्होंने किये और जो कर्मचारियों का घेराव करके यहां चीख चिल्लाहट की वह कोई उचित कार्य नहीं था। पता लगा है कि श्री वाजपेयी ने सचिव की मेज से माइक्रोफोन झपट लिया था। क्या यही परम्परा ये लोग यहां कायम करना चाहते हैं? क्या लोगों के हितों का ध्यान रखने का यही मार्ग है कि लोकतन्त्र के इस माध्यम को समाप्त कर दें। क्या वह एकता का नारा इसलिये लगाते हैं कि झुण्ड के झुण्ड इकट्ठे होकर सदन के कर्मचारियों का घेराव करें तथा शौर शराबा करें और यहां कि

कार्यवाही में बाधा डालें ? यह तो कायरता है। यदि उनमें हिम्मत तथा साहस होता, सच्चाई होती तो वह यहाँ अपनी बातों का जवाब सुनने के लिए अवश्य उपस्थित होते।

जनसंघ दल की ओर से आज दोपहर बाद जो वक्तव्य दिया गया है उसका सारांश यह है कि सोफनिंग आफ दी बार्डर का मतलब है काश्मीर को पाकिस्तानी की घुसपैठियों की दया पर छोड़ दो। परन्तु जिन काश्मीरियों ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए इतना जीवन बलिदान किया क्या वही जम्मू व काश्मीर वासी अपनी सीमाओं को पाकिस्तानी घुसपैठियों की दया पर छोड़ देंगे ? जनसंघ का यह वक्तव्य तो किसी भी तर्कपर नहीं टिक पाता है। केवल निरर्थक बातों का भ्रमजाल है।

बार बार यह तर्क पेश किया गया है कि हमने एकमुश्त समझौता करने का विचार किया था। इस संदर्भ में एकमुश्त करार की परिभाषा देते हुए श्री वी० के० कृष्णन मेनन ने स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है तथा उक्त तर्क में उठाए गए प्रश्नों का भी उचित उत्तर दे दिया है। वस्तुतः पेकेजडील या एकमुश्त करार क्या देता है और यह कैसे पता लगाया जाए कि कोई करार खण्ड-वार करार है कि एकमुश्त करार है ? यदि हम ध्यान से देखें तो यह करार भी एक अच्छा एकमुश्त करार है।

इस करार में पहली बात तो यह है कि दोनों पक्ष अपने सभी मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करेंगे। दूसरे आपकी बात-चीत द्वारा हल करेंगे। तीसरे कोई भी पक्ष स्थिति में किसी प्रकार का कोई एक पक्षीय परिवर्तन नहीं करेगा। चौथा कोई भी पक्ष दोनों पक्षों के मध्य मैत्री भाव और शांतिपूर्ण संबंधों को बिगाड़ने के लिये किए गए किसी भी प्रयास को रोकेगा। पाँचवे कोई भी पक्ष किसी दूसरे के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और फिर सेनाओं की वापसी के बारे में भी, यह एक पूर्णतया एक मुश्त करार है क्योंकि भारतीय और पाकिस्तानी सेनायें अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की ओर वापस आजायेगी तथा जम्मू व काश्मीर में वास्तविक नियंत्रण सीमा का सम्मान किया जायेगा। इस प्रकार इस करार में अनेक बातें एकमुश्त हैं। परन्तु कुछ मित्र इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमने किसी एक अथवा दो बातों को ही नहीं लिया है बल्कि समूचे तौर पर समस्याओं का हल ढूंडने का प्रयास किया है और हम उन पर परस्पर सहमत हो गये हैं।

एक प्रश्न द्विपक्षीयता तथा शाँतिपूर्ण उपायों के संबंध में भी उठाया गया है। यहां कहा गया है कि वैसे तो श्री भुट्टो ने द्विपक्षीयता के सम्बन्ध में हस्ताक्षर किये परन्तु पाकिस्तान राष्ट्रीय असेम्बली में उन्होंने यह कहा है कि वह द्विपक्षीयता में विश्वास ही नहीं करते हैं। पता नहीं श्री वाजपेयी जी को कैसे उक्त भाषणों का पता लग गया और न जाने उन्होंने श्री भुट्टो के भाषण के किसी अंश को अपने मस्तिष्क में रख लिया।

मैंने श्री भुट्टो के संबंधित भाषणान्शों की जांच की है और मुझे उन पर कोई खेद नहीं है। यदि वहां की परिस्थितियों और श्री भुट्टो पर पड़े दबावों के संदर्भों में उन्हें देखा जाए तो यद्यपि उन्होंने अपने भाषण में उक्त करार को अपनी राष्ट्रीय असेम्बली से पास कराने के लिए कई फज़ूल और असंबंधित बातें भी कही हैं परन्तु फिर भी सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में उन्होंने शिमला करार में हस्ताक्षकृत बातों पर दृढ़ता दिखाई है।

इसी संदर्भ में मैं एक ध्यान रखने योग्य बात भी कहूँगा। जब कोई करार होता है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई वाक्यांश अथवा शब्द ऐसा न हो जिसको किसी अन्य अर्थों में भी लिया जा सके। फिर भी यदि कोई उसका मनचाहा अर्थ लगाता है तो वह हमें उसके ही अर्थों का मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि श्री भुट्टो चाहे जिस अर्थों में इस प्रकार की बातों को अपने यहां पेश करें हमें इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

वैसे अपने भाषण में श्री भुट्टो ने बार बार कहा है कि वह द्विपक्षीयता में विश्वास करते हैं। इस सिद्धान्त के समक्ष उन्होंने सिर भुकाया है और इसी सिद्धान्त को उन्होंने स्वीकारा है तथा इससे उनके विश्वासों पर कोई अन्तर नहीं पड़ा है। अतः इससे भी अधिक क्या स्पष्ट बात हो सकती है।

फिर यह कहा गया है कि यद्यपि श्री भुट्टो द्विपक्षीयता की बात करता है फिर भी उन्होंने कहा है कि वह इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जा सकते हैं।

इस संदर्भ में भी स्थिति बड़ी ही स्पष्ट है। पहले तो श्री भुट्टो ने साफ साफ बताया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सुरक्षा परिषद में कैसे-कैसे काम होता है। आपको भी याद होगा कि पिछली बार श्री भुट्टो ने सुरक्षा परिषद में कार्य-सूत्री पत्र फाड़ डाले थे और उन्हें सदस्यों के मुंह पर दे मारा था और कहा था कि सुरक्षा परिषद में उनको कोई विश्वास नहीं है। क्या वही राष्ट्रपति भुट्टो अब संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना मामला ले जायेंगे। क्या उन्होंने स्वयं यह नहीं कहा था कि पिछली बार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने भी यही सलाह दी थी कि भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय बात-चीत करनी चाहियें। यही बात उन्होंने अपनी राष्ट्रीय असेम्बली को भी कहा है।

वस्तुतः तो कोई भी किसी को संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने से नहीं रोक सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई किसी को युद्ध करने से नहीं रोक सकता। भले ही कोई किसी प्रकार के भी शांति करार पर हस्ताक्षर करले परन्तु फिर भी यदि वे अपने देश के हित में हमें उचित समझें तो वह युद्ध भी कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जा सकते हैं। हम यह बात खूब समझते हैं। और फिर जहां प्रधान मंत्री ने स्वयं यह बात बड़े स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट की है वहां अनेक सदस्यों ने भी यह सच ही कहा है कि पाकिस्तान के साथ 25 वर्ष का इतिहास आज एक दम से यह विश्वास पैदा नहीं कर सकता कि शांति स्थापना के प्रति इतनी श्रद्धा रह भी सकती है। और हम भी इस बात को खूब समझते हैं।

परन्तु हमने यह भी देखा है कि इस 25 वर्ष के संघर्षमय इतिहास को बदल डालने की सच्ची भावना जागृत हुई है और इसके प्रत्युत्तर में हमने भी यह पहला कदम उठाया है। पिछले तनावपूर्ण इतिहास का उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं है। निश्चय ही दोनों देशों में तनाव रहा है। निश्चय ही पाकिस्तान विश्वभर में भारत विरोधी प्रचार करता रहा है गलत-शलत बातें भी करता रहा है इतना ही नहीं कई बार इसने हम पर युद्ध भी थोपा है। परन्तु केवल इन्हीं तथ्यों पर आधारित बातें करने से तो कोई बात नहीं बनती। हमें तो इस प्रकाश में देखना है कि उन्होंने पिछले इतिहास को बदल डालने का निश्चय प्रदर्शित किया है। वे नया अध्याय खोजना चाहते हैं। परन्तु यदि जनसंघ कहता है कि "नहीं साहेब, आप तो हमेशा लड़ते रहे हैं अतः अब भी लड़िये" तो यह बात ठीक नहीं। विद्वतापूर्ण नहीं। हमसे हमारा राष्ट्रीय हित पूरा नहीं होता — **(व्यवधान)**

कल प्रधान मंत्री ने इस संदर्भ में उत्तर देते हुए कहा था कि स्थिति बदल चुकी है। समूची राजनैतिक परिस्थितियों में पूर्ण परिवर्तन आ गया है। अब वहां तानाशाही और सैनिक तानाशाही नहीं रही है ; अब वहां लोकतन्त्रात्मक शक्तियाँ उभर रहीं हैं इस प्रकार की आर्थिक तथा दैन्य स्थिति में परिवर्तन आया है। निश्चित रूप से समस्त स्थिति बदल गई है और बदल रहीं हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा भाग अब एक स्वतन्त्र प्रभुसत्ता प्राप्त बंगला देश बन चुका है।

इन्हीं परिवर्तनों के संदर्भ में, इनके प्रकाश में हमें स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिये। स्वयं पाकिस्तानी नेता गण भी समझ गये हैं कि अब उन्होंने एक निश्चित नीति अपना ली है। यह भी बात देखने योग्य है कि वहां श्री भुट्टो को भी एक जन संघ अर्थात जमात-ए-इस्लामी के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वह संख्या भी बार बार श्री भुट्टो को यह कह रही है कि आप तो हजार वर्ष तक युद्ध करने की बात करते रहे अब आपको क्या हो गया ?

इस बात पर सारा राष्ट्र सहमत है कि भारत शांति चाहता है। हमारे आलोचक भी यह कहने का साहस नहीं कर सकते कि भारत शांति नही चाहता। हमारे प्रधान मन्त्री ने यह बात कई बार स्पष्ट तौर पर कही है कि शिखर सम्मेलन में हम विजेता के रूप में नहीं जा रहे बल्कि शांति के लिए जा रहे हैं।

शांति स्थापित होना पाकिस्तान के हित में भी है। श्री भुट्टो ने पाकिस्तान राष्ट्रीय सभा में कहा है कि हमें अतीत में की गई अपनी भूलों को भूल जाना चाहिये। हमें जीओ और जीने दो के सिद्धांत के अनुसार चलना चाहिए। सारे मत भेदो को शांति से निपटाना, एक दूसरे के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप न करना आदि आदि समझौते की मुख्य बातें हैं और इन बातों से हटना समझौते को भग करना है।

काश्मीर के बारे में बहुत चर्चा हुई है। इसके बारे में हमारी स्थिति स्पष्ट है। काश्मीर का भारत के साथ विलय हो चुका है और वह भारत का एक अंग है। काश्मीर की प्रभुसत्ता पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है। समझौते में कोई बात ऐसी नहीं है जो हमारी इस स्थिति को किसी तरह से प्रभावित करती हो। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि इसका एक भाग अभी भी पाकिस्तान के गैर–कानूनी कब्जे में है। हमारे समझौते का यह उद्देश्य भी है कि हम बिना विदेशी हस्तक्षेप के आपसी बातचीत से अपने विवादों को हल करें। इन्हें शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जायेगा।

यह तर्क कि हमारी सैना के कब्जे वाला क्षेत्र एक रेखा क्षेत्र है जिसे खाली करने के लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी है। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से खतरनाक है। शांति की स्थाई गारन्टी सम्बन्धी चर्चा भी हुई है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि शान्ति की स्थाई गारन्टी क्या हो सकती है ? दोनों पक्ष शान्तिपूर्ण ढंग से सारे मामलों को हल करें, आपसी बातचीत द्वारा मामलों के बारे में निर्णय लें तथा समस्यायें हल करने के लिए शक्ति का उपयोग न करें—यही गारन्टी हो सकती है।

पाकिस्तान के सियेटो तथा सेन्टों में रहने की भी चर्चा हुई है। नई स्थिति में अपने आपको

ढालने के लिए अभी पाकिस्तान को समय लगेगा। जहां तक अपने देश का सम्बन्ध है, हम देश को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि शांति की रक्षा के लिये शक्तिशाली होना नितान्त अनिवार्य है। ऐसी चर्चा भी चली है कि समझौते का अनुसमर्थन संसद की स्वीकृति के बाद होना चाहिये था। संसद का अपमान करने सम्बंधी कोई भी बात हमारे मन में नहीं आई है इसका अनुसमर्थन करना कार्य-पालिका का कर्तव्य है। हमने इसके अनुसमर्थन से संसद को सम्बद्ध न करके संसद के प्रति उच्चतम आदर प्रकट किया है। संविधान के अनुसार कर्तव्य का पालन करना हमारी जिम्मेवारी है और हमने इस अनुसमर्थन द्वारा अपनी जिम्मेवारी निभायी है।

हम पिछले 25 वर्षों में संघर्ष के वातावरण में रहे हैं। इस बीच युद्ध भी हुए हैं। हमारी सेनाओं ने देश की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिये प्रशंसनीय कार्य किये हैं। युद्ध उसी समय करना चाहिये जब थोपा जाय। शांति जीतने के लिए भी ऐसी एकता से काम लेना चाहिये जैसे कि युद्ध के लिये हुई थी।

मैं यह बात स्पष्ट करता हूं कि वार्ता के समय रूस का कोई भी राजदूत शिमला में उपस्थित नहीं था और हमें न तो किसी से कोई सुझाव मिला और न ही हम पर कोई दबाव डाला गया है।

शरणार्थियों के बारे में प्रधान मंत्री तथा हमारे शिष्टमंडल ने पाकिस्तान के शिष्टमंडल को यह बात स्पष्ट रूप से बताई है कि अपने जन्मस्थानों को इनकी वापसी की व्यवस्था करना पाकिस्तान सरकार की जिम्मेवारी है जिसके लिए उनकी ओर से आश्वासन मिला है कि वे उन्हें वापिस बुलाने के लिये उचित कदम उठायेंगे। लेकिन इस समस्या से मानवीय पहलू के अनुसार ही हम इस दिशा में कदम उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 1 तथा 6 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए :

The substitute motian Nos 1 and 6 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय: एक प्रस्ताव श्री समर गुह का है।

श्री समर गुह : मैं इसको वापस लेना चाहता हूं।

प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 7 सभा की अनुमति से वापस लिया गया :

The substitute motion No. 7 was, by leave, with drawan.

अध्यक्ष महोदय : श्री चिन्तामणी पाणिग्रही प्रस्तुत स्थापन प्रस्ताव संख्या 4 मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि : "यह सभा, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बंधों के बारे में 2 जुलाई, 1972 को शिमला में हुए समझौते के सम्बन्ध में विदेश मंत्री द्वारा 31 जुलाई, 1972 को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के उपरान्त, इस महाद्वीप में स्थायी शांति के लिए आधार तैयार करने हेतु शिमला समझौता करके प्रधान मंत्री और भारत सरकार ने जो पहल की है, उसकी अत्यधिक सराहना करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : सभा को स्थगित करने से पहले मैं यह कहूंगा कि अवश्य दिन शान्ति से बीता ।

इसके पश्चात लोक-सभा बुद्धवार, 2 अगस्त, 1972/11 श्रावण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wedne-day, August 2, 1972/Sravana 11, 1894 (Saka)

Ashoka Printing Works, Modinagar.